चतुर्दश माला, खंड 27, अंक 31

बुधवार, 16 मई, 2007
26 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc No. 63
Dated 1 May 2008

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 31, बुधवार, 16 मई, 2007/26 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 583 से 587, 589 और 590	4-34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 582, 588 और 591 से 601	34-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 5511 से 5544 और 5546 से 5740	63-503
सभा पटल पर रखे गए पत्र	503-514
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	515
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	515
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
इकतीसवां प्रतिवेदन	516
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
छप्पनवां प्रतिवेदन	516
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	516-517
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	517
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
संसद सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों और सुविधाओं के दुरुपयोग सहित कदाचार के मामलों की जांच करने हेतु समिति का गठन	517-519
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर ई जी ए) के कवरेज का विस्तार	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	519-521

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	521-523
(तीन) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 29वें, 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. शकील अहमद	523
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
सेतु समुद्रम नहर परियोजना और इसके संरेखण के बारे में कथित विवाद संबंधी स्थिति	524-553
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	525, 530-542
श्री टी.आर. बालू	525, 549-553
श्री ए. कृष्णास्वामी	543-544
श्री एन.एस.वी. चित्तन	544-545
श्री एस.के. खारवेनथन	545-546
श्री एम. अप्पादुरई	546-547
नियम 377 के अधीन मामले	554-558
(एक) उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत ग्वालियर से शिवपुर कलां तक मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा रेल लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	554
(दो) उत्तराखंड में उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे राशन के कोटा को बहाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	554-555
(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के अजमेर जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	555
(चार) कर्नाटक के हॉस्पेट और बेल्लारी जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के क्षतिग्रस्त खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. करूणाकर रेड्डी	556
(पांच) भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच वाया क्योंझरगढ़ राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत नायक	556-557

विषय कॉलम

(छह) हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) और हरपाल (मध्य प्रदेश) के बीच रेल सेवाएं शुरू किए जाने तथा महोबा और खजुराहो के बीच रेल सेवाओं/सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 557-558

(सात) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के पश्चात झारखंड विधान सभा और लोक सभा में झारखंड की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने हेतु कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू 558

केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 558-561

विचार करने के लिए प्रस्ताव 559

श्री टी.आर. बालू 559

खंड 2 और 1 560

पारित करने के लिए प्रस्ताव 561

नियम 193 के अधीन चर्चा

ग्लोबल वार्मिंग 562

श्री कपिल सिब्बल 562

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 563-564

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 564-572

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 573-574

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 573-576

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 16 मई, 2007/26 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न काल शुरू करते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय मैंने एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं। प्रश्नकाल निलम्बित करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैने एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो भी नोटिस दिया है उसे सही समय पर लिया जाएगा। आप इसे भली प्रकार जानते हैं। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कई दिनों बाद आपको यहां देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपका यहां स्वागत है।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, हमने कल माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे उठाने का यह समय नहीं है। आप यह जानते हैं जानबूझ कर आंप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तारह से जानते हैं कि मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। यह मूल्यवान समय है और इस समय में प्रश्न पूछना माननीय सदस्यों का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्र.सं. 582 श्री रेवती रमन सिंह उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मैंने उस दिन आपको बोलने की अनुमति दी थी। अब आप सभा से बाहर हुई बैठक का हवाला दे रहे हैं। मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मेरी अनुमति के बिना एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा इस पर निर्णय करे। क्या सभा को इस प्रकार कार्य करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए। यह मेरी बात नहीं है। मेरा काम सभा को चलाना मात्र है। आप मुझे बताइए क्या इस सभा को चलना चाहिए अथवा नहीं या क्या कुछ माननीय सदस्य इस सभा में प्रत्येक दिन मनमानी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। यही परेशानी है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर जाइए। यह क्या हो रहा है? मैं सभी दलों के माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरा मार्ग निर्देशन करें कि इस सभा का कार्य कैसे चलेगा। यह एक तमाशा बनता जा रहा है। यह देश के लोगों की सभा है। कई लोग यहां बैठे हैं और आप यहां चिल्ला रहे हैं। आपने कोई नोटिस नहीं दी है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बोलते ही जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरफ से क्यों चिल्ला रहे हैं? यदि सभा में सभी पक्ष ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा? मैं आपसे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए पुरजोर अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। मैं केवल यह समझता हूं कि मुझे यहां एक कर्त्तव्य का निर्वहन करना है। यह प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछने को तैयार हैं। आप उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप यह सब बातें क्यों कह रहे हैं?

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको उस दिन बोलने की अनुमति दी थी। आपकी ओर से कोई नोटिस भी नहीं दी गयी है। अचानक आप चारों खड़े हो गए और आप में से कुछ सभा के बीचों बीच आ गए। यह एक मजाक बन गया है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय डा. एम. जगन्नाथ और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

पूर्वाह्न 11.06½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 583, श्री तथागत सत्पथी

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला ब्लाकों का आबंटन

***583. श्री तथागत सत्पथी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को मौजूदा विद्युत संयंत्रों के लिए आबंटित कोयला ब्लाकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों के लिए कुछ प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु आबंटन का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विद्युत क्षेत्र के लिए 57 कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं जिनमें से 9 कोयला ब्लाक मौजूदा विद्युत संयंत्रों के लिए आबंटित किए गए हैं तथा शेष ब्लाक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विस्तार/नए विद्युत संयंत्रों के लिए आबंटित किए गए हैं। मौजूदा विद्युत संयंत्रों के लिए प्रत्येक राज्य में आबंटित ब्लाकों का ब्यौरा निम्नवत है:

राज्य का नाम	ब्लाकों की संख्या	ब्लाकों का भंडार (मिलियन टन में)
तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र	1	768
छत्तीसगढ़	1	150
पंजाब	1	562
पश्चिम बंगाल	4	736.65
झारखंड	1	400
सेंट्रल पी.एस.यू. (एनटीपीसी)	1	1600

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने सरकारी कंपनी वितरण मार्ग के तहत विद्युत क्षेत्र के लिए 10 कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रत्युत्तर में, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कुल 183 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) ये आवेदन विचार के अग्रिम स्तर पर हैं।

श्री तथागत सत्पथी : यदि मेरे प्रश्न के दिए गए लिखित उत्तर को देखें तो हम पाते हैं कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड राज्यों को कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं।

कोयला भण्डार वाला उड़ीसा नामक राज्य कहां लुप्त हो गया? उड़ीसा को कोई कोयला ब्लाक क्यों नहीं दिया गया है? राज्य सरकार ने कोयला ब्लाक के लिए आवेदन दिया है। केन्द्र लगातार उड़ीसा के साथ संघ के बाहर के राज्य के रूप में व्यवहार कर रहा है। यह सच है कि नहीं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल इस सरकार ने ऐसा किया है। सरकार एक सतत् प्रक्रिया है और अंततः संप्रग मात्र अस्थायी है।

डा. दासरि नारायण राव : महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य ने पास उड़ीसा में ब्लाकों के आबंटन की उचित जानकारी नहीं है। कल उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यालय में मुझसे भेंट की। हमने एक चर्चा की। मैंने उनकी आवश्यकता के बारे में पूछा। मैं समझता हूं कि उनकी आवश्यकता लगभग 20,000 मेगावाट है। पहले ही हम उस आवश्यकता को पूरा करने के करीब हैं। एनटीपीसी तथा ओपीजीईएनसीओ लिंकेज द्वारा 5000 मेगावाट; एनएलसी द्वारा 2000 मेगावाट; नवभारत द्वारा 500 मेगावाट; जिंदल द्वारा 250 मेगावाट; नीलांचल के माध्यम से 250 केवी के; विद्युत वित्त निगम के अतिबृहद परियोजनाओं के माध्यम से 4000 मेगावाट द्वारा इसे किया जा रहा है। उड़ीसा में 4000 मेगावाट वाली अतिबृहद विद्युत परियोजना हेतु तीन कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जा रहा है। यह मीनाक्षी, मीनाक्षी का डिप साइड, मीनाक्षी-ख इत्यादि है। हमने 3200 मेगावाट वाले दर्दीपल्ली विद्युत संयंत्र के लिए भी कोयला ब्लाकों का आबंटन किया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पहले ही संवितरित किए जाने हेतु पांच कोयला ब्लाकों की मांग की है। इस पर पहले से ही विचार किया जा रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल इस मामले पर चर्चा की है। इसके अलावा, निजी कंपनियों को भी कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया था। इसमें 170 मेगावाट के उत्पादन हेतु हिंडाल्को सहित नाल्को और एनएलसी शामिल हैं। कल उन्होंने एक और रक्षित ब्लाक की मांग की है। हमने उस पर भी विचार करने को कहा है।

श्री तथागत सत्पथी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या आईबी को, जो निजी और सरकारी सहयोग वाली परियोजना है तथा जिसमें एईएस भी शामिल है, कोई विशिष्ट कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं। ओपीजीसी एक सरकारी कंपनी है और इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मुझे दिए गए उत्तर के आधार पर ही मैं कह रहा हूं और आईबी को आबंटित किए जा रहे किसी कोयला ब्लाक का कोई उल्लेख नहीं है। मैं खासकर आईबी के बारे में जानना चाहूंगा।

डा. दासरि नारायण राव : माननीय सदस्य का सीधा प्रश्न है कि कितनी विद्यमान परियोजनाओं को ब्लाक दिए गए थे। मैं माननीय सदस्य को तीन ब्लाकों के नाम बताऊंगा। उसके अलावा हमने राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 57 ब्लाक आबंटित किए हैं, जिनमें उड़ीसा को भी तीन और दो ब्लाक आबंटित किए गए हैं—तीन अतिबृहद विद्युत परियोजना के लिए तथा दो निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं, क्या उन्हें पर्याप्त क्षमता का अच्छा कोयला उपलब्ध नहीं कराया जाता और क्या मध्य प्रदेश के किसी विद्युत संयंत्र ने कोयला ब्लॉकों की मांग नहीं की है?

[अनुवाद]

डा. दासरि नारायण राव : जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, विद्युत उत्पादन के लिए दो ब्लाक, व्यावसायिक खनन के लिए पांच ब्लाक और निजी हेतु दो - कुल मिलाकर नौ ब्लाक दिए गए थे जिसमें 737.76 मिलियन टन का भण्डार वहां है।

डा. बाबू राव मिडियम : महोदय, आंध्र प्रदेश में विशाखा इस्पात का विस्तार किया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कृपा पूर्वक गत वर्ष इस कार्य का उद्घाटन किया था। कार्य प्रगति पर है। विस्तार कार्य में एक विद्युत संयंत्र है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या विशाखा इस्पात ने अपने विस्तार हेतु रक्षित खान के लिए आवेदन किया है और क्या आवेदन पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं।

डा. दासरि नारायण राव : विजाग इस्पात संयंत्र पहले ही आवेदन कर चुका है तथा हमने करीब 1,000 मिलियन टन का एक कोकिंग ब्लॉक आवंटित किया है। उन लोगों ने आज तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया है। हाल के आवंटन में भी एक छोटी-सी खान प्रस्तावित की गयी है। कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) ने कहा है कि चूंकि यह खान छोटी है जिसमें मात्र 17 मिलियन टन का कोयला भंडार है, मेरी समझ से, वह इसे पाकर खुश नहीं है तथा उनको आवंटित पहला ब्लॉक पहले से ही उनके पास है। ये ब्लॉक हैं जिनकी उन्होंने मांग की है।

[हिन्दी]

शीतल पेय में कीटनाशी अवशेष

+

***584. श्री अजीत जोगी :**
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय में कीटनाशी अवशेष की अधिकतम सीमा के बारे में सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शीतल पेय उत्पादक उक्त समूह/समिति द्वारा सुझाई गई अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के दल ने अलग-अलग कीटनाशकों अल्फा-एचसीएच, बीटा-एचसीएच, गामा-एचसीएच, डेल्टा-एचसीएच, डीडीटी-आर, क्लोरपायरीफॉस, मेलाथियॉन और इन्डोसल्फान के लिए अधिकतम सीमा 1 पीपीबी की अनुशंसा की है। इस समिति द्वारा जांचे गए शीतल पेय के नमूने इन निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

कार्बोनेटेड जल तैयार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जल को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के तहत बोतलबंद पेय जल हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए।

केन्द्र एवं राज्य के विभिन्न केन्द्रों में इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में जांचे गए शीतल पेय के नमूने इन निर्धारित सीमाओं के भीतर थे।

इस समय कीटनाशकों एवं कार्बोनेटेड जल के लिए अधिकतम अवशेष सीमाओं का निर्धारण खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में नहीं किया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के तहत कीटनाशकों की सीमाएं निर्धारित करने के बाद ही इस संबंध में शीतल पेय के बारे में कोई विनियामक कार्रवाई की जा सकती है।

श्री अजीत जोगी : देश में बेचे जा रहे मृदु पेय पदार्थों के बारे में विभिन्न पक्षों से विरोधाभाषी मन्तव्य व्यक्त किए जा रहे हैं।

अभिनेता और आदर्श व्यक्ति कतिपय मृदु पेयों का विज्ञापन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सुरक्षित हैं। कुछ गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि ये असुरक्षित हैं। माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि सरकार द्वारा गठित समिति ने प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा लिए गए सभी नमूने सुरक्षा सीमा के अंदर हैं।

इसके मद्देनज़र, क्या अब सरकार एक नागरिक अभियान चलाएगी? क्या सरकार लोगों को यह बताएगी कि इन नमूनों व परीक्षणों हेतु किन मृदु पेयों को लिया गया था? इनमें से कितने और कौन-कौन मृदु-पेय सुरक्षित पाए गए हैं? सरकार को एक प्रचार अभियान चलाना चाहिए ताकि जनता इसके बारे में जान सके। क्या सरकार ऐसा करेगी?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे कंपनियों के लिए प्रचार करेंगे?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : वर्तमान में, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1995 के अंतर्गत कार्बोनेटेड वाटर में कीटनाशकों हेतु अधिकतम अवशिष्ट सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। खाद्य अपमिश्रण निवारण (पी.एफ.ए.) अधिनियम के अंतर्गत कीटनाशकों की सीमा निर्धारित किए जाने के पश्चात् ही मृदु-पेयों के संबंध में कोई विनियामक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, सी.सी.एफ.एस. की अंतिम सिफारिशों के आधार पर इसकी सीमा निर्धारित की जाएगी तथा इसके खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा। 10 महीनों के पश्चात् सिफारिश की जाएगी। तत्पश्चात् हम अधिसूचित कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वहां कौन बात कर रहा है?

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी : यह आश्चर्यजनक है कि हमने अब तक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत, अपने देश में मृदु-पेयों हेतु सुरक्षा-सीमा निर्धारित नहीं की है। महोदय मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत मृदु-पेयों हेतु सुरक्षा-सीमा कब तक निर्धारित करने जा रहे हैं? आपने इसे अब तक क्यों नहीं किया है? क्या ऐसा कतिपय मृदु-पेयों को बचाने के लिए किया गया है? अथवा, मृदु-पेयों हेतु सुरक्षा सीमा निर्धारित करने में इस विलम्ब के कुछ अन्य कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपका प्रश्न सिर्फ कीटनाशक अवशिष्टों से संबंधित है।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : हमारी सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षाकृत अधिक चिन्तित है। विश्व में कहीं भी मृदु-पेयों हेतु मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने, जिसमें सभी पक्ष यथा वैज्ञानिकों, किसानों, चिकित्सा विशेषज्ञों, उपभोक्ताओं आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के बारे में सी.सी.एफ.एस. को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इस सी.सी.एफ.एस. समिति में कुल 52 सदस्य हैं। इनका परीक्षण करने के पश्चात्, वे रिपोर्ट भेज देंगे। तब हम इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खेद है, इसके पश्चात् किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं है।

श्रीमती पी. सती देवी : महोदय, हमारे देश में अनेक घटनाएं घट रही हैं जो इस सच को दर्शाती हैं कि मृदु-पेय असुरक्षित एवं अस्वास्थ्यकर हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने वर्ष 2004 में अपनी सिफारिशें दी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने मृदु-पेयों में कीटनाशकों की अधिकतम सीमा के संबंध में सिफारिश की है। चिन्ताजनक स्थिति यह है कि अब तक सरकार ने निर्धारित सीमा को अधिसूचित नहीं किया है। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्वयं इस सम्माननीय सभा में अगस्त, 2006 के दौरान आश्वासन दिया गया था, अधिसूचना जारी करने हेतु अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद मंत्रालय ने निर्धारित मानदंडों को अधिसूचित क्यों नहीं किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इसे अधिसूचित करने हेतु कोई कदम उठाया जाएगा, कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन मानदंडों को अधिसूचित करेंगे?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : हम लोग रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही मानदंडों को अधिसूचित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ नियंत्रण लगाया जाता है तो मुझे खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जांच करने के बाद कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई

है और नीचे लिखा गया है कि खाद्य मिश्रण निवारण नियमावली के तहत कीटनाशकों की सीमाएं निर्धारित करने के बाद ही इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब है कि कीटनाशकों की सीमा निर्धारित नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि कीटनाशकों से मानव शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और पूरे देश में बड़े पैमाने पर अभियान भी चला रही है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में कीटनाशकों की सीमाएं निर्धारित नहीं करने के कारण लोगों के स्वास्थ्य का जो नुकसान हो रहा है, उसे रोकने के लिए क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई सर्वेक्षण कराया है? कीटनाशकों के शरीर में चले जाने के कारण पेयजल की वजह से कितने प्रतिशत लोग इस देश में प्रतिवर्ष बीमार पड़ते हैं और कौन सी बीमारियां होती हैं तथा कितने लोग मरते हैं, क्या इसका सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा कराया गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को ब्यौरा भेज दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, शीतल पेयों में कीटनाशकों की अनुमत अधिकतम अवशिष्ट सीमा के संबंध में अभी भी एक प्रश्नचिह्न है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इसे भारत सरकार द्वारा वैधानिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है और इसकी वजह से, अनेक मामलों का निर्णय जनहित के विरुद्ध हुआ है, यथा, केरल में पेप्सी कोला का मामला। यही बात अन्य अनेक मामलों में हुई क्योंकि कीटनाशक घटक की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है। इसलिए, क्या सरकार कानून के तहत कीटनाशकों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने व इसे अधिसूचित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके तथा जनाक्रोश को शांत किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर अवश्य ही 'हां' होना चाहिए।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : जी हां।

जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए टीकाकरण

+

***585. श्री एस. अजय कुमार :**
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 मई, 2007 से देश में बड़े पैमाने पर जापानी मस्तिष्क ज्वर (जापानी एनसिफलाईटिस) के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किन-किन राज्यों पर पड़ा है और इस रोग का उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में जापानी एनसिफलाईटिस और वेक्टर जनित रोगों का उपचार कराने के अभियान में गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) वर्ष 2005 में जापानी एन्सेफेलाइटिस के प्रकोप के पश्चात, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्थानिकमारी वाले 105 जिलों में 1-15 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों में जोखिम को कवर करने के लिए 2006 से चरणबद्ध ढंग से जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। 2006 के दौरान, 4 राज्यों के 11 जिलों अर्थात् उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, देवरिया, महाराजगंज, कर्नाटक के बेल्लारी, असम के डिब्रूगढ़ एवं सिबसागर और पश्चिम बंगाल के बर्दवान को जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण में कवर किया गया है। बच्चों को टीका लगाने के लिए लाईव अटेन्युएटिड जेई वैक्सीन एसए 14-14-2 का प्रयोग किया गया था। 10.5 मिलियन लक्षित बच्चों में से 9.3 मिलियन बच्चों को कवर किया गया।

2007 के दौरान जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान को 10 राज्यों के 28 जिलों में चलाया जा रहा है जो कि निम्नलिखित हैं:—

राज्य	जिले
असम	जोरहाट, गोलाघाट
हरियाणा	करनाल, कुरुक्षेत्र
पश्चिम बंगाल	बीरभूम
उत्तर प्रदेश	बहराइच, बस्ती, सहारनपुर, श्रावस्ती, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, मऊ
आंध्र प्रदेश	वारंगल
बिहार	मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारन
महाराष्ट्र	अमरावती, नागपुर (ग्रामीण), भंडारा
कर्नाटक	रायचूर, कोल्लार
केरल	आलापुझा
तमिलनाडु	विल्लुपुरम, कुड्डालोर, विरुद्धनगर

जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान असम और हरियाणा में पूरा हो चुका है। असम में 89% कवरेज के साथ 608151 बच्चों को टीके लगाए गए। हरियाणा में 86% के साथ 651825 बच्चों को टीके लगाए गए। प. बंगाल में 3 मईख 2007 से टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान 27 मई, 2007 से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में टीकाकरण अभियान जून, 2007 में चलाया जाएगा और केरल और तमिलनाडु में यह जुलाई, 2007 में चलाया जाएगा।

देश में ऐसे 15 राज्य (आंध्र प्रदेश, असम बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल) हैं जो जापानी एन्सेफेलाइटिस से बुरी तरह प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है।

जापानी एन्सेफेलाइटिस एक वायरल रोग है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। तथापि, इसके रोगियों का लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस को रोकथाम एवं नैदानिक कार्यनीतियों, दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। रोकथाम संबंधी कुछ कार्यनीतियों में धूमन, जानवरों को मनुष्यों से दूर करना, मच्छरदानियों का प्रयोग करना और टीकाकरण शामिल हैं। इस रोग का इलाज करने के नैदानिक उपाय निम्नलिखित हैं:—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में जापानी एन्सेफेलाइटिस के रोगियों के नैदानिक एवं क्लिनिकल उपचार को सुदृढ़ करके रोग की सांघातिकता को कम करने हेतु जापानी एन्सेफेलाइटिस के रोगियों का जल्दी निदान एवं उचित उपचार।

(ii) जापानी एन्सेफेलाइटिस के रोगियों के शीघ्र निदान एवं उचित प्रबंधन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी, क्लिनिशियनों और नर्सों को प्रशिक्षण।

(iii) जापानी एन्सेफेलाइटिस के रोगियों को नैदानिक केन्द्रों में शीघ्र रेफर करना।

(iv) जापानी एन्सेफेलाइटिस के रोगियों के इलाज पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करना।

(v) स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में जापानी एन्सेफेलाइटिस के निदान के लिए प्रहरी प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में एनजीओ, एफबीओ, सीबीओ, एसएचजी, पीआरआई को शामिल करके सार्वजनिक-निजी सहभागिता हाल ही में शुरू की गई है। इस दिशा में रोग का शुरू में ही निदान और पूर्ण उपचार तथा कीटनाशीयुक्त मच्छरदानियों सहित उपयुक्त वेक्टर नियंत्रण उपाय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मलेरिया नियंत्रण के लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा व्यापक रूप से इनका प्रचार-प्रसार किया गया है।

श्री एस. अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रेस रिपोर्टों के मुताबिक, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संतोषजनक रूप से नहीं चल रहे हैं। मलेरिया के मामलों की संख्या जो 1960 के दौरान मात्र 50,000 वार्षिक थी वर्ष 2006 में 1.8 और 2 मिलियन के बीच हो गयी है जिसमें 1,140 मौतें भी दर्ज हुई हैं। मुझे डर है कि यह संख्या काफी अधिक हो सकती हैं क्योंकि संबंधित निगरानी कमतर रही है। इसलिए, मैं मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो सके।

अध्यक्ष महोदय : आप मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं तथा इसे आप इस प्रश्न के अंतर्गत पूछ रहे हैं जो जापानी मस्तिष्क ज्वर से संबंधित है। क्या यह वही रोग है?

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, हम लोग मलेरिया की रोकथाम के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में पूछा है।

यह एक विषाणु जनित रोग है। जापानी मस्तिष्क ज्वर हेतु कोई विशिष्ट इलाज नहीं है तथापि, ऐसे मामलों का इलाज रोगलक्षण के आधार पर किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जापानी मस्तिष्क ज्वर टीकाकरण अभियान क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जिसमें 1 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक के जोखिम वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा तथा जहां तक मलेरिया का प्रश्न है, हम आवश्यक कदम उठाने हेतु सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में कोई प्रश्न है?

श्री एस. अजय कुमार : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मलेरिया पर नियंत्रण पा लिया गया है। यदि हां, तो वेक्टर जनित अन्य रोगों यथा, फाइलेरिया, काला-आजार, डेंगू तथा चिकेनगुनिया के मामले भी कम हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री मिलिन्द देवरा - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, जापानी मस्तिष्क ज्वर देश के 15 राज्यों में है लेकिन उत्तर प्रदेश में इस रोग का बहुत असर है। मेरा कहना है कि जापानी मस्तिष्क ज्वर इंडिया में कैसे आ गया है। देश में मस्तिष्क ज्वर पहले से बहुत फैला है। अतः उसे जापान से लाने की क्या आवश्यकता थी?...*(व्यवधान)*

क्या इंडिया में जापानी मस्तिष्क ज्वर फैला है या नहीं?...*(व्यवधान)*

मस्तिष्क ज्वर बहुत खतरनाक रोग है। इसे खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे सकता हूं। भारत में यह आपके निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से आया है।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी : महोदय, उत्तर प्रदेश जापानी मस्तिष्क ज्वर से काफी अधिक प्रभावित है। हमने टीकाकरण के लिए 48 जिलों में से 11 जिलों का चयन किया है। जापानी मस्तिष्क ज्वर मच्छरों का भंडार सुअर तथा वाटर बर्ड्स हैं। हम जापानी मस्तिष्क ज्वर के प्रसार को रोकने के लिए उन्हें फॉग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि इस रोग के प्रसार को किस प्रकार रोका जाए।

लोकपाल संबंधी कानून

*586. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोकपाल संबंधी कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक संसद में विधेयक लाया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) लोकपाल विधेयक को अन्तिम रूप दिया जाना, प्रगतिशील अवस्था में है और सरकार का यह प्रयास है कि इस विधान को संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, 'एडवान्स्ड स्टेज' शब्द काफी टेढ़ा है क्योंकि पहले यह विधेयक आठ अवसरों पर पुरःस्थापित किया गया था और उन सभी अवसरों पर...*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह : पूर्ववर्ती सभी अवसरों पर विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात् लोक सभा विघटित कर दी गई थी तथा यह निष्फल हो गया था। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि क्या सरकार को यह डर है कि यदि वह विधेयक लाती है तो लोक सभा पुनः विघटित हो सकती है। जो भी हो, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस चरण में है। एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं? सरकार द्वारा किस चरण में सिफारिशों पर विचार किया जाता है?

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, यह तथ्य है कि लोक सभा में यह लोक पाल विधेयक पहले आठ बार पुरःस्थापित किया जा चुका है। सर्वप्रथम यह 1968 में पुरःस्थापित किया गया था तथा तत्पश्चात् यह 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 तथा 2001 में पुरः स्थापित किया गया था। यू.पी.ए. सरकार की यह प्रतिबद्धता है और इसका उल्लेख न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किया गया है कि लोकपाल विधेयक को कानून के रूप में अधिनियमित किया जाएगा। तद्नुसार, कार्मिक मंत्रालय ने दिसम्बर, 2004 में एक कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया था त उसी महीने लोकपाल विधेयक से संबंधित कैबिनेट नोट को मंत्रियों के समूह को सौंप दिया गया था। मंत्रियों के समूह ने काफी विचार-विमर्श के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को जांच के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है। जहां तक इसके सदस्यों का संबंध है मंत्रियों के समूह का गठन श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में किया गया है तथा इसमें 12 सदस्य हैं। जहां तक प्रशासनिक सुधार समिति का संबंध है, इसने प्रशासन में नैतिकता की सिफारिश की है तथा लोकपाल विधेयक के बारे में उल्लेख किया हैं। इसमें 9 सदस्य है तथा इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि इस देश में प्रशासन तथा उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस स्वतंत्रता के पश्चात् एक लोकप्रिय विषय बन गया है और हम अभी भी अपनी राजनैतिक व्यवस्था से इस बुराई को समाप्त करने का रास्ता खोज रहे हैं। हम संगठित रूप से प्रयास कर रहे हैं तथा मेरा मानना है कि यह प्रयास जारी रहेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में किन्हें शामिल किया जाएगा, यह बहस का मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले तौर पर स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री के पद को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। महामहीम राष्ट्रपति ने भी खुले तौर पर स्वयं उद्घाटन भाषण में कहा है कि राष्ट्रपति का पद भी इससे सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः मेरा मानना है कि इस विषय पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। अनेक बुद्धिजीवियों तथा विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। हमने कई प्रारूपों को देखा है और अब इस अंतिम चरण में मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री इस सभा को इस संबंध में आश्वस्त करेंगे कि इस सभा में उसे कब पुरःस्थापित किया जाएगा और क्या यह वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल में पारित होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभा और राष्ट्र को आश्वासन दें तथा लोगों के मन में संदेह को दूर करें।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैंने विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया है कि सरकार विधेयक को यथाशीघ्र लाने का प्रयास करेगी क्योंकि यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता है।

जहां तक इस विधेयक में प्रधानमंत्री को सम्मिलित किए जाने का संबंध है, हमने मंत्रियों के समूह की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की है। प्रशासनिक सुधार समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट नामशः इथिक्स इन गवर्नेन्स में अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं। अगर आप इस सभा में 1968, 1971, 1977 तथा 1985 में पुरःस्थापित लोकपाल विधेयकों का अवलोकन करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि इनमें प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन इस संबंध में हम काफी खुले विचारों के हैं। कैबिनेट को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना है। जब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते, इस मुद्दे पर कुछ भी प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री मधु गौड यास्खी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा लोकपाल विधेयक के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी व्यापक तथा काफी सामान्य है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधु गौड यास्खी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सभा को यह आश्वासन दिया कि यह यथाशीघ्र लाया जाएगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस विधान को यथाशीघ्र लाने की कोई निश्चित योजना है।

श्री सुरेश पचौरी : जहां तक सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अभी तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का संबंध है, हमने सी.वी.सी. अधिनियम के अधिनियमन के माध्यम से सतर्कता मशीनरी को मजबूत किया है तथा हमने सी.बी.आई. को कार्य संबंधी स्वायत्तता भी दी है। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया है तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की शुरूआत की है। हमने व्हिसल ब्लोअर संकल्प, ई-गवर्नेन्स के व्यापक उपयोग, नागरिक संहिता की शुरूआत, सतर्कता मामलों की कारगर मॉनिटरिंग तथा नागरिकोन्मुखी सेवाएं देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने एवं संवेद्य बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अतः हमने ऐसे कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष, महोदय, पिछले 40 साल से लोकपाल विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। राजनेताओं पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि इसके लिए ठोस कदम उठाते हुए लोकपाल विधेयक कब लाएगी? क्या इसमें प्रधानमंत्री को शामिल करने का विचार है या नहीं? क्या अगले सत्र तक सरकार इसे लाने का ईरादा रखती है?

श्री सुरेश पचौरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पब्लिक लाइफ में करप्शन का प्रश्न है, इस संबंध में सरकार कटिबद्ध है कि इस दिशा में जो भी समुचित कदम उठाए जा सकते हैं, वे उठाए जाएं। जहां तक प्रधानमंत्री जी को लोकपाल बिल के परव्यू में लाने का प्रश्न है, सरकार बहुत स्पष्ट है कि इस मामले में कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगी, उस डिसीजन के साथ, उस लेजिसलेशन के साथ हम उसे इस सदन में लाएंगे।

जहां तक इस लेजिसलेशन को इस सदन में लाने का प्रश्न है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि इस सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम में यह उललेख है कि हम लोकपाल बिल को लाएंगे। आप जानते हैं कि इसमें लंबी प्रक्रिया और काफी काम्प्लेक्स इश्यूज के साथ इस बिल को फाइनल शेप देने के लिए गुजरना होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन ने अपनी फोर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह रिपोर्ट भी कोर कमेटी को पेश की गई है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी अपनी मीटिंग समाप्त कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर दी है। इस बिल को अंतिम स्वरूप देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनेल ने वैटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेजना होता है इसलिए जैसे ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा प्राप्त हुई हमने इसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेज दिया है। हमें जैसे ही यह प्राप्त होगी, हम उसे सदन के सामने ले आएंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : तीन साल निकल गए हैं, यह होगा या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा मानना है कि उन्होंने काफी व्यापक उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ठोस प्रश्न के जवाब में जो ठोस उत्तर दे रहे हैं वह बहुत ही रोचक है लेकिन जो छुपा रहे हैं वह बहुत ही आकर्षक है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई सदस्य संरक्षण चाहता है अथवा अध्यक्ष संरक्षण चाहते हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है कि कब लोकपाल बिल इन्ट्रोड्यूज किया जाएगा और इस सरकार की इस संबंध में क्या मान्यता है कि इसमें प्रधानमंत्री और उच्च पद शामिल होंगे या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : चूंकि दशकों से हम यह तर्क कर रहे हैं और मंत्री महोदय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन

आदि के बारे में बोल रहे हैं। इसमें केवल यही बात नहीं है कि कैबिनेट में फैसला होगा, तभी आप यह बिल लायेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमैन्डेशन कैबिनेट से अगर लॉ सैक्रटरी के पास जा सकती है तो क्या सदन को यह मालूम नहीं हो सकता कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमैन्डेशंस में प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के पदों को शामिल करने की राय है या नहीं? सदन को यह जानने का अधिकार है। हम वर्तमान में आर.टी.आई. के जमाने में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा मानना है कि आप इसका उत्तर पा चुके हैं; यह वही प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रधान मंत्री जी को इंक्लूड करने के बारे में क्या रिकमैन्डेशंस की हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या रिकमैन्डेशंस दी हैं। यद्यपि जब तक कैबिनेट किसी बिल को फाइनल शेप नहीं देती, तब तक उस बिल के संबंध में उल्लेख करना उचित नहीं होता। फिर भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है और मैं आपकी अनुमति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह निर्णय कैबिनेट पर छोड़ दिया है। दूसरा जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की अनुशंसा का प्रश्न है, इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की सिफारिश पब्लिक डोमेन में हैं। इसके अलावा हमने दूसरे कंट्रीज में भी देखा है कि इस मामले में क्या स्थिति है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने भी नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब विधेयक आएगा उस समय हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी : फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने उसमें प्राइम मिनिस्टर को शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।

[अनुवाद]

खुले सागर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम

*587. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत से खुले समुद्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विश्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस संबंध में अमरीकी नौसेना से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभुषण सिंह : अध्यक्ष महोदय, न्यूज पेपर्स में लगातार पब्लिश हुआ है कि एडमिरल मिचैल मुलैन यहां के डिफैन्स पर्सनल्स से मिले हैं और उनसे इसके संबंध में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। आखिरकार सरकार इस बात को क्यों छुपाना चाहती है और इसके डिटेल्स नहीं देना चाहती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी पालिसी प्रो-अमरीकन है? यदि ऐसा है तो कृपया माननीय मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने अभी-अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है। जहां तक भारत तथा संयुक्त राज्य रक्षा सहयोग का संबंध है, यह एक पूर्णतया पृथक् प्रश्न है। मैंने कभी भी यह नहीं कहा है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई रक्षा सहयोग नहीं है। प्रश्न यह है कि "(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से खुले समुद्र में अवैध क्रियाकलापों को रोकने के लिए विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल होने के लिए कहा है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?"

एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि 1982 में संयुक्त राष्ट्र का एक अभिसमय था; खुले

समुद्र में अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कानून। 1988 एस.यू.ए. अभिसमय है जो खुले समुद्र में समुद्री अपराधों के बारे में है। चूंकि भारत इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, अतः किसी देश विशेष द्वारा आरम्भ किए गए किसी वैश्विक कवायद में भाग लेने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से उस प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा है।

अगर भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्री सहयोग के बारे में माननीय सदस्य का कोई विशेष प्रश्न है, तो उसका उत्तर देने में मुझे खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह : सर, सैकिन्ड सप्लीमैन्ट्री में मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि हमारे समुद्र में जो इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं, क्या उन्हें कंट्रोल करने में हमारे हिन्दुस्तान की नेवी सक्षम है? यदि सक्षम है तो अभी तक जो इल्लीगल एक्टिविटीज हुई हैं, उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : यह काफी बड़ा प्रश्न है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा गया है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि हमें विशेष रूप से उस समुद्री लेन की सुरक्षा करनी है जो हिंद महासागर से होकर गुजरती है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट्स से यह विश्व की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 60 प्रतिशत ढोती है। अतः इस समुद्री लेन की सुरक्षा एवं बचाव काफी महत्वपूर्ण है।

किंतु बड़ी संख्या में समुद्री अपराध होते हैं। अतएव, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है कि जहां वास्तव में अपराध हो रहे हैं उन समुद्रतटीय देशों का सहयोग लिया जाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय हैं। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और भारतीय समुद्री पुलिस इससे निपटने में सक्षम है और हमने ऐसा किया है। वस्तुतः विगत में जब एक जापानी पोत का अपहरण हो गया था तब भारतीय नौसेना ने उसे रोक कर छुड़ाया। इसी प्रकार, जब हमारे एक पोत पर सोमालिया तट पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था तब अन्य समुद्रतटीय देशों के सहयोग से उसे छुड़ाने में हम सफल रहे। इस प्रकार की प्रथा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जारी है।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, खुले समुद्र में समुद्री लूट अपराध का एक सीमित स्वरूप है। अभी सबसे बड़े अपराधों में से एक है वन्यजीवों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना। उदाहरणार्थ, चेन्नई से हम कई देशों को समुद्री घोड़ा (सी-हार्स) और मछलियों की अन्य प्रजातियां भेज रहे हैं। कई बार सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा तस्करों को पकड़ा जाता है किन्तु अधिकांश बार इसकी अनदेखी कर दी जाती है। दूसरी जगह उदाहरण के लिए उड़ीसा तट के समीप पनामा फ्लैग शिप का समूह है और वे सभी अवैध हैं। तटरक्षक पर्याप्त रूप से साधन सम्पन्न नहीं हैं।

क्या मंत्री महोदय मुझे बताएंगे कि खुले समुद्र में वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए क्या किया गया है? क्या किसी भी देश के साथ कोई द्विपक्षीय संधि की गयी है क्योंकि तस्करी किए गए वन्यजीवों में से अधिकांश चीन, मलेशिया, फिलिपींस जा रहे हैं? क्या मंत्री महोदय कृपया इस बारे में मुझे बताएंगे?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मानव दुर्व्यापार तथा वन्यजीव दुर्व्यापार तथा वन्यजीव दुर्व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध हैं। हम 1982 और 1988 के अभिसमयों सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों में एक पक्ष हैं, और हमें सहयोग प्राप्त है।

तटरक्षकों के प्रभावी होने के संबंध में यह कहना असत्य है कि भारतीय तटरक्षक साधन संपन्न नहीं हैं। हां, वास्तविक अपेक्षा और वास्तविक उपलब्धि में अंतर हो सकता है और हम हमेशा उस अंतर को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु यदि माननीय सदस्या भारतीय तटरक्षक के विकास को देखने का कष्ट उठाती हैं, जिसकी 1978 में स्थापना की गयी थी और आज तक जिसका जितना विकास हुआ है तो वो पाएंगी कि काफी विकास हुआ है।

इसके अलावा, हमने हाल ही में तटरक्षक और समुद्री पुलिस, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक और संस्था है, जिसका काम तटरक्षक अथवा नौसेना के क्षेत्राधिकार से बाहर के अंतर्देशीय जल सीमा में हुए अपराध को रोकना है, के बीच सहयोग बढ़ाया है। इसके बावजूद, इस प्रकार की सूचना आती है कि कुछ वन्यजीवों की तस्करी अथवा दुर्व्यापार होता है तो निश्चित रूप से जब कभी हमें जानकारी मिलती है, आसूचना प्राप्त होती है तो उस पर हम उचित कार्रवाई करते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, हमारे देश की तीन सीमाएं समुद्र से घिरी हैं। अतः खुले समुद्र में अवैध गतिविधियां हमारे देश के लिए अधिक चिन्ता का विषय हैं। हाल ही में, दैनिक समाचार पत्रों और कुछ अन्य मीडिया में कई घटनाओं को सामने लाया गया है। हमारी समुद्री सीमा से मछुआरों को एलटीटीई तथा कुछ अन्य

अवैध संगठनों द्वारा भी पकड़ा गया है। महोदय, केरल की समुद्री सीमा से भी कई मछुआरे लुप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : इस प्रकार की अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने तथा हमारी समुद्री सीमा से लुप्त हुए मछुआरों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : अमरीका से आप केरल आ गए।

श्री प्रणब मुखर्जी : भारत और श्रीलंका के मछुआरों की सुरक्षा के लिए भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समझौता है। अधिकांश बार यह पाया जाता है कि एक देश के मछुआरे दूसरे देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए जो गुजरात तट पर होती हैं, उस संदर्भ में पाकिस्तान और भारत के बीच भी एक समझौता है। कई बार जब मछुआरे दूसरे देशों के द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं तो हम उन्हें छुड़ाने के सभी प्रयास करते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है।

श्री सलीम शेरवानी : महोदय, कई बार खुले समुद्र में अवैध गतिविधि अथवा तस्करी करने वाले लोगों का हमारे तटरक्षकों अथवा नौसेना द्वारा पीछा किया जाता है तो वे अपनी वस्तुएं समुद्र में फेंक देते हैं। क्या हमारे पास कोई योजना है जिससे हम फेंकी गयी उन वस्तुओं को निकाल सकें अथवा उनकी कीमत आंक सकें?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, हाल ही में एक बार हमने ऐसा किया है, हमें कतिपय विनिषिद्ध सामग्री, विस्फोटकों के भेजे जाने की सूचना मिली... निश्चय ही, आमना सामना होने के कारण इसे नहीं फेंका गया था बल्कि दुर्घटनावश वह गिर गया.. और हमारे तट रक्षकों तथा नौसेना में मिल कर उसे निकालने की कार्रवाई की जब कभी यदि उसे निकालना संभव होता है तो हम ऐसा करते हैं। यह कार्रवाई का हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय : प्र. 588 श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

अनुपस्थित

प्र. 589 : डा. धीरेंद्र अग्रवाल अनुपस्थित।

श्री हरिकेवल प्रसाद।

[हिन्दी]

एमटीएनएल/बीएसएनएल का वित्तीय निष्पादन

+

*589. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा अलग-अलग कुल कितनी आय एवं लाभ अर्जित किया गया;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान दोनों संगठनों के लाभ में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आगामी वर्षों में इनके प्रचालनों में सुधार करने और इनके लाभ में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमटीएनएल तथा बीएसएनएल द्वारा अलग-अलग अर्जित कुल आय और लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	एमटीएनएल		बीएसएनएल	
	कुल आय	लाभ	कुल आय	लाभ
2003-04	6,683.93	1150.48	33,918.59	5,976.52
2004-05	6,084.10	938.98	36,090.09	10,183.29
2005-06	6,091.00	580.29	40,176.58	8,939.69

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04 में एमटीएनएल का लाभ उससे पिछले वर्ष की तुलना में 31.6% बढ़ गया था। तथापि, वर्ष 2004-05

तथा 2005-06 का लाभ क्रमश: 18.38% और 38.20% घट गया। एमटीएनएल का वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 का लाभ मुख्यत: अभिगम घाटा प्रभारों के अधोन्मुखी संशोधन और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रशुल्कों में कटौती के कारण घटा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्तुत: बीएसएनएल के लाभ में गिरावट नहीं आई है। वित्तीय वर्ष 2004-05 के लाभ में 1301.96 करोड़ रुपए की वह राशि भी शामिल है, जो कि वित्तीय वर्ष 2003-04 के अधिक आयकर प्रावधान की वापसी के कारण प्राप्त हुई थी, जिसे कि बीएसएनएल पर धारा 80 आई ''क'' लागू किए जाने के संबंध में अनिश्चितता के कारण जमा किया गया और जिसका स्पष्टीकरण बाद में भारत सरकार द्वारा किया गया था। यदि उक्त राशि अर्थात 1301.96 करोड़ रुपए को 2004-05 के निवल लाभ में से निकाल दिया जाए, तो 2004-05 का लाभ 8881.33 करोड़ रुपए होगा।

(घ) एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा अपने प्रचालनों में सुधार लाने और आने वाले वर्षों में अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार है:—

— एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा अपने जीएसएम नेटवर्क में बड़े पैमाने पर विस्तार। एमटीएनएल ने 2007-08 में दिल्ली और मुंबई में अपने जीएसएम नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक-एक मिलियन लाइनों की वृद्धि करने की योजन बनाई है। बीएसएनएल, आरक्षित संख्या सहित, अपने जीएसएम नेटवर्क में 63.5 मिलियन की वृद्धि कर रहा है।

— ब्रॉडबैंड नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार तथा आईपीटीवी जैसी सेवाओं की शुरूआत। इससे लैंडलाइन के ग्राहकों की संख्या में आ रही कमी को रोकने में सहायता मिलेगी।

— नए ग्राहक बनाने के लिए सक्रिय कार्यनीति, ताकि पर्याप्त रूप से आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके, जिससे भविष्य में अधिक लाभ हो।

— कन्वर्जेन्ट बिलिंग की शुरूआत से उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक ही बिल प्राप्त होगा। यह प्रणाली ग्राहक की सेवाओं, प्रशुल्कों, शिकायत समाधान इत्यादि संबंधी अनुरोधों का निपटान करेगी।

— केबल, ड्रॉप वायर्स इत्यादि बदलकर परंपरागत पीएसटीएन नेटवर्क में सुधार लाना।

— नए ग्राहक सेवा केन्द्र/संचार हाट खोलकर और डीलर, एजेंटों की नियुक्ति करके तथा निगमित ग्राहकों को विशेष सुविधा देकर ग्राहक सेवा में सुधार लाना।

— विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के प्रशुल्कों की पुनरीक्षा करना, ताकि उन्हें ग्राहक-अनुकूल बनाया जा सके और वह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त हों।

— प्रशासनिक और प्रचालनात्मक लागत को कम करने के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एमटीएनएल और बीएसएनएल के कुछ उच्च पदाधिकारी प्राइवेट कंपनियों के दबाव में आकर एमटीएनएल और बीएसएनएल की सेवा एवं मोबाइल सेवा का बंटाधार किये हुये हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल की मोबाईल टेलीफोन सेवा इतनी खराब है कि उसे लेने का मन नहीं करता है। हालांकि देश में अच्छी तकनीक, अच्छे केन्द्र और अच्छे उपकरण हैं और सरकार का उसमें अच्छा पैसा लगा हुआ है परंतु उच्चाधिकारियों की नीयत ठीक नहीं है। एमटीएनएल में बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, और उनकी जो फिजूलखर्ची है, यदि उसका आक्कलन किया जाये तो यह करोड़ों रुपये बैठता है। इस फिजूलखर्ची को ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची की कोई जांच कराई है?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन प्रश्न तो प्राफिट के बारे में है।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही स्पैसिफिक सवाल पूछा था कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की पिछले तीन साल की फाइनैंशियल परफौमैंस क्या है और वह क्यों घाटे में जा रहा है? मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि यह बात सही नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक तरह से हमारा बिज़नैस बढ़ा है लेकिन यह बात भी सही है कि हमारा प्राफिट कम हुआ है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम लोगों

को सस्ते दर पर टेलीफोन सेवा उपलब्ध करायें। हम एक तरफ लोगों को सस्ते दर पर टेलीफोन सेवा उपलब्ध करायें और दूसरी तरफ हमारी कंपनियों का मुनाफा भी बढ़े, ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। उसके बावजूद हमारे पदाधिकारियों ने अच्छा काम कर के एमटीएनएल और बीएसएनएल ने इस देश में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाई है। उसने अपना बिजनैस भी बढ़ाया है और फायदा भी मेनटेन रखा है। अगर हमारे पदाधिकारियों पर वेग सा आरोप लगता है तो उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर हमारे किसी पदाधिकारी और कर्मचारी के बारे में कोई स्पैसिफिक रिपोर्ट कहीं से आती है या माननीय सदस्य देते हैं तो हम निश्चित रूप से उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं और जो भी सम्भव हो सकता है, उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्वालिटी की बात कही है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बैंचमार्क का काम ट्राई रेगुलेट और मेनटेन करता है। उसने जो अपनी पिछली रिपोर्ट दी है, उसमें हमारी कमियों को तो दर्शाया है, साथ ही प्राइवेट कंपनियों की कमियों को भी दर्शाया है। बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. के बहुत से मामलों में बहुत अच्छा कहा है और कहीं-कहीं प्राइवेट ऑपरेटर्स के बारे में भी अच्छा कहा है जिसे ट्राई रेगुलेट करता है। हमारा प्रयास है कि हमारी सुविधायें दिन-ब-दिन और अच्छी हो जायें।

श्री हरिकेवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया लेकिन हमारा प्रश्न सीधा था कि गत तीन वर्षों में जो घाटा लग रहा है या जो फायदा हो रहा है, उसके माध्यम से मैं उसे अपने दूसरे प्रश्न के तौर पर जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों और पूरे देश के पैमाने पर जो बिल आ रहा है, उसमें काफी विसंगतियां हैं। अभी माननीय मंत्री ने प्रश्न के जवाब में इस बात को कबूल किया है कि सरकार ग्राहकों को बढ़ायेगी और जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिये पहल कर रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें इनको मिली हैं कि प्राइवेट ग्राहक अधिक बिल की शिकायत करते हैं और जो बिलों में गड़बड़ी हो रही है कि एक के नंबर पर दूसरे नंबर का बिल चला जाता है, इन विसंगतियों की जांच कराने के लिए उन्होंने क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

डा. शकील अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि स्पैसिफिकली कहीं से किसी कंज्यूमर ने कहा कि उनका बिल आशा से अधिक आ रहा है तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच कराते हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि 95 प्रतिशत से अधिक मामलों में हमारा बिल सही होता है। कहीं-कहीं कुछ गड़बड़ियां होती हैं, तो उनमें हम सुधार करके कंज्यूमर्स को सुविधा प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि एमटीएनएल और कुछ हद तक बीएसएनएल दोनों के लाभ में कमी का कारण ट्राई द्वारा इन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों से परामर्श किए बिना लिए गए कतिपय एक-पक्षीय निर्णय हैं? विनियामक स्तर पर लिए जा रहे ऐसे मनमाने निर्णय के मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

डा. शकील अहमद : महोदय ट्राई की दो प्रकार की भूमिकाएं हैं। एक सलाहकार की भूमिका है। यह सरकार पर निर्भर है कि वह ट्राई की सलाह पर सहमत होती है या नहीं। ट्राई का अन्य विनियामक प्राधिकार प्रत्यक्ष रूप से सर्विस आपरेटरों के लिए है। वे ट्राई के आदेशों का पालन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। निसंदेह, ट्राई ने हाल ही में एडीसी शुल्कों में कटौती का आदेश दिया है और प्राइवेट आपरेटरों अथवा सर्विस आपरेटरों द्वारा ट्राई के निर्णय का पालन करना अनिवार्य है। ट्राई को संसद के अधिनियम द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। अत: सरकार की ट्राई की विनियामक शक्ति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ट्राई के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकती?

डा. शकील अहमद : हम ट्राई से परामर्श ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं करते हैं।

डा. शकील अहमद : परंतु हमने इसके आदेशों को चुनौती दी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न मामलों में ट्राई के कई आदेशों को चुनौती दी है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए यदि मनमाना आदेश होगा तो उसे चुनौती दी जाएगी।

डा. शकील अहमद : हां, बीएसएनएल और एमटीएनएल, दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत आते हैं, ने विभिन्न न्यायालयों में ट्राई के विभिन्न आदेशों को चुनौती दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : अध्यक्ष महोदय, यदि हम उत्तर को पढ़कर देखें तो पाएंगे कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का लाभ घट रहा है मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि यही घाटे वाली प्रवृत्ति जारी रही तो एमटीएनएल और बीएसएनएल पांच वर्षों के भीतर बंद हो जाएंगे। क्या वह मुझसे इस बात से सहमत हैं कि एमटीएनएल और बीएसएनएल जो घाटा उठा रहे हैं उसका कारण पिछली सरकार का प्राइवेट आपरेटरों के साथ किया गया समझौता है? किसकी कीमत पर? वह इन संगठनों की कीमत पर, प्राइवेट आपरेटरों अर्थात एयरटेल या रिलायंस लाखों का लाभ कमा रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल को घाटा क्यों हो रहा है? क्या आप किए गए सभी पूर्व करारों की जांच करेंगे जिनमें समझौते किए गए थे और प्राइवेट आपरेटरों को अनावश्यक लाभ दिए गए थे? ऐसा किया जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस राष्ट्रीय संस्था को बचाए जाने की आवश्यकता है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या मेरे द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्न से वह सहमत हैं?

डा. शकील अहमद : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के विपरीत, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है वह यह है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा घाटे की बात सही नहीं है। एनटीएनएल ने गत वर्ष 580 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है और बीएसएनएल ने गत वर्ष 8,939 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। अत: यह बात सच नहीं है। निसंदेह, पहले ये लाभ अर्जित कर रहे थे। एडीसी शुल्कों में कटौती की गई। राष्ट्रीय आईएसडी लाइन में प्रशुल्क को घटाया गया था पहले, प्रति मिनट शुल्क 28 रुपये था। अब यह एक रुपये प्रतिमिनट है। अंतर्राष्ट्रीय लाइन में भी, यह 64 रु. या 60 रु. प्रति मिनट था। अब, यह सात पाइंट के लगभग है। अत:, प्रशुल्क में कमी और एडीसी में कटौती ऐसे दो काम हैं जो बीएसएनएल और एमटीएनएल को महंगे पड़ रहे हैं। परंतु सभी तथ्यों के बावजूद, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से हमने गत तीन वर्षों के दौरान अपने लाभ को बनाए रखा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय लाभ हुआ है, घाटा नहीं हुआ है, तथा कई तरह की बातें कही हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पूरे देश के पैमाने पर एमटीएनएल और बीएसएनएल के लैंडलाइन कनैक्शंस या मोबाइल कनैक्शंस सर्विसेज़ खराब होने की वजह से कितनी संख्या में सरैन्डर किए गए हैं?

डा. शकील अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की निश्चित जानकारी है। एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली में है तथा बीएसएनएल पूरे भारत में है। एमटीएनएल में लगभग 76000 लैंडलाइन कनैक्शनंस सरैन्डर हुए हैं परंतु लगभग 10 लाख से अधिक सैलफोन कनैक्शंस की संख्या एमटीएनएल में बढ़ी है। बीएसएनएल में लगभग 15 लाख के आस-पास लैंडलाइन कनैक्शंस सरैन्डर हुए हैं, जबकि सैलफोन कनैक्शंस में 1 करोड़ 20 लाख की संख्या पूरे देश में बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, आजकल लैंडलाइन नहीं, सैलफोन ही लोगों की चॉइस है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से एक विशेष बात की तरफ माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक नया ट्रैन्ड पूरे देश में बीएसएनएल से आया है कि वैस्टेड इंटरस्ट के लोग बीएसएनएल के केबल जान-बूझकर कटवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी या म्युनिसिपल कार्पोरेशंस के लोग जो करते हैं, वह रूटीन बात है। अब एक नया ट्रैन्ड इस देश में आया है जिस पर मैं माननीय सदस्यों से मदद चाहता हूं। मैंने बिहार के मुख्य मंत्री जी से मिलकर अपने हाथ से 203 एफआईआर की कॉपीज़ उनको दी हैं कि वैस्टेड इंटरस्ट के लोग बीएसएनएल के केबल काट रहे हैं। लॉ एंड आर्डर स्टेट गवर्नमैंट का मामला है, हमारे हाथ में लॉ एनफोर्सिंग एजेन्सी नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि बीएसएनएल कंपनी है। आप राज्य सरकारों पर इस संबंध में दबाव दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सबकी है। वह इसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : इसमें हमारी मदद कीजिए। स्टेट गवर्नमैंट्स पर दबाव डाला जाए कि इस तरह से जो भाड़े पर लोग रखकर बीएसएनएल के केबल कटवा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। जब तक मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा तब तक आप नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

भारत-अमेरिका परमाणु ईंधन समझौता

\+

*590. **श्री रामजीलाल सुमन :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका परमाणु ईंधन समझौता खतरे में है जैसा कि दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर हुई वार्ता के दौरान भारत के विचारों पर असंतोष व्यक्त किया है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के 'यू.एस. फाइनेंशियल टाइम्स' में छपे एक लेख (20 अप्रैल, 2007 के बिजनेस स्टैण्डर्ड में पुन: छपे) में राजनैतिक मामलों के अमरीकी अण्डर सेक्रेटरी निकोलस बर्न्स के इस कथन का उद्धरण दिया गया है कि "हम भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सौदों की प्रगति और उसके प्रति गंभीरता के स्तर से निराश हैं। अब समय आ गया है कि सौदे को संपन्न करने के लिए अपने प्रयास तेज किए जाएं। "20 अप्रैल 2007 के 'द वाशिंगटन पोस्ट' में भी अण्डर सेक्रेटरी बर्न्स के इस कथन को उद्धृत किया गया है कि "वाशिंगटन में, प्रशासन तथा कांग्रेस दोनों में इस तथ्य को लेकर घोर निराशा है कि भारतीय पक्ष के प्रयासों की गति बहुत धीमी है।"

तदुपरांत, 1 मई 2007 को वाशिंगटन में विदेश सचिव और अमरीकी अण्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स निकोलस बर्न्स के बीच द्विपक्षीय असैनिक नाभिकीय सहयोग करार पर बात-चीत के चौथे दौर के पश्चात स्टेट विभाग ने कहा कि" चर्चाएं सकारात्मक रहीं और अमरीका इस मुद्दे पर हुई विस्तृत प्रगति से उत्साहित है।"

दोनों पक्ष असैनिक नाभिकीय ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग करार को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा जारी रखे हुए हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, भारत अमेरिकी नाभिकीय ईंधन सौदे के सिलसिले में समाचार-पत्रों में कुछ समाचार छपे थे जिसमें कुछ भ्रांतियां थीं। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि 1 मई, 2007 को वाशिंगटन में विदेश सचिव और अमरीकी अण्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निकोलस बर्न्स के बीच जो बात हुई, उसके हिसाब से अमेरिका इस मुद्दे पर हुई प्रगति से उत्साहित है। मैं बहुत सीधी बात पूछना चाहता हूं कि इस सदन में प्रधान मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि इस समझौते में भारत के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से समाचार छप रहे हैं, क्या पुन: प्रधान मंत्री यह आश्वस्त करेंगे कि भारत के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, इस मुद्दे पर अनेक दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। अमरीका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के संयुक्त वक्तव्य को सभापटल रखा गया है। पृथक्करण योजना को सभा पटल पर रखा गया है। चर्चा के समय कई अवसरों पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 123 समझौता जिसे किया जाना होगा, जिसे 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य और 6 मार्च 2006 की पृथक्करण योजना के ढांचे और मानदण्डों के दायरे में किया जाना है और प्रधानमंत्री जी ने सभा में वचन दिया है...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

यू एन ए आई डी एस की ओर से एचआईवी संबंधी दिशा-निर्देश

*582. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू एन ए आई डी एस ने एचआईवी के संबंध में नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भारत में एड्स की रोकथाम करने के लिए वर्तमान कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) नाको में उपलब्ध सूचना के अनुसार यू एन एड्स (यू एन ए आई डी एस), सदस्य देशों में मौजूदा एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से एचआईवी/एड्स से संबंधित दिशा-निर्देश प्रकाशित करता है। हाल के वर्षों में यू एन एड्स द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन विभिन्न एचआईवी/एड्स कार्यकलाप प्रचालित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का उपयोग करता है। नाको ने हाल ही में एआरटी कार्यक्रम, आईसीटीसी, कार्यक्रम, लक्षित कार्यकलाप तथा एसटीआई कार्यक्रम जैसे विषयों पर प्रचालनात्मक दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। ये दिशानिर्देश क्षेत्र में सफल कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए हैं।

भारत सरकार, उच्च जोखिम वाले वर्गों में लक्षित कार्यकलाप, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी सम्प्रेषण, अवसरवादी संक्रमणों के उपचार सहित निवारक परिचर्या, रक्त निरापदता, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का सहयोग एवं उपचार और निःशुल्क एंटीरिट्रोवायरल औषधों की व्यवस्था करके तथा एचआईवी के उपाय संबंधी कार्यनीतियों को मुख्यधारा में लाकर एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। हाल के राष्ट्रीय प्रहरी निगरानी के अनुसार उच्च व्याप्तता वाले ज्ञात 6 राज्यों में से दो राज्यों अर्थात तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में प्रसवपूर्व महिलाओं में एक प्रतिशत से कम एचआईवी की व्याप्तता का पता चला है जबकि अन्य राज्यों में एचआईवी व्याप्तता स्थिर रही है। भारत, वयस्क लोगों में एक प्रतिशत से कम को समग्र व्याप्तता के साथ संकेन्द्रित महामारी की श्रेणी में बना हुआ है और प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए देश के कुल 183 जिलों को चुना गया है। इस कार्यक्रम के तहत विशिष्ट उपाय किए जाने से आम लोगों में एचआईवी की व्याप्तता को एक प्रतिशत से कम रखना संभव हो गया है। पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में कमी के रूझान दिखाई दिए हैं।

विवरण

यू एन एड्स के एचआईवी संबंधी दिशा-निर्देश

1. शब्दावली संबंधी दिशा-निर्देश
2. सर्वव्यापी पहुंच की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करना; प्रचालनात्मक मार्गदर्शन
3. एचआईवी/एड्स और मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश
4. वैश्विक कार्य दल, "थ्री वन्र्स" कार्यान्वित करने का एक माध्यम, देश स्तर पर एचआईवी से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने हेतु अवसर-मार्गदर्शी नेट
5. गर्भवती महिलाओं और अन्य वर्गों में एचआईवी प्रहरी सीरम सर्वेक्षण करने संबंधी दिशानिर्देश
6. एचआईवी प्रहरी प्रणालियों के आंकड़े के प्रभावी उपयोग संबंधी दिशानिर्देश
7. दूसरी पीढ़ी की एचआईवी प्रहरी प्रणालियां शुरू करना, व्यावहारिक दिशानिर्देश
8. एचआईवी, स्वास्थ्य और आपका समुदाय: कार्रवाई हेतु मार्गदर्शक
9. रोकथाम, उपचार, परिचर्या और सहायता के लिए पहुंच संबंधी संशोधित दिशानिर्देश
10. प्रमुख सूचकों के निर्माण के बारे में एचआईवी/एड्स दिशा-निर्देशों पर वचनबद्धता की घोषणा की मानीटरिंग (पूर्ण डॉक 2003)
11. एचआईवी/एड्स, मानव संसाधन और स्थायी विकास (जोहन्सबर्ग में स्थायी विकास के बारे में विश्व सम्मेलन, 26 अगस्त, 2002)
12. राष्ट्रीय एड्स परिषदें: मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रचालन मैनुअल
13. निगरानी, चयन, मूल्यांकन और कार्यान्वयन में एचआईवी परीक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने संबंधी दिशानिर्देश

14. राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम: मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक

15. एचआईवी और शिशु आहार संबंधी परामर्श

16. सामाजिक विपणन/एचआईवी/एड्स की रोकथाम करने और इस महामारी के प्रभाव को सीमित रखने के लिए अनिवार्य उत्पादों एवं सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाना

17. एचआईवी निवारक वैक्सीन अनुसंधान में जातीय दृष्टिकोण

18. यौन संचारित संक्रमणों की निगरानी हेतु दिशानिर्देश।

19. दूसरी पीढ़ी की एचआईवी निगरानी हेतु दिशानिर्देश। अगला दशक

20. एचआईवी और शिशु आहार संबंधी दिशानिर्देश

21. एचआईवी सीरमविज्ञानी परीक्षण के लिए राष्ट्रीय बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन स्कीमों हेतु दिशानिर्देश।

सड़कों के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

***588. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपने यहां की सड़कों में सुधार करने के लिए विश्व बैंक ऋण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण की सहायता से राज्यवार कितनी लंबाई तक सड़कों में सुधार किया जाएगा तथा इस पर कितनी लागत आएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) हाल में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अपनी सड़कों के सुधार के लिए विश्व बैंक ऋण हेतु हरियाणा राज्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:—

क्र. सं.	राज्य	सड़क की स्थिति के स्वरूप के अनुसार ब्यौरे	लंबाई (किमी.)	प्रस्तावित लागत
1.	हरियाणा	राज्यीय राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कें	1,527	5,587.99 करोड़ रु. (1170.60 मिलियन अमरीकी डालर)

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मानदंड

***591. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री काशीराम राणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : केन्द्रीय सरकार द्वारा नए मेडिकल कालेज खोलने और किसी मेडिकल कालेज में दाखिला क्षमता बढ़ाने की अनुमति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10 (क) और इसके अंतर्गत बनी नियमावली में निहित उपबंधों के अनुसरण में दी जाती है। किसी मेडिकल कालेज को खोलने के लिए पात्रता और अर्हता मानदंड भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बने मेडिकल कालेजों की स्थापना संबंधी विनियम, 1999 में दिए गए हैं। इसमें मेडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में मानक दिए गए हैं अर्थात् भूमि क्षेत्र की आवश्यकता, आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं के साथ अस्पताल, कार्मिक शक्ति, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनिवार्यता प्रमाणपत्र, किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति आदि। शुरू में कालेज को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित अवसंरचना और स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता के साथ शुरू करने की अनुमति दी जाती है। भवन के निर्माण, स्टाफ की तैनाती, 50/100/150 एम बी बी एस छात्रों के प्रथम दाखिले के समय से जब तक वे छात्र अंतिम वर्ष तक नहीं पहुंच जाते तब तक वर्ष दर वर्ष आधार पर पलंग क्षमता के संबंध में आवेदक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वर्ष वार लक्ष्य भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों में दिए गए हैं। नए स्थापित कालेजों के छात्रों के संबंध में संबद्ध विश्वविद्यालय से चिकित्सा अर्हता की मान्यता के उद्देश्य से पहले

बैच की अंतिम एम बी बी एस परीक्षा के समय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निरीक्षण किया जाता है। तब भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अर्हता को शामिल करके सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान है।

[अनुवाद]

दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी

***592. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी करने की सिफारिश की है जैसा कि दिनांक 12 अप्रैल, 2007 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में "ट्राई" द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। सिफारिशें अप्रैल, 2007 में प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) अवसंरचना के साझे उपयोग पर ट्राई की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है।

विवरण

अवसंरचना के साझे उपयोग पर ट्राई की सिफारिशें

क. निष्क्रिय अवसंरचना का साझा उपयोग

– इस चरण पर निष्क्रिय अवसंरचना के साझे उपयोग को अनिवार्य करना अपेक्षित नहीं है।

– एसएसीएफए अनापत्ति (क्लियरेंस) निर्धारित समय सीमा के भीतर दी जानी आवश्यक है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना नहीं मिलती है, तो अनुरोध को अनुमोदित मान लिया जाए।

– यदि अवसंरचना प्रदाता (आईपी) श्रेणी-I ने पट्टे की अवसंरचना के लिए मौजूदा वायरलेस सेवा प्रदाताओं के साथ कम से कम एक करार किया हुआ है, तो उन्हें भी एसएसीएफए अनापत्ति (क्लियरेंस) लेने की अनुमति दी जाए।

– सभी लाइसेंसधारक अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा उपयोग के लिए उपलब्ध मौजूदा और भावी अवसंरचना संस्थापनाओं संबंधी ब्यौरे की अपने वेबसाइट पर घोषणा अवश्य करें।

– लाइसेंस की शर्तों में अभिगम के इच्छुक और प्रदाता के बीच समझौते के लिए विशेष रूप से 30 दिन की समय-सीमा उपलब्ध कराई जाए।

वायरलेस सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान

– एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जाए जिसका अध्यक्ष उस जिले का जिलाधीश हो तथा उसमें उस सेवा क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, नगर निगम/निकाय के प्रतिनिधियों तथा यदि विचाराधीन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र भी आता है, तो सैन्य भूमि और छावनी विंग के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।

– किसी भी लाइसेंसधारक सेवा प्रदाता के उस क्षेत्र में अनुरोध पर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा 3 माह के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

– समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने पर पहचाने गए सभी स्थलों को अध्यक्ष, संयुक्त कार्यकारिणी समिति के आदेश द्वारा महत्वपूर्ण अवसंरचना स्थलों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

– नगर निकाय/निगम/छावनी प्राधिकरण किसी सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I (आईपी-I) को ऐसे अधिसूचित स्थलों पर टावर स्थापित करने के लिए केवल

तभी अनुमति प्रदान करेंगे जब सेवा प्रदाता इस बात के लिए अपनी वचनबद्धता देगा कि स्थल का उपयोग कम से कम तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाएगा।

– महत्वपूर्ण स्थल का साझा उपयोग करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं में होने वाली किसी असहमति की स्थिति में कोई अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करने से पूर्व मामले के समाधान के लिए उसे पहले संयुक्त कार्य दल को भेजा जाएगा।

ख. सक्रिय अवसंरचना का साझा उपयोग

– सक्रिय अवसंरचना के साझे उपयोग की अनुमति केवल एंटीना, फीडर केबल, नोड बी, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) और पारेषण प्रणाली तक सीमित रखते हुए यूएएसएल/सीएमएसपी की लाइसेंस शर्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

– आबंटित स्पेक्ट्रम का साझा उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

– सभी लाइसेंसधारकों को अपनी वेबसाइट पर अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा उपयोग के लिए उपलब्ध मौजूदा तथा भावी अवसंरचना संस्थापनाओं से संबंधित ब्यौरों की घोषणा अवश्य करनी चाहिए।

– लाइसेंस की शर्तों में अभिगम्यता के इच्छुक और अभिगम्यता प्रदाता के बीच बातचीत के लिए 30 दिन की समय सीमा विशिष्ट तौर पर प्रदान की जानी चाहिए।

बैकहॉल का साझा उपयोग

– सेवा प्रदाताओं को उनके बैकहॉल में केवल बीटीएस से बीएससी में साझा उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने के लिए यूएएसएल और सीएमटीएस की लाइसेंस प्रदान करने संबंधी शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए।

– इस प्रकार के साझे उपयोग की अनुमति आप्टिकल फाइबर और रेडियो माध्यम पर प्रदान की जाती है।

– अभीगम नेटवर्क साइड पर स्पेक्ट्रम के साझे उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

ग. अवसंरचना के साझे उपयोग हेतु वित्तीय तथा आर्थिक उपाय

(क) शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना के साझे उपयोग हेतु प्रोत्साहन

– नगर निकायों द्वारा अवसंरचना का साझा उपयोग करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं से प्रति टावर प्रभारित की जाने वाली राशि किसी स्थल का साझा उपयोग करने वाले सभी प्रचालकों से प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य प्रभारों की राशि को प्रभारित करने के बजाय यह किसी एक सेवा प्रदाता से, टावर का उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में प्रभारित की जा रही राशि के 1.2 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के साझे उपयोग हेतु प्रोत्साहन

– प्रतिस्पर्द्धा के समान अवसर बनाए रखने के लिए उन सेवा प्रदाताओं को भी टावर संस्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिनको यूएसओएफ योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। सेवा प्रदाता/अवसंरचना श्रेणी-I को टावर संस्थापित करने और सेवा प्रदाताओं के साथ इसका साझा उपयोग करने के लिए यूएसओ निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

– किसी अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I अथवा सेवा प्रदाता, जो यूएसओएफ योजना के तहत लाभग्राही नहीं हैं, को उन अन्य सेवा प्रदाताओं (जो उस एसडीसीए में यूएसओएफ योजना के लाभग्राही नहीं हैं), जो टावर का साझा उपयोग करने के इच्छुक हैं, से लिये गए प्रतिबद्धता पत्रों के साथ यूएसओ निधि के प्रशासक के पास पंजीकरण कराना होता है।

– आर्थिक सहायता हेतु पात्र होने के लिए उसे इस प्रकार के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निष्क्रिय अवसंरचना का सृजन करना होता है।

– जिन ग्रामीण क्षेत्रों को यूएसओएफ योजना के तहत कवर नहीं किया गया है उनमें टावरों की संस्थापना

हेतु सहायता देने के लिए उक्त ढांचे पर आधारित योजना बनाने की आवश्यकता भी होगी।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु प्रोत्साहन

– पर्यावरण के अनुकूल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहलकारी नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए।

– दूरसंचार विभाग उन सेवा प्रदाताओं के लिए प्रति स्थल आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर सकता है जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं।

कोयला खान कामगारों के लिए मजदूरी समझौता

*593. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान कामगारों के लिए एक मजदूरी समझौता तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिक संघ उक्त कदम का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) कोयला उद्योग-VIII (जे.बी.सी.सी.आई.-VIII) के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति के गठन हेतु कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के निदेशक मंडल की सिफारिश के परिणामस्वरूप कोयला मंत्रालय में मामले की जांच की गई है और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार-VIII (एन.सी.डब्ल्यू.ए.-VIII) पर बातचीत करने के लिए सीआईएल को जे.बी.सी.सी.आई.-VIII का गठन करने के वास्ते प्राधिकृत किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

परिसंपत्तियों की घोषणा संबंधी ए.आर.सी. की रिपोर्ट

*594. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी महत्वपूर्ण पद का पदभार ग्रहण करते समय सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने इस संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 'गवर्नेंस में नीतिशास्त्र' नामक प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ (क) 'लोक सेवा मूल्यों' जिनकी सभी लोक सेवकों को आकांक्षा होनी चाहिए, पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सिविल सेवकों के लिये एक नीतिशास्त्र संहिता तैयार करने; (ख) 'कपटपूर्ण घूसखोरी' संबंधी एक विशेष अपराध का प्रावधान करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन करने; (ग) आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करने; (घ) भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा हानि की पूर्ति के लिये नुकसान की भरपाई करने; (ङ) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों में तेजी लाने के लिये प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने; (च) लोक हित में लोक सेवकों द्वारा की गई सदाशयी कार्यवाही के संरक्षण के लिए आवश्यक प्रावधान करने आदि से संबंधित सिफारिशें की गई हैं। पूरी रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार आयोग की वेबसाइट http://arc.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें सरकार के जांचाधीन हैं।

[हिन्दी]

कोयला खनन के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण

*595. **श्री गिरिधारी यादव :**
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खनन के प्रयोजनार्थ जनजातीय लोगों की किसी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् उनको क्षतिपूर्ति के भुगतान तथा उनके पुनर्वास से संबंधित नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने व्यक्तियों को न तो क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है तथा न ही उनका पुनर्वास किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों से अधिगृहीत की गई भूमि के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	अधिगृहीत की गई भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2
पश्चिम बंगाल	14.57
झारखण्ड	112.64
महाराष्ट्र	15.54
मध्य प्रदेश	328.51
छत्तीसगढ़	158.78
उड़ीसा	52.32
कुल	682.36

(ग) जनजातीय भूमि वंचितों को भूमि का मुआवजा तथा उस पर अन्य लाभ अधिनियमों के प्रावधानों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार दिये जाते हैं। भूमि के मुआवजे के अलावा, पात्र जनजातीय भू-वंचितों को पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लाभ सीआईएल की पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर. एंड आर.) नीति, 2000 के प्रावधानों के अनुसार दिए जाते हैं।

जनजातीय भू-वंचितों सहित पात्र भू-वंचितों को रिक्तियां भरने हेतु रोजगार कंपनी के बोर्ड के अनुमोदन की शर्त पर प्रदान किया जाता है। यदि सहायक कंपनी रिक्तियों के अभाव में रोजगार प्रदान करने में असमर्थ होती है, तो रोजगार के बदले में नकद मुआवजा देने का प्रावधान है। सीआईएल की आर. एंड आर. नीति में भी प्रशिक्षण देकर तथा ठेकेदारों के पास रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करके गैर-फार्म स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु सहायता दिए जाने का प्रावधान है। जनजातीय आबादी को नए आवास स्थलों पर स्थानान्तरित करते समय उन्हें एक समूह में पुनर्वासित करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को कायम रखा जा सके। नीति के अनुसार विस्थापित परिवार को उसकी वासभूमि तथा उस पर बने अन्य ढांचे के प्रतिस्थापन की लागत दी जाती है। वैकल्पिक आवास स्थल के अलावा, प्रत्येक परिवार को स्थानान्तरण भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, झुंड स्वरूप समूह को भी सामुदायिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यदि कोई परिवार स्वयं के रहने का अपना प्रबंध करने का इच्छुक होता है तो उसे वासभूमि तथा अधिगृहीत भूमि पर उसके बने अपने ढांचे आदि की प्रतिस्थापन लागत के साथ एक बार का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम अथवा कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम, जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र के ब्यौरे, जिन जनजातीय परिवारों को मुआवजे का भुगतान किया गया है, उनकी संख्या सहित परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों का विवरण नीचे दिया गया है:

पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि तथा मुआवजे के ब्यौरे (राज्य वार)

राज्य	परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों की संख्या	अधिगृहीत क्षेत्र (हैक्टेयर में)	परियोजना प्रभावित जनजातीय परिवारों की संख्या		भुगतान न करने के कारण तथा कार्यक्रम, यदि कोई है
			मुआवजा दिया गया	मुआवजा अभी देना है	
पश्चिम बंगाल	20	14.57	20	शून्य	कुल मुआवजा भूमि अधिग्रहण सम्माहर्ता के पास जमा करा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा बार-बार शिविरों के आयोजन के बावजूद भी कास्तकारों ने भुगतान नहीं लिया है।
झारखंड	168	112.64	149	19	
महाराष्ट्र	12	15.54	12	शून्य	
मध्य प्रदेश	814	328.51	814	शून्य	
छत्तीसगढ़	272	158.78	272	शून्य	
उड़ीसा	90	52.32	90	शून्य	
कुल	1376	682.36	1357	19	

पिछले तीन वर्षों में जनजातीय लोगों को रोजगार तथा रोजगार के बदले में नकद अनुदान के ब्यौरे (राज्य वार)

राज्य	रोजगार के पात्र मामलों की सं.	दिए गए रोजगारों की संख्या	रोजगार के बदले में नकद अनुदान के भुगतान के मामलों की सं.	शेष	
				रोजगार की सं.	नकद भुगतान की सं.
पश्चिम बंगाल	04	04	शून्य	शून्य	शून्य
झारखंड	103	103	शून्य	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	10	2	8		
मध्य प्रदेश	30	28	2	शून्य	शून्य
छत्तीसगढ़	54	54	शून्य	शून्य	शून्य
उड़ीसा	100	100	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	301	291	10	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के लिए पुनर्वास पैकेज

***596. श्री संतोष गंगवार :**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की घाटे में चल रही अनुषंगी कंपनियों के लिए पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) के लिए एक पुनर्वास पैकेज मंजूर किया है। ईसीएल के पुनर्वास पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

(I) निधियों का अनुप्रेरण/निवेश

उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2003-04 से 2012-13 तक 2956.83 करोड़ रु. का निवेश जिसे ईसीएल के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना है।

(II) ऋणों/ब्याज की अदायगी न करने की छूट:

(i) सीआईएल द्वारा 2008-09 के दौरान 519 करोड़ रुपए की राशि के प्रतिभूतिरहित ऋणों से छूट बशर्ते कि ईसीएल उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त कर ले।

(ii) प्रतिभूतिरहित ऋणों पर 2002-03 तक सीआईएल द्वारा 168.65 करोड़ रु. की राशि की ब्याज तथा 2004-05 से 2008-09 तक अर्थात् प्रतिभूतिरहित ऋण पर छूट दिए जाने तक प्रति वर्ष 33.73 करोड़ रुपए के भावी ब्याज से छूट।

(iii) सीआईएल द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों से 31.3.2004 तक 82.47 करोड़ रु. के एपेक्स प्रभारों से छूट तथा 2004-05 से प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपए की दर से सेवा प्रभारों से अन्य छूट।

(iv) प. बंगाल तथा झारखंड सरकारों से 2004-05 से 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 18 करोड़ रुपए की दर से विद्युत शुल्क से छूट।

(III) ऋण को इक्विटी में बदलना:

(i) ईसीएल के ऋणात्मक निवल मूल्य को कम करने के लिए 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार ईसीएल 1532 करोड़ रुपए के चालू खाते के शेष को ईसीएल के अनुपात में सीआइएल द्वारा इक्विटी शेयर पूंजी में बदलना।

(IV) अन्य प्रस्ताव

(i) सीआईएल द्वारा चालू खाते के शेष पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(ii) जब तक ईसीएल का निवल मूल्य सकारात्मक नहीं हो जाता है तब तक अन्य प्रतिभूतिरहित ऋण एवं चालू खाते के शेष की पुनः अदायगी पर रोक।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के विकल्प देने वालों को उपदान एवं छुट्टी के नकदीकरण की राशि चालू खाते के माध्यम से दी जाएगी।

(iv) ईडीसी, कनाडा (विदेशी मुद्रा ऋण) ऋण और ब्याज की पुनः अदायगी सीआईएल द्वारा की जाएगी।

(v) ऋणों, ब्याज एवं अन्य देयताओं को बट्टे खाते डालने से उत्पन्न छूट के संबंध में ईसीएल को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) से छूट।

(vi) प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए ईसीएल को शुल्कों की अदायगी से छूट।

(vii) ईसीएल को एनसीडब्ल्यूए-VII के बकायों का भुगतान बीआरपीएसई (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड) द्वारा यथा अनुमोदित तीन वर्षों में भुगतान करने के बजाय 2006-07 के दौरान अप्रैल, 2006 से तीन किस्तों अर्थात बकायों का 50% मई 2006 तक, 25% दीपावली (काली पूजा) से पहले और शेष 25% मार्च, 2007 तक करना है।

(V) कंपनी एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और प्राकृतिक छंटनी के माध्यम से जनशक्ति का यौक्तिकीकरण सुनिश्चित करेगी।

औषधीय पौधों की संरक्षित खेती

*597. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधीय पौधों की संरक्षित खेती के लिए किसानों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों को इस प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस सहायता से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड चिह्नित औषधीय पादपों की कृषि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। स्कीम की संचालनात्मक मार्गदर्शिका के अनुसार, किसी किसान/उत्पादक/संगठन के लिए आर्थिक सहायता अधिकतम 9 लाख रु. प्रति परियोजना की शर्त पर परियोजना लागत की 30% की दर से स्वीकार्य है। भूमि अभिलेखों, बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट और उत्पाद क्रेता आदि के साथ समझौता ज्ञापन के संबंध में सूचना सहित परियोजना प्रस्ताव को राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए।

(ग) वर्ष 2005-05 और 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, परियोजनाओं और किसानों के लिए संस्वीकृत/निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06			2006-07		
		संस्वीकृत परियोजनाएं	संस्वीकृत धनराशि (रु. लाखों में)	निर्मुक्त किस्त (रु. लाखों में)	संस्वीकृत परियोजनाएं	संस्वीकृत धनराशि (रु. लाखों में)	निर्मुक्त किस्त (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	86	63.61	32.92	63	91	45.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	29.65	18.61	30	85.38	42.66
3.	असम	2	1.81	0.91	4	10.846	5.418
4.	बिहार	0	0		10	32.14	16.07
5.	छत्तीसगढ़	20	90.56	45.61	9	20.29	10.12
6.	दिल्ली	0	0	0	2	6.83	3.41
7.	गुजरात	10	23.63	11.82	28	18.387	9.424
8.	हरियाणा	90	342.976	172.15	89	331.227	165.534
9.	हिमाचल प्रदेश	59	233.06	120.25	86	230.33	115.08

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू व कश्मीर	32	61.22	30.65	23	74.84	37.39
11.	झारखंड	2	4	2.01	0	0	0
12.	कर्नाटक	14	19.17	9.49	171	417.006	208.463
13.	केरल	13	13.17	6.61	25	26.55	13.23
14.	मध्य प्रदेश	194	360.3	178.91	280	580.29	289.72
15.	महाराष्ट्र	86	226.68	113.44	138	323.11	161.52
16.	मणिपुर	56	279.66	139.94	0	0	0
17.	नागालैंड	14	27.27	13.18	10	28.36	14.16
18.	उड़ीसा	47	100.39	50.33	146	244.709	122.255
19.	पंजाब	49	258.82	153.45	95	366.552	183.251
20.	राजस्थान	371	615.64	406.22	393	685.07	342.31
21.	सिक्किम	11	29.46	14.74	52	95.61	47.71
22.	तमिलनाडु	28	93.85	46.96	8	29.44	14.69
23.	उत्तर प्रदेश	7	16.59	8.3	106	228.091	113.98
24.	उत्तरांचल	25	63.34	31.68	35	115.41	57.73
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	3.08	1.54

[हिन्दी]

न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप

***598. श्रीमती करुणा शुक्ला :**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु संधि पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) का समर्थन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि अमरीका भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग एवं व्यापार कर सकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए अपने मित्रदेशों और गठबंधनों के साथ मिल कर कार्य करेगा। सरकार ने भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के सदस्य देशों की राजधानियों तथा नई दिल्ली में ब्रीफिंग के जरिए तथा साथ ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ बातचीत के जरिए किया जा रहा है। विदेशों की यात्रा के दौरान तथा दौरे पर

आने वाले आगंतुकों के साथ बातचीत के दौरान न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के दिशानिर्देशों से भारत के लिए विशेष छूट के मुद्दे को भी राजनीतिक स्तरों पर उठाया जा रहा है।

(ग) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, यू.के., फ्रांस एवं रूस जैसे कई महत्वपूर्ण न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के देशों ने हमारी स्थिति पर सहमति व्यक्त की है।

[अनुवाद]

क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय परिषद

***599. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्लिनिकल प्रतिष्ठान संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो परिषद के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदण्डों को समय-समय पर समीक्षा के लिए किसी निगरानी तंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां। देश में नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने तथा राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान रजिस्टर रखने तथा इसे अद्यतन बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 5 अप्रैल 2007 की अधिसूचना के तहत नैदानिक प्रतिष्ठान संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद को निम्नलिखित कार्य करने हैं:—

(क) नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना;

(ख) नैदानिक प्रतिष्ठानों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करना;

(ग) न्यूनतम मानदण्ड विकसित करना तथा उनकी आवधिक समीक्षा करना;

(घ) एक राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान रजिस्टर संकलित करना, रखना तथा उसे अद्यतन बनाना;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए किसी अन्य कार्य को करना।

तथापि, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होने के कारण यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदायकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदण्डों की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानिटरिंग तंत्र की स्थापना करें।

जन स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण की स्थापना

***600. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने स्वास्थ्य सेवा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 500 करोड़ की धनराशि के साथ एक जन स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण की स्थापना करने तथा 'सर्व स्वास्थ्य अभियान' आरम्भ करने सहित कुछ उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किन्हीं ठोस उपायों का सुझाव दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाए गए कार्यकलापों के लिए योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के किए गए मध्यावधि मूल्यांकन में 500 करोड़ रु. के कार्पस से एक जन स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की संस्तुति की गई। इसमें "सर्व शिक्षा अभियान" की तरह ही "सर्व स्वास्थ्य अभियान" शुरू किया जाना भी शामिल है। इसमें "सर्व स्वास्थ्य अभियान" के लिए विश्व बैंक आईडीए ऋण प्राप्त करके स्वास्थ्य के लिए वित्तीय संसाधनों के संवर्धन का सुझाव दिया गया है। जन स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण स्वास्थ्य परिचर्या में गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानक निर्धारित करेगा; राष्ट्रीय प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों एवं

उपभोक्ता सूचना का विकास एवं प्रचार-प्रसार करेगा; जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षमता का निर्माण करेगा एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का विकास करेगा। इससे उपभोक्ता का विश्वास बढ़ेगा, कदाचार पर रोक लगेगी तथा देशभर में अधिक उपयुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली बनाने के लिए एक नीतिपरक माहौल सृजित होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा देशभर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को तैयार करते समय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिए गए सुझाव पर ध्यान दिया है। मिशन की अवधि 2005-2012 नियत की गई है।

भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन

*601. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान क्रिकेट तथा अन्य खेलों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में आयोजित किए गए विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन का कोई आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) इस आकलन के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) एक स्वायत्तशासी पंजीकृत निकाय है जिसे देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सहित सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सरकारी मान्यता उनके द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:—

- लोकतांत्रिक तथा स्वस्थ प्रबंधन परंपराओं का अनुपालन जिससे सभी स्तरों पर वृहत्तर उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता हो;
- सभी स्तरों पर समुचित उत्तरदायित्व की प्रक्रियाएं हों तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हों;
- वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तत की हो;
- निष्पक्ष तथा पारदर्शी चयन प्रक्रियाएं हों;
- यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी खिलाड़ियों के डोप परीक्षण संबंधित खेल विधा के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा निर्धारित किए गए मानकों/मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से किए गए हों।

(घ) भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड को सरकार से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीम के भाग लेने के लिए तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए मंत्रालय विदेश तथा गृह मंत्रालयों के परामर्श से अनुमति देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार किया है कि हाल ही में, वेस्ट इंडीज में संपन्न हुए आईसीसी विश्व कप, 2007 के दौरान, भारतीय टीम ने अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन नहीं किया तथा बोर्ड ने टीम को उसके खराब प्रदर्शन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया है। अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड ने मामले पर विचार-विमर्श किया तथा टीम के पूर्व कप्तानों से सुझाव भी प्राप्त किए। प्राप्त किए सुझावों के अनुसार, भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड प्रमुख स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भारतीय किक्रेट टीम की तैयारी में सुधार लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें खेल के विभिन्न पहलुओं में गहन प्रशिक्षण घरेलू स्पर्धाओं में भाग लेने के न्यूनतम स्तरों के मानक, युवा खिलाड़ियों की क्षमता का प्रोत्साहन, इत्यादि सम्मिलित हैं।

विवरण

2003-04 से 2006-07 तक राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के ब्यौरे

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007 31.3.2007
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	14.25	13.98	12.69
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	111.90	78.94	112.46
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	0.00	00.00	3.46
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	30.02	13.43	19.15
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	12.50	07.00	15.49
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	14.00	34.57	38.64
7.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ	7.50	12.00	15.50
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	5.50	00.00	0.00
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	49.61	41.21	36.31
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	6.75	0	30.01
11.	भारतीय फैंसिंग संघ	17.07	43.78	45.70
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	18.88	14.88	66.47
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0	0.00
14.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ	16.06	36.50	21.23
15.	भारतीय पोलो संघ	1.62	01.10	1.55
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	13.00	15.00	8.50
17.	भारतीय जूडो परिसंघ	56.37	64.66	48.62
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ	18.92	12.00	2.00
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ	12.50	09.00	12.50

1	2	3	4	5
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	136.87	77.45	90.07
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	218.37	433.43	373.19
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	7.50	11.50	9.50
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	15.00	09.00	0.00
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ	118.43	51.65	9.75
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	7.50	10.50	13.00
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	12.00	0.00	0.00
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ	14.00	9.80	12.00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ	119.37	15.42	21.94
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ	11.76	53.33	13.59
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	116.78	165.10	178.75
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	6.00	00.00	0.00
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ	10.50	11.00	13.00
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	7.00	17.00	11.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	12.50	11.50	20.75
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	32.17	94.97	58.17
36.	भारतीय याटिंग संघ	159.88	141.30	78.40
37.	भारतीय वुशू संघ	10.50	07.10	13.50
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ	0.00	09.00	0.00
39.	पैरालंपिक	0.00	13.50	33.34
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ	58.95	51.75	96.48
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	23.52	28.57	16.13
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	81.28	142.74	85.39
43.	भारतीय हाकी परिसंघ	194.21	96.46	92.09

1	2	3	4	5
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	110.35	78.81	111.64
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	25.00	24.69	13.95
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	79.88	51.41	3.28
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ	215.08	227.95	86.83
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ	160.16	271.94	117.65
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	32.76	31.20	29.06
50.	फुटबाल	119.36	70.37	30.55
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन	32.48	37.84	23.11
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	225.35	209.82	32.58
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	9.64	12.51	1.65
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ	00	00	1.00
55.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	16.38	11.73	1.00
56.	स्पेशल ओलंपिक भारत	0.00	0.00	4.50

टिप्पणी : उपर्युक्त के अलावा, 2006-07 के दौरान भाखेप्रा, भारतीय ओलंपिक संघ आदि को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना के अंतर्गत दिए गए ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

भारतीय ओलपिंक संघ	538.10
इंडो-बंग्ला खेल के लिए बंगाल ओलंपिक संघ	150.00
भारतीय खेल प्राधिकरण	500.00

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्टोन क्रशर्स

5511. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्टोन क्रशर्स की स्थापना करने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये स्टोन क्रशर्स राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदूषण फैलाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) इस कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त ठेकेदार पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 'सड़क और पुल कार्यों के लिए विनिर्देश (चतुर्थ संशोधन)' में यथा विनिर्दिष्ट कार्य के लिए आवश्यक क्रशड ग्रेवल/क्रशड सिंगल/क्रशड स्टोन एग्रीगेट की खरीद/प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्टोन क्रशर

की स्थापना के संबंध में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में कोई अलग प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने विनिर्दिष्ट किया है कि ठेकेदार को निर्माण के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतनी हैं और कार्य क्षेत्र में प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू सभी संबंधित नियमों/कानूनों का पालन करना है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार अपने संयंत्र से ध्वनि, कंपन, धूल और उत्सर्जन के स्तरों में कमी के लिए सभी सावधानियां बरतेगा तथा स्वामी की संपत्ति, जमीन और आसपास के निवासियों को होने वाली क्षति के किसी दावे के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

[अनुवाद]

तरंग हैण्डसेटों हेतु बीमा प्रीमियम

5512. श्री सुब्रत बोस : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरंग हैण्डसेटों के लिए मासिक बीमा प्रीमियम लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि वसूली जा रही है और इसके परिणामतः उपभोक्ताओं को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या ये सुविधाएं अन्य हैण्डसेट्स में भी उपलब्ध हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार पश्चिम बंगाल में 'तरंग' हैण्डसेट्स को नुकसान पहुंचने अथवा गुम होने के कारण उपभोक्ताओं को भुगतान की गयी बीमा राशि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ताओं से बीमा प्रीमियम के लिए 20/- रुपए प्रति माह की नाम मात्र राशि वसूली जाती है। इस संबंध में, उपभोक्ताओं को बीएसएनएल के हैण्डसेट उपकरण का मूल्य और प्रतिभूति जमा का भुगतान नहीं करना होता है।

(ग) यह सुविधा केवल डब्ल्यूएलएल सेवा के 'तरंग' हैण्डसेटों के लिए उपलब्ध है।

(घ) पश्चिम बंगाल में किसी उपभोक्ता को हैण्डसेट के क्षतिग्रस्त या गुम हो जाने के कारण कोई बीमा राशि भुगतान नहीं की गई क्योंकि हैण्डसेट का स्वामित्व बीएसएनएल के पास होता है।

[हिन्दी]

एन एच डी पी ठेकेदारों को धमकी

5513. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन एच डी पी के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में लगी कंपनियां/ठेकेदारों को अपराधियों से धमकियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कामगार मारे गए हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यों में कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यरत ठेकेदारों ने उस क्षेत्र में व्याप्त कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के बारे में बताया है जिससे परियोजनाओं की प्रगति में बाधा आती है।

(ग) रिकार्ड के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यों पर कार्यरत विभिन्न कंपनियों/ठेकेदारों ने गत तीन वर्षों के दौरान 5 कामगारों/स्टाफ के मारे जाने की सूचना दी है।

(घ) परियोजना के निष्पादन में लगे कार्मिकों और उपकरणों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से उठाए जाते हैं। जिसके उत्तर में, राज्यों ने समय-समय पर असुरक्षित स्थानों पर सुरक्षा प्रदान की है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

5514. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया है कि जांच करने वाली एजेंसियों को अभियोजन चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रियों का समूह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी.ए.) की धारा 19 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर सहमत हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कदम का जांच एजेन्सियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो पी.सी.ए. में संशोधन करने का औचित्य क्या है; और

(च) देश में भ्रष्टाचार के मामलों से कड़ाई से निपटना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अभिनिर्धारित किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) के अंतर्गत ऐसे किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए कोई भी स्वीकृति अपेक्षित नहीं है जिसने एक लोक सेवक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो और/अथवा जो भिन्न श्रेणी का लोक सेवक हो। किसी लोक सेवक के भूल-चूक के ऐसे कृत्य जो सरकारी ड्यूटी के निर्वहन में नहीं किए गए हों, के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत भी अभियोजन हेतु किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) से (ङ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को संशोधित करने हेतु कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(च) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कदम उठाए हैं जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का अधिनियमन, निवारक सतर्कता, निगरानी और गुप्तचर तथा दण्डात्मक निवारक कार्यवाही को शामिल करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भ्रष्टाचार-रोधी और सतर्कता गतिविधियों की निगरानी हेतु वार्षिक कार्य योजना शामिल हैं। एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में सरकार विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपायों के द्वारा व्यवस्था में और भी पारदर्शिता लाने का प्रयास करती है।

स्वास्थ्य परिचर्या पर्यटन का संवर्धन

5515. **श्रीमती मनोरमा माधवराज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कई राज्यों के साथ स्वास्थ्य परिचर्या पर्यटन के संवर्धन पर सहमत हो गयी है जिसके परिणामतः देश में कम संख्या में उपलब्ध चिकित्सकीय अवसंरचना पर बोझ पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चिकित्सा परिचर्या क्षेत्र में निजी निवेश से गरीबों और जरूरतमंदों की अनदेखी करते हुए अमीरों तथा अभिजात्य वर्ग को सेवाएं मिलेंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) कई राज्य अपने आपको स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्र के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों विशेषकर आयुर्वेद की तकनीकों को नया रूप देने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। भारत में प्राइवेट क्षेत्र में उपलब्ध विशेषीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का उपयोग विदेशों से आने वाले रोगियों द्वारा भी किया जा रहा है। ऐसे राज्यों में पर्यटकों के आने से इन सेवाओं की मांगों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है, रोजगार पैदा हुए हैं, जनशक्ति का विकास हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। स्वस्थ्य क्षेत्र में धर्मार्थ एवं परोपकारी संस्थाओं/संगठनों द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर, अन्य निजी निवेश मुख्यतया बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके बावजूद, देश में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका है। उपरोक्त के होते हुए भी सरकार, आम लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं बेहतर करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को अगले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.3 प्रतिशत करने के प्रति वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

दिल्ली-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 को चौड़ा करना

5516. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 के दिल्ली से हिसार तक के हिस्से को चौड़ा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) निर्माण कार्य शीघ्र कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को चौड़ा करने का कार्य धनराशि की उपलब्धता और कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणों में शुरू किया गया है। फिलहाल दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के लगभग 5.2 कि.मी. में आठ लेन बनाने का कार्य बजटगत कार्य के तौर पर 13.29 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत दिल्ली/हरियाणा सीमा से हिसार तक चौड़ीकरण का कार्य दो पैकेजों में विभाजित किया गया है अर्थात् दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक तक जिसकी कुल परियोजना लागत 486 करोड़ रु. है और रोहतक से हिसार तक जिसकी कुल परियोजना लागत 543 करोड़ रु. है। दिल्ली-रोहतक खंड के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और उनकी जांच की जा रही है। रोहतक-हिसार खंड के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

अम्बाला से शिमला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

5517. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने एनएचडीपी-III ए के अंतर्गत अम्बाला से शिमला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 को चार लेनों वाला बनाए जाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिरकपुर से परवानू खंड के लिए बोलियां आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सड़क के वैकल्पिक उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है और उपर्युक्त परियोजना के निर्माण में कौन से लागत प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के निम्नलिखित खंड निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन के बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क में शामिल किए गए हैं:—

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के खंड	स्थिति
अंबाला-जिरकपुर	चार लेन बनाने का कार्य चल रहा है और इसे नवंबर, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
पिंजौर-कालका-परवानू बाइपास सहित जिरकपुर-परवानू	निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन बनाने का कार्य सौंपा गया है।
परवानू-शिमला	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाने का कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। तीन निविदाएं प्राप्त हुई। कार्य सौंप दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) शिमला के महत्व को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जिरकपुर से शिमला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के संपूर्ण खंड को चार लेन का बनाने का निर्देश दे दिया गया है।

'नॉलेज इकोसिस्टम'

5518. **श्री एस.के. खारवेनथन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषतः तमिलनाडु में 'नॉलेज इकोसिस्टम' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का 'टीयर-2' शहरों तथा 'नॉलेज सेटेलाइट' विकसित करने का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसका विकास कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) जी, नहीं। तमिलनाडु राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार वे कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, सेलम, तिरुनलवेली में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। विद्युत, सड़क, मेट्रो रेल, पेय जल, मल व्यवस्था तथा तूफान के पानी की निकासी संबंधी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन शहरों के लिए एक व्यापक बहुत क्षेत्रीय विकास योजना बनाई गई है।

भीड़ के कारण अमेवाडी टॉल प्लाजा पर विलंब होना

5519. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे-सतारा खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर अमेवाडी टॉल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार देखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस टॉल प्लाजा पर पथकर वसूलने वाली एजेंसी द्वारा कम कर्मचारी तैनात किए गए हैं जिससे अकारण विलंब होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पुणे-सतारा खंड पर अमेवाड़ी टॉल प्लाजा पर पुणे-सतारा की ओर यातायात की भीड़भाड़ के दौरान कभी-कभी कतार देखने में आती हैं क्योंकि इस ओर टॉल प्लाजा के कारण तीन लेन के प्रावधान के बजाए इस समय केवल दो लेन ही हैं, इसके लिए अब अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) इस टॉल प्लाजा पर पथकर वसूलने वाली एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कार्य स्थल पर आवश्यकता के अनुसार है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ट्रक चालकों के लिए एन एच ए आई की कार्ययोजना

5520. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चलाने वाले चालकों को एड्स के खतरे से बचाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (दिल्ली-कोलकाता), राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (लखनऊ-मुजफ्फरपुर), राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 (ललितपुर से अनंतपुर-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा) और राष्ट्रीय राजमार्ग 76 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 25 (चित्तौड़गढ़-झांसी) पर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से एच आई वी/एड्स जागरूकता अभियान चला रहा है। फिलहाल, राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (लखनऊ-मुजफ्फरपुर) पर एच आई वी/एड्स जागरूकता अभियान के कार्यान्वयन के लिए 4 गैर-सरकारी संगठनों को ठेके सौंपे गए हैं।

(ग) इस समय, अभिनिर्धारित खंडों, जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, पर विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के ऋण वचनबद्धताओं के भाग के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एच आई वी/एड्स नियंत्रण निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में होने वाला अनुमानित व्यय लगभग 4.32 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 19.44 करोड़ रु.) है।

[अनुवाद]

जिला कलेक्टरों के माध्यम से पारपत्र आवेदन

5521. **श्री नरहरि महतो :**
श्री सुब्रत बोस :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पारपत्र प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से आवेदन एकत्रित करने की प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली किस वर्ष शुरू की गयी थी;

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार जिन व्यक्तियों ने पारपत्र हेतु अपने आवेदन जिला कलेक्टरों को प्रस्तुत किए हैं, उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे आवेदनों में से राज्यवार कितने व्यक्तियों को पारपत्र जारी किए गए थे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जनवरी, 2002 में सरकार ने देश में जिला पासपोर्ट केन्द्रों की मार्फत पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा कराने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो या तो जिला कलेक्टर अथवा जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करता है।

(ग) और (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पीईएसए के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान

5522. **श्री गिरिधर गमांग :** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत सीमांकित क्षेत्रों वाले राज्यों द्वारा पीईएसए के अंतर्गत कार्यान्वित अनिवार्य तथा बाध्यकारी प्रावधानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय लोगों के शोषण को रोकने के लिए राज्यों द्वारा इन प्रावधानों को अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक संबद्ध मंत्रालयों द्वारा क्या समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) यद्यपि सभी राज्यों ने अपने क्रमशः पंचायती राज अधिनियमों के संशोधन लाकर विधेयक के आवश्यक अनुपालन को अधिनियमित कर दिया है, फिर भी कुछ गैप विद्यमान हैं। राज्यों द्वारा पी एस ए के कार्यान्वयन की स्थिति (संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत) को संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) पी ई एस ए का प्रशासन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जनजातीय मंत्रालय की भूमिका में केन्द्रीय नीतियों स्कीमों और अधिनियमों को सुनिश्चित करना तथा पी ई एस ए के प्रावधानों की गति में सामंजस्य सुनिश्चित करना है। जनजातीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों से विद्यमान कानूनों को संशोधित करने के लिए कहा है ताकि पीईएसए के उपबंधों के साथ एकरूपता लाई जा सके।

(ग) पीईसीए के प्रभावशाली अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

1. पंचायती राज मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के अधिनियम की प्रक्रिया तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के साथ बेहतरी के लिए पंचायती राज मंत्रालय जनजातीय मंत्रालय के साथ संपर्क में है। अधिनियम का खंड 13 यह व्यवस्था देता है कि:—

> "अधिनियम के उपबंधों के तहत बचाओ तथा पंचायतों के उपबंधों (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, 1996, इस अधिनियम के उपबंधों अतिरिक्त में होंगे तथा उपबंधों के किसी कानून का अल्पीकरण नहीं फिलहाल सक्रिय"

2. *पंचायती राज मंत्रालय विधि कार्य विभाग के साथ संपर्क* में है ताकि कानून की पहचान करे विभिन्न केन्द्रीय कानूनों को संशोधित करे जो पी ई एस ए के पूर्ण सामंजस्य में प्रकट होते हैं। पी ई एस ए के उपबंधों के सामजस्य में विधि कार्य विभाग ने निम्नलिखित अधिनियमों को संशोधित करने के लिए पहचान की है। ये केन्द्रीय कानून हैं:–

– भारतीय वन अधिनियम 1927

– माइन्स और मिनरल्स (डेवलपमेंट और रेगूलेशन) अधिनियम 1957

– संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882

– भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 और

– भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1899

मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से अन्य संगत मंत्रालयों के समन्वय से केन्द्रीय कानून संशोधन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करता रहा है।

3. पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान की नियुक्ति की है ताकि पीईएसए में प्रत्येक राज्य विधि का अध्ययन हो सके जो पीईएसए के उपबंधों पर आधारित है। सैकड़ों राज्य विधियों का परीक्षण हुआ है, आवश्यक संशोधन प्रारूप बनाये गये हैं, और पीईएसए प्रावधानों के अनुसार ये विस्तृत प्रारूप पेसा राज्यों की राज्य सरकारों के पास विशेष संशोधन के लिए भेजा गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन का स्तर

धारा 4 क पंचायतों पर बनाये जाने वाले राज्य विधान को प्रथागत विधि, सामाजिक और धार्मिक रीतियों सामुदायिक संसाधनों के पारम्परिक रिवाजों के अनुरूप बनाया जायेगा।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	पेसा अधिनियम के फलस्वरूप, राज्य सरकार ने 1998 के नियम सं. 7 को लागू कराया जिसके द्वारा भारत के संविधान के भाग IX के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के संबंध में था, का विस्तार हुआ। राज्य विधान, राज्य अधिनियम की धारा 242 बी और 243 सी के प्रावधानों के अनुसार प्रथागत विधि और सामाजिक, धार्मिक और पारम्परिक प्रबन्धन रिवाजों के अनुरूप है।
छत्तीसगढ़		राज्य ने वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्र के संबंध में सिफारिश करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थानीय क्षेत्र में आमतौर पर रहने वालों का एक ग्रुप या गांव अथवा गांवों का एक ग्रुप होगा जिसमें एक समुदाय के लोग परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने कार्यों/गतिविधियों का संचालन करेंगे।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	जी हां, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-सी में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्रामसभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों को उस समय लागू कानून को तथा विवादास्पद संकल्प की

		रिवाजी प्रकृति को हानि पहुंचाये बगैर सुरक्षित और संरक्षित रखने में सक्षम होगी।
राजस्थान	सामंजस्य में	राजस्थान सरकार ने बताया कि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है।
झारखंड	मालूम नहीं	राज्य ने अभी तक अपना वर्तमान स्तर नहीं बताया है।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पी आर अधिनियम की धारा 129 सी में बताया गया है कि ग्राम सभा को लोगों की परम्परा और रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	बम्बाई ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 8 ए (i)
उड़ीसा	सामंजस्य में	राज्य ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

धारा 4 ख गांव में आमतौर पर लोगों के निवास अथवा उनके निवास के ग्रुप या एक गांव अथवा गांवों के ग्रुप शामिल होंगे जो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुये परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार इसके कार्यों का प्रबन्धन करेंगे,

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य अधिनियम की धारा 242 के अनुसार एक गांव में आमतौर पर लोगों के निवास अथवा उनके निवास के ग्रुप या एक गांव अथवा गांवों के ग्रुप शामिल होंगे जो एक समुदाय या समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार उनके कार्यों का प्रबंधन करेंगे। तथापि, जनजाति कल्याण विभाग ने गांव की परिभाषा को विस्तृत करने का अनुरोध किया है ताकि इसमें भूमि, जल और वन क्षेत्र आदि शामिल किये जा सकें जिन पर उनका आहार और जीवन निर्वाह निर्भर रहता है।
छत्तीसगढ़		स्थिति मालूम नहीं।
गुजरात	सामंजस्य में नहीं	पेसा ब्लाकों स्टेट में प्राकृतिक गांव की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन गुजरात राज्य में राजस्व गांव लगभग प्राकृतिक गांव अथवा फालिआज है।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	एक गांव में आमतौर पर लोगों के निवास अथवा उनके निवास के ग्रुप या एक गांव अथवा गांवों के ग्रुप शामिल होंगे जो एक समुदाय या समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार उनके कार्यों का प्रबन्धन करेंगे।
राजस्थान	सामंजस्य में नहीं	राज्य सरकार की दिनांक 30.9.1999 की अधिसूचना की धारा 2 ए के अनुसार एक गांव का अभिप्राय सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट गांव से है।

झारखंड	सामंजस्य में	झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार अनुसूचित उन क्षेत्रों में जहां आमतौर पर निवास या निवास के ग्रुप अथवा टोला या टोला के ग्रुप में ऐसे समुदाय शामिल होंगे जो इसके रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार इसके कार्यों का प्रबंन्धन करेंगे।
मध्य प्रदेश		मध्य प्रदेश में गांव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है।
महाराष्ट्र		राज्य ने सेक्शन पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
उड़ीसा	सामंजस्य में	यहां पाल्ली सभा है जिसमें गांव आते हैं।

धारा 4 सी. प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी जिसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम गांव स्तर पर पंचायत की निर्वाचन सूची में शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	ग्राम पंचायतों में अनुसूचित क्षेत्रों में एस टी की यूनिटें और ऐसे व्यक्तियों को ग्राम सभा का सदस्य माना जायेगा। यह सुझाव है कि ऐसे व्यक्तियों या उनके माता-पिता जो अनुसूचित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करने से पूर्व ऐसे गांवों के अथवा ऐसे सेटेलमेंट के प्रारम्भिक प्रादुर्भाव से पूर्व निवासी जो भी पहले हो, रहे हों शामिल किया जाये।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	
गुजरात	सामंजस्य में	ग्राम सभा में वे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम इस गांव के निर्वाचन डिवीजन के मतदाताओं की सूची में शामिल होंगे।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	वे व्यक्ति जिनके नाम पंचायत की निर्वाचन पंजी में शामिल होंगे।
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य सरकार की दिनांक 30.9.1999 की अधिसूचना की धारा 3 ए के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें जिन लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपने नाम शामिल कराने होंगे, उनके नाम निर्वाचन पंजी में अवश्य मौजूद होने चाहिए।
झारखंड	सामंजस्य में	झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्यतया एक गांव के लिये एक ग्राम सभा होगी, लेकिन यदि ग्राम सभा के सदस्य यह चाहते हों तो ऐसे प्रत्येक सभा क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक अन्य ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। आवास या आवासों का एक समूह अथवा लघु गांवों का एक समूह/टोला होगा जिसमें सम्मिलित समुदाय रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों का प्रबंधन करेंगे।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	ग्राम सभा का अभिप्राय है कि वह निकाय जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव से संबंधित निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हों।

महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	
उड़ीसा	सामंजस्य में	पेसा के प्रावधान के अनुरूप

धारा 4 के घ में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और रिवाजी विवादास्पद संकल्प के तरीकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये सक्षम होगी।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 242 सी में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये सक्षम होगी और जिसमें रिवाजी विवादास्पद संकल्प के तरीकों के लिये उस समय लागू किसी कानून को कोई क्षति नहीं पहुंचे।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 सी में कहा गया है कि ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक संसाधनों, रिवाजी विवादास्पद संकल्प के तरीकों के सुरक्षा और संरक्षण की शक्ति से सम्पन्न होगी।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 (3) ए में कहा गया है कि ग्राम सभा गांव के निवासियों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और रिवाजी विवादास्पद संकल्प के तरीकों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करेगी।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 सी में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पी आर अधिनियम 1993 की धारा 97 सी (i) में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों की और जिससे रिवाजी विवादास्पद संकल्प के तरीकों के लिये उस समय लागू किसी कानून को कोई क्षति नहीं पहुंचे, सुरक्षा और संरक्षण के लिये सक्षम होगी।
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 8 ई एच में कहा गया है कि ग्राम सभा समाज के सभी वर्गों के मध्य एकता और सामंजस्य को बढ़ाने और खण्ड (एम) के तहत सभी सेक्टरों की संस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं पर नियंत्रण रखेगा। राज्य सरकार की दिनांक 30.9.1999 की अधिसूचना के खण्ड 3 बी के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण में सक्षम होगी। उसके और स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार ग्राम सभा आवश्यक निर्णय ले सकती है।

झारखंड	सामंजस्य में	झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 10 (5)(i) में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों की सुरक्षा और संरक्षण करेगा।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पी आर अधिनियम की धारा 129 ग में कहा गया है कि ग्राम सभा को लोगों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों की सुरक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 8 ए (i)
उड़ीसा	सामंजस्य में नहीं	राज्य पी आर अधिनियम की धारा 5 (6) में यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के मूल सिद्धांतों और मानवाधिकारों से सामंजस्य और लागू संगत कानूनों के अधीन प्रावधान किया गया है।

पेसा की धारा 4(ई) में यह अनुबन्धित है कि प्रत्येक ग्राम सभा (i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी। (ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यक्तियों की पहचान करने और चयन के लिये जिम्मेदार होगी।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 242 सी (2) में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा (i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में नहीं	छत्तीसगढ़ पी आर अधिनियम की धारा 7 (1)(बी) में निर्धारित किया गया है कि नियमों के अधीन जो कि राज्य सरकार इस संबंध में बना सकती है, और सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिये ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं सहित ग्राम सभा को सभी योजनाओं को अनुमोदित करने की शक्ति प्राप्त होगी। ग्राम सभा स्कीमों की पहचान करने और विकास के लिये सिद्धांत निर्धारित करेगी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करेगी।
गुजरात	सामंजस्य में	गुजरात राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 (3)(बी) में कहा गया है कि ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिये शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 (सी)(2) में कहा गया है कि ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिये शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी।

राजस्थान	सामंजस्य में	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 8 ई (ए) में कहा गया है कि ग्राम सभा पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित करने के बाद इन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी। (ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान और चयन किया जायेगा। राज्य सरकार की दिनांक 30.9.1999 की अधिसूचना 3 सी (i) के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य शुरू करने से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	झारखंड पंचायती राज अधिनियम की 2001 की धारा 90 (i) में बताया गया है कि ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस संबंध में बनायेगी और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन ग्राम सभा के पास शक्तियां होंगी।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	ग्राम सभा के पास योजनाओं को अनुमोदित करने की शक्ति होगी।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 8 ए (ii)
उड़ीसा	सामंजस्य में	राज्य पंचायत अधिनियम की धारा 5 (3)

पेसा की धारा 4 (एफ) में बताया गया है कि प्रत्येक पंचायत को ग्राम स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये अमुक पंचायत द्वारा उपयोग की गई निधि का ग्राम सभा से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	जी नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों को उपयोग की गई निधि का ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन किया जाता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा जारी किये जाते हैं।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में नहीं	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 (i) (ई) में यह प्रावधान किया गया है कि नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस संबंध में बनायेगी और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन ग्राम सभा के पास योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के ग्राम पंचायत द्वारा निधि के सही उपयोग का पता लगाने और प्रमाणित करने की शक्तियां होंगी।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 112 (i)(ए) में बताया गया है कि धारा 4 की उप धारा (3) के खण्ड (बी) के उपखंड (i) में संदर्भित योजनाओं, कार्यक्रमों और पी योजनाओं के लिये पंचायत को ग्राम सभा से निधि को उपयोग करने का एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, जो नियमानुसार है ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और पी योजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिये शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और पी योजनाओं को अनुमोदित करेगी।

		तथापि कार्यक्रम निधि के खर्च के लिये ग्राम सभा कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं करती है, लेकिन ग्राम स्तर पर कार्यों के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सक्षम प्राधिकारी, संरपंच द्वारा जारी किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 सी (3) में बताया गया है कि उप धारा (2) उल्लिखित योजनाओं, कार्यक्रमों और पी योजनाओं के लिये जो नियमानुसार हैं:- पंचायत द्वारा निधि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा। (i) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और पी योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और पी योजनाओं को अनुमोदित कराना, (ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान और चयन करने की जिम्मेदारी लेना।
राजस्थान	सामंजस्य में नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों के लिये निधि की उपयोगिता का सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति द्वारा जारी किये जाते हैं।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	धारा 10 (I) में बताया गया है कि ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस संबंध में बनायेगी और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन ग्राम सभा के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	जी हां, ग्राम सभा के बार संकल्प के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा यू. सी. जारी किया जा रहा है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 8 ए (ii)
उड़ीसा	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 5 (3)

पेसा की धारा 4 (जी) में बताया गया है कि प्रत्येक पंचायत के अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण पंचायत में समुदायों की जनसंख्या जिसके लिये संविधान के भाग IX में दिये गये अनुसार आरक्षण मांगा गया है के अनुपात में होगा बशर्ते कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण सीटों की कुल संख्या के एक के आधे से कम नहीं होगा। आगे सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्ययनों की सभी सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित होंगी।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 242 डी में बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत और मंडल परिषद के लिये, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण

		बशर्ते कि एस टी के लिये आरक्षण सीटों की कुल सरकार का एक से आधा से कमासय होगा, बशर्ते कि ग्राम पंचायतों के साक्षी सरपंचों की और मंडल परिषदों की सभी सीटें अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित होंगी।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	धारा 13 (4) में बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जहां एस सी और एस टी दोनों के लिये 50 % या 50% से कम सीटें आरक्षित आरक्षित हैं वहां सीटे आरक्षित की जायेंगी। और सीटों की कुल संख्या का 25% ओ बी सी के लिये आरक्षित की जायेंगी और ऐसी सीटों का आबंटन ग्राम पंचायत में और ऐसी सीटों का आवंटन ग्राम पंचायत में विभिन्न वार्डों में कलेक्टर द्वारा निर्धारित पद्धति से किया जायेगा। धारा 129 ई में प्रावधान है कि एस टी के लिये आरक्षण सीटों के कुल आरक्षण का 1/2 से कम नहीं होगा बशर्ते कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर सरपंच या पंचायतों के अध्यक्ष की सभी सीटें एस टी के लिये आरक्षित की जायेंगी।
झारखंड	सब ज्यूडिस	झारखंड में झारखंड उच्च न्यायालय ने अध्यक्षों के लिये सीटों के आरक्षण के प्रावधान को हटा दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 (5) (i ए) में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के मामले में जिसके समूचे स्थानीय क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र शामिल हो, उपधारा (i) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या में इतनी संख्या में वृद्धि की जाये जो ग्राम पंचायत की सीटों की कुल संख्या का 1/2 से कम नहीं हो।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	धारा 97 डी पंचायतों में पदाधिकारियों के पदों का आरक्षण:— प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, जैसी भी स्थिति हो, में समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण सीटों की कुल संख्या का 1/2 से कम नहीं हो। बशर्ते कि ग्राम पंचायतों के प्रधान और पंचायत समितियों के अध्यक्ष सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित की जायेंगी।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	धारा 129 ई में बताया गया है कि संविधान के भाग IX में निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार सुसूचित जनजातियों के आरक्षण सहित ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।

		ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए चयनित सीटों के आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है।
राजस्थान	सामंजस्य में	धारा 16 (2) में बताया गया है कि एस सी और एस टी के लिये आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक ऐसे पदों की कुल संख्या के अनुपात में होगा जैसाकि राज्य की कुल संख्या के हिसाब से ऐसी जनजातियों और जातियों की जनसंख्या के पद होंगे।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	स्टेट पंचायत पेसा के प्रावधान के सामंजस्य में है।
उड़ीसा	सामंजस्य में	स्टेट पंचायत पेसा के प्रावधान के सामंजस्य में है।

पी ई एस ए की धारा 4 (एच) में बताया गया है कि राज्य सरकार उन व्यक्तियों को जिनका इन्टरमीडिएट स्तर पर पंचायत में और जिला स्तर पर पंचायत में उन अनुसूचित जनजातियों का जिनका कोई प्रतिनिधित्व न हो, नामजद कर सकती है, बशर्ते कि उन पंचायत में चुने जाने वालों की कुल संख्या 1/10 से अधिक नामांकन न हुआ हो।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायत राज अधिनियम की धारा 242 ई में बताया गया है कि सरकार एस टी से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को जिनका मंडल परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नामजद कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा नामांकन मंडल परिसर में चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 से अधिक न हो।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 ई (2) में बताया गया है कि राज्य सरकार उन व्यक्तियों को, जिनका इंटरमीडिएट स्तर पर पंचायत में और जिला स्तर पर पंचायत में उन अनुसूचित क्षेत्रों में, कोई प्रतिनिधित्व न हो, नामजद कर सकती है, बशर्ते कि पंचायत में चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 से अधिक नामांकन न हुआ हो।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 ए में बताया गया है कि यदि किसी कारणवश निर्वाचन तालुक पंचायत अथवा जिला पंचायत में अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य चुनकर नहीं आता है तो राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से उनका जो चयन किये जाने हेतु योग्यता रखते हों, नामजद कर सकती है लेकिन ऐसे सदस्यों की संख्या कुल पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1/10 से अधिक न हो।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1944 की धारा 97(डी) के अंतर्गत पंचायत के सभी तीनों स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किया जाना अपेक्षित है, जो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में हो और आरक्षण सीटों की कुल संख्या का 1/2 से कम नहीं होगा। लेकिन इस राज्य के मामले में अनुसूचित जनजातियों

		की जनसंख्या 75.42% है अतएव अनुसूचित जनजातियों के लिये 79% सीटें आरक्षित की गई हैं।
झारखंड	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 36 (ख)(7)
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 129 ई (2)
महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	राज्य पंचायती राज अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।
उड़ीसा	सामंजस्य में	जिला परिषद अधिनियम की धारा 6 (6)
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 (एफ)

भाग-4 (आई) अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित विकास योजनाओं तथा व्यक्तियों के पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायत का समुचित स्तर तक विचार-विमर्श, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर तक परियोजनाओं का वास्तविक योजनाकरण और कार्यान्वयन।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा बेदखल पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास जनों से पूर्व अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण कार्य से पूर्व भाग-242 एफ के अनुसार मंडल परिषद से विचार-विमर्श किया जायेगा। विषय अधिनियम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आंध्र प्रदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा मंडल राजस्व अधिकारी की भूमिका की तुलना में मंडल परिषद को पूरी जानकारी नहीं दी गई है।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम नि:शब्द है परंतु ग्राम सभा के साथ पुनर्वास नीति का विचार-विमर्श अनिवार्य है। विषय अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (राज्यों में यात्रा संशोधित) के अनुसार ग्राम सभा के साथ विचार-विमर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में निजी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।
गुजरात	सामंजस्य में	पंचायती राज अधिनियम केन्द्र भाग 132 ए में यह प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण और प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास के पूर्व तालुका पंचायत से विचार-विमर्श किया जायेगा। विषय अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण से पूर्व तालुका पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग 97 एफ के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं द्वारा बेदखल पुनर्स्थापक अथवा पुनर्वास जनों से पूर्व अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण कार्य से पूर्व ग्राम सभा से विचार-विमर्श होना चाहिए—अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक योजनाकरण तथा कार्यान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर होगा। विषय अधिनियम हिमाचल प्रदेश ट्रान्सफर ऑफ लैंड (रेगुलेशन) अधिनियम, 2002 का भाग-3 (1)
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम का भाग 8 (ई) के अनुसार जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, ग्राम सभा अथवा पंचायती राज के संस्थाओं को ऐसे अवसर पर सलाह-विचार करना चाहिए। परंतु ऐसा कोई उपबंध नहीं है। विषय अधिनियम इस विषय में विषय अधिनियम साइलेन्ट हो।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग-7 और 129 सी के अनुसार ग्राम सभा अथवा पंचायत के समुचित स्तर पर पूर्व विचार-विमर्श अनिवार्य है। ग्राम सभा अथवा पंचायत के साथ पूर्व सलाह मशविरा के द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए और विस्थापित व्यक्तियों के पुनःस्थापन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जायेगा। विषय अधिनियम भूमि राजस्व अधिनियम, 1894, यथा संशोधित के अनुसार ग्राम सभा से विचार-विमर्श के उपरान्त अनुसूचित क्षेत्रों में निजी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	राज्य पंचायती राज अधिनियम साइलैंट है। विषय अधिनियम बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 का संशोधन अधिनियम सहित इस मामले में पंचायतों का उल्लेख नहीं करता है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग 45 ए के अनुसार विषय अधिनियम महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास अधिनियम का भाग 41 संशोधित किया गया है।

उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा जिला परिषद अधिनियम 1997 का भाग 3 (6) द्वारा जिला परिषद को अधिकार दिया जाता है। विषय अधिनियम इस विषय पर अधिनियम साइलैंट है।

भाग 4- (जे) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों के योजनाकरण और प्रबंधन को पंचायतों के नाम यथोचित स्तरों पर सुपुर्द किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग 242 जी के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों के योजनाकरण और प्रबंधन का कार्य ग्राम पंचायतों मंडल परिषदों अथवा जिला परिषदों के पास सुपुर्द करना चाहिए, ऐसे मामले में जो भी निर्धारित किया गया हो विषय अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में किसान संगठन (जो समकक्ष निकाय है) लघु जल निकायों के प्रति जिम्मेदार है
छत्तीसगढ़	अशंतः सामंजस्य	राज्य पंचायती राज अधिनियम में विनिर्दिष्ट जल क्षेत्रों के लिए अधिकार नियम किया है। भाग 7 (1) के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाने की स्थिति में ग्राम सभा के पास लघु जल निकायों में परामर्श देने का अधिकार भाग 7 (1) (जो-iii) के अनुसार होगा। विषय अधिनियम उनके उपबंध अधिनियमों में सिंचाई विभाग द्वारा कुछ भी उल्लेख नहीं है।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम की सूची-1 (के आई) के अनुसार विषय अधिनियम कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	भाग-97 जी, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकाय के योजनाकरण और प्रबंधन जैसी भी स्थिति हो, ऐसे मामले में जो निर्धारित किया गया हो, को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों अथवा जिला परिषदों को सुपुर्द पर दी जाती है। विषय अधिनियम लघु जन निकायों को उपभोक्त ग्रुप (समकक्ष निकायों) जिन्हें कृषक विकास करते हैं और जो राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, को सौंप दिया गया है।

राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग 8 ई (के) द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जैसाकि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है लघु जन निकायों के योजनाकरण और प्रबंधन का कार्य पूरा किया जाता है। 80 से 300 हेक्टेयर की क्षमता वाले लघु जल संसाधनों का प्रबंधन सिंचाई विभाग से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिए जाते हैं और विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को तैनात किया गया है उनके वेतन और भत्ते पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भुगतान किए जाते हैं। विषय अधिनियम कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
झारखंड	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग-5 की अनुसूची 76 बी के अनुसार विषय अनुसूची बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 में कोई संशोधन नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग 129 (एफ) (आई) के अनुसार विषय अधिनियम कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	इस संबंध में महाराष्ट्र अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। विषय अधिनियम कोई प्रावधान नहीं है।
उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा अधिनियम ने इस विषय को जिला पंचायतों को सुपुर्द किया है। विषय अधिनियम कोई प्रावधान नहीं है।

भाग-4 (के) लघु खनिजों द्वारा नीलामी के माध्यम से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा माईनिक लीज के अनुदान के पूर्व समुचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य बनायी जाएगी।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज अधिनियम के भाग 242 एच के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा माइनिंग लीज के अनुदान से पूर्व ऐसे मामलें जो निर्धारित हों के तहत ग्राम पंचायतों की सिफारिश विचारणीय होगी। विषय अधिनियम माइन्स और मिनरल (रेगूलेशन तथा डेवलेपमेंट) अधिनियम 1957 में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

छत्तीसगढ़	सामंजस्य नहीं	राज्य पंचायती अधिनियम के पास इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। विषय अधिनियम इस संबंध में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है। विषय अधिनियम गुजरात माइन्स और मिनरलस (रेगूलेशन और डेवलपमेंट) अधिनियम यह व्यवस्था देता है कि ग्रांट देने से पूर्व क्वेरी लिज और क्वेरी परमिट, जी पी की सिफारिश प्राप्त कर लेनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के भाग-97 एफ के उपबंधों के तहत यह व्यवस्था है कि अनुसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा माईनिंग लिज के अनुदान से पूर्व ग्राम सभा की सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा। विषय अधिनियम हिमाचल प्रदेश माइन्स मिनरल्स (कनर्ससन) संशोधित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
झारखण्ड	सामंजस्य में नहीं	राज्य पी आर अधिनियम 129 सी (कनर्ससन) संशोधित नियमों में कोई प्रावधान का होना एक अस्पष्ट संदर्भ देता है। विषय अधिनियम बिहार माइन्स कनर्ससन नियमों के कोई प्रावधान नहीं है
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	कानून को संशोधित कर दिया गया है और ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	राज्य पी आर अधिनियम के भाग 45ए (iii) बी विषय अधिनियम कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा जिला परिषद संशोधन अधिनियम 1997 के भाग 3 (6) (ए) विषय अधिनियम संगत कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं है।
राजस्थान	आंशिक रूप में सामंजस्य	दिनांक 30.9.1999 की राज्य सरकार अधिसूचना के खंड 3 (आई) के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्रों में लघु मिनरल्स कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा अथवा पंचायती राज संस्था बिना पूर्व लाईसेंस अथवा

		बिना पूर्व सिफारिश जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है, माइनिंग लीज स्वीकार नहीं करेगा।'' इस संबंध में खनिज विभाग ने दिनांक 12.4.2002 को अधिसूचना जारी की है।

भाग-4 (एल) : नीलामी द्वारा लघु मिनरल के शोषण हेतु रियायत प्रदान करने के लिए समोचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायत की पूर्व सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जायेगा।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	अधिनियम के भाग 242 (एच) (2) के अनुसार ऐसे मामलों में निर्धारित ग्राम पंचायत भी सिफरिश को निलामी द्वारा लघु खनिज के एक्सप्लाईटेशन में रियायत प्रदान करने हेतु विचारार्थ रखा जायेगा।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य नहीं	
गुजरात	सामंजस्य में नहीं	सामंजस्य में नहीं
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	भाग-4 (1) नीलामी द्वारा लघु खनिजों के शोषण में रियायत प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या पंचायत के समुचित स्तर पर पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। पंचायतों के पास लघु खनिजों की रोयलटी का अंतरण सरकार के पास विचाराधीन है।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	प्रारंभ में ग्राम पंचायतों ने अधिकार का प्रयोग किया है। वर्ष 2000 से खनिजों की नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत के परामर्श से जिला प्रशासन कर रहा है।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	
उड़ीसा	सामंजस्य में नहीं	
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.9.1999 के खंड 3 जे के अनुसार यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा अथवा पंचायती राज संस्थाओं में नीलामी द्वारा लघु खनिजों के शोषण को ऐसे स्तर पर बिना उनकी सिफारिश के स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग 4 (एम) (आई) : किसी नशीले पदार्थ की बिक्री उपभोग की दिशा में नशाबंदी लागू करने अथवा नियमित करने अथवा नियंत्रित करने का अधिकार।

आंध्र प्रदेश	आंशिक रूप से सामंजस्य में	अधिनियम के भाग 242 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत अथवा जैसी भी स्थिति हो, ग्राम सभा ऐसे अधिकार का प्रयोग करेगी और ऐसे तरीके से कार्य करेगी जो नशीले वस्तु को बिक्री और उपभोग से जुड़े नशाबंदी अथवा नियमन अथवा नियंत्रण का कार्य हो।
		विषय अधिनियम
		पंचायतों को सशक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

छत्तीसगढ़	सामंजस्य में नहीं	इस विषय पर राज्य पंचायती राज अधिनियम मौन है। विषय अधिनियम छत्तीसगढ़ उत्पाद अधिनियम ने ग्राम सभा को यह अधिकार दिया है।
गुजरात	सामंजस्य में नहीं/परंतु राज्य ने सकल नशाबंदी अंगीकृत किया है।	इसी संबंध में राज्य पंचायती राज एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि राज्य ने संपूर्ण राज्य में नशाबंदी लागू करा दी है।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 97 आई (I) बी कहता है कि ग्राम पंचायत या जैसी भी स्थिति हो ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं वैसे कार्यों को संपन्न करेगी और इस प्रकार की सीमा जैसा कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में उल्लेख किया गया है कि नामत: (ख) नशाबंदी को लागू करना या नशीले पदार्थ की बिक्री तथा उपभोग का नियमन अथवा नियंत्रण। विषय एक्ट पंजाब उत्पाद नियम 1914 ने पंचायतों को सशक्त किया है।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	समुचित स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा का शक्तियों से संपन्न होना विषय एक्ट केन्द्रीय अधिनियम तथा मध्य प्रदेश उत्पाद अधिनियम 1915 के अनुपालन में ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करने संबंधी संशोधन किए गए हैं।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	झारखंड पी आर एक्ट इस विषय पर मौन है। विषय एक्ट उत्पाद अधिनियम सकल नशाबंदी की व्यवस्था करता है जहां जनजातीय जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	बंबई ग्राम पंचायत एक्ट का सेक्शन 8 ए (5) विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया।
उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट का सेक्शन 442 (ए) विषय एक्ट एक्ट में प्रावधान नहीं लेकिन प्रशासनिक अनुदेश लागू हैं।

राजस्थान	सामंजस्य में नहीं	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.09.1999 के 3 के (i) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि नशाबंदी लागू करने के लिए निर्धारित नियमों के तहत पंचायती राज संस्थाएं या ग्राम सभा स्तर पर जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में नशीले पदार्थ की बिक्री तथा उपभोग पर रोक लगाई जा सके। विषय अधिनियम पंचायतों को सशक्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
खंड-4 (एम) (II) लघु वन उत्पाद का स्वामित्व		
आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	आंध्र प्रदेश एक्ट के सेक्शन 242(I) बी कहता है कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जैसा भी मामला हो, इस मामले में शक्तियों का प्रयोग करेगी, जैसा कि दिया गया है, लघु वन उत्पाद के स्वामित्व के संबंध में एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए सामंजस्य नहीं है। विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं, अधिकार गिरजन सहकारी निगम के साथ
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर राज्य पंचायती राज अधिनियम मौन है। विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
गुजरात	सामंजस्य में	गुजरात सरकार ने 21.12.97 से गुजरात पंचायत एक्ट में पहले ही संशोधन कर चुका है तदनुसार एम एफ पी से संबंधित सभी कार्यकलाप जैसे वसूली, विपणन एवं ट्रेडिंग त्रिस्तरीय पंचायतों को एम एफपी सौंपे गये हैं जो ग्राम स्तर पर वसूले जाते हैं तालुक स्तर या खंड स्तर पर संग्रह किए जाते हैं एवं जिला स्तर पर विपणन एवं ट्रेडिंग किए जाते हैं। विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	एच पी पी आर अधिनियम खंड-97 आई (i) कहता है कि या तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जैसा कि नियत किया गया है इन शक्तियों का प्रयोग करेगी लेकिन सामंजस्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, 37 किस्मों के संबंध में संबंधित पंचायत में वनों से लघु वन उत्पाद जमा करके ट्रांसपोर्ट के लिए पास जारी करने के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान, वन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। विषय एक्ट

		पंचायत को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	ग्राम सभा के साथ स्वामित्व। यहां एक एम एफ पी फेडरेशन है जो विशेष संबंधित राष्ट्रीय लघु वन उत्पाद की बिक्री द्वारा पैसा वापस देता है।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर झारखण्ड पी आर एक्ट मौन है। विषय एक्ट पंचायत को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	बंबई ग्राम पंचायत एक्ट का खंड 8 ए (vi) विषय एक्ट पंचायत को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट खंड 44(2) (बी) विषय एक्ट 68 लघु वन उत्पादों के स्वामीत्व को छोड़कर राष्ट्रीय पार्क एवं आरक्षित वन सेन्चुरिज से एम एफ पी के अलावा तेंदु पत्ते, साल बीज एवं बांस ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.09.1999 के खंड 3 के (ii) के अनुसार यह प्राविधित है कि ग्राम सभा स्तर पर पंचायती राज संस्थान जैसा कि अधिसूचित क्षेत्रों में लघु वन उत्पादों की आवती पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है और कानून के तहत ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थानों के साथ नियंत्रित होगा।

खंड-4 एम (iii):- अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि के अपहरण को रोकने की शक्ति एवं अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी ढंग से अपहृत भूमि को वापस करने के लिए की गई समुचित कार्रवाई।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	राज्य पंचायती राज एक्ट का खंड 242 आई(सी) कहता है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के पास अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि के अपहरण को रोकने एवं अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी ढंग से अपहृत भूमि को वापस करने की शक्ति होगी। विषय एक्ट भूमि (हस्तांतरण अधिनियम) एक्ट संशोधित नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर राज्य पंचायती राज एक्ट खामोश है। विषय एक्ट भूमि के वापसी एवं एकीकरण की शक्ति से ग्राम सभा संपन्न है।
गुजरात	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर राज्य पंचायती राज एक्ट खामोश है। विषय एक्ट मुंबई लैण्ड रेवेन्यू कोड के सेक्शन 73 (एए) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि के अपहरण को रोकने की शक्ति एवं अधिसूचित क्षेत्रों में गैरकानूनी ढंग से अपहृत भूमि को वापस करने की समुचित कार्रवाई जिला पंचायत में निहित है।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर राज्य पंचायती राज एक्ट खामोश है। विषय एक्ट हिमाचल प्रदेश भूमि (रेगूलेशन) एक्ट, 1968 का सेक्शन-3 प्रावधित करता है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए कोई भूमि या कोई निर्मित परिसर को कोई भी तरीका जैसे बेचना, लीज पर, बंधक, गिफ्ट या किसी अन्य तरीके से जो कि जनजाति से संबंधित नहीं है। राज्य सरकार के लिखित पूर्व अनुमति के अलावा हस्तांतरित नहीं करेगा बशर्ते कि राज्य सरकार इस तरह की अनुमति देने के पहले समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से विचार विमर्श करेगा।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	विषय एक्ट ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए लैण्ड रेवन्यू कोड 1959 में संशोधन किया जा चुका है।
झारखंड	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज एक्ट का सेक्शन 77(ए) विषय एक्ट विषय एक्ट में भूमि के अपहरण के विरुद्ध पहले से ही प्रावधान है तथापि, पी ई एस ए के टर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में	बंबई ग्राम पंचायत एक्ट का सेक्शन 8 ए (vii) विषय एक्ट पंचायत को सशक्त करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया।
उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट का सेक्शन 44 (2)(सी)

		विषय एक्ट विषय एक्ट को संशोधित किया गया।
राजस्थान	सामंजस्य में नहीं	राज्य सरकार के दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना के धारा 3 के (iii) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि के अतिक्रमण को रोकने को प्रावधित करता है एवं अधिसूचित क्षेत्रों में गैर कानूनी ढंग से अपहृत भूमि को वापस करने के लिए प्रबल कानून के तहत राज्य पंचायती राज्य संस्थाओं या ग्राम सभाओं को उचित कार्रवाई करने के लिए सशक्त करता है।

सेक्शन 4 एम (iv) ग्रामीण बाजार संचालन की शक्ति द्वारा जो भी नाम रखा गया।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	ग्राम पंचायत एक्ट के सेक्शन 242 आई (i)(डी) के अनुसार या जैसा भी मामला हो ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं वैसे कार्यों को सम्पन्न करेगी और इस प्रकार की सीमा जैसा कि उल्लेख किया गया है ग्रामीण बाजार के प्रबंधन के संबंध में जो भी नाम रखा गया। विषय एक्ट कृषि उत्पाद में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है एवं लाइवस्टोक मार्केट एक्ट के बदले कार्य बाजार समितियों को दिया गया है।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज का सेक्शन 129 सी (v) कहता है कि अधिसूचित क्षेत्रों से ग्राम सभा के पास ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामीण बाजार प्रबंधन की शक्ति होगी। विषय एक्ट विषय एक्ट में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	राज्य पंचायती राज एक्ट का सेक्शन 97 आई (i) (सी) कहता है कि ग्राम पंचायत या जैसा भी मामला हो, ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं वैसे कार्यों को संपन्न करेगी और इस प्रकार की सीमा जैसा कि उल्लेख किया गया है निम्न मामलों के संबंध में नामत:— (ग) ग्रामीण बाजार प्रबंधन द्वारा जो भी नाम दिया गया हो। विषय एक्ट सभी रेगुलेटरी अधिकार पंचायतों में निहित हैं।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज एक्ट का सेक्शन 129 डी (ii) कहता है कि पंचायतें समुचित स्तर पर या ग्राम सभा को इन शक्तियों से संपन्न करेगी। केन्द्रीय एक्ट के अनुसार राज्य एक्ट में प्रावधान बनाया गया

		विषय एक्ट
		विषय एक्ट में प्रावधान नहीं बनाया गया।
झारखंड	सामंजस्य में	राज्य पी आर एक्ट का सेक्शन 75 (21)
		विषय एक्ट
		कृषि बाजार अभियान राज्य सरकारों को बाजार चलाने एवं पंचायतों के साथ स्वच्छ भागीदारी की शक्ति प्रदान करती है।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पी आर एक्ट का सेक्शन 99 कहता है कि ग्राम सभा ग्रामीण बाजार प्रबंधन के लिए सक्षम है।
		विषय एक्ट
		पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं बनाया गया।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर राज्य पी आर एक्ट खामोश है।
		विषय एक्ट
		पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
उड़ीसा	सामंजस्य में	राज्य पी आर एक्ट का सेक्शन 59
		विषय एक्ट
		अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा उड़ीसा कृषि उत्पाद प्रबंधन एक्ट एवं ग्राम पंचायत के लिए इसे छोड़ा गया। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा प्रावधान को स्थगित किया गया।
राजस्थान	सामंजस्य में	विषय एक्ट
		पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं। राज्य कृषि विपणन एक्ट में प्रावधान नहीं।

सेक्शन 4 (एम)(5) अनुसूचित जनजातियों में महाजनी पर नियंत्रण की शक्ति।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	ग्राम पंचायत एक्ट के सेक्शन 242 आई (i)(ई) के अनुसार या जैसा भी मामला हो ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं वैसे कार्यों को सम्पन्न करेगी और इस प्रकार की सीमा जैसा कि अनुसूचित जनजातियों में महाजनी पर नियंत्रण की शक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है।
		विषय एक्ट
		विषय एक्ट में प्रावधान नहीं बनाया गया।

छत्तीसगढ़	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर राज्य पंचायती राज एक्ट खामोश है। विषय एक्ट विषय एक्ट में प्रावधान नहीं बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में नहीं	सेक्शन 97 (i) (डी) ग्राम पंचायत या जैसा भी मामला हो, ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयौग करेगी एवं कार्यों को सम्पन्न करेगी और इस प्रकार का सीमा जैसा कि अनुसुचित जनजातियों में महाजनी पर नियंत्रण की शक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है रीति एवं सीमा निर्धारित किया जाएगा। विषय एक्ट हिमाचल प्रदेश के महाजनी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	विषय एक्ट मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को वर्ष 2001 में संशोधित किया गया है। इसे भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया है।
झारखंड	सामंजस्य में नहीं	इस मुद्दे पर पी आर एक्ट खामोश है। विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
गुजरात	सामंजस्य में	राज्य पी आर एक्ट का सेक्शन 278-ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के खंड-1 में उल्लेखित है कि उस गांव के ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कोई भी साहूकार पैसा नहीं देगा। विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	विषय एक्ट में प्रावधान नहीं बनाया गया है। विषय एक्ट महाराष्ट्र एक्ट के तहत संबंधित पंचायत(तों) एवं ग्राम सभा(ओं) के साथ विचार विमर्श करके रजिस्ट्रार के द्वारा इस प्रकार का लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।
उड़ीसा	सामंजस्य में	उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट का सेक्शन 44(2)(डी)

		विषय एक्ट पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान नहीं।
राजस्थान	सामंजस्य में	राज्य सरकार के दिनांक 30.09.1999 की अधिसूचना के खंड-3 के (5) के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के महाजनी पर नियंत्रण के लिए पंचायती राज संस्थाओं या ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है। राजस्व विभाग के दिनांक 17 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना महाजनी एक्ट 1963 के तहत पंचायत समिति रजिस्ट्रार एवं ग्राम पंचायत सब रजिस्ट्रार नियुक्त करती है। विषय एक्ट पंचायत एक्ट में प्रावधान नहीं बनाया गया।

सेक्शन 4 (एम) (6) के अनुसार यह व्यवस्था है कि पंचायतें एवं ग्राम सभा समुचित स्तर पर सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यकर्त्ताओं एवं संस्थानों के ऊपर विशेष नियंत्रण की शक्ति से संपन्न कराए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश	अंशत: सामंजस्य में	राज्य पी आर एक्ट के सेक्शन-3 में मंडल परिषद को नियंत्रण कार्य दिया गया है। एक्ट के सेक्शन 242 आई (2) के अनुसार मंडल परिषद उन शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं वैसे कार्यों को संपन्न करेगी और इस प्रकार की सीमा जैसा कि सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं एवं कार्यकर्त्ताओं के ऊपर नियंत्रण के संबंध में उल्लेख किया गया है। लेकिन पंचायतों को कोई कार्यकर्त्ता हस्तांतरित नहीं किया गया।
छत्तीसगढ़	अंशत: सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 129 एफ (ii) के अनुसार जनपद पंचायत या जिला पंचायत उनको हस्तांतरित की गयी सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों एवं कार्यकर्त्ताओं पर नियंत्रण रखेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने छ: प्रकार के कार्यकर्त्ताओं को पंचायतों को हस्तांतरित कर चुका है।
झारखंड	अंशत: सामंजस्य में	राज्य पी आर एक्ट का सेक्शन 10(i) (ए) (एक्स) लेकिन कोई भी कार्यकर्त्ता पंचायतों को अंतरित नहीं किया गया।
गुजरात	सामंजस्य में	ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रद्त् की गयी-''ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण की शक्ति''
हिमाचल प्रदेश	अंशत: सामंजस्य में	सेक्शन 97-आई (2)(ए) के अनुसार पंचायत समिति उन शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं वैसे कार्यों को संपन्न करेगी और इस प्रकार की सीमा जैसा कि सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यकर्त्ताओं एवं संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस सीमा का निर्धारण किया जाना है।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	राज्य पंचायती राज एक्ट का सेक्शन 7 (जे-1) कहता है कि पंचायतें समुचित स्तर पर एवं ग्राम सभा को शक्ति से संपन्न बनाएगी।

		ग्राम सभा, जनपद पंचायत एवं जिला परिषद को शक्तियां प्रदत की गयी हैं।
महाराष्ट्र	सामंजस्य में नहीं	राज्य पंचायती राज एक्ट में प्रदत्त की गयी है। लेकिन पंचायतों को कोई कार्यकर्त्ता हस्तांतरित नहीं किए गए।
उड़ीसा	सामंजस्य में नहीं	राज्य पी आर एक्ट पर नियंत्रण प्रदत की गयी है। लेकिन पंचायतों को कोई कार्यकर्त्ता स्थानांतरित नहीं किए गए।
राजस्थान	सामंजस्य में नहीं	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.09.1999 के खंड-3 के (7) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थान या ग्राम सभा जैसा कि उल्लेख किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में सभी सामाजिक क्षेत्रों संस्थानों एवं कार्यकर्त्ताओं पर समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये तरीके एवं रीति के ऊपर नियंत्रण की शक्ति होगी।

सेक्शन 4 एम सेक्शन (7) जनजातीय उपयोजना को शामिल करके इन योजनाओं के लिए स्थानीय प्लान एवं संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति

कृपया 4 ई (उप पैरा) देखें।

सेक्शन 4 (एन) राज्य विधानमंडलों पंचायतों को शक्तियों एवं प्राधिकारों से जैसा भी आवश्यक हो उन्हें स्व-सरकार की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारों से संपन्न बनाएगी ताकि पंचायतें उच्च स्तर पर शक्तियों एवं प्राधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कोई पंचायत निम्न स्तर या ग्राम सभा पर बचाव करेगी।

आंध्र प्रदेश	सामंजस्य में	सब्सियरिटी के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधित किया गया है कि उच्च स्तर पर हस्तक्षेप निचले स्तर की शक्तियों में वर्तमान में नहीं है।
छत्तीसगढ़	सामंजस्य में	स्थिति का पता नहीं।
झारखंड	अंशत: सामंजस्य में	
गुजरात	सामंजस्य में	गुजरात पंचायती राज एक्ट 1993 पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर शक्ति एवं प्राधिकार को विशेषत: सुस्पष्ट करती है। इसलिए पंचायतों के निचले स्तर पर शक्ति की संभावना विद्यमान नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपने शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है। राज्य सरकारों सहित उच्च प्राधिकारियों द्वारा ऐसी किसी भी एक्ट को पंचायत के किसी स्तर पर बरदास्त नहीं किया जाता। अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो एक्ट में संशोधन एवं अपील के लिए प्रावधान भी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश	सामंजस्य में	ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है, फिर भी तीनों पर कार्यों को करने के लिए गतिविधि मानचित्रण के कार्यों के पी आर आई के विभिन्न स्तरों पर अंतरित किया जाना है जिसे राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।
मध्य प्रदेश	सामंजस्य में	पंचायतें प्रत्येक के लिए स्वतंत्र हैं।

महाराष्ट्र		राज्य इस प्रश्न के लिए अभी तक प्रतिवादी नहीं है।
उड़ीसा		राज्य इस प्रश्न के लिए अभी तक प्रतिवादी नहीं है।
राजस्थान	सामंजस्य में	कोई भी पंचायती राज संस्थान उच्च स्तर पर या पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। पंचायती राज संस्थाओं के निचले स्तर पर राय दी गयी है तथा उनके कार्यों की देखरेख की गई है।

[हिन्दी]

समुद्री सीमा में पोत पर कब्जा

5523. श्री संजय धोत्रे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री लुटेरों ने सोमालिया की समुद्री सीमा में भारतीय पोत पर कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके कब्जे से पोत को मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। अंतिम प्रमाणित मामला मार्च 2007 में सामने आया। 'एम-वी नैमतुल्ला नामक भारतीय पोत और इसके 14 - सदस्यीय चालक दल का इसमें लदे माल के लिए 31 मार्च, 2007 को सोमालिया के तट पर सोमालिया समुद्री लुटेरों द्वारा अपहरण कर लिया। पोत और चालक दल को एक सप्ताह के भीतर रिहा कर दिया गया। ऐसे अपहरणों का सामान्य कारण जहाजों पर लदे समान को लूटना होता है।

(ग) विदेश मंत्रालय ने इस मामले में नैरोबी स्थित अपने उच्चायोग के जरिए नैरोबी, दुबई, आदिस अबाबा और जिबूती सहित अपने अन्य स्थानीय दूतावासों/मिशनों और दिल्ली में उनके समकक्षों तथा सोमालिया के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ संपर्क किया और तब तक उनके संपर्क में रहा जब तक कि भारतीय चालक दल को रिहा नहीं कर दिया गया। इससे पूर्व मंत्रालय ने पोत-परिवहन मंत्रालय से भारतीय पोतों के लिए सोमालियाई जल क्षेत्र में नहीं जाने संबंधी परामर्श जारी करने का अनुरोध किया था। संगठित प्रयास के बाद ही इस पोत और 14-सदस्यीय चालक दल को रिहा किया जा सका।

प्रतिबंधित दवाओं का उत्पादन और उनकी बिक्री

5524. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2002-03 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तंत्रिका विज्ञानीय विकार के लिए निर्देशित विटामिन बी$_1$+ बी$_6$+बी$_{12}$ के निश्चित खुराक वाले सम्मिश्रण के उत्पादन और बिक्री को रोकने का निर्णय कायम रखा था। सभी राज्य औषध नियंत्रकों को ऐसे निर्माण लाइसेंसों को रद्द करने के अनुदेश जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

पारपत्र आवेदनों का निपटान

5525. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्रों के लिए आवेदनों के निपटान तथा आवेदकों को परामर्श देने के लिए जिला पारपत्र प्रकोष्ठों द्वारा विशेष मासिक शिविर आयोजित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवेदकों को शीघ्र पारपत्र जारी करने के लिए नियमित अंतराल पर ऐसे शिविर आयोजित करने की तिथियों

की घोषणा तथा तैयारी करने के लिए क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पासपोर्ट अदालतों/कैम्पों का नियमित आधार पर आयोजन करके जनता की शिकायतों, जिनमें पासपोर्ट संबंधी पुराने मामलों का शीघ्र निपटान करना भी शामिल है, करने का निदेश दिया गया है।

(घ) जनवरी, 2006 से अप्रैल, 2007 तक देश में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 106 से अधिक पासपोर्ट अदालतें/कैम्प आयोजित किए गए हैं। ये निम्नलिखित के लिए अत्यधिक उपयोगी रहे हैं:

(1) पासपोर्ट आवेदकों के प्रश्नों/शिकायतों का उत्तर देना;

(2) पासपोर्ट जारी करने के लिए उसी समय पर आदेश देना; और

(3) आवेदकों की संतुष्टि के लिए पुराने पासपोर्ट मामलों का निपटान।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें खोलना

5526. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख पत्तनों पर क्रूज सुविधा सहित शुल्क मुक्त दुकानें खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्देश्य के लिए चयनित पत्तनों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रमुख पत्तनों पर इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) महापत्तनों में शुल्क-मुक्त दुकानें खोले जाने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि आवेदक ने उपयुक्त प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमोदन ले लिए हों और संबंधित पत्तन से इस प्रयोजन विशेष के लिए पट्टे पर भूमि भी प्राप्त कर ली हो। समुद्रीय परिभ्रमण के बारे में नीति के प्रारूप में पत्तनों में चरणबद्ध ढंग से समुद्रीय परिभ्रमण सुविधाएं विकसित किए जाने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

लीज्ड लाइन्स पर रियायत

5527. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लीज्ड लाइन्स पर विशेष रियायत संबंधी कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लीज्ड लाइन्स पर विशेष रियायत देने के लिए बीएसएनएल को ऐसी सुविधाएं दिए जाने पर विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कॉम्बिनेशन थैरेपी की प्रभावशीलता

5528. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मलेरिया के विरुद्ध करक्यूमिन के साथ आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव आर्टेसुनेट का कॉम्बिनेशन थैरेपी की

प्रभावशीलता को देखने के लिए मानवों पर परीक्षण किए जाने पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) क्लिनिकल परीक्षण में करकूमिन एवं आर्टसूनेट के मिश्रण को परखने संबंधी प्रस्ताव, पी.बरघेई से संक्रमित चूहे से प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों पर आधारित हैं जहां इस मिश्रण ने संक्रमित चूहे को मृत्यु से शत-प्रतिशत सुरक्षा प्रदान की तथा परजीवी पूरी तरह बाहर हो गया और इसका दोबारा प्रकोप नहीं हुआ। ये परिणाम प्रकाशित किए गए हैं (नन्दाकुमार इट अल (2006)) करकूमिन-आर्टमिसिनिन काम्बीनेशन थेरापी फॉर मलेरिया। एन्टी माइक्रोबायल एजेन्ट्स केमोथेरापी 50, 1859-1860) और पेटेंट दायर किया गया।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 'जटिलतारहित पी.फेसीलेरम मलेरिया के उपचार में आर्टमिसिनिन एवं करकूमिन मिश्रण के प्रयोग' नामक परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहयोगी संस्थान इस्पात अस्पताल, राउरकेला, इन्स्टीट्यूट आफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर और एनआईएमआर फील्ड स्टेसन, जबलपुर है। आर्टसूनेट मिश्रण बनाम आर्टसूनेट-एस पी (अनुमोदित मिश्रण) की प्राभावकारिता स्थापित करने के लिए आवश्यक नमूना आकार का आकलन करने हेतु लगभग 30 रोगियों में खुला परीक्षण करने का प्रस्ताव है। यह समसंयोजकता परीक्षण का आकलन है जिसमें यदि आर्टसूनेट-करकूमिन मिश्रण कम से कम आर्टसूनेट-एस पी के बराबर ही प्रभावी पाया जाता है तो करकूमिन मिश्रण एक विकल्प होगा क्योंकि करकूमिन विषाक्त नहीं है, कोई प्रतिरोध भी ज्ञात नहीं है तथा यह सस्ता है। खुले परीक्षण के बाद वृहत स्तर पर दो तरफा (डबल-ब्लाइन्डेड) अध्ययन किया जाना है और उसके बाद ही इस मिश्रण को औषध के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त याचिकाएं

5529. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा पूरे देश से कितनी याचिकाएं प्राप्त की गई हैं;

(ख) प्राप्त की गई विभिन्न याचिकाओं में परिवाद/शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) कितने परिवादों का अब तक निपटारा किया गया है; और

(ङ) अन्तिम निपटान के लिए लम्बित याचिकाओं की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) वर्ष 2006 के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय के पब्लिक विंग में लोक शिकायतों से संबंधित कुल याचिकाओं की संख्या 86,747 थी। ये शिकायतें मुख्य रूप से लोक सेवकों के विरुद्ध, सेवा संबंधी शिकायतें, कानून एवं व्यवस्था, बेरोजगारी, वित्तीय सहायता, सम्पत्ति/भूमि-विवादों आदि से संबंधित थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्राप्त हुई शिकायतों में से कार्यवाही की जाने योग्य सभी याचिकाओं की प्रधान मंत्री कार्यालय में छानबीन की गई थी और उन्हें समुचित कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया था।

विवरण

प्रधान मंत्री कार्यालय (पब्लिक विंग)

01 जनवरी, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 के दौरान प्राप्त हुई याचिकाओं का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	प्राप्त हुए पत्रों की संख्या
1	2
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	126
आंध्र प्रदेश	3103
अरुणाचल प्रदेश	29
असम	1106
बिहार	4295
छत्तीसगढ़	102
चण्डीगढ़	8

1	2
दमन एवं दीव	17
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	8502
दादरा एवं नागर हवेली	9
विदेशी पत्र	945
गोवा	124
गुजरात	1971
हरियाणा	4859
हिमाचल प्रदेश	842
झारखंड	1800
जम्मू एवं कश्मीर,	837
कर्नाटक	2292
केरल	1915
लक्षद्वीप	10
महाराष्ट्र	6192
मेघालय	45
मिजोरम	49
मणिपुर	55
मध्य प्रदेश	6531
नागालैण्ड	23
उड़ीसा	1501
अन्य	426
पांडिचेरी	204
पंजाब	4753
राजस्थान	5456
तमिलनाडु	6312
त्रिपुरा	2
उत्तराखंड	1325
उत्तर प्रदेश	16983
पश्चिम बंगाल	3996
कुल	86747

भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद

5530. श्री नवीन जिन्दल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच अगले युद्ध का कारण हो सकता है जैसा कि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के 'द ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) पाकिस्तान के विदेश मंत्री को एक निजी टी वी चैनल के हवाले से अप्रैल 8, 2007 को यह कहते हुए रिपोर्ट किया गया है कि जल विवाद दक्षिण एशिया में युद्ध का कारण बन सकता है। तथापि, बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि उनके वक्तव्य को ठीक से नहीं समझा गया है।

अस्पतालों के निर्माण हेतु धनराशि

5531. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने 17 अक्तूबर, 2006 को केंद्र सरकार को तारानाथ सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज, बेल्लारी में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक महिला छात्रावास के निर्माण का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो धनराशि जारी करने का अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तारानाथ सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज, बेल्लारी में 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए 50.00 लाख रु. की राशि अनुमोदित की गई है। राज्य सरकार ने संस्थान को 1993-94 में निर्मुक्त की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित संपुष्टि करने वाले दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों की समीक्षा

5532. **श्री राकेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए चिकित्सा महाविद्यालयों की गुणवत्ता की जांच की आवधिक समीक्षा हेतु कोई प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सा कालेजों में स्टाफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार चिकित्सा कालेजों का आवधिक निरीक्षण करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने मध्य प्रदेश में पांच सरकारी चिकित्सा कालेजों का निरीक्षण किया और केन्द्र सरकार से अनुशंसा की कि संकाय, ट्यूटरों/रेजिडेंटों की कमी और अन्य कमियों के कारण इन कालेजों की एमबीबीएस डिग्री संबंधी मान्यता वापस ले ली जाए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार के विचार ले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने इन चिकित्सा कालेजों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के सृजन के लिए अधिक बजटीय आवंटन किया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह समय-सीमा के भीतर कमियों को दूर करे और उपयुक्त निर्णय के लिए इस संबंध में केन्द्र सरकार सूचित करे।

उड़ीसा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

5533. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में किसी नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा और उसका स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) मंत्रालय सामान्यत: किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण नहीं करता है बल्कि मौजूदा राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के बतौर घोषित करता है। गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा नहीं की गई है। इस समय, उड़ीसा सहित देश में और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बजाए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

आगरा-मुंबई बाईपास रोड

5534. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइपास रोड के निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) क्या बाइपास रोड के कारण बस्तियों को हटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में राजमार्ग अधिनियम के उपबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के पास बस्तियां बसाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) इंदौर-देवास खंड को चार लेन का बनाने के भाग के तौर पर आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा-3) पर इंदौर कस्बे के लिए बाइपास का निर्माण किया गया है। इस परियोजना पर 284.88 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं जिसमें इंदौर बाइपास की लागत लगभग 126 करोड़ रु. है।

(ख) इंदौर बाइपास के निर्माण के कारण किसी बस्ती को नहीं हटाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में भूमि अधिग्रहण (अधिनियम की धारा 3 में यथा परिभाषित और अधिग्रहण के लिए मुआवजे का प्रावधान है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत गठित राजमार्ग प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं और समय-समय पर अतिक्रमण हटाया जाता है।

कोयला खान क्षेत्र में संरक्षण और विकास

5535. **श्री रनेन बर्मन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल के कोयला खान क्षेत्रों में वनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा तथा सड़कों आदि के विकास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से काम किए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां क्या रहीं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) की कोयला खानों से संबंधित पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी कार्यकलाप, अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना/पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में किए गए प्रावधान के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। इन कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) हवा और पानी की गुणवत्ता की मानीटरिंग।

(2) ध्वनि के स्तर को अनुमेय डेसिबल स्तर तक कायम रखने के लिए उसकी मानीटरिंग।

(3) पानी का छिड़काव तथा अन्य परम्परागत पद्धतियों द्वारा धूल को दबाना।

(4) वनीकरण - 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान क्रमशः 2 लाख तथा 1 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1.29 लाख और 0.87 लाख पौधे लगाए गए।

(5) सड़क विकास - 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान किए गए प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं:

2005-06 (i) बीओसीपी वर्कशाप मोड़ से होते हुए सड़क रेल साइडिंग से जी.टी. रोड तक (67.29 लाख रु.)

(ii) काजोरा से सड़क - बहुला डीबी रोड (48.78 लाख रु.)

(iii) रियल कोजोरा से होते हुए बहुला मोड़ से जी.टी. रोड तक सड़क का उन्नयन और सुधार (141.00 लाख रु.)

2006-07 (i) परसिया में रेलवे स्तर की क्रासिंग वाली सड़क से सूरी रोड तक (90.00 लाख रु.)

(ii) नियामतपुर से दिसेरगढ़ घाट तक की सड़क (486.00 लाख रु.)

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय द्वारा अनुसंधान ठेके देना

5536. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय परामर्शदाताओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान संबंधी ठेके देता है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान ठेकों की विस्तृत सूची और गत तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों को अनुसंधान ठेके दिए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या अनुसंधान ठेकों को मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन अनुसंधान ठेकों के शीर्षक निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया है; और

(च) अनुसंधान ठेके देने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए और किस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विषयों पर शोध परियोजनाएं चलाने के लिए शोध छात्रों और शोध संगठनों को आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन छात्रों और शोध संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, उनकी विस्तृत सूची और उनकी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में शोध परियोजनाओं की सूची प्रकाशित की गई है जो वेबसाइट WWW.meaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सौंपी गई शोध परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) वित्तीय सहायता के प्रस्ताव और विषय शोध छात्रों/संगठनों से प्राप्त होते हैं। मंत्रालय में इन विषयों की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाता है। यदि उपयुक्त पाया जाता है तो सहायता जारी करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किये जाते हैं। मंत्रालय शोध छात्रों/शोध संगठनों से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए कतिपय विषयों पर शोध करने के लिए कह सकता है।

विवरण

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना	शोध छात्र/शोध संगठन का नाम	प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	"रिशेपिंग दी डिसकोर्सेज ऑन पाकिस्तान ओकूपायॅड कश्मीर" पर अनुसंधान परियोजना	"सामरिक और क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र (सी एस आर एस), जम्मू विश्वविद्यालय	5 लाख प्रति वर्ष की दर से 24,80,000 रु. (16 जनवरी, 2004 से 15 जनवरी 2009	जनवरी 2009 तक पूरा होने की आशा है।
2.	तीन मानवाधिकार अभिसमयों पर रिपोर्ट तैयार करना (13 अप्रैल, 2007 से 12 अक्तूबर, 2004	द इन्डियन सोसायटी फॉर इंटरनेशनल लॉ (आई एस आई एल), नई दिल्ली	8,22,800 रु.	अध्ययन पूर्ण
3.	डा. श्यामली घोष द्वारा "चायना एण्ड साउथ एशिया: बंगलादेश चायना रिलेशंस" परियोजना (1 अप्रैल, 2004 से 31 जनवरी, 2005)	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली	3,54,960 रु.	अध्ययन पूर्ण

1	2	3	4	5
4.	"यू एस पालिसी टुवाड्र्स मुस्लिम कंट्रीज" (6 अप्रैल, 2004 से 5 जनवरी, 2005	आब्जर्वर शोध प्रतिष्ठान (ओ आर एफ), एशियाई अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	4,00,000 रु.	अध्ययन पूर्ण
5.	"प्रजेन्ट सिगानिफिकेन्स एण्ड पोटेंशियल ऑफ रिवायवल ऑफ सिल्क रूट फॉर इन्डियाज ट्रेड विद सेंट्रल एशिया" अनुसंधान परियोजना फरवरी 2005 में दी गयी (2 वर्षीय परियोजना)	तृतीय विश्व देश अकादमी विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	2,40,000 रु.	शीघ्र पूरा होने की संभावना है।
6.	श्री उमा शंकर झा द्वारा राष्ट्रपति मुगाबे के काल में जिम्बाबवे पर पुस्तक लिखने संबंधी परियोजना (जून, 2005)	भारतीय अफ्रीकी संघ, नई दिल्ली	68,560 रु.	शोधकर्ता को सितम्बर 2007 तक का समय दिया गया है।
7.	"इन्डियाज इकनॉमिक स्ट्रेटजी इन अफ्रीका" पर अध्ययन (नवम्बर, 2005	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) नई दिल्ली	1,50,000 रु.	अध्ययन पूर्ण
8.	वर्तमान उदीयमान परिस्थितियों में दक्षिण एशिया में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा पर अध्ययन परियोजना : (नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान) - 3 सितम्बर, 2005 को	एशिया केन्द्र, बंगलोर	3,00,000 रु.	अध्ययन पूर्ण
9.	"इन्डियाज एक्सटर्नल रिलेशंस: रोल ऑफ एजुकेशन सेक्टर" शीर्षक से डा. कविता शर्मा द्वारा (21 मार्च, 2005 से 15 दिसम्बर, 2006)	नीति अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	4,08,000 रु.	अध्ययन पूर्ण
10.	"फ्रेश लुक ऑन इन्डियाज लुक ईस्ट पालिसी; स्ट्रेटजिक डायमेंशंर्स शीर्षक की परियोजना डा. बादलदास घोषाल द्वारा (15 दिसम्बर 2005 से 15 दिसम्बर, 2006)	दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशांत केन्द्र, जे एन यू, नई दिल्ली	6,20,000 रु.	अगस्त 2007 तक बढ़ायी गयी।

1	2	3	4	5
11.	''ग्रेट ऑफ कंजरवेटिव असेन्डेंसी इन बंगलादेश एण्ड इमर्जिंग चैलेंजेज टु इन्डियाज फारेन पालिसी'' अनुसंधान परियोजना (28 मार्च 2006 से 27 फरवरी, 2006)	ओमिय कुमार दास सामाजिक परिवर्तन और विकास संस्थान गौहाटी	9,70,000 रु.	अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।
12.	''आयडेन्टिफाइंग कल्चरल सिमिलरिटीज बिटवीन ताजिकिस्तान एण्ड कश्मीर'' अनुसंधान परियोजना (21 अप्रैल, 2006 से 20 सितम्बर, 2006)	मध्य एशियाई अध्ययन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर	2,62,000 रु.	अध्ययन पूर्ण
13.	लेबनान संबंधी अध्ययन परियोजना जिसमें इस क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय क्रयादेश और भारत पर इसके वर्तमान घटनाक्रम पर प्रभाव पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए (अक्तूबर 2006	आर्थिक और सामाजिक अध्ययन समूह (जी.ई.एस.एस.), नई दिल्ली	75,000 रु.	अध्ययन पूर्ण
14.	''न्यूअर डानामिक्स ऑफ इन्डियाज नेपाल पालिसी : चैलेंजेज, आप्शंस एण्ड वे फोरफोर्ड'' पर प्रो. महेन्द्र पी. लामा, जे एन यू, नई दिल्ली की अनुसंधान परियोजना (30 मार्च, 2007 - 29 जुलाई, 2007)	लोक मामले केन्द्र (सी पी ए) नोएडा, (यू पी)	3,10,000 रु.	जुलाई 2007 के अंतिम सप्ताह तक अध्ययन पूरा होना है।

पैडल बोट द्वारा हिन्द महासागर को पार करना

5537. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय युवक ने पहली बार पैडल बोट के द्वारा मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के दिजिबुटी तक जाकर हिन्द महासागर को पार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उपलब्धि को यथोचित पहचान देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय युवा श्री शेर ढिल्लन ने श्री जौसन लुइस, एक अंग्रेज के साथ मार्च, 2007 के दौरान मुंबई से दिजिबुटी तक हिन्द महासागर में 3000 किमी की दूरी 47 दिन में नाव में बिना पाल तथा बिना मोटर के तय की।

(ग) सरकार ने ''तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार'' शुरू किया है जिसमें भूमि, जल और वायु के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियों को कवर किया जाता है। यदि अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए तो इस वर्ष पुरस्कार के लिए इस उपलब्धि पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-69 पर बाइपास रोड

5538. **श्री गणेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैतूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-69 पर एक बाइपास रोड बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च होने की संभावना है; और

(च) उक्त परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) बैतूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-69 पर मुलताई कस्बे के लिए एक बाइपास बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) इस स्तर पर मुलताई बाइपास के निर्माण की अनुमानित लागत और समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

चिरंजीवी योजना के माध्यम से सहायता

5539. **श्री एम. अंजन कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना किस तारीख को शुरू की गई थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत कितने लोगों को सहायता प्रदान की गई; और

(घ) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने आंध्र प्रदेश में ''चिरंजीवी योजना'' शुरू नहीं की है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय तटीय परियोजना

5540. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय तटीय परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त 195 करोड़ रु. (लगभग) की केन्द्रीय सहायता संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमोदित की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ) महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना में शामिल किए जाने के प्रयोजन से जुलाई, 2002 में 195.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में मुंबई, उपनगरीय मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में 72.36 कि.मी. का समुद्री कटाव रोधी कार्य किया जाना शामिल है।

चूंकि राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना में बाहरी स्रोतों से धन मांगा जाता है अतः तटीय संरक्षण पर एक दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किया गया है और इसे आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन डवेलपमैंट बैंक को विचारार्थ अग्रेषित किया गया है। एशियन डवेलपमैंट बैंक ने सितंबर-नवंबर, 2006 के दौरान संबंधित राज्य में एक आरंभिक मिशन भेजा और तीन राज्यों यानि कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में अप्रैल-मई, 2007 के दौरान एक तथ्य खोजी मिशन भी भेजा। एशियन डेवलपमैंट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के बारे में फैसला उपर्युक्त मिशन के मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

नीदरलैंड द्वारा परामर्शदात्री सेवाएं

5541. **श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड ने भारतीय पत्तनों के संभरण, नौवहन और समुद्रीय यातायात प्रबंध में सुधार करने हेतु परामर्श देने में अपनी रुचि अभिव्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खेल-कूद संस्थानों को वित्तीय सहायता

5542. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खेलकूद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार तत्संबंधी, विशेषकर कर्नाटक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा धनराशि का उपयोग करने के तौर-तरीकों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता'' की योजना के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों/संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो देश में अपने से संबंधित खेल विधाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राज्य-वार अथवा राज्य स्तरीय संघों को नहीं दी जाती है। पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी की गई वित्तीय सहायता ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खेल परिसंघ से पहले जारी की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त होने के पश्चात वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न खेल संवर्धन योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) तथा उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स) भी चला रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण की इन योजनाओं के तहत पूरे भारत में 230 केन्द्रों में लगभग 13,000 प्रशिक्षणार्थी हैं। कर्नाटक में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर में है और कई अन्य केन्द्रों में उसकी संवर्धनकारी योजनाएं चल रही हैं। इन केन्द्रों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षो के दौरान, कर्नाटक राज्य में इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षणर्थियों को दी गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

केन्द्रों की संख्या	प्रदान की गई निधियां (राशि रु. में)		
	2004-05	2005-2006	2006-2007
एनएसटीसी-3	3,67,02,985	4,89,35,903	6,30,54,276
एसटीसी-3			
एबीएससी-2			
सीओएक्स-1			

विवरण

2003-04 से 2006-07 तक राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के ब्यौरे

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007 31.3.2007
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	14.25	13.98	12.69

1	2	3	4	5
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	111.90	78.94	112.46
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	0.00	00.00	3.46
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	30.02	13.43	19.15
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	12.50	07.00	15.49
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	14.00	34.57	38.64
7.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ	7.50	12.00	15.50
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	5.50	00.00	0.00
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	49.61	41.21	36.31
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	6.75	0	30.01
11.	भारतीय फैंसिंग संघ	17.07	43.78	45.70
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	18.88	14.88	66.47
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0	0.00
14.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ	16.06	36.50	21.23
15.	भारतीय पोलो संघ	1.62	01.10	1.55
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	13.00	15.00	8.50
17.	भारतीय जूडो परिसंघ	56.37	64.66	48.62
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ	18.92	12.00	2.00
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ	12.50	09.00	12.50
20.	भारतीय भारतीय टेनिस संघ	136.87	77.45	90.07
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	218.37	433.43	373.19
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	7.50	11.50	9.50
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ	15.00	09.00	0.00
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ	118.43	51.65	9.75
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ	7.50	10.50	13.00
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	12.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ	14.00	9.80	12.00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ	119.37	15.42	21.94
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ	11.76	53.33	13.59
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	116.78	165.10	178.75
31.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	6.00	00.00	0.00
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ	10.50	11.00	13.00
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	7.00	17.00	11.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	12.50	11.50	20.75
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	32.17	94.97	58.17
36.	भारतीय याटिंग संघ	159.88	141.30	78.40
37.	भारतीय वुशू संघ	10.50	07.10	13.50
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ	0.00	09.00	0.00
39.	पैरालंपिक	0.00	13.50	33.34
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ	58.95	51.75	96.48
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	23.52	28.57	16.13
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	81.28	142.74	85.39
43.	भारतीय हाकी परिसंघ	194.21	96.46	92.09
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	110.35	78.81	111.64
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	25.00	24.69	13.95
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	79.88	51.41	3.28
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ	215.08	227.95	86.83
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ	160.16	271.94	117.65
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	32.76	31.20	29.06
50.	फुटबाल	119.36	70.37	30.55
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन	32.48	37.84	23.11

1	2	3	4	5
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	225.35	209.82	32.58
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	9.64	12.51	1.65
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ	00	00	1.00
55.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ	16.38	11.73	1.00
56.	स्पेशल ओलंपिक भारत	0.00	0.00	4.50

टिप्पणी : उपर्युक्त के अलावा, 2006-07 के दौरान भाखेप्रा, भारतीय ओलंपिक संघ आदि को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत दिए गए ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

भारतीय ओलपिंक संघ	–	538.10
इंडो-बंगला खेल के लिए बंगाल ओलंपिक संघ	–	150.00
भारतीय खेल प्राधिकरण	–	500.00

जेसोर रोड को चौड़ा करना तथा उसकी मरम्मत करना

5543. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के साथ की मुख्य संपर्क सड़क जेसारे रोड, इतनी चौड़ी नहीं है कि वह बढ़ते यातायात की मांग को पूरा कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सड़क की स्थिति भी जर्जर है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सड़क को चौड़ा करने तथा उसकी मरम्मत करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत-बंगलादेश सीमा तक 68.4 किमी. लंबा जैसोर सड़क खंड केंद्र सरकार के पास है। इसमें हवाई अड्डे से बरासत तक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की 8.80 किमी. लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की संपूर्ण 59.60 किमी. लंबाई शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की लंबाई 2 लेन अथवा इससे अधिक है जबकि लगभग 3 किमी. के अंतिम खंड जिसमें दोहरे मध्यम लेन का विभाजित मार्ग है, को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग 35 अधिकांशतः मध्यम लेन का है। यह चौड़ाई यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को धनराशि की उपलब्धता के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर इन राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के लिए पहले ही योजना बनाई है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य के पूरा करने की समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

यूएई द्वारा भारतीयों को वापस भेजना

5544. श्री अविनाश राय खन्ना :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) द्वारा 39 भारतीयों को वापस भारत भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या यूएई के आव्रजन अधिकारियों ने जांच के दौरान सभी 39 भारतीयों के वीजा दस्तावेजों को फर्जी पाया;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रोटेक्टर ऑफ एमीग्रेंट्स द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 23.4.07 को 39 भारतीय यात्री इंडियन एअरलाइंस द्वारा जारी बोर्डिंग कार्डों और संयुक्त अरब अमीरात के लिए वीजा हेतु फैक्स किए गए पेपर के प्राधिकार से उड़ान संख्या आई सी-897 द्वारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से दुबई गए थे। 24.4.07 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 'संयुक्त अरब अमीरात के लिए वीजा नहीं' के आधार पर 36 यात्रियों को वापिसी उड़ान संख्या आई सी-896 से और 3 यात्रियों को उड़ान संख्या आई सी-893 से वापिस भेज दिया था, क्योंकि उनका नियोक्ता मूल वीजा लेकर उनकी अगवानी के लिए दुबई, एअरपोर्ट पर नहीं आया था।

(घ) से (च) संबंधित एजेन्सियों के माध्यम से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

5546. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या प्रधानमंत्री सी.बी.आई. द्वारा केन्द्रीय भण्डार के एक अधिकारी के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बारे में, दिनांक 10 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2712 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सी.बी.आई. द्वारा केन्द्रीय भण्डार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने के मामले को बंद करने के विस्तृत कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यह सूचित किया था कि दस्तावेजों का प्रथम दृष्टया विश्लेषण करने पर अधिकारी के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां रखने का कोई मामला नहीं बनाया गया था। उनके विरुद्ध आचरण नियमावली के उल्लंघन का इतना मामला बनता था कि उन्होंने कतिपय परिसंपत्तियों की आय, उसके द्वारा लिए गए विभिन्न ऋणों/अग्रिमों और अपनी पत्नी और पुत्रों की नौकरी के संबध में सूचना नहीं दी थी। अतः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से इस मामले को बंद कर दिया गया था।

आवश्यक भूमिका

5547. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में परियोजनाओं और योजनाओं की आयोजना और निष्पादन के मामले में योजना आयोग, उत्तर-पूर्व परिषद और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विभाग मंत्रालय की आवश्यक भूमिका क्या है;

(ख) क्या सरकार पूर्वोत्तर में विभिन्न अवसंरचनात्मक और विकासात्मक परियोजनाओं के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु योजना आयोग के अंतर्गत किसी अवसंरचनात्मक विकास एजेंसी के सृजन संबंधी किसी प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ऐसे किसी निकाय के सृजन की स्थिति में उत्तर-पूर्व क्षेत्र विभाग और उत्तर-पूर्व परिषद की भावी भूमिका क्या होगी; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान योजना आयोग से "सिद्धांततः" अनुमोदन प्रापत करने में दो वर्ष से भी अधिक का समय लेने वाली उत्तर-पूर्व परिषद की परियोजनाओं की परियोजनावार सूची तथा ऐसे असाधारण विलम्ब के कारण का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) योजना आयोग को भारत सरकार के संकल्प द्वारा मार्च, 1950 में गठित किया गया था, जिसे देश में सभी संसाधनों का मूल्यांकन करने, कम

संसाधनों को पूरा करने में तेजी लाने, संसाधनों के अत्यधिक प्रभावी और संतुलित उपयोगिता हेतु योजनाओं का प्रतिपादन तथा प्राथमिकता निर्धारण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। देश में संसाधनों का प्रभावी ढंग से दोहन कर लोगों के जीवन यापन स्तर को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाने तथा समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के सुअवसर प्रदान करना अंतिम उद्देश्य है।

एनईसी अधिनियम, 1971 के अंतर्गत गठित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों का संतुलित और समन्वित विकास करना तथा आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सलाह देना है। वर्ष 2002 में अधिनियम में संशोधन के द्वारा एनईसी को एक क्षेत्रीय आयोजना निकाय बना दिया गया। वर्ष 2001 में बनाए गए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर मंत्रालय) को पूर्वोत्तर के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करना है तथा निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना है (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकासात्मक स्कीमों और परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और मानीटरिंग करना (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गैर-व्यपगत निधि (iii) पूर्वोत्तर परिषद (iv) पूर्वोत्तर विकास वित्त संस्थान (एनईडीएफआई), (v) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), (vi) सिक्किम खनन निगम लिमिटेड (एसएमसी), (vii) पूर्वोत्तर हैण्डलूम एवं हस्तशिल्प विकास निगम (एनईएचएचडीसी)। डोनर मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से वहां के विकास और कल्याण कार्यक्रमों का समन्वय करता है जबकि क्षेत्रक का समग्र उत्तरदायित्व संबंधित मंत्रालयों का होता है।

(ख) अवसंरचना विकास एजेंसी का सृजन विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसी परियोजना प्रस्ताव को सिद्धान्ततः रूप से अनुमोदन प्रदान करने से पहले उसकी वांछनीयता, तकनीकी संभाव्यता, कार्यान्वयन प्राधिकरण की सक्षमता, निधि प्रवाह आदि सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। प्रक्रिया तभी पूरी की जा सकती है जब सभी संगत स्पष्टीकरण उपलब्ध हों। संगत सूचना उपलब्ध हो जाने के पश्चात् एनईसी परियोजना प्रस्तावों को 'सिद्धांततः' अनुमोदन करने में योजना आयोग ने दो वर्ष से अधिक का समय नहीं लिया।

[हिन्दी]

बर्तनों में धात्विक तत्वों का प्रतिकूल प्रभाव

5548. श्री रशीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील के नॉनस्टिक बर्तनों में घटिया एल्यूमीनियम और निकल तथा क्रोमियम के अधिक तत्वों के कारण मानव शरीर में जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्टील और नानस्टिक बर्तनों में घटिया धातुओं अर्थात लोहे, तांबे, निकल और क्रोमियम के अधिक तत्व/मात्रा के प्रयोग करने के कारण मानव शरीर में जहर की मात्रा इकट्ठा होने के बारे में अध्ययन सीमित है।

इस परिषद ने यह भी बताया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के तहत बर्तनों में ढाले गए एल्युमीनियम और एल्युमीनियम मिश्रित धातु (एलोय) प्रयोग करने हेतु रसायन संयोजन के लिए कतिपय मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगना

5549. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगने हेतु अर्हता मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, संघ और फोरम अपने कार्यकलाप संबंधी मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रक्रिया क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें जानकारी मांगने हेतु पात्र बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सूचना मांगने का अधिकार है।

(ङ) और (च) वर्तमान में इस अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्टेडियमों को अस्थायी रूप से बंद किया जाना

5550. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न स्टेडियमों, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिंथेटिक ट्रैक की अनुपलब्धता के कारण खिलाड़ी, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खिलाड़ी वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बंद किए गए इन स्टेडियमों के खोले जाने तक खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वार्म-अप क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम सहित विभिन्न स्टेडियमों में गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कम की जा रही हैं ताकि राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु तैयारी के लिए इन स्टेडियमों का नवीकरण निर्माण कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सके।

(ग) भारतीय एथलीटों की तैयारी का विस्थापन नहीं होगा क्योंकि इनके प्रशिक्षण शिवर भाखेप्रा के पटियाला, बंगलौर, कोलकाता, भोपाल आदि स्थित केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे।

(घ) से (च) जी, हां। वार्म-अप क्षेत्र नवंबर, 2007 के मध्य तक एथलीटों के लिए खुला रहेगा, लगभग इसी समय जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के वार्म-अप क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां आरंभ होने की उम्मीद है। नवीकरण का कार्य आरंभ होने के बाद वार्म-अप क्षेत्र में अभ्यास संभव नहीं होगा। तथापि भाखेप्रा के प्रशिक्षकों को, दिल्ली में अन्य केन्द्र जहां अच्छी खेल अवस्थापना मौजूद हैं जैसे खेल विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि जो कि भाखेप्रा के अधीन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं देने को तैयार है, में तैनात करके वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं।

सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण संकेतक

5551. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगणनीय सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण ने भारत के बारे में कुछ भविष्यवाणी की है यदि एचआईवी/एड्स को नियंत्रित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) उच्च व्याप्तता वाले छह राज्यों में एड्स का परिवार स्तरीय प्रभाव के अध्ययन के आधार पर नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकोनोमिक रिसर्च द्वारा किए गए संगणनीय सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण में यह कहा गया है कि एक प्रतिशत से कम मौजूदा व्याप्तता दर का राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रभाव नहीं के बराबर है। तथापि, उपचारात्मक नीतिगत कार्रवाई नहीं किए जाने पर भारत में एचआईवी महामारी के कारण वर्ष 2002-03 से वर्ष 2015-16 के दौरान औसतन वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।

(ग) भारत सरकार, उच्च जोखिम वाले वर्गों में लक्षित कार्यकलाप, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यवहार परिवर्तन संबंधी सम्प्रेषण, अवसरवादी संक्रमणों के उपचार सहित निवारक

परिचर्या, रक्त निरापदता, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों का सहयोग एवं उपचार और निःशुल्क एंटीरिट्रोवायरल औषधों की व्यवस्था करके तथा एचआईवी के उपाय संबंधी कार्यनीतियों को मुख्यधारा में लाकर एचआईवी/एड्स को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

सीमावर्ती राज्यों की कठिनाइयों का आकलन

5552. **श्री कीरेन रिजीजू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर-पूर्व राज्यों सहित राज्यों के सुदूर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की जमीनी वास्तविकताओं, समस्या तथा कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है ताकि इन राज्यों के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) ऐसा कोई आकलन नहीं कराया गया है। तथापि, सरकार को दूरस्थ और दुर्गम सीमा क्षेत्र के लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) विशेष रूप से समाजार्थिक विकास और वहां रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को प्रोन्नत करने के लिए सीमा क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित पर्वतीय क्षेत्रों को 15% का विशेष महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सीमा से लगे क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। साथ ही एनईसी और एनएलसीपीआर के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों द्वारा भी विकासात्मक कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

कार्यकलाप मैपिंग

5553. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने कार्यकलाप मैपिंग को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने कार्यकलाप मैपिंग को पूरा एवं अधिसूचित नहीं किया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पंचायत राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) राज्यों द्वारा गतिविधि मानचित्रण की नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। गतिविधि मानचित्रण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। 12 जून, 2006 को संपन्न शक्तिसंपन्न उप समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि 2006 तक गतिविधि मानचित्रण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 12 जनवरी, 2007 को संपन्न हुई शक्तिसंपन्न उपसमिति की बैठक के दौरान इसकी पुनः समीक्षा की गयी एवं यह निर्णय लिया गया कि अपने गतिविधि मानचित्रण को 31 मई, 2007 तक अधिसूचित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया जाएगा। यह मामला राज्य सरकारों के साथ निरन्तर आगे बढ़ाया गया। 25 अप्रैल, 2007 को संपन्न हुई पंचायती राज के राज्य सचिवों की बैठक के दौरान प्रगति की अंतिम समीक्षा की गयी थी।

विवरण

गतिविधि मानचित्रण की स्थिति

(क) वे राज्य जिन्होंने गतिविधि मानचित्रण पूर्ण कर लिए हैं।

केरल	कर्नाटक	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	हरियाणा*	उड़ीसा*
		नवम्बर, 2005	अक्टूबर, 2006	फरवरी, 2006	अक्टूबर, 2006

*हालांकि, हरियाणा एवं उड़ीसा ने अभी तक गतिविधि मानचित्रण के परिचालन की अपेक्षित विभागीय अधिसूचना जारी नहीं की है।

(ख) वह राज्य जिन्होंने बेसिक स्तर के कार्य को पूरा कर लिया है लेकिन गतिविधि मानचित्रण पर अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

आंध्र प्रदेश	असम	छत्तीसगढ;	हिमाचल प्रदेश	मणिपुर	पंजाब	राजस्थान	उतरांचल

(ग) वह राज्य जहां पंचायतों के कार्य की रूपरेखा पंचायती राज विधेयन में शामिल है।

महाराष्ट्र	गुजरात	गोवा*

*गोवा फिर भी अपने गतिविधि मानचित्रण को जारी कर दिया है।

(घ) कार्य की प्रगति

बिहार	अपने गतिविधि मानचित्रण ढांचा को तैयार करने के लिए कार्यशील
अरुणाचल प्रदेश	अपने गतिविधि मानचित्रण ढांचा को तैयार करने के लिए कार्यशील
मध्य प्रदेश	पूर्व में कार्रवाई की गयी, यद्यपि रिपोर्ट में बदलाव की सिफारिशें अभी भी सरकार के पास विचाराधीन हैं।
उत्तर प्रदेश	पूर्व में कार्रवाई की गयी, यद्यपि रिपोर्ट में बदलाव की सिफारिशें अभी भी सरकार के पास विचाराधीन हैं।
त्रिपुरा	इस मुद्दे पर धीमा कार्य किया जा रहा है क्योंकि पंचायती राज द्वारा शामिल किए गए क्षेत्रों एवं छठी अधिसूचित क्षेत्रों का मिलावट उनके पास है;
	इस प्रकार हस्तांतरित कार्यकलापों एवं जिम्मेवारियों के लिए विवेकपूर्ण पद्धति की जरूरत है तथापि वे अभी हाल के केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के दौरे के बीच पंचायती राज की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए सहमत थे।
तमिलनाडु	यह प्रत्याशित है कि इस दिशा में सुधार को पंचायत निर्वाचन से पहले पूरा कर लिया जाए।

जून 2005 में संपन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के प्रथम गोलमेज बैठक के दौरान इस पर सहमति बनी थी कि 1 अप्रैल, 2006 तक गतिविधि मानचित्रण को पूरा कर लिया जाएगा। उस समय इस मामले की बहुत बार समीक्षा की गयी एवं राज्यों की धीमी प्रगति के चलते अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया। 11 जनवरी, 2007 को संपन्न हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तिसंपन्न उप समिति की बैठक के दौरान गतिविधि मानचित्रण पर हुई प्रगति की समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि गतिविधि मानचित्रण का कार्य सभी राज्यों में 31 मई, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

विदेशी मेडिकल डिग्रियों की संभावनाएं

5554. श्री पी. मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 में विदेश में मेडिकल शिक्षा पाने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे सभी डाक्टरों को भारत में चिकित्सा पेशा अपनाने की अनुमति है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा चिकित्सा पेशा अपनाने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) चिकित्सा पेशा को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है; और

(ङ) कुल कितने चिकित्सकों ने चिकित्सक का पेशा अपनाने के लिए अनुमति प्राप्त की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि यह परिषद उन भारतीय छात्रों की कुल संख्या के बारे में सूचना नहीं रखती है जिन्होंने विदेश में आयुर्विज्ञान शिक्षा का अध्ययन किया है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारतीय चिकित्सा परिषद ने जांच परीक्षा विनियम, 2002 बनाए हैं जिनके द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी भी चिकित्सीय संस्था द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक चिकित्सीय अर्हता रखने वाला भारतीय नागरिक जो 15.3.2002 को अथवा इसके पश्चात भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा किसी राज्य चिकित्सा परिषद से अनन्तिम अथवा स्थाई पंजीकरण का इच्छुक हो, को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा संचालित की जाने वाली जांच परीक्षा को उत्तीर्ण (क्वालिफाई) करना होगा। प्राथमिक चिकित्सीय अर्हता उस देश में, चिकित्सक के रूप में नामांकन के लिए अनिवार्यत: एक मान्यता-प्राप्त अर्हता होनी चाहिए जिसमें उक्त अर्हता प्रदान करने वाली संस्था स्थित हो और भारत में एम.बी.बी.एस. के समतुल्य हो। वर्ष 2003 से 2448 डाक्टरों को जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पंजीकरण प्रदान किया जा चुका है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मोबाइल एवं तरंग सेवा

5555. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मोबाइल/तरंग सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) मुम्बई के मेट्रो क्षेत्रों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा प्रदान की गई मोबाइल/गरूड़ सेवाओं, और शेष महाराष्ट्र में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा प्रदान की गई मोबाइल/तरंग सेवाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

एमटीएनएल

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने क्रमश: 8.1.02 और 27.2.01 से "डाल्फिन" (पोस्टपेड) और "ट्रम्प" (प्रीपेड) ब्रांड नाम के अंतर्गत सेल्युलर मोबाइल सेवा आरंम्भ की थी। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार मुम्बई में 1415386 जीएसएम कनेक्शन (पोस्ट पेड तथा प्रीपेड मिलाकर) प्रदान कर दिए गए हैं।

एमटीएनएल ने वर्ष 2001-02 से मुम्बई में ब्रांड नाम "गरूड़" के अंतर्गत सीडीएमए आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवाएं आरंभ की थीं। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, एमटीएनएल, मुंबई में 48934 वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) मोबाइल कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

बीएसएनएल

सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों, उपमंडलीय मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों तथा ब्लाक मुख्यालयों को सुविधायुक्त कर दिया है। महाराष्ट्र के 9407 गांवों को पहले ही बीएसएनएल जीएसएम मोबाइल सेवाओं से युक्त कर दिया गया है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में बीएसएनएल के 22,43,064 मोबाइल कनेक्शन कार्यरत थे। बीएसएनएल की प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को भी सुविधायुक्त करने की योजना है।

डब्ल्यूएलएल तरंग मोबाइल सेवाएं

डब्ल्यूएलएल (तरंग सेवाएं) प्रदान करने के लिए मुख्य स्विचन केन्द्र (एमएससी) नागपुर और पुणे में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, जबकि औरंगाबाद में एमएससी संस्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार, 372624 डब्ल्यूएलएल कनेक्शन कार्यरत थे। नागपुर सहित 304 अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों (एसडीसीए) में से 298 एसडीसीए को डब्ल्यूएलएल

द्वारा सुविधायुक्त कर दिया गया है और शेष को इस वित्तीय वर्ष के दौरान सुविधायुक्त किया जाना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

5556. श्री अबु अयीश मंडल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-2004; 2004-2005 और 2005-06 के लिए सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दर में वृद्धि के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सकल घरेलू उत्पादन की संशोधित वृद्धि दर के कारण मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूर्व में दर्ज की गई सकल घरेलू उत्पाद की सर्वाधिक वृद्धि दर तथा वर्तमान वृद्धि दर क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, नहीं। वर्ष 2005-06 के लिए 1999-2000 के मूल्यों पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर राष्ट्रीय आय के त्वरित अनुमानों पर दिनांक 31 जनवरी, 2007 के प्रैस नोट में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा 9% आंकी गयी थी। सीएसओ ने अपने दिनांक 7 फरवरी 2007 के प्रैस नोट में राष्ट्रीय आय 2006-07 के अग्रिम अनुमानों पर इसको संशोधित नहीं किया गया है और इसे 9% पर बरकरार रखा है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 10.5% की अभी तक की उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद दर वर्ष 1988-89 (1993-94 मूल्यों पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में) के दौरान दर्ज की गई थी। सीएसओ द्वारा प्रकाशित अग्रिम अनुमानों के तहत, वर्ष 2006-07 के लिए सकल घरेलू उत्पाद दर 9.2% पर अनुमानित की गई है।

भ्रूण हत्या

5557. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कुल कितने मामलों का पता लगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 2001 में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर 927 लड़कियां हैं जबकि वर्ष 1991 की जनगणना में यह अनुपात 945 दर्ज किया गया। लिंग अनुपात के निरन्तर कम स्तरों के लिए आम तौर पर बताए जाने वाले कुछेक कारणों में बेटे को वरीयता दिया जाना, बालिका की उपेक्षा जिससे छोटी आयु में इनकी उच्च मृत्यु दर होती है, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, उच्च मातृ मृत्यु दर जनगणना में पुरूष पक्षपात शामिल हैं। लिंग निर्धारण परीक्षणों और गर्भपात सेवाओं की आसानी से उपलब्धता से भी इस प्रक्रिया को सहायता मिल रही है। प्रक्रिया आगे गर्भधारण-पूर्व लिंग चयन सुविधाओं से और तेज हो सकती है।

(ग) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसी एण्ड पीएनडीटी) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए चल रहे न्यायालय/पलिस के मुकदमों की कुल संख्या 412 है और 3 मई, 2007 को 64 अल्ट्रासाउंड मशीनें जब्त/सील की गई। यद्यपि अधिकतर मुकदमे केन्द्र/क्लीनिकों को पंजीकृत न करने के हैं, तथापि, 58 मुकदमे देश में भ्रूण के लिंग के निर्धारण और प्रकटीकरण से संबंधित हैं।

(घ) राष्ट्रीय सहायता और मानीटरिंग कक्ष निरंतर न्यायालय के मुकदमों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को मानीटर कर रहा है। राष्ट्रीय निरीक्षण और मानीटरिंग समिति जो राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला

एवं बाल विकास विभाग, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र में केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों से गठित हुई है, राज्यों में क्षेत्रीय दौरे करके बुनियादी वास्तविकताओं का जायजा लेती है। रिपोर्ट को उस पर कार्रवाई करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव को भेजा जाता है। राज्यों से भी राज्य निरीक्षण और मानीटरिंग समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात सरकार ने इसे पहले ही गठित कर लिया है और दिल्ली राज्य इसे गठित करने की प्रक्रिया में है। पंजाब राज्य में पंजाब की राज्य चिकित्सा परिषद ने एक डाक्टर के पंजीकरण को पांच वर्षों के लिए निलम्बित कर दिया है। हरियाणा में पलवल जिले में गर्भधारण-पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत एक डाक्टर और उसके सहायक को दो वर्ष की साधारण कैद और प्रत्येक को 5000/- रुपए के जुमाने की सजा दी है। दिल्ली में, जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा दो डाक्टरों को उनकी मशीन की तलाशी लेने और उसे जब्त करने के पश्चात् 24 घंटे के लिए जेल भेज दिया गया।

रसायन प्रयोगशाला की स्थापना

5558. डा. टोकचोम मैन्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने रेड क्रास रोड, नई दिल्ली स्थित रेड क्रास भवन में एक प्रयोगशाला की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रयोगशाला में उन रसायनों एवं गैसों का उपयोग किया जाएगा जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रयोगशाला के क्रियाकलापों के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हो, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार रेड क्रास मार्ग, नई दिल्ली में स्थित भारत क्षयरोग संघ के भवन में हीमोग्लोबिन आकलन इत्यादि जैसे नेमी पोषण विश्लेषण के लिए एक छोटी प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की योजना है।

(ग) से (ङ) यह केवल एक पोषण विश्लेषण प्रयोगशाला है और इसमें नेमी रसायनों का प्रयोग किए जाने की संभावना है। इन रसायनों में स्वास्थ्य संबंधी कोई जोखिम नहीं है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन के माध्यम से मनीआर्डर

5559. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मोबाइल आपरेटरों तथा निजी मोबाइल कंपनियों एवं जीएसएम संघ ने मोबाइल फोनों के माध्यम से मनीआर्डर भेजने के लिए संयुक्त रूप से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के माध्यम से ऐसी योजनाएं शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) हाल ही फरवरी, 2007 में बार्सिलोना में आयोजित 3जी विश्व कांग्रेस के सम्मेलन में जीएसएम एसोशिएसन ने अपनी मोबाइल मनी ट्रांसफर परियोजना शुरू की। यह एक वैश्विक जीएसएम एसोशिएसन परियोजना है तथा सेल्युलर आपरेटर्स एसोशिएसन आफ इंडिया (सीओएआई), जो भारत में सभी जीएसएम प्रचालकों को प्रतिनिधित्व करती है, इस परियोजना के कार्य दल में शामिल है।

(ग) और (घ) फिलहाल बीएसएनएल और एमटीएनएल के माध्यम से इस प्रकार की स्कीमें शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तापी नदी पर दो लेन वाले पुल की स्थिति

5560. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत के निकट तापी नदी पर दो लेन वाले अतिरिक्त पुल का निर्माण कार्य विस्तारित समय-सीमा के अंदर भी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(घ) परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि. को 30.36 करोड़ रु. के कार्य सौंपे गए थे। अब तक लगभग 48.50% कार्य पूरा कर लिया गया है। ठेकेदार के निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही।

(घ) मूल ठेका निरस्त कर दिया गया है। शेष कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के बड़ौत-सूरत खंड को 6 लेन बनाने की परियोजना के रियायतग्राही के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है।

(ङ) इस कार्य के जुलाई, 2009 से पहले पूरे हो जाने की संभावना है।

भिक्षुक प्रवेश केंद्र

5561. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भिखारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए भिक्षुक प्रवेश केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियां प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पंचायत राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं। भिखारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए भिक्षुक प्रवेश केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियां प्रदान करने का कोई स्कीम कार्यशील नहीं है, वर्तमान में न तो पंचायती राज मंत्रालय के पास और न ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास ऐसी कोई स्कीम है।

मुख कैंसर के लिए हर्बल औषधि

5562. श्री बालासौवरी वल्लभनेनी :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों/आयुर्वेदिक फिजिशियनों ने मुख कैंसर के नियंत्रण के लिए एक आयुर्वेदिक हर्बल मिश्रण के पेटेन्ट के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका पेटेन्ट कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार औषधि के बारे में अध्ययन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) एक ऐसे आयुर्वेदिक औषध योग का पेटेंट दाखिल किए जाने का समाचार है जिसका परीक्षण मुख कैंसर की विकिरण चिकित्सा कराने वाले रोगियों पर माउथवाश के रूप किया गया था और जिसे विकिरण से उत्पन्न जलन के कारण मसूड़ों और गालों की सूजन से होने वाले दर्द के निवारण में उपयोगी पाया गया था। तथापि, इस जड़ी-बूटीय औषधि का वाणिज्यिकरण करने से पूर्व इसे मानकीकृत किया जाना जरूरी है।

एनएचएआई कर्मचारियों पर सी.बी.आई. के छापे

5563. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों के परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने अधिकारी दोषी पाए गए तथा कितने अभी भी सेवारत हैं और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी हां। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 66 से 95 किमी. तक अनुरक्षण ठेका पैकेज में हुई अनियमितताओं के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे हैं। सीबीआई से इनके ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

कोट्टापुरम-कोल्लम जलमार्ग का कार्य

5564. डा. के.एस. मनोज : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जलमार्ग-III (आई डब्ल्यू-III) के कोट्टापुरम कोल्लम भाग का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई डब्ल्यू-III ने बारहवें वित्त आयोग की प्रथम वर्ष के आबंटन की धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो आज तक वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की 205 कि.मी. की कुल लंबाई में से, कोच्चि और तकाझी जेट्टी के बीच (84 कि.मी.) और कोच्चि-कोट्टापुरम विस्तार के अधिकांश भागों में भी (25 कि.मी.) और साथ ही उद्योगमंडल नहर (23 कि.मी.) और चंपाकारा नहर (14 कि.मी.) में 2 मीटर की गहराई से युक्त नौचालनात्मक जलमार्ग उपलब्ध करवाया गया है। उपर्युक्त जलमार्ग पर एक कटर सक्शन ड्रेजर और एक सर्वेक्षण लाऊंच को भी काम पर लगाया गया है। इस जलमार्ग पर वार्षिक रखरखाव का कार्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। कोच्चि और अलपुझा के बीच दिन रात उपलब्ध रहने वाली नौचालनात्मक सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। कोट्टापुरम, अल्लूवा, कायार्नकुलम, वाईकाम, तन्नीरमुखम, त्रिकुन्नापुझा और माराद् में टर्मिनलों का निर्माण किया गया है। कोल्लम में टर्मिनल उपलब्ध करवाने की एक परियोजना भी संस्वीकृत की गई है। अल्लपुझा में, राज्य सरकार द्वारा भूमि दे दिए जाने के बाद टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।

फिर भी, विभिन्न समस्याओं, जैसे कि, निकर्षित सामग्री को डालने के लिए उचित स्थलों का उपलब्ध नहीं होना, जलमार्ग में मछली पकड़ने के जालों की मौजूदगी, भूमि अधिग्रहण के संबंध में चल रहे मुकदमों और संविदागत मुकदमों आदि के कारण इस पूरे विस्तार में बड़े पैमाने पर निकर्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। कोच्चि-कोट्टापुरम सेक्टर के कुछ भागों (5 कि.मी.) और तकाझी जेट्टी तथा कोल्लम (25 कि.मी.) के बीच कई स्थानों पर ऊपर बताए गए कारणों से बड़े पैमाने पर निकर्षण कार्य नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बारहवें वित्त आयोग ने केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाया है। तथापि, बारहवें वित्त आयोग ने निम्नानुसार केरल राज्य को 500 करोड़ रु. की विशेष धनराशि दी है :-

		(करोड़ रु. में)
(क)	अंतर्देशीय जलमार्गों और नहरों के लिए	225.00
(ख)	तटीय क्षेत्र प्रबंधन	175.00
(ग)	विद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार	100.00
	कुल रु.	500.00

चिकित्सा पर्यटन परियोजना

5565. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों हेतु चिकित्सा पर्यटन परियोजना के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों को ऋण

5566. श्री अनंत कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सड़क परियोजना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा लिए गए ऋण का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनके लिए ऋण लिया गया था;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दमा-रोधी औषधि

5567. चौ. मुनव्वर हसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमा-रोधी औषधि एवं स्टेराइड वाले इनहेलरों का कुछ औषधि कंपनियों द्वारा विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टेराइड की दमा के उपचार में कोई भूमिका नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या स्टेराइड के विषैले प्रभाव होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी औषधियों के विपणन की अनुमति दिए जाने का औचित्य क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) लंबे समय तक असर रखने वाले ब्रानकोडिलेटर और कार्टिकोस्टेराइड के मिश्रण वाले इनहेलर, दमा रोगियों को उनके लक्षणों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है और इनका प्रयोग सुविधाजनक है। यह मिश्रण निम्नलिखित तरीकों से दमा का प्रभावी उपचार करता है (i) ब्रानकोडिलेटर श्वासनली को फैलाता है जिससे श्वास लेना आसान हो जाता है तथा (ii) स्टेराइड्स श्वसनली की जलन को कम करते हैं और रोकते हैं। ऐसे मिश्रण वाले दमारोधी दवाओं का प्रयोग पूरे विश्व में होता है।

(घ) और (ङ) स्टेराइड्स ऐसी दवाओं का समूह है जिसका प्रयोग जलन या सूजन की स्थितियों का उपचार करने के लिए किया जाता है। इनहेलर से स्टेराइड लेने का सर्वाधिक आम दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) ओरल थ्रस नामक संक्रमण के कारण मुंह में जख्म का होना है। इस संक्रमण के होने की संभावना को कम करने के लिए डाक्टर स्पेसर डिवाइस का प्रयोग करने ओर इनहेलेशन के बाद मुंह को साफ करने की सलाह देते हैं।

(च) सेलमेटेराल+फ्लूटिकेसोन एवं बूडेसोनाइड+फारमेटेराल जैसे नियत खुराक वाले मिश्रणों (एफ डी सी) के विपणन की अनुमति संतोषजनक सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता नियंत्रण डाटा बेस के आधार पर दी जाती है।

एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर

5568. श्री ई. पोन्नुस्वामी :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा बनाए गए साफ्टवेयर घटिया गुणवत्ता वाले हैं तथा पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एनआईसी द्वारा बनाए गए साफ्टवेयरों के काम नहीं करने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या एनआईसी का सर्च इंजन बहुत ही घटिया गुणवत्ता वाला है तथा उन पेजों को भी खोजने में असक्षम रहता है जो कि एनआईसी के सर्वर पर भी है;

(च) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या एनआईसी का विचार डोमेन नेम के लिए पंजीकरण करने से पूर्व सुरक्षा कदम उठाने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) गत तीन वर्षों के दौरान एनआईसी द्वारा राज्य-वार कितने पंजीकरण किए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न प्रयोक्ता विभागों के लिए साफ्टवेयर/अनुप्रयोगों का विकास कर रहा है। साफ्टवेयर/अनुप्रयोग का विकास उस समय उपलब्ध अद्यतन तकनीकी जानकारी का प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके किया जाता है। जब तक अनुप्रयोग स्थिर हो जाता है तब तक नई प्रौद्योगिकी तैयार हो जाती है, क्योंकि कम्प्यूटर एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। पहले की प्रौद्योगिकी, जो उस समय अद्यतन तकनीकी जानकारी थी, के अंतर्गत विकसित स्थिर अनुप्रयोग को जारी रखा जाता है, क्योंकि एक चल रहे अनुप्रयोग में परिवर्तन करना कठिन काम होता है। तथापि, एनआईसी अनुप्रयोगों को नई प्रौद्योगिकियों में बदलने की दिशा में निरंतर आधार पर कार्य करती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कोई विशिष्ट शिकायत रिकार्ड में नहीं है। एनआईसी ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सहायता निरंतर एवं नियमित आधार पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में तकनीकी सहायता एककों का गठन किया है। प्रयोक्ता विभाग द्वारा उठाई गई किसी भी समस्या का समाधान वहीं पर कर दिया जाता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। एनआईसी नेटस्केप सर्च इंजन का प्रयोग करती है जो खोज की बहुत अच्छी क्षमता प्रदान करती है। इसमें मूलभूत तथा उन्नत खोज की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन एनआईसी गूगल, याहू, आदि जैसी कम्पनियों से नई खोज इंजन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। एनआईसी द्वारा शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने पर यह नई खोज इंजन का प्रयोग करने लगेगी।

(छ) जी, हां।

(ज) डोमेन नाम का पंजीकरण करने से पहले सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

1. एनआईसी gov.in के अंतर्गत डोमेन के आनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस प्रयोजन से डोमेन प्राप्त कर्ता को वेबसाइट रजिस्ट्री .gov.in में जाकर gov.in में पंजीकरण करवाना पड़ता है। प्रत्येक डोमेन के पंजीकरण के पश्चात एक अनूठी पहचान (ID) का आबंटन किया जाता है। डोमेन प्राप्तकर्ता वेबसाइट रजिस्ट्री .gov.in में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण पत्र भेजता है और अन्य ब्यौरों के साथ ऊपर उल्लिखित अनूठी पहचान का उल्लेख करता है। एनआईसी उसके पश्चात पत्र में उल्लिखित ब्यौरों की जांच आनलाइन पंजीकरण के साथ करती है और डोमेन पंजीकरण के लिए मामले की सिफारिश करती है।

2. प्राधिकरण पत्र विभाग/संगठन के पत्र शीर्ष पर पूर्व निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए तथा उस पर विभाग/संगठन के प्रमुख अथवा डोमेन का स्वत्व रखने वाले सरकार के किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

3. एनआईसी ने सरकार के IN रजिस्ट्री की शेयर्ड पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए ईपीपी (एक्सटेनसिबल प्राविजनिंग प्रोटोकाल) पर आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग का विकास किया है, जिसका IN रजिस्ट्री द्वारा विस्तृत प्रक्रिया के जरिए परीक्षण एवं प्रमाणन भी किया गया।

(झ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 2339 डोमेन नामों का पंजीकरण किया गया है और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य पंजीकृत डोमेनों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	कुल डोमेनों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	154
3.	अरुणाचल प्रदेश	7
4.	असम	53
5.	बिहार	14
6.	केन्द्र/संघ	124
7.	चंडीगढ़	156
8.	छत्तीसगढ़	32
9.	दादर और नगर हवेली	1
10.	दमन और दियू	1
11.	दिल्ली	476
12.	गोवा	17
13.	गुजरात	49
14.	हरियाणा	92
15.	हिमाचल प्रदेश	62
16.	जम्मू-कश्मीर	17
17.	झारखंड	8
18.	कर्नाटक	157
19.	केरल	126
20.	लक्षद्वीप	6
21.	मध्य प्रदेश	41
22.	महाराष्ट्र	188
23.	मणिपुर	13
24.	मेघालय	61
25.	मिजोरम	8
26.	नागालैंड	6
27.	उड़ीसा	25
28.	पांडिचेरी	12
29.	पंजाब	26
30.	राजस्थान	38
31.	सिक्किम	29
32.	तमिलनाडु	95
33.	त्रिपुरा	23
34.	उत्तर प्रदेश	51
35.	उत्तरांचल	38
36.	पश्चिम बंगाल	123
	कुल डोमेन	2339

[हिन्दी]

चिकित्सा लेखा परीक्षा

5569. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों में चिकित्सा लेखा-परीक्षा न करवाकर अनियमितताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसा कि 16 फरवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार के अधीन कितने अस्पतालों में लेखा-परीक्षा कराई गई;

(घ) क्या लेखा परीक्षा के दौरान कुछ अस्पतालों का प्रबन्धन दोषी पाया गया; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) दिनांक 16.02.2007 के दैनिक

जागरण में प्रकाशित हुए समाचार में दिल्ली के अधिकतर अस्पतालों में चिकित्सा लेखा-परीक्षा न करने के बारे में टिप्पणियां की गई हैं। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अस्पतालों के कार्यकरण को विनियमित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकार का है। जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के द्वारा नियंत्रित अस्पतालों का संबंध है, प्रत्येक अस्पताल में आन्तरिक मौत और चिकित्सा लेखा-परीक्षा समितियां मौजूद हैं। ये समितियां समय-समय पर समीक्षा कर रही हैं। ये समितियां अस्पताल में रोगी परिचर्या प्रणाली की समीक्षा और गुणवत्तायुक्त रोगी परिचर्या प्रदान करने के लिए कार्रवाई में संशोधन करती हैं। इसके अतिरिक्त, रोगियों की शिकायत पर ध्यान देने/दूर करने के लिए उपर्युक्त अस्पतालों में से प्रत्येक अस्पताल में शिकायत निवारण कक्ष भी कार्य कर रहा है।

कबड्डी, फुटबाल तथा हाकी खेलने वाले खिलाड़ी

5570. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन खिलाड़ियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी, फुटबाल तथा हाकी खेली हो;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया;

(घ) क्या सरकार सरकारी सेवा में कार्यरत खिलाड़ियों को विशेष छूट देती है या उन्हें चयन में प्राथमिकता देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उन खिलाड़ियों की संख्या जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी, हाकी और फुटबाल खेल चुके हैं, राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस समय, दो भाखेप्रा, प्रशिक्षण केन्द्र हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और धर्मशाला में चलाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के अलावा, भाखेप्रा ने जे.एन.वी., पेखुबेला, जिला ऊना में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय तथा देशज खेल एवं मार्शल आर्टस स्कूलों के अंतर्गत डीएवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल, ऊना को अपनाया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	खेल प्रशि. केन्द्र बिलासपुर	खेल प्रशि. केन्द्र धर्मशाला	जेएनवी, ऊना	डीएवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल, ऊना
1.	2004-05	53	82	25	—
2.	2005-06	62	81	25	—
3.	2006-07	47	83	25	—

(घ) और (ङ) जी, हां। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार सरकारी विभागों/मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ग "ग" और "घ" के पदों में 5% तक रिक्तियां श्रेष्ठ खिलाड़ियों के माध्यम से भरी जा सकती हैं।

विवरण

कबड्डी (पुरुष)

क्र. सं.	राज्य	वर्षवार सहभागी खिलाड़ियों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	36	36	36
2.	आंध्र प्रदेश	36	36	36
3.	अरुणाचल प्रदेश	36	36	36
4.	असम	36	36	36
5.	बिहार	36	36	36
6.	चंडीगढ़	36	36	36

1	2	3	4	5
7.	छत्तीसगढ़	36	36	36
8.	दमन और दीव	36	36	36
9.	दिल्ली	36	36	36
10.	गोवा	36	36	36
11.	गुजरात	36	36	36
12.	हरियाणा	36	36	36
13.	हिमाचल प्रदेश	36	36	36
14.	जम्मू-कश्मीर	36	36	36
15.	झारखंड	36	36	36
16.	कर्नाटक	36	36	36
17.	केरल	36	36	36
18.	मध्य प्रदेश	36	36	36
19.	मेघालय	36	36	36
20.	मणिपुर	36	36	36
21.	महाराष्ट्र	36	36	36
22.	मिजोरम	36	36	36
23.	नागालैंड	36	36	36
24.	उड़ीसा	36	36	36
25.	पांडिचेरी	36	36	36
26.	पंजाब	36	36	36
27.	राजस्थान	36	36	36
28.	सिक्किम	36	36	36
29.	तमिलनाडु	36	36	36
30.	त्रिपुरा	36	36	36
31.	उत्तर प्रदेश	36	36	36
32.	उत्तरांचल	36	36	36
33.	पश्चिम बंगाल	36	36	36

कबड्डी (महिला)

क्र. सं.	राज्य	वर्षवार सहभागी खिलाड़ियों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	36	36	36
2.	आंध्र प्रदेश	36	36	36
3.	अरुणाचल प्रदेश	36	36	36
4.	असम	36	36	36
5.	बिहार	36	36	36
6.	चंडीगढ़	36	36	36
7.	छत्तीसगढ़	36	36	36
8.	दमन और दीव	36	36	36
9.	दिल्ली	36	36	36
10.	गोवा	36	36	36
11.	गुजरात	36	36	36
12.	हरियाणा	36	36	36
13.	हिमाचल प्रदेश	36	36	36
14.	जम्मू-कश्मीर	36	36	36
15.	झारखंड	36	36	36
16.	कर्नाटक	36	36	36

1	2	3	4	5
17.	केरल	36	36	36
18.	मध्य प्रदेश	36	36	36
19.	मेघालय	36	36	36
20.	मणिपुर	36	36	36
21.	महाराष्ट्र	36	36	36
22.	मिजोरम	36	36	36
23.	नागालैंड	36	36	36
24.	उड़ीसा	36	36	36
25.	पांडिचेरी	36	36	36
26.	पंजाब	36	36	36
27.	राजस्थान	36	36	36
28.	सिक्किम	36	36	36
29.	तमिलनाडु	36	36	36
30.	त्रिपुरा	36	36	36
31.	उत्तर प्रदेश	36	36	36
32.	उत्तरांचल	36	36	36
33.	पश्चिम बंगाल	36	36	36

फुटबाल (पुरुष)

क्र. सं.	राज्य	वर्षवार सहभागी खिलाड़ियों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	18
2.	आंध्र प्रदेश	36	72	54
3.	अरुणाचल प्रदेश	18	36	18
4.	असम	36	72	54
5.	बिहार	72	72	72
6.	चंडीगढ़	54	90	72
7.	छत्तीसगढ़	18	90	72
8.	दमन और दीव	36	18	36
9.	दिल्ली	72	90	72
10.	गोवा	72	90	72
11.	गुजरात	36	90	72
12.	हरियाणा	36	90	72
13.	हिमाचल प्रदेश	54	72	72
14.	जम्मू-कश्मीर	54	90	72
15.	झारखंड	18	72	72
16.	कर्नाटक	54	72	54
17.	केरल	72	90	54
18.	मध्य प्रदेश	54	72	72
19.	मेघालय	36	72	72
20.	मणिपुर	72	72	54
21.	महाराष्ट्र	54	90	72
22.	मिजोरम	72	90	72
23.	नागालैंड	18	54	54
24.	उड़ीसा	54	90	72
25.	पांडिचेरी	54	90	54

1	2	3	4	5
26.	पंजाब	54	90	72
27.	राजस्थान	54	72	72
28.	सिक्किम	18	36	36
29.	तमिलनाडु	72	90	72
30.	त्रिपुरा	54	72	54
31.	उत्तर प्रदेश	54	90	72
32.	उत्तरांचल	18	72	72
33.	पश्चिम बंगाल	72	90	72

फुटबाल (महिला)

क्र. सं.	राज्य	वर्षवार सहभागी खिलाड़ियों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	18
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4.	असम	36	18	54
5.	बिहार	54	18	54
6.	चंडीगढ़	54	18	36
7.	छत्तीसगढ़	36	शून्य	54
8.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	18	18	54
10.	गोवा	54	18	54
11.	गुजरात	शून्य	शून्य	18
12.	हरियाणा	54	18	54
13.	हिमाचल प्रदेश	18	शून्य	36
14.	जम्मू-कश्मीर	54	18	54
15.	झारखंड	36	18	54
16.	कर्नाटक	18	18	18
17.	केरल	54	18	54
18.	मध्य प्रदेश	18	शून्य	54
19.	मेघालय	18	शून्य	शून्य
20.	मणिपुर	54	शून्य	54
21.	महाराष्ट्र	54	18	54
22.	मिजोरम	शून्य	शून्य	18
23.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उड़ीसा	54	18	54
25.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	54
26.	पंजाब	54	18	54
27.	राजस्थान	54	18	54
28.	सिक्किम	शून्य	18	18
29.	तमिलनाडु	54	18	54
30.	त्रिपुरा	54	18	54
31.	उत्तर प्रदेश	54	18	54
32.	उत्तरांचल	36	18	54
33.	पश्चिम बंगाल	54	18	54

हाकी (पुरुष)

क्र. सं.	राज्य	वर्षवार सहभागी खिलाड़ियों की संख्या		
		2004-05	*2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	18		
2.	आंध्र प्रदेश	52		36
3.	अरुणाचल प्रदेश			18
4.	असम			36
5.	बिहार	52		36
6.	चंडीगढ़	52		36
7.	छत्तीसगढ़	70		
8.	दमन और दीव			
9.	दिल्ली	68		36
10.	गोवा	18		
11.	गुजरात	36		36
12.	हरियाणा	70		36
13.	हिमाचल प्रदेश	68		
14.	जम्मू-कश्मीर	54		36
15.	झारखंड	68		36
16.	कर्नाटक	52		
17.	केरल	68		36
18.	मध्य प्रदेश	35		
19.	मेघालय			
20.	मणिपुर	68		36
21.	महाराष्ट्र	52		36
22.	मिजोरम	52		18
23.	नागालैंड			18
24.	उड़ीसा	72		
25.	पांडिचेरी	54		36
26.	पंजाब	70		36
27.	राजस्थान	52		36
28.	सिक्किम			
29.	तमिलनाडु	72		36
30.	त्रिपुरा	52		36
31.	उत्तर प्रदेश	70		36
32.	उत्तरांचल	52		36
33.	पश्चिम बंगाल			

*भारतीय हाकी परिसंघ ने सूचित किया है कि वर्ष 2005-06 में कोई राष्ट्रीय चैम्पियनशिप नहीं हुई थी।

हाकी (महिला)

क्र. सं.	राज्य	वर्षवार सहभागी खिलाड़ियों की संख्या		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	48	32	48
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4.	असम	32	32	48

1	2	3	4	5
5.	बिहार	48	32	32
6.	चंडीगढ़	नहीं	32	32
7.	छत्तीसगढ़	48	32	48
8.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	48	48	48
10.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
11.	गुजरात	48	32	32
12.	हरियाणा	48	48	48
13.	हिमाचल प्रदेश	48	32	16
14.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	32	16
15.	झारखंड	48	48	48
16.	कर्नाटक	16	48	48
17.	केरल	32	48	48
18.	मध्य प्रदेश	शून्य	32	32
19.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मणिपुर	32	48	48
21.	महाराष्ट्र	48	48	32
22.	मिजोरम	16	32	16
23.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उड़ीसा	48	32	48
25.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पंजाब	48	48	48
27.	राजस्थान	32	32	48
28.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
29.	तमिलनाडु	48	32	48
30.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	16
31.	उत्तर प्रदेश	48	48	32
32.	उत्तरांचल	48	32	48
33.	पश्चिम बंगाल	16	32	16

[अनुवाद]

सरकारी सेवा में निःशक्त व्यक्ति

5571. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ष-वार कुल कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने दृष्टिहीन विकलांगों, बधिर विकलांगों तथा अस्थि विकलांगों को नियोजित किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल भर्ती किए गए व्यक्तियों की तुलना में नियोजित किए गए विकलांग व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) 50 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान कुल 7522 नियुक्तियों की गई जिनमें से 150 व्यक्ति दृष्टिहीन, 100 व्यक्ति बधिर तथा 395 व्यक्ति आर्थोपेडिकली विकलांग थे। 47 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2005 के दौरान कुल 5600 नियुक्तियां की गई जिनमें से 54 व्यक्ति दृष्टिहीन, 74 व्यक्ति बधिर तथा 261 व्यक्ति आर्थोपेडिकली विकलांग थे।

(ग) वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान की गई कुल नियुक्तियों में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 8.6 तथा 6.9 था।

पाण्डु-कोलकाता जलमार्ग

5572. **श्री अनवर हुसैन :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डु-कोलकाता जलमार्ग का उद्घाटन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में कोलकाता-पाण्डु-बांग्लादेशी मार्ग पर कुल कितने कार्गो की आवाजाही हुई;

(घ) क्या पाण्डु में एक स्थायी अंतर माडल टर्मिनल बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है एवं इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(च) क्या धुबरी एवं पाण्डु के बीच रात्रि नौवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी; और

(छ) यदि हां, तो इन सुविधाओं के कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी को वर्ष, 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। जब कभी अंतर्देशीय जल-परिवहन हेतु जहाजी माल उपलब्ध होता है, पांडु और कोलकाता के बीच केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम लिमिटिड, कोलकाता के या गैर सरकारी क्षेत्र के संचालकों के जलयान चलते हैं। यह अंतर्देशीय जल-परिवहन का एक पारंपरिक मार्ग है और हाल के वर्षों में इस मार्ग का कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल-परिवहन और व्यापार के संबंध में एक प्रोटोकाल है।

(ग) कोलकाता-पांडु-सिलघाट और कोलकाता/हल्दिया से बांग्लादेश तक तथा विलोमतः जहाजी माल की आवाजाही के बारे में पिछले तीन वर्षों का विवरण, नीचे दर्शाया जा रहा है:-

वर्ष	कोलकाता-पांडु-सिलघाट	कोलकाता/हल्दिया से बांग्लादेश तक
2004-05	8,18,683 टन	4,16,155 टन
2005-06	8,04,401 टन	5,68,435 टन
2006-07	2,86,026 टन	7,99,347 टन

(घ) और (ङ) जी, हां। निक्षेप कार्य के आधार पर केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग के माध्यम से पांडु में एक निम्न स्तरीय जेटी का निर्माण पहले से ही चल रहा है और इसे मई, 2007 के अंत तक पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है। पांडु में उच्च स्तरीय जेटी का निर्माण, दिनांक 03.03.2006 को संस्वीकृत किया गया था और उपर्युक्त निर्माण-कार्य, निक्षेप कार्य के आधार पर केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग को सौंप दिया गया है। निविदा आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और यह निर्माण-कार्य, केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग द्वारा सौंपे जाने के बाद 21 महीने में पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।

(च) और (छ) धुबरी और पांडु के बीच रात्रि में नौचालनकी सुविधाएं पहले से ही स्थापित कर दी गई हैं और उनका रख-रखाव किया जा रहा है।

मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर

5573. श्रीमती मिनाती सेन :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल निधि ने मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर के संबंध में अध्ययन कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृत्व मृत्यु दर को कम करने में प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से उन्हें पूर्णकालिक कार्यकताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा अक्तूबर,

2006 में प्रकाशित नमूना पंजीयन पद्धति के परिणामों से प्राप्त मातृ मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर के अनुमानों से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करती है।

यूनिसेफ विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उनके मौजूदा मातृ एवं प्रसवकालीन मृत्यु अंकेक्षण नयाचारों और पद्धतियों को सरल और कारगर बनाने में सहायता देने के लिए कार्य कर रही है। इस समय यह निधि मातृ और प्रसवकालीन (जन्म के 7 दिनों के भीतर बाल मृत्यु) मौत जांच एवं अनुक्रिया (एम.ए.पी.ई.डी.आई.आर) के विकास और कार्यान्वयन के द्वारा वर्ष 2004-2005 से पांच राज्यों अर्थात झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मातृ एवं प्रसवकालीन मौत जांच के कार्यान्वयन में सहायता दे रही है। यह मातृ एवं प्रसवकालीन मौतों का पूर्व प्रभावी मौखिक निरीक्षण करने का एक साधन है जो सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करेगी और समुदायों, स्थानीय सरकारों और गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को इन मौतों के उत्तरदायी घटकों के विरुद्ध निश्चित कार्रवाई करने के योग्य बनाने के लिए फीडबैक प्रदान करने हेतु एक प्रमाण आधारित विधि/तरीका प्रदान करेगा। यह साधन जो बुनियादी रूप से एक संरचित मौखिक निरीक्षण प्रश्नावली है, यूनिसेफ ने संबंधित राज्यों को प्रदान की है।

(ग) से (च) आंगनवाड़ी केन्द्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एकीकृत बाल विकास योजना के लिए सेवा प्रावधान केन्द्र के रूप में पता लगया गया है। यह केन्द्र दो कार्यक्रमों में अन्तर क्षेत्रीय समाभिरूपता और समुदाय के साथ आपने-सामने (इन्टरफेस) करने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। मातृ मृत्यु दर और शिशु तथा बाल मृत्यु दर कम करने के उद्देश्यों को सेवाओं के एक पैकेज अर्थात पूरक पोषण, रोगप्रतिरक्षण, रेफरल सेवाओं, स्वास्थ्य जांच स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं अर्थात रोग प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वास्थ्य जांच रोग प्रतिरक्षण और रेफरल सेवाएं सहायक नर्सधात्री, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बने कार्यकर्ताओं के एक दल द्वारा एक दूसरे से मिलकर तथा आंगनवाड़ी केन्द्र में आयोजित किए गए मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता से प्रदान की जाती है। कुछेक प्रमुख कार्यकलापों में प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जांचें, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, गर्भावस्था के जोखिम भरे लक्षणों ओर पोषण के बारे में परामर्श, रेफरल परिवहन, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि के अंतर्गत धन की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना शामिल है।

भारत सरकार विभिन्न संघों/परिसंघों से समय-समय पर ज्ञापन प्राप्त कर रही है। इन ज्ञापनों में सूचीबद्ध प्रमुख मांगों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- अनुवर्ती लाभों सहित सरकार के ग्रेड "ग" और "घ" कर्मचारियों का स्तर प्रदान करना
- सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन का भुगतान
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से परिश्रमिक को जोड़ना
- सेवा निवृत्ति के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1,00,000 रुपए और आंगनवाड़ी सहायक को 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि का अनुग्रह लाभ।
- सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायकों को भविष्य निधि, पेंशन इत्यादि जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए और आंगनवाड़ी सहायकों का 2,000 रुपए करना।

गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

5574. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-सरकारी-संगठनों (एनजीओज) के संबंध में राष्ट्रीय नीति को अन्तिम रूप दे दिया है तथा इसका अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज) के कार्यों को सुकर बनाने के लिए योजना आयोग ने स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इस नीति पर निर्णय अन्तिम स्तर पर है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात नियंत्रण

5575. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दुपहिया तथा अन्य वाहनों पर एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग एवं फ्लाई ओवरों पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने समझौते ज्ञापन के उपबंधों का उल्लंघन किया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) एक्सप्रेसवे पर केवल दुपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीआईएल की संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

5576. **श्री अनन्त नायक :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का विचार विभिन्न देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं लगाने का है; और

' (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं में सीआईएल द्वारा प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया लि. (सीआईएल) धातुकर्मीय तथा निम्न राख वाले तापीय प्रकार के कोयले वाली कोयला खानों/ब्लाकों में विदेश में निवेश करने पर विचार कर रही है। इस प्रकार के कोयले के जिस स्वदेशी भंडार का निष्कर्ष तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के साथ किया जा सकता है, उसकी कमी है। विदेश में कोयला परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए संयुक्त उद्यम मार्ग एक विकल्प होगा।

संयुक्त उद्यम अथवा अन्य के माध्यम से जिन देशों में सीआईएल का अपना विदेशी उद्यम लगाने का प्रस्ताव है, वे देश आस्ट्रेलिया, कनाडा, मोजाम्बिक आदि हैं जिनके पास लक्षित कोयले के पर्याप्त भंडार, प्रतियोगी कोयले का आयात करने की लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थल तथा कोयला खनन में निवेश करने हेतु अनुकूल प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति है।

(ग) अधिग्रहण के लिए किन्ही विशिष्ट अवसरों की अभी पहचान नहीं की गयी है और इसलिए इस उद्यम के लिए अपेक्षित निवेश की सही राशि बताना संभव नहीं होगा।

हरियाली दिशा-निर्देश कार्यक्रम

5577. **श्री महावीर भगोरा :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हरियाली दिशा-निर्देश' कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल भूमि-विकास कार्यक्रम तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थानों को सौंपे जाने के बाद निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्रों में यथा वेस्टलैण्ड डेवलपमेंट, ड्राऊट प्रूफिंग एवं डिसर्टिफिकेशन कंट्रोल के लिए सूखा

प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, (डी पी ए पी) मरूस्थल भूमि-विकास कार्यक्रम (डी डी पी) एवं समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) को सामान्य दिशानिर्देशों के तहत प्राकृतिक संसाधनों के कार्याकल्प द्वारा जिसे 'हरियाली' कहा गया विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। हरियाली दिशानिर्देश 1.04.2003 से लागू हुये। यह परियोजनाएं पंचायती राज मंत्रालय/लाइन विभागों आदि द्वारा स्थानीय लोगों को सम्मिलित करके योजना से इसके कार्यान्वयन के स्तर तक जिला परिषदों/डी आर डी ए के पूर्ण पर्यवेक्षण में कार्यान्वित की जाती है।

(ग) डीपीएपी, डीडीपी एवं आईडब्ल्यूडीपी के तहत 2003-04 से 2006-07 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डीपीएपी, डीडीपी एवं आईडब्ल्यूडीपी के तहत 2003-04 से 2006-07 तक वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

वास्तविक उपलब्धि (एरिया लाख हेक्टेयर में)

कार्यक्रम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
डी.पी.ए.पी.	13.00	12.68	14.00	12.75	15.00	15.00	15.00	15.38
डी.डी.पी.	8.50	7.81	9.00	8.00	10.00	10.00	11.30	11.35
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	11.00	10.06	10.00	11.18	16.31	22.62	15.00	22.58

वित्तीय उपलब्धियां (रुपये करोड़ में)

वर्ष	डी.पी.ए.पी.			डी.डी.पी.			आई.डब्ल्यू.डी.पी.		
	ब.अ.	सं.अ.	वा. खर्च	ब.अ.	सं.अ.	वा. खर्च	ब.अ.	सं.अ.	वा. खर्च
2003-04	295.00	295.00	295.00	265.00	195.00	215.00	335.00	329.00	312.90
2004-05	300.00	300.00	300.19	215.00	215.00	215.19	368.00	368.00	334.42
2005-06	353.00	253.00	353.18	268.00	268.00	268.17	485.00	485.00	486.74
2006-07	360.00	360.00	359.20	270.00	270.00	269.20	485.00	485.00	485.00

किशोर न्याय अधिनियम

5578. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार वर्तमान में अस्थाई संरचनाओं के चल रहे सुधार गृहों एवं विशेष गृहों के भवनों के निर्माण के लिए केन्द्र से एक मुश्त केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रदान किए जाने एवं इसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

पंचायती राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम-कार्यान्वित कर रहा है जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत गृहों के रखरखाव एवं निर्माण के लिए इन गृहों में बच्चों के रहने के लिए रख रखाव के लिए उनके खर्च जरूरत का 50 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा। गत वित्तीय वर्ष 2006-2007 में इस संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस स्कीम के तहत किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत नए प्रेक्षक गृहों एवं किशोर गृहों के निर्माण के लिए मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने इस स्कीम के प्रतिमानकों के प्रस्तावों पर विचार किया एवं 11 किशोर गृहों एवं प्रेक्षक गृहों के निर्माण के लिए 1,27,09,000 रुपये सहायता अनुदान के रूप में जारी किया। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

इस स्कीम के तहत, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों को इस मामले के संबंध में उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार, मंत्रालय इस प्रयोजन के लिए अनुदान उपलब्ध नहीं करता है।

विवरण

क्र.सं.	जिलों के नाम	गृह की क्षमता (बच्चों की संख्या)	गृह के प्रकार	राशि स्वीकृत/जारी की गयी (रुपये में)
1.	इंदौर	100	किशोर गृह	12,50,000
2.	शहडौल	100	किशोर गृह	12,50,000
3.	मुरैना	100	किशोर गृह	12,50,000
4.	शिवपुरी	100	किशोर गृह	12,50,000
5.	सिहोर	100	किशोर गृह	12,50,000
6.	होशंगाबाद	100	किशोर गृह	12,50,000
7.	हरदा	100	किशोर गृह	12,50,000
8.	राजगढ़	100	किशोर गृह	12,50,000
9.	बालाघाट	50	प्रेक्षक गृह	9,03,000
10.	पन्ना	50	प्रेक्षक गृह	9,03,000
11.	मंदेसौर	50	प्रेक्षक गृह	9,03,0000
				1,27,09,000

नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए भूमि

5579. श्री पी. करुणाकरन :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में डाकघर बनाए जाने/खोले जाने के लिए आबंटित भूमि/प्लाटों का इस प्रयोजनार्थ अब तक उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थलों पर डाकघरों के प्रयोजनार्थ भवनों का निर्माण कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां।

(ख) देश में डाकघरों और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के लिए भवनों के निर्माण के लिए 1871 खाली भू-खण्ड उपलब्ध हैं। खाली भू-खण्डों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना आयोग द्वारा आबंटित निधि भवन संबंधी कार्यकलापों की मांग को पूरा करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना से ही पर्याप्त नहीं थी।

(ग) भवनों के निर्माण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। खाली भू-खण्डों पर भवन निर्माण योजना आयोग द्वारा योजना निधि के आबंटन पर निर्भर करता है। अतः खाली भू-खण्डों पर भवनों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप में लिया जाता है जो प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

खाली भू-खण्डों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	भू-खण्डों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	229
2.	असम	33
3.	बिहार	86
4.	छत्तीसगढ़	8
5.	दिल्ली	20
6.	गुजरात	112
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	28
9.	जम्मू-कश्मीर	9
10.	झारखंड	65
11.	कर्नाटक	364
12.	केरल	145
13.	महाराष्ट्र	87
14.	गोवा	4
15.	मध्य प्रदेश	26
16.	अरुणाचल प्रदेश	10
17.	त्रिपुरा	2
18.	मेघालय	3
19.	मणिपुर	3
20.	नागालैंड	7
21.	मिजोरम	10
22.	उड़ीसा	42
23.	पंजाब	17
24.	राजस्थान	200
25.	तमिलनाडु	154
26.	उत्तर प्रदेश	80

1	2	3
27.	उत्तरांचल	20
28.	पश्चिम बंगाल	87
29.	सिक्किम	1
	कुल	1871

ऐरो स्पोर्ट्स

5580. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय युवक अब ऐरो स्पोर्ट्स में बड़ी रूचि दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में ऐरो स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज्य मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। ऐरो स्पोर्ट्स उनके बीच ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है जो इसका खर्च वहन कर सकते हैं।

(ग) और (घ) ऐरो स्पोर्ट्स के संवर्धन की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय ऐरो क्लब की है। सरकार ''राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता'' की योजना के अंतर्गत स्वीकार्य सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान देता है। गत तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने भारतीय ऐरो क्लब को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी थी, यद्यपि परिसंघ ने भारत में राष्ट्रीय चैम्पयनशिप के आयोजन के लिए कोई सहायता नहीं मांगी थी। तथापि, भारतीय ऐरो क्लब ने रिपोर्ट किया है कि नागर विमानन मंत्रालय ने ऐरो स्पोर्ट्स विकास परियोजना पर 2003-2004 और 2004-2005 की अवधि में लगभग 2.00 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

पोत-परिवहन क्षेत्र में आउट सोर्सिंग व्यवसाय

5581. श्री सुरेश कलमाडी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास सेवाओं के लिए वैश्विक आउट सोर्सिंग व्यवसाय है तथा यह पोत-परिवहन क्षेत्र में श्रम-आधिक्य विनिर्माण के लिए बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योग इकाइयों द्वारा कुछ वस्तुओं के विनिर्माण में ऐतराज जताये जाने से पोत-निर्माण गतिविधियों के विकास पर रोक लगती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) भारत, वैश्विक स्तर पर विभिन्न सेवा क्षेत्रों में आउट सोर्सिंग व्यवसाय के विश्व बाजार में अग्रणी भागीदारों में से एक है परन्तु नौवहन क्षेत्र में श्रम प्रधान उत्पाद व्यवसाय में उसका हिस्सा बहुत कम है। गत 3-4 वर्षों के दौरान, भारतीय शिपयार्डों की आदेश पुस्तिका की स्थिति ने, खासतौर से निर्यात के आदेशों में, अत्यधिक वृद्धि दर्शाई है। आदेश पुस्तिका की स्थिति वर्ष, 2002 में 150 करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष, 2006 में लगभग 14,000 करोड़ रु. हो गई है। विभिन्न शिपयार्डों द्वारा प्रस्तावित क्षमता आवर्द्धन के साथ भारत के विश्व रैंकिंग में जल्द ही ऊपर आ जाने की आशा है।

(ग) इस समय, पोत-निर्माण क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी.आई.सी. द्वारा प्राप्त शिकायतें

5582. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान किए जाने में विलम्ब एवं सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान संस्थान-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दण्डित किए गए व्यक्तियों/संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना आयोग को 01.11.2006 से 30.04.2007 तक की अवधि के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने में विलम्ब एवं सूचना देने से इंकार करने के संबंध में 937 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ऐसी शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आयोग ने इस अवधि के दौरान 32 मामलों में 30 अधिकारियों पर शास्ति लगाई थी।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	81
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	77
बैंकिंग और बीमा	65
रेल मंत्रालय	63
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय	55
गृह मंत्रालय	52
रक्षा मंत्रालय	44
राजस्व विभाग	41
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	36
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	35
दिल्ली नगर निगम, जी.एन.सी.टी.डी.	33
नागर विमानन मंत्रालय	27
विदेश मंत्रालय	26
कोयला मंत्रालय	26
कृषि मंत्रालय	23
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	20
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	17
चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	15
श्रम और रोजगार मंत्रालय	15
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	13
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	12
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	09
उच्चतम न्यायालय	08
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय	08
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	08
प्रधान मंत्री कार्यालय	08
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	07
वस्त्र मंत्रालय	07
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय, जी.एन.सी.टी.डी.	07
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	06
संघ लोक सेवा आयोग	06
विद्युत मंत्रालय	05
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	05
विधि और न्याय मंत्रालय	05
इस्पात मंत्रालय	05
शिक्षा निदेशालय, जी.एन.सी.टी., दिल्ली	05
संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव	04
रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जी.एन.सी.टी., दिल्ली	04
कम्पनी कार्य विभाग	04

पर्यावरण और वन मंत्रालय	04
मंत्रिमंडल सचिवालय	04
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	03
राष्ट्रपति सचिवालय	03
केन्द्रीय सतर्कता आयोग	03
राष्ट्रीय महिला आयोग	03
जल संसाधन मंत्रालय	02
व्यय विभाग	02
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	02
दिल्ली कर्मचारी चयन बोर्ड	02
डी.टी.सी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	02
भारत का निर्वाचन आयोग	02
केन्द्रीय सूचना आयोग	02
दिल्ली जल बोर्ड, जी.एन.सी.टी.डी.	02
जनजातीय कार्य मंत्रालय	01
अन्तरिक्ष विभाग	01
योजना आयोग	01
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग	01
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	01
सार्वजनिक कल्याण, जी.एन.सी.टी. दिल्ली	01
पर्यटन मंत्रालय	01
परमाणु ऊर्जा विभाग	01
खान मंत्रालय	01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	01
पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	01
संसदीय कार्य मंत्रालय	01
संस्कृति मंत्रालय	01
पी.जी.सी., जी.एन.सी.टी., दिल्ली	01
	937

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

5583. श्री मंजूनाथ कुन्नूर :
श्री सर्वे सत्यनारायण :
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मोनीटरिंग रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान में कुपोषण के कारण कम वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों हेतु वर्ष 2015 तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आठ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूख और गरीबी के उन्मूलन शिशु मृत्यु, एड्स और अन्य बीमारियों से निपटने के क्षेत्रों में भारत के कार्य-निष्पादन की क्या स्थिति है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2007, के अनुसार भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पांच वर्ष से छोटे बच्चों में कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 38 और 51 प्रतिशत के बीच है।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्रों की सामान्य विधायिका द्वारा सितम्बर, 2000 में अपनाई गई मिलेनियम घोषणा में वर्ष, 2015 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए 8 विकास लक्ष्य अपनाए गए। ये आठ लक्ष्य निम्नानुसार है:-

एमडीजी 1 : अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन;

एमडीजी 2 : सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना;

एमडीजी 3 : लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना;

एमडीजी 4 : बाल मर्त्यता को कम करना;

एमडीजी 5 : मातृक स्वास्थ्य में सुधार;

एमडीजी 6 : एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटना;

एमडीजी 7 : पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना; और

एमडीजी 8 : विकास के लिए ग्लोबल भागीदारी का विकास करना।

(घ) भुखमरी के संदर्भ में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएमओ) की रिपोर्ट ''परसीव्ड एडिकेसी आफ फूड कंजम्पशन इन इंडियन हाउस होल्ड्स 2004-05'' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में पूरे वर्ष के लिए प्रतिदिन काफी खाद्यान्न रहता था वह वर्ष 1993-94 में 94.5% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 97.4% हो गया। शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों में पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त खाद्यान्न था, वर्ष 1993-94 में यह 98.1% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 99.4% हो गया।

जुलाई, 2004 से जून 2005 की अवधि कवर करते हुए परिवार उपभोक्ता व्यय (एनएसएस का 61वां दौर) संबंधी नवीनतम वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर योजना आयोग ने वर्ष 2004-05 में गरीबी अनुपात का अनुमान यूनीफार्म रिकाल पीरियड (यूआरपी) उपभोग वितरण डाटा, (जिसमें सभी मदों के लिए 30 दिन के रिकाल पीरियड का उपयोग किया गया है), और मिक्सड रिकाल पीरियड (एमआरपी), उपभोग वितरण (जिसमें पांच अखाद्य वस्तुओं नामत: कपड़ा, फुटवियर, टिकाऊ वस्तुओं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा खर्च के लिए आंकड़े 365 दिन के रिकाल पीरियड का उपयोग करके एकत्रित किए गए हैं और शेष मदों के लिए 30 दिन के रिकाल पीरियड का उपयोग किया गया है), के आधार पर लगाया है। यूआरपी उपभोग वितरण (27.5%) पर आधारित वर्ष 2004-05 के गरीबी अनुमान वर्ष 1993-94 (36 प्रतिशत) के गरीबी अनुमानों से तुलनीय हैं। एमआरपी उपभोग (21.8 प्रतिशत) पर आधारित वर्ष 2004-05 के गरीबी अनुमान मोटे तौर पर (कड़े रूप में नहीं) वर्ष 1999-2000 (26.1 प्रतिशत) के गरीबी अनुमानों से तुलनीय हैं।

पांच वर्ष से कम बच्चों की मर्त्यता दर (यू5एमआर) जो वर्ष 1988-92 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 125 थी, वर्ष 1998-2002 की अवधि के दौरान यह प्रति हजार जीवित जन्मों पर घटकर 98 हो गई। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) भी जो वर्ष 1990 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 80 थी वर्ष 2003 में घटकर 60 प्रति हजार और वर्ष 2005 में 58 प्रति हजार हो गई है। वयस्क एचआईवी जो वर्ष 2004 में 0.92 प्रतिशत थी वर्ष 2005 में घटकर 0.91 प्रतिशत हो गई। कंडोम उपयोग दर जो वर्ष 1992-93 में 2.4 प्रतिशत थी वर्ष 2005-06 में बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो गई, समनुरूपी गर्भ निरोधक प्रचलन दर जो वर्ष 1992-93 में 40.7 प्रतिशत थी वर्ष 2005-06 में बढ़कर 56.3 प्रतिशत हो गई। मलेरिया से जुड़ी व्यापकता और मृत्यु दर भी संगत रूप से कम हो रही है। टीबी से जुड़ी मृत्यु दर कम हुई है यह वर्ष 1990 में प्रति 100,000 आबादी पर 67 थी और वर्ष 2004 में प्रति 100,000 की आबादी पर 30 हो गई है। सफलतापूर्वक उपचार किए गए टीबी मरीजों का अनुपात भी जो वर्ष 1996 से 81 था, वर्ष 2005 में बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है।

[हिन्दी]

वोडाफोन द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

5584. श्री सज्जन कुमार :

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

डा. राजेश मिश्रा :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन द्वारा भारत के प्रमुख सेल्युलर फोन सेवा प्रदाता हचिसन एस्सार लिमिटेड के 74 प्रतिशत हिस्से का अधिग्रहण करने के संबंध में स्वीकृति देने का अपना निर्णय टाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हच सौदे के बारे में ब्यौरा मांगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(च) ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी, वोडाफोन द्वारा भारत के दूरसंचार सेवा प्रदाता क्षेत्र में कुल कितनी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) अन्य विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा उक्त क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) हचिसन एस्सार लिमिटेड में 51.96% के प्रभावपूर्ण शेयरहोल्डिंग के अधिग्रहण हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी वोडाफोन इन्टरनेशनल होल्डिंग बी.वी. नीदरलैंड्स के आवेदन को मंजूरी दे दी गई है।

(च) इस प्रस्ताव में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का किसी तरह आंतरिक आवक (इनफ्लो) शामिल नहीं है क्योंकि एक अनिवासी कंपनी से दूसरे अनिवासी कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है।

(छ) अगस्त, 1991 से जनवरी, 2007 तक दूरसंचार क्षेत्र में प्रमुख एफडीआई आवक की कुल राशि 11817.78 करोड़ रुपये है। विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दूरसंचार सेवा क्षेत्र (प्रमुख मामलों) में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

क्रम सं.	भारतीय कंपनी का नाम	परियोजना का स्वरूप	निवेश हेतु प्रस्तावित राशि	विदेशी निवेशक का नाम
1	2	3	4	5
1.	मै. एयरसैल लि.	सेल्युलर टेलीफोन, आईएलडी/ एनएलडी सेवाएं	800 मिलियन अमरीकी डालर	मैं. ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग लि.।
2.	मै. भारती एयरटैल लि.	यूएएसएल, लंबी दूरी, ब्राडबैंड और डाटा सेवाएं	370 मिलियन अमरीकी डालर	मै. वोडाफोन यू.के.।
3.	नई संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसका गठन किया जाना है।	यूएएसएल सेवा	100 मिलियन अमरीकी डालर	मै. बाइसैल होल्डिंग एजी स्विट्जलैंड।
4.	मै. एटी एंड टी ग्लोबल एन/डब्ल्यू सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली	नेटवर्क सेवाएं	3.6 मिलियन अमरीकी डालर	मै. एटी एंड टी इंक. यूएसए
5.	मै. वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	इन्टरनेट सेवा प्रदाता	3.6 मिलियन अमरीकी डालर	मै. एडवान्स इंटरनेट सर्विसेज लि. मारीशस।
6.	मै. बी टी टेलीकाम इंडिया प्रा. लि.	आईएलडी/ एनएलडी सेवाएं	5 मिलियन अमरीकी डालर	मै. बी टी ग्लोबल कम्युनिकेशंस (मारीशस) लि.

1	2	3	4	5
7.	मै. स्पाइस कम्युनिकेशंस लि.	सेल्यूलर टेलीफोन, आईएलडी/ एनएलडी सेवाएं	6 मिलियन अमरीकी डालर	मै. डिस्टाकाम कम्युनिकेशंस (इंडिया) लि. मारीशस।
8.	मै. एस्सार टेलीकाम इंडिया लि.	निवेश कंपनी	500 मिलियन अमरीकी डालर	एस्सार कम्युनिकेशंस, मारीशस।

[अनुवाद]

इंडियन पोर्ट एसोसिएशन

5585. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन बीमा हेतु समान दिशा-निर्देश बनाने के लिए इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के अंतर्गत एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए समिति का गठन किया गया है;

(ग) क्या समिति द्वारा सिफारिशें देने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सुनामी, चक्रवात, भूकम्प आदि जैसी आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ सरकार ने महापत्तनों की परिसम्पत्तियों का बीमा कराने की गति को बढ़ाने का निर्णय लिया। महापत्तनों में पत्तन-सम्पत्तियों का बीमा कराने के लिए विस्तृत नीतिगत मार्ग-निर्देश तैयार करने और सभी महापत्तनों के लिए उनकी बीमा आवश्यकता को कवर करने, सुविधाओं और अन्य देनदारियों को सूचीबद्ध करनें जिसमें सम्पत्तियों का बीमा करने हेतु न्यूनतम सामान्य बीमा कार्यक्रम (एम सी आई पी) और कार्य योजना तैयार की जाएगी, के लिए सामान्य बीमा निधि की संभावना का पता लगाने के प्रयोजन से भारतीय पत्तन-संघ (आई पी ए) द्वारा एक समिति का गठन किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय पत्तन-संघ द्वारा समिति की सिफारिशों को यह सलाह देते हुए सभी महापत्तनों में परिचालित किया था कि वे यथाशीघ्र आवश्यक बीमा करा लें।

सांत्वनार्थ क्षतिपूर्ति कोष की स्थापना

5586. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के आश्रितों को वित्तीय सहायता करने के लिए सांत्वनार्थ क्षतिपूर्ति कोष का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोष का कब तक गठन कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में न्यायालय से बाहर समझौता करने की अनुमति देने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के समझौतों के लिए क्या दिशानिर्देश हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) हिट-एंड-रन मामलों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए सांत्वनार्थ क्षतिपूर्ति कोष 1989 से विद्यमान है। सरकार ने भी 'सोलेटियम स्कीम 1989' नामक स्कीम तैयार की है जिसमें साधारण बीमा निगम द्वारा इस स्कीम के संचालन की विधि तथा हिट एंड रन मामलों में मुआवजे के लिए आवेदन पर विचार करते समय अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की है।

(घ) और (ङ) जी हां। यह प्रस्ताव किया गया है कि बीमाकर्ता स्वत: अथवा नोटिस प्राप्त होने के तीन महीनों की अवधि में पारस्परिक सहमति से अधिकरण अथवा सिविल न्यायालय से बाहर सीधे दावाकर्ता के साथ दावे के समाधान करने का प्रयास करेगा और दावाकर्ता को मुआवजा प्राप्त होने के पश्चात् अधिकरण अथवा न्यायालय इस संबंध में दावाकर्ता द्वारा दायर याचिका का निपटान कर देगा यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उन्होंने विधि सम्मत समझौता अथवा करार किया है।

[हिन्दी]

भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं

5587. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्रीमती करूणा शुक्ला :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी कंपनी 'सिगनल' में कार्यरत सैकड़ों भारतीय मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ दासों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जैसाकि दिनांक 18 मार्च, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्षों में विदेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) संबंधित अभिकरणों के माध्यम से सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राजस्व और व्यय के प्रतिमान

5588. श्री विजय कृष्ण : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत व्यय के तिमाही-वार प्रतिमान क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत आबंटनों का वित्त वर्ष में बराबर व्यय नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालयवार वे योजनाएं कौन-कौन सी है, जिसके अंतर्गत दिसंबर 2006 तक आधी धनराशि का भी उपयोग नहीं हो पाया है; और

(ङ) केन्द्रीय योजनाओं की धनराशि के और प्रभावी और समान उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) लेखा महा नियंत्रक (सीजीए) भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और तकनीकी रूप से युक्ति युक्त प्रबंधन लेखा प्रणाली के संस्थापन और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होता है। उनके मासिक बुलेटिन में यथा प्रकाशित वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान (बीई) के लिए दिसम्बर, 2006 तक मंत्रालय/विभाग-वार वास्तविक योजना व्यय संबंधी सूचना संलग्न विवरण-I, II, और III में दी गई है। तथापि, जैसा कि सीजीए द्वारा इंगित है, यह उन मंत्रालयों/विभागों का केन्द्रीय स्कीम-वार लेखा संकलित नहीं करता है जिनका संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रख-रखाव किया जा रहा है।

(ङ) केन्द्रीय स्कीमों को और अधिक सक्षम बनाने तथा निधियों के समान रूप से उपयोग हेतु नियमित मॉनीटरिंग की जाती है।

विवरण I

लेखा महानियंत्रक

भारत सरकार

केन्द्रीय सरकार लेखा

सरसरी दृष्टि में (दिसम्बर, 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार)

योजना व्यय (2006-07)

(प्राप्तियों और वसूलियों का निवल)

अनुदान संख्या	मंत्रालय/विभाग	बजट अनुमान (2006-07) (करोड़ रु.)	सितम्बर, 2006 तक वास्तविक आंकड़े (करोड़ रु.)	सितम्बर, 2006 तक बजट अनुमानों के वास्तविक आंकड़े	दिसम्बर, 2006 तक वास्तविक आंकड़े (करोड़ रु.)	दिसम्बर, 2006 तक बजट अनुमानों के वास्तविक आंकड़ो का %
1	2	3	4	5	6	7
	कृषि मंत्रालय	**6967**	**3515**	**50%**	**5059.1**	**73%**
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	4840	2520.55	52%	3493	72%
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1350	762.77	57%	1122.4	83%
3.	पशुपालन, डेयरी और मछली पालन विभाग	777	231.68	30%	443.66	57%
	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	**967**	**436.44**	**45%**	**611.03**	**63%**
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	967	436.44	45%	611.03	63%
	परमाणु ऊर्जा विभाग	**4124.1**	**991.31**	**24%**	**2084**	**51%**
5.	परमाणु ऊर्जा	1621	553.02	34%	825.77	51%
6.	नाभिकीय पावर स्कीमें	2503.1	438.29	18%	1258.2	50%
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**229.81**	**275**	**120%**	**334.56**	**146%**
7.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	131	274.75	210%	273.26	209%
8.	उर्वरक विभाग	98.81	0.25	0%	61.3	62%

1	2	3	4	5	6	7
	नागर विमानन मंत्रालय	**130**	**0.28**	**0%**	**20.19**	**16%**
9.	नागर विमानन मंत्रालय	130	0.28	0%	20.19	16%
	कोयला मंत्रालय	**168.71**	**0.08**	**0%**	**65.72**	**39%**
10.	कोयला मंत्रालय	168.71	0.08	0%	65.72	39%
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	**1923.3**	**649.21**	**34%**	**1156.8**	**60%**
11.	वाणिज्य विभाग	1423.3	537.86	38%	948.01	67%
12.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	500	111.35	22%	208.8	42%
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**1722.6**	**339.88**	**20%**	**900.2**	**52%**
13.	डाक विभाग	419	50.7	12%	90.46	22%
14.	दूर संचार विभाग	213.61	52.54	25%	63.64	30%
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1090	236.64	22%	746.1	68%
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**258.8**	**38.31**	**15%**	**131.96**	**51%**
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	163	30.84	19%	87.07	53%
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	95.8	7.47	8%	44.89	47%
	संस्कृति मंत्रालय	**470**	**120.05**	**26%**	**200.86**	**43%**
19.	संस्कृति मंत्रालय	470	120.05	26%	200.86	43%
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	**1350**	**671.56**	**50%**	**927.2**	**69%**
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1350	671.56	50%	927.2	69%
	पर्यावरण और वन मंत्रालय	**1338.9**	**404.65**	**30%**	**735.03**	**55%**
29.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1338.9	404.65	30%	735.03	55%
	विदेश मंत्रालय	**222.3**	**0**	**0%**	**155.89**	**70%**
30.	विदेश मंत्रालय	222.3	0	0%	155.89	70%

1	2	3	4	5	6	7
	वित्त मंत्रालय	**30814**	**14826.94**	**48%**	**23940**	**78%**
31.	आर्थिक मामले विभाग	1214.9	0.04	0%	533.49	44%
33.	वित्तीय संस्थानों को भुगतान	36	0	0%	0	0%
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	29562	14826.55	50%	23406	79%
38.	व्यय विभाग	0.63	0.32	51%	0.47	75%
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**166.9**	**49.84**	**30%**	**118.47**	**71%**
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	166.9	49.84	30%	118.47	71%
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**16671**	**4091.33**	**33%**	**6667.3**	**57%**
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	11290	3967.83	35%	6482.2	57%
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)-विभाग	381.6	123.5	32%	185.12	49%
	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	**481.5**	**24.82**	**5%**	**100.02**	**21%**
48.	भारी उद्योग विभाग	450	9.16	2%	76.15	17%
49.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	31.5	15.66	50%	23.87	76%
	गृह मंत्रालय	**1122.2**	**166.62**	**15%**	**409.09**	**36%**
50.	गृह मंत्रालय	24.5	8.03	33%	15.59	64%
52.	पुलिस	312.[illegible]	100.96	32%	145.74	47%
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	28.53	0.39	1%	1.36	5%
54.	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	756.37	57.24	8%	246.4	33%

1	2	3	4	5	6	7
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**25540**	**10399.44**	**41%**	**17550**	**69%**
55.	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग					
	कुल	25874	6563.69	25%	17227	67%
	कम : 'प्रारंभिक शिक्षा कोष' से पूरा किया गया व्यय।	8746	0	0%	5100	58%
	निवल	17128	6563.69	38%	12127	71%
56.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	3616	1565.41	43%	2332.8	65%
57.	महिला एवं बाल विकास विभाग	4795.9	2270.34	47%	3090.4	64%
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**538**	**145.96**	**27%**	**166.47**	**31%**
58.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	538	145.96	27%	166.47	31%
	श्रम और रोजगार मंत्रालय	**311.36**	**107.53**	**35%**	**159.76**	**51%**
59.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	311.36	107.53	35%	159.76	51%
	विधि और न्याय मंत्रालय	**203.95**	**0**	**0%**	**0.13**	**0%**
61.	विधि और न्याय	203.95	0	0%	0.13	0%
	खान मंत्रालय	**241**	**72.25**	**30%**	**118.43**	**49%**
63.	खान मंत्रालय	241	72.25	30%	118.43	49%
	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**597**	**74.68**	**13%**	**151.29**	**25%**
64.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	597	74.68	13%	151.29	25%
	महासागर विकास विभाग	**438**	**84.23**	**19%**	**161.16**	**37%**
66.	महासागर विकास विभाग	438	84.23	19%	161.16	37%
	पंचायती राज मंत्रालय	**3825**	**234.57**	**6%**	**1055.1**	**28%**
67.	पंचायती राज मंत्रालय	3825	234.57	6%	1055.1	28%

1	2	3	4	5	6	7
	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	**95.3**	**14.67**	**15%**	**23.42**	**25%**
69.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	95.3	14.67	15%	23.42	25%
	योजना मंत्रालय	**89.76**	**16.82**	**19%**	**28.69**	**32%**
71.	योजना मंत्रालय	89.76	16.82	19%	28.69	32%
	विद्युत मंत्रालय	**5500**	**1296.07**	**24%**	**2276.4**	**41%**
72.	विद्युत मंत्रालय	5500	1296.07	24%	2276.4	41%
	ग्रामीण विकास मंत्रालय	**31444**	**15507.34**	**49%**	**20470**	**65%**
78.	ग्रामीण विकास विभाग	24026	12749.85	53%	15387	64%
79.	भूमि संसाधन विभाग	1418	704.05	50%	960.48	68%
80.	पेय जलापूर्ति विभाग	6000	2053.44	34%	4122.9	69%
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**2836**	**1182.57**	**42%**	**1718.3**	**61%**
81.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1340	429.66	32%	663.14	49%
82.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	975	476.11	49%	703.76	72%
83.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	521	276.8	53%	351.43	67%
	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**13916**	**4384.33**	**32%**	**9757.6**	**70%**
84.	पोत परिवहन विभाग	735.38	161.85	22%	372.6	51%
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग					
	कुल	21384	5702.76	27%	16101	75%
	(क) कम 'केन्द्रीय सड़क निधि' से पूरा किया व्यय	8113.5	1468.48	18%	6694.3	83%

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों स्थायी पुल फीस निधि	90	11.8	13%	21.56	24%
	निवल	13181	4222.48	32%	9385	71%
	लघु उद्योग मंत्रालय	**466.33**	**202.02**	**43%**	**259.13**	**56%**
86.	लघु अद्योग मंत्रालय	466.33	202.02	43%	259.13	56%
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	**1750**	**593.88**	**34%**	**915.34**	**52%**
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1750	593.88	34%	915.34	52%
	अंतरिक्ष विभाग	**3220**	**750.83**	**23%**	**1208.1**	**38%**
88.	अंतरिक्ष विभाग	3220	750.83	23%	1208.1	38%
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**1663.4**	**715.27**	**43%**	**1017.5**	**61%**
89.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1663.4	715.27	43%	1017.5	61%
	इस्पात मंत्रालय	**45**	**7**	**16%**	**7**	**16%**
90.	इस्पात मंत्रालय	45	7	16%	7	16%
	कपड़ा मंत्रालय	**1349.5**	**571.52**	**42%**	**1113.3**	**82%**
91.	कपड़ा मंत्रालय	1349.5	571.52	42%	1113.3	82%
	पर्यटन मंत्रालय	**830**	**147.8**	**18%**	**579.3**	**70%**
92.	पर्यटन मंत्रालय	830	147.8	18%	579.3	70%
	जनजातीय मामले मंत्रालय	**1656.9**	**953.62**	**58%**	**1268.3**	**77%**
93.	जनजातीय मामले मंत्रालय	1656.9	953.62	58%	1268.3	77%

1	2	3	4	5	6	7
	विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्र	**1672**	**371.81**	**22%**	**777.76**	**47%**
94.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1119.1	151.47	14%	456.21	41%
95.	चंडीगढ़	216.66	112.74	52%	168.31	78%
96.	दादरा और नगर हवेली	70.42	26.14	37%	43.55	62%
97.	दमन और दीव	64.12	23.48	37%	39.6	62%
98.	लक्षद्वीप	201.69	57.98	29%	70.09	35%
	शहरी विकास मंत्रालय	**1849.8**	**595.74**	**32%**	**1040.7**	**56%**
99.	शहरी विकास विभाग	1716.6	560.81	33%	948.89	57%
100.	लोक निर्माण	133.32	34.93	26%	55.8	42%
	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय	**421.67**	**117.42**	**28%**	**200.23**	**47%**
102.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग	421.67	117.42	28%	200.23	47%
	जल संसाधन मंत्रालय	**700**	**165.96**	**24%**	**304.53**	**44%**
103.	जल संसाधन मंत्रालय	700	165.96	24%	304.53	44%
	युवक मामले और खेल-कूद मंत्रालय	**600**	**164.15**	**27%**	**362.59**	**60%**
104.	युवक मामले और खेल-कूद मंत्रालय	600	164.15	27%	362.59	60%
	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	**0**			**110**	
105.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	0			110	
	रेलवे	**6800.1**	**3400.07**	**50%**	**5100.1**	**75%**
	रेल मंत्रालय	6800.1	3400.07	50%	5100.1	75%
	कुल जोड़	172728	68878.87	40%	111518	65%

विवरण-II

राजस्व और योजना व्यय के पूंजी व्यय का ब्यौरा

	बजट अनुमान (बी.ई) 2006-07 करोड़ रु.	जून, 2006 तक के वास्तविक आंकड़े करोड़ रु.	बजट अनुमान के वास्तविक आंकड़ों का %	सितम्बर, 2006 तक के वास्तविक आंकड़े करोड़ रु.	बजट अनुमान के वास्तविक आंकड़ों का %	दिसम्बर, 2006 तक के वास्तविक आंकड़े करोड़ रु.	बजट अनुमान के वास्तविक आंकड़ों का %
योजना व्यय	172728	38524	22.30%	68879	39.90%	111518	64.60%
राजस्व लेखा संबंधी	143762	33262	23.10%	57757	40.20%	93901	65.30%
पूंजी लेखा संबंधी	28966	5262	18.20%	11122	38.40%	17617	60.80%

विवरण-III

उन मंत्रालयों/विभागों की सूची जहां पर दिसम्बर, 2006 तक योजना व्यय वर्ष 2006-07 के योजना व्यय के बजट अनुमानों की तुलना में 50% से कम था (प्रतियों और वसूलियों का निवल)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	बजट अनुमान 2006-07	दिसम्बर, 2006 तक के वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों के वास्तविक आंकड़ों का %
1	2	3	4	5
1.	नागर विमानन मंत्रालय	130.00	20.19	16%
2.	कोयला मंत्रालय	168.71	65.72	39%
3.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	500.00	208.80	42%
4.	डाक विभाग	419.00	90.46	22%
5.	दूर संचार विभाग	213.61	63.64	30%
6.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	95.80	44.89	47%
7.	संस्कृति मंत्रालय	470.00	200.86	43%
8.	आर्थिक मामले विभाग	1214.86	533.49	44%
9.	आयुष विभाग	381.60	185.12	49%

1	2	3	4	5
10.	भारी उद्योग विभाग	450.00	76.15	17%
11.	गृह मंत्रालय	1122.22	409.09	36%
12.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	538.00	166.47	31%
13.	विधि और न्याय मंत्रालय	203.95	0.13	0%
14.	खान मंत्रालय	214.00	118.43	49%
15.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	597.00	151.29	25%
16.	महासागर विकास विभाग	438.00	161.16	37%
17.	पंचायती राज मंत्रालय	3825.00	1055.06	28%
18.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	95.30	23.42	25%
19.	योजना मंत्रालय	89.76	28.69	32%
20.	विद्युत मंत्रालय	5500.00	2276.43	41%
21.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1340.00	663.14	49%
22.	अंतरिक्ष विभाग	3220.00	1208.05	38%
23.	इस्पात मंत्रालय	45.00	7.00	16%
24.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशन विभाग	421.67	200.23	47%
25.	जल संसाधन मंत्रालय	700.00	304.53	44%

पी. डब्ल्यू. डी. लिंक रोडों का उन्नयन

5589. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को बंगलौर शहर के यातायात को कम करने के लिए 38 पी.डब्ल्यू.डी. लिंक आर्टेरियल मार्गों के उन्नयन हेतु 516 करोड़ रु. के केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। कर्नाटक सरकार ने बंगलौर के आसपास आर्थिक महत्व की 38 सड़कों के उन्नयन के लिए योजना आयोग से 516.00 करोड़ रु. की एकमुश्त सहायता मांगी है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हैं और इसलिए इनके विकास और रख रखाव के लिए मुख्यतः राज्य सरकार जिम्मेदार है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की उन्होंने जांच की है किंतु उक्त प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार को राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से इसके लिए धनराशि प्राप्त करने की संभावना का पता लगाना चाहिए।

भारत-चीन मित्रता वर्ष

5590. **श्री सी.के. चंद्रप्पन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन 'भारत-चीन मित्रता वर्ष' मनाने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) इस वर्ष पर्यटन व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग, संस्कृति, खेल और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या भारत और चीन ने नालंदा में प्राचीन यात्री ह्वेन सांग का एक संयुक्त स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत-चीन मैत्री वर्ष मनाने के लिए भारत और चीन ने वर्ष 2006 में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें एक भारत सांस्कृतिक महोत्सव, एक भारतीय फिल्म महोत्सव तथा ''ट्रेजर्स आफ एंसियंट इन्डिया'' शीर्षक से भारतीय प्राचीन कला पर एक बड़ी प्रदर्शनी शामिल हैं। इस वर्ष दोनों पक्षों ने वर्ष, 2007 में संयुक्त लोगों के साथ ''पर्यटन के जरिए भारत-चीन मैत्री वर्ष'' मनाने और एक-दूसरे के देश में पर्यटन कार्यालय खोलने पर सहमति व्यक्त की। जैसा कि नवम्बर, 2006 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सहमति हुई थी, दोनों पक्ष व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, वित्त, कृषि जल संसाधन, ऊर्जा पर्यावरण, परिवहन, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया, संस्कृति, पर्यटन युवा मामले और अन्य क्षेत्र में और सहयोग संवर्धित करने के लिए उपाय कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) चीन की सहायता से भारत सरकार द्वारा स्थापित जुआन जांग स्मारक हाल का उद्घाटन नालंदा, बिहार में 12 फरवरी, 2007 को चीनी प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान किया गया।

[हिन्दी]

पड़ोसी देशों पर नजर रखना

5591. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री किरेन रिजीजू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के परिदृश्य पर नजर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन देशों में बदलते परिदृश्य से कट्टरपंथियों की गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो इन देशों में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार पड़ोसी देशों में होने वाले घटनाक्रमों से अवगत है।

(ग) से (ङ) यद्यपि हमारी नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की नहीं है, तथापि भारत के हितों को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों का सरकार की नीतियों में समुचित ध्यान रखा जाएगा।

[अनुवाद]

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कॉल सेंटरों द्वारा कॉलों को बंद किया जाना

5592. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में स्थित अपने काल सेंटरों में उपभोक्ताओं की सभी कालों को बंद करने का निर्णय किया है, जैसा कि दिनांक 03 मार्च, 2007 के 'द टाइम्स आफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीयों को नौकरियों के संदर्भ में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) द टाइम्स आफ इंडिया के दिनांक 3 मार्च, 2007 के अंक में मुम्बई में कार्यरत मेसर्स लायड टीएसबी ग्रुप नामक ग्रेट ब्रिटेन के बैंक का समाचार प्रकाशित हुआ है।

राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनी संघ (नैसकाम) के अनुसार, उन्हें सरकारी तौर पर इस प्रकार की घटना का कोई समाचार नहीं मिला है।

भारतीय साफ्वेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) के अनुसार, उपर्युक्त इकाई एसटीपीआई का सदस्य नहीं है।

(ग) नैसकाम के अनुसार, ऐसे समाचारों का भारतीयों के रोजगार की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना

5593. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
डा. के. धनराजू :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के वर्जीनिया टेक्नोलाजी यूनिवर्सिटी कैंपस में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना में भारतीय छात्रों और एक प्रोफेसर की मौत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीकी प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। गोलीबारी में मृतक लोगों में प्रो. जी.वी. लोगानाथन, विश्वविद्यालय के इंजीनियरी विभाग के प्राध्यापक तथा सुश्री मिणाल पांचाल, कृषि संकाय के बिल्डिंग सांइस के प्रथम वर्ष की छात्रा शामिल थीं। प्रो. लोगानाथन ओ सी आई दर्जा वाले अमरीका नागरिक थे, जबकि सुश्री पांचाल एक भारतीय नागरिक थीं।

(ग) से (ङ) घटना के तत्काल पश्चात भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमरीकी प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया और विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों से मिले। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीयों को सभी संभव सहायता प्रदान की। लापता/मारे गए भारतीयों के परिवारों को सहायता प्रदान करने में दूतावास तल्लीन लगा रहा। पासपोर्ट कार्यालय, चैन्नै द्वारा प्रो. लोगानाथन के परिवार के चार सदस्यों के लिए पासपोर्टों की व्यवस्था तात्कालिक आधार पर की गई और तमिलनाडु सरकार द्वारा खरीदे गए टिकट पर परिवार के नौ सदस्यों ने अमरीका की यात्रा की।

बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल

5594. श्री अमिताभ नन्दी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार द्वारा बच्चों के लिए कितने अस्पताल चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों के अभाव तथा अपर्याप्त नर्सिंग कर्मचारियों के कारण मौतों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में अस्पताल-वार ऐसी कितनी मौतें हुई है;

(घ) क्या इन अस्पतालों के कार्यकरण के बारे में नियमित रूप से समुचित निरीक्षण किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) केवल बच्चों के लिए केन्द्र सरकार का केवल एक ही अस्पताल अर्थात् कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली है। किसी भी केन्द्र सरकार के अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियों एवं उपकरणों या नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण किसी बाल रोगी की मृत्यु होने के किसी मामले की कोई सूचना नहीं दी गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों के कार्यकरण को सतत मानीटर करते हैं।

रिफलैक्टरों के अभाव के कारण हुई दुर्घटनाएं

5595. श्री हरिचंद्र चव्हाण : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टरों, ट्रकों आदि जैसे वाहनों के पिछले हिस्से पर रिफलैक्टर के न होने के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार इस प्रकार की किसी योजना में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) वाहनों के पिछले हिस्से पर परावर्तकों के न होने के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या से संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) यद्यपि, सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इस विभाग ने सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं :-

(i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस मार्गों की योजना स्तर पर सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग हैं।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन व्यवस्था का उपयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था की शुरूआत, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(iii) असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

(iv) सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(v) राज्यों में आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(vi) दृश्य-श्रव्य-प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी प्रचार अभियान।

(vii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।

(viii) वाहनों के सुरक्षा मानकों जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टेयरिंग, पीछे देखने का शीशा आदि को कठोर बनाना।

(ix) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी सगठनों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी पूरे हो चुके ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 किमी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत हैं।

(x) राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन से चार लैन का और चार लेन से 6 लेन आदि का बनाना और सुधार करना।

(घ) और (ङ) 'सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना' स्कीम के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सड़क प्रयोक्ताओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को चार लेन वाला बनाना

5596. **श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के बायादेर-भीम-नाथवाड़ा-उदयपुर लेन वाले खंड को चार लेन वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड को चार लेन वाला नहीं बनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ब्यावर-उदयपुर खंड को डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर चार लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इस स्तर पर इस परियोजना के ब्यौरे, परियोजना की लागत और इसे पूरा करने की समय-सीमा के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के किशनगढ़-ब्यावर-उदयपुर के वैकल्पिक रूट को स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग के तौर पर चार लेन का बनाया गया है।

[अनुवाद]

कंटेनर यातायात हेतु अवसंरचना

5597. **श्री पी.सी. थामस : क्या पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल राज्य-सरकार ने कोच्चि में प्रस्तावित वल्लारपद्दम कंटेनर टर्मिनल हेतु कंटेनर यातायात के लिए अवसंरचना विकास संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र-सरकार को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो सड़क विकास, पुलों के निर्माण तथा उक्त पत्तन तक रेल लाइन के विस्तार संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव के क्रियान्वयन के चरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय-सरकार, कोचीन-पत्तन में वल्लारपद्दम में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यानांतरण टर्मिनल (आई सी टी टी) परियोजना स्थल तक रेल और सड़क संपर्क परियोजनाओं का बीड़ा उठा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय-सरकार ने रेल और चार-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क परियोजनाएं क्रमशः 22 मार्च, 2007 और 12 अप्रैल, 2007 को अनुमोदित की हैं। रेल और चार (4) लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 245.67 करोड़ रु. और 557 करोड़ रु. है।

(ङ) रेल और सड़क संपर्क परियोजनाओं का कार्य आरंभ होने की तारीख से, क्रमशः चौबीस (24) महीने और तीस (30) महीने में पूरा किए जाने की संभावना है।

समवर्ती सूची में कृषि विपणन

5598. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कृषि संबंधी कार्य-समूह ने कृषि विपणन को राज्य-सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य समूह ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन प्रणाली में परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कार्य समूह द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो इन सुझावों को स्वीकार करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है;

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों की राय मांगने के लिए उन्हें पत्र लिया है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित आंतरिक एवं विदेश व्यापार के लिए आवश्यक कृषि विपणन अवसंरचना एवं नीति संबंधी कार्यदल ने कृषि विपणन को राज्य-सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) उत्तर के उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित उक्त कार्य दल ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं : आपूर्ति चैन अवसंरचना विकास, राज्य के कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन के माध्यम से घरेलू विपणन चैनलों की प्रक्रिया में सुधार, अन्य विपणन विनियमों का सरलीकरण, विपणन समूह को बढ़ावा देना, विशिष्ट देशों के लिए विशिष्ट उत्पाद हेतु बढ़ावा देने वाले कार्य शुरू करना, कृषि निर्यात जोन (एईजैड) में परियोजनाओं/प्रचालनों का वित्तपोषण, बीमाकर्ताओं और क्रेडिट गारंटी देने वालों का पुनर्बीमा करना आदि।

(ङ) और (च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के प्रतिपादन की प्रक्रिया के रूप में योजना आयोग ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के विभिन्न पहलू संबंधी कार्यदल गठित किये हैं। इन कार्यदलों की सिफारिशों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज तैयार करते समय प्रयोग में लाया जाएगा।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की धोवनशालाएं

5599. श्री उदय सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिल्ड-एण्ड-ऑपरेट आधार पर कोयले की धोवनशालाओं की स्थापना को बढ़ावा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा इस समय विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो कोयला धोवनशालाओं की स्थापना से उपभोक्ताओं को कम प्रतिशत वाले राख का कोयला प्राप्त करने में सहायता मिलेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) विद्युत क्षेत्र तथा अन्य कोयला उपभोक्ताओं और निजी उद्यमियों को लिंक्ड उपभोक्ताओं को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए बिल्ड-एण्ड-ऑपरेट आधार पर कोयला वाशरियों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित कर रही है। उपभोक्ताओं/निजी उद्यमियों द्वारा कोयला वाशरियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सीआईएल उपलब्धता की शर्त पर लीज/प्रभार लेने के आधार पर भूमि एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान कर रही है। कोयला कंपनियों से अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सहायता से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा निम्नलिखित वाशरियों का निर्माण किया जा रहा है:

(i) महानदी कोलफील्ड्स लि. से एपीजेनको के तापीय विद्युत स्टेशनों को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए उड़ीसा में बिल्ड-एण्ड-आपरेट योजना के तहत कलिंगा वाशरी (11.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष)।

(i) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. से पीएसईबी के तापीय विद्युत स्टेशनों को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए झारखंड में बिल्ड-एण्ड-ऑपरेट योजना के तहत केडीएच वाशरी (3.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष)।

सीआईएल ने बिल्ड-एण्ड-ऑपरेट (बीओ) आधार पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ सिद्धांत रूप में वाशरियों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है जहां कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियां पूंजीगत वित्त व्यवस्था और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करेंगी। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि 2.50 मि.टन क्षमता से अधिक क्षमता वाली सभी सभी नयी ओपनकास्ट परियोजनाओं, जो पिटहेड विद्युत स्टेशनों से सम्बद्ध नहीं है, को एक एकीकृत वाशरी के साथ डिजायन किया जाए।

(ग) 2006-07 में सीआईएल से लगभग 361 मिलिटन प्रतिवर्ष के उत्पादन में से 8% कोकिंग कोयला, 20% उत्कृष्ट ग्रेड का नान-कोकिंग कोयला तथा लगभग 72% घटिया ग्रेड का नान-कोकिंग कोयला है जिसमें लगभग 40% की अधिक राख की प्रतिशतता है।

(घ) कोयले की धुलाई का प्रयोजन उसकी राख की मात्रा को कम करके, असम्बद्ध सामग्री को हटाकर तथा उष्मा लागत में वृद्धि करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। कोयला वाशरियों की स्थापना करके उपभोक्ताओं को राख की कम मात्रा के साथ-साथ बढ़े हुए उष्मा लागत वाले कोयले की बेहतर कोटि की आपूर्ति की जाएगी। उपभोक्ता की अपेक्षित स्तर की राख की प्रतिशतता तक कोयले की धुलाई की जा सकती है। तथापि, धुले हुए कोयले की प्राप्ति ऐसी उच्च राख की मात्रा वाले कोयले हेतु धुलाई के स्तर के निर्धारण का कारक है।

राज्यों को योजनाओं का हस्तांतरण

5600. श्री एल. राजगोपाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ योजनाओं की पहचान की है जो अपना समय पूरा कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग की हाल ही में हुई बैठक में सरकार ने कुछ योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कार्यक्रमों को चलाने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 रु. की सार्थक निधि का गठन किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) स्कीमें शून्य आधारित बजटिंग प्रक्रिया (जैडबीबी) के आधार पर बंद की जाती हैं। जैडबीबी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योजना लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों का अभिसरण, कुशलता और प्रभाविता तथा विवेकपूर्ण व मितव्यय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को भी सुनिश्चित करना है। ऐसी प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती है। राज्यों को केन्द्र प्रायोजित स्कीमें अंतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) योजना आयोग के पास कार्यक्रमों को चला रहे और लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए 5000 करोड़ रु. की समग्र निधि के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एशियाई खेल 2014 के लिए दावेदारी

5601. श्री एम. अप्पादुरई :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 2014 के एशियाई खेलों को आयोजित करने की दावेदारी में सफल नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक समिति के बीच समन्वय की कमी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का वर्ष, 2018 में होने वाले एशियाई खेलों की दावेदारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) परिणाम से प्रकट होता है कि कोरिया गणराज्य द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण में आंशिक रूप से भारतीय प्रस्तुतीकरण की तुलना में इलेक्ट्रोल कालेज को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कोरिया गणराज्य के शिष्टमंडल ने कहा कि वे इनचिओन में न केवल अकेले कोरिया गणराज्य वरन संपूर्ण एशिया को सुसज्जित करने का कार्य करेंगे और उन्होंने यह तर्क दिया कि इस प्रकार के खेल शहरों को दिये जाते हैं न कि देशों को और दिल्ली में पहले 1951 और 1982 में दो बार एशियाई खेल आयोजित किये जा चुके थे जबकि इनचिओन ने पहले कभी इन खेलों की मेजबानी नहीं की। चूंकि मत गोपनीय था और मतदान से पहले अथवा बाद में वोट के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए श्रेणीबद्ध रूप से यह बता पाना संभव नहीं है कि किस कारण से वोट कम थे किन्तु यह नोट किया जाता है कि एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष ने घोषित किया कि वोट का निर्णय ''बहुत ही कम अन्तर'' से हुआ था।

(ग) जी, नहीं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय शिष्टमंडल का भाग था जो कुवैत गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इनके लिए बोली लगाना जल्दबाजी होगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

सी एस एस संवर्ग में पदोन्नति हेतु अर्हता संबंधी मानदंड

5602. श्री मणि चारेनामै : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी एस एस (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने के अर्हता संबंधी मानदंड क्या हैं और वर्ष 1995-2000 के लिए इस सूची में वर्ष-वार कितने अनुभाग अधिकारियों को शामिल किया गया है;

(ख) सीधी भर्ती कोटे से अनुभाग अधिकारियों की वर्ष-वार संख्या क्या है और वर्ष 1995-2000 के लिए चयन सूची में अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों को शामिल किया गया है;

(ग) सीधी भर्ती कोटे और अनुसूचित जनजाति से संबंधित रिक्तियों को भरने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है और भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) अनुसूचित जनजाति कोटे से ऐसे पदोन्नत होने वाले कुल कितने लोग हैं जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है लेकिन उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(ङ) क्या अनुभाग अधिकारी की सीधी भर्ती से आने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित ऐसे लोगों के नाम अभी भी चयन सूची में शामिल किए गए हैं, जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं और वे त्यागपत्र उन्होंने पांच वर्ष पूर्व दिए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की रिक्तियां, उन अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति करके भरी जाती हैं जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो। इस आशय के लिए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-I और चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियमावली, 1964 में विहित प्रक्रिया के अनुसार एक वार्षिक प्रवर सूची तैयार की जाती है। प्रवर सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:-

1995	–	60
1996	–	76
1997	–	66
1998	–	43
1999	–	45
2000	–	74

(ख) सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्त और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	सीधे भर्ती	अनुसूचित जनजाति
1995	9	1
1996	11	1
1997	14	1
1998	8	—
1999	13	2
2000	15	2

(ग) सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्त अनुभाग अधिकारियों को प्रवर-सूची में शामिल किए जाने के लिए कोई कोटा नहीं है। सभी अनुभाग अधिकारियों को, उनकी श्रेणी की ओर ध्यान दिए बिना, अनुभाग अधिकारियों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची में से उनकी वरिष्ठता के क्रम में, प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को बढ़े हुए विचारण क्षेत्र में उनकी उपलब्धता के मद्देनजर, मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।

(घ) अवर सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए और अभी सूची में शामिल किए जाने वाले अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की कुल संख्या 77 है।

(ङ) वे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, उन्हें ग्रेड-I की प्रवर सूचियों में शामिल किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(छ) प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए विचारण क्षेत्र को बढ़ाकर, रिक्तियों की संख्या से 5 गुणा कर दिया गया है।

तिरूवनन्तपुरम में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान का निर्माण

5603. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरूवनन्तपुरम में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र) के भवन परिसर के निर्माण हेतु प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भवन निर्माण हेतु अनुमानित लागत तैयार कर लिया गया है और इसे केंद्र सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजा गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले पर क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (औषध अनुसंधान) तिरूवनंतपुरम के लिए भवन निर्माण हेतु तिरूमला गांव में 1.54500 एकड़ भूमि आबंटित की थी। केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने उक्त भूमि का अधिग्रहण 4.8.2003 को किया था। वर्तमान योजना में कुछ आशोधन करने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उसकी अनुमानित लागत में संशोधन करने के कारण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ प्रस्तावित भवन के अंतिम डिजाइन और अनुमानित लागत को नवंबर, 2006 में ही संपन्न किया जा सका। केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुमानित लागत दिसम्बर, 2006 में प्राप्त हुई है तथापि, इसे केंद्र सरकार को इस कारण नहीं भेजा गया है चूंकि परिषद के पुनर्गठन हेतु गठित पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में खेलों को बढ़ावा देने के लिए धनराशि

5604. श्री मनोरंजन भक्त : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को केन्द्रीय धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में शामिल किए गए महाविद्यालयों और/विश्वविद्यालयों सहित तत्संबंधी तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना फायदा हुआ है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों के संवर्धन" की पूर्व योजना, जिसे 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को सौंपा जा चुका है, के तहत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ क्षेत्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) विभिन्न खेल संवर्धन योजनाएं नामत: राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.), विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.), भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.), सेना बाल खेल कम्पनी (ए.बी.एस.सी.) तथा उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.) चला रहा है। इन योजनाओं के तहत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में केन्द्रों की संख्या तथा इन योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशिक्षणार्थियों के लिए दी गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

केन्द्रों की संख्या	दी गई निधियां (राशि रु. में)		
	2003-2004	2004-2005	2005-2006
एनएसटीसी-1 एसएजी-1	44,13,846	37,54,506	60,79,376

राज्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत धनराशि देना

5605. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को किन-किन विभिन्न शीर्षों और योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शीर्षों और योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय आबंटन में से वर्ष-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि के अल्प उपयोग करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय मंत्रालय द्वारा सड़क क्षेत्र में चलाई जा रही केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त स्कीमों से है। यह मंत्रालय राज्यीय सड़कों के विकास के लिए आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम सहित केंद्रीय सड़क निधि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को धन प्रदान करता है।

(ख) (और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कीमों के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित और जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम सहित केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आबंटित धनराशि	आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम सहित केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जारी धनराशि
2004-05	964.00	624.28
2005-06	1705.95	1385.36
2006-07	1706.07	1531.36

(घ) राज्य सरकारों से इन स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की प्रगति में तेजी लाने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है और धनराशि के उपयोग पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या

5606. श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिवर्ष एक मिलियन जान बचाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबों को अच्छी गुणवत्ता वाली प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) देश में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II चलाया है। इस कार्यक्रम को सभी लाभग्राहियों (स्टेकहॉल्डरों) की भागीदारी से तैयार किया गया है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि और सभी अन्य विकास भागीदार शामिल हैं। यह कार्यक्रम अप्रैल, 2005 से 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के बजट, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि के संयुक्त वित्तपोषण से आरंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) ने तकनीकी सहयोग के लिए 7 मिलियन पाउंड के अतिरिक्त 245 मिलियन पाउंड की वित्तीय सहायता प्रदान करने की वचनबद्धता दी है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कवर किए गए समग्र कार्यकलापों को सम्मिलित और एकीकृत करते हुए प्रतिमान में परिवर्तन लाने की योजना है। सभी विकास भागीदारों और राज्य सरकारों की भागीदारी में भारत सरकार के नेतृत्व में संयुक्त पुनरीक्षा मिशन द्वारा इस कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यह कार्यक्रम अब अपने कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष में है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रदर्शन

5607. श्री हितेन बर्मन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) उन अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आगामी दस वर्ष के दौरान भारत द्वारा आयोजित करने की संभावना है;

(ग) भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन और बढ़िया मेजबानी के लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(घ) इस संबंध में मंत्रालय को कुल कितनी बजटीय सहायता दी गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों में लगभग 13000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 3500 खिलाड़ियों को (भा.खे.प्रा. केन्द्रों के कुछ प्रशिक्षणार्थियों सहित) प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ख) तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल अक्तूबर, 2008 में पुणे में आयोजित किए जा रहे हैं तथा 19वें राष्ट्रमंडल खेल अक्तूबर, 2010 में दिल्ली में आयोजित किए जाने हैं।

विभिन्न खेल विधाएं अग्रिम रूप में अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/प्रतियोगिताओं विश्व/संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा लगभग एक वर्ष पहले आबंटित की जाती हैं। संबंधित परिसंघों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2009 में विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप, 2008 में 10वीं जूनियर तथा चौथी कैडेट विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप और 2007 में 17वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन भारत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) सरकार राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपेक्षित अवस्थापना के सृजन/उन्नयन के लिए तथा इन खेलों के सुचारू और सफलतापूर्वक आयोजन के लिए शहरी अवस्थापना के उन्नयन तथा अन्य अपेक्षित सुविधाओं के सृजन के लिए व्यवस्थित रूप से कदम उठा रही है। जहां तक भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का संबंध है, सरकार पहले से ही भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तथा विदेश में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों को प्रतियोगिता में पर्याप्त अवसर देने के लिए सक्षम बनाने के लिए सहभागिता के लिए; अपेक्षित वैज्ञानिक, तकनीकी और उपस्कर समर्थन सहित भारतीय और विदेशी कोचों के माध्यम से भारत (और विदेश) में प्रशिक्षण और कोचिंग के लिए; तथा उपकरण मुहैया कराने, दीर्घावधिक विकास योजनाएं जिन पर राष्ट्रीय खेल परिसंघ और सरकार की सहमति के अनुसार सहायता प्रदान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विभिन्न उपायों पर सभी संबंधितों का ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य पणधारियों जिनमें

भारतीय ओलम्पिक संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण शामिल है, के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण" तथा "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पता लगाये गए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन तथा प्रशिक्षण और देश के अंदर और विदेश में प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(घ) राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 2007-08 के दौरान 150 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। भारत में अन्य स्पर्धाओं के संबंध में, उपर्युक्त पैरा (ग) में उल्लिखित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता के लिए योजना के तहत भारत सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के तहत निम्नलिखित व्यय किया गया:-

(रु. करोड़ों में)

योजना का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता की योजना	50.31	42.90	37.08
प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना	01.49	0.50	02.80
राष्ट्रीय खेल विकास निधि योजना	0.63	0.48	0.96

बी.सी.सी.एल. का कोयला भंडार

5608. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के समय और 01 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के कोकिंग और नॉन कोकिंग कोयले सहित कोयले भंडार का सीमा-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बी.सी.सी.एल. के अधीन इन कोयला भंडारों की अवधि के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) राष्ट्रीयकरण के समय भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के अधीन कोलफील्डों में भू-गर्भीय भंडार 19251 मि.ट. (एमटी) था। 1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार 1200 मीटर की गहराई तक भू-गर्भीय कोयला भंडार 18228.83 मि.ट. है। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

I. झरिया कोलफील्ड

प्रमुख कोकिंग कोयला	—	4691.61 मि.टन
मध्यम कोकिंग कोयला	—	5488.91 मि.टन
नान-कोकिंग कोयला	—	6642.47 मि.टन
कुल झरिया कोलफील्ड	—	16822.99 मि.टन

II. रानीगंज कोलफील्ड (चांच विक्टोरिया क्षेत्र)

प्रमुख कोकिंग कोयला	—	शून्य
मध्यम कोकिंग कोयला	—	321.77 मि.टन
नान-कोकिंग कोयला	—	1084.07 मि.टन
कुल झरिया कोलफील्ड	—	1405.84 मि.टन

III. बीसीसीएल योग (I+II)

प्रमुख कोकिंग कोयला	—	4691.61 मि.टन
मध्यम कोकिंग कोयला	—	5810.68 मि.टन
नान-कोकिंग कोयला	—	7726.54 मि.टन
कुल झरिया कोलफील्ड	—	18228 मि.टन

(ख) और (ग) बीसीसीएल के अधीन भंडारों के जीवन-काल का कोई विस्तृत आकलन नहीं किया गया है। तथापि, इस बात को देखते हुए कि विभिन्न नियंत्रणों के नीचे वाले भंडारों को निकाला जाता है, तो भंडारों का जीवन काल प्रति वर्ष 30 मिलियन टन के उत्पादन के हिसाब से 180 वर्ष होगा।

दिल्ली में अभिघात केन्द्र

5609. श्री गणेश प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली में कितने अभिघात केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों में आवश्यक सर्जिकल वस्तुओं की आपूर्ति लम्बे समय से बंद पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर रूप से घायल रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन अभिघात केन्द्रों में सर्जिकल वस्तुओं की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (च) जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में एम्स के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है। यह केन्द्र बिना किसी रुकावट के आवश्यक सर्जिकल उपकरणों की आपूर्ति प्राप्त कर रहा है और गंभीर रूप से घायल हुए रोगी इस अभिघात केन्द्र में संतोषजनक रोगी परिचर्या सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के अन्य अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों के आपातकालीन/कैजुअल्टी विभागों में अभिघात परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हैं परंतु इन अस्पतालों में ऐसा सुसज्जित अभिघात केन्द्र कार्यरत नहीं है। दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में आवश्यक सर्जिकल उपकरणों की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी

5610. श्री शिशुपाल एन. पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आ रही है, जैसाकि दिनांक 18 अप्रैल, 2007 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान आज की तिथि तक लैंडलाइन टेलीफोन उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में मोबाइल का उपयोग करने वालों की संख्या में राज्य-वार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) लैंडलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(i) मोबाइल फोनों की प्रशुल्क दरों में कमी।

(ii) मोबाइल फोनों में प्रीपेड सुविधा की उपलब्धता।

(iii) मोबाइल फोनों को आसांनी से इधर-उधर ले जाने की सुविधा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों के मोबाइल बाजार में निजी सेवा प्रदाताओं का प्रवेश; और

(v) मोबाइल फोनों में ऐसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध होना जो प्रायः लैंडलाइन फोनों पर उपलब्ध नहीं होतीं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 2007 से पहले लैंडलाइन और मोबाइल फोन के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन प्रयोक्ताओं की कुल संख्या 1,25,49,077 है जबकि इन क्षेत्रों में मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या 1,07,57,755 है।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के संबंध में लैंडलाइन प्रयोक्ताओं की तुलना में मोबाइल प्रयोक्ताओं की संख्या में हुई राज्यवार प्रतिशत वृद्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान मोबाइल प्रयोक्ताओं और लैंड़लाइन प्रयोक्ताओं की संख्या में राज्य-वार प्रतिशत वृद्धि

क्र. सं.	सर्किल का नाम	2006-07 के दौरान ग्रामीण उपलब्धि		स्थिर कनेक्शनों की तुलना में मोबाइल कनेक्शनों में प्रतिशत वृद्धि
		स्थिर	मोबाइल	
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-3,521	7,380	लागू नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	-53,181	282,057	लागू नहीं
3.	असम	37,027	72,323	95%
4.	बिहार	22,319	63,449	184%
5.	छत्तीसगढ़	22,463	59,848	166%
6.	गुजरात	-28,041	72,589	लागू नहीं
7.	हरियाणा	1,230	116,639	9383%
8.	हिमाचल प्रदेश	-1.343	144,758	लागू नहीं
9.	जम्मू-कश्मीर	20,078	677,203	3273%
10.	झारखण्ड	10,093	57,812	473%
11.	कर्नाटक	5,099	133,902	2526%
12.	केरल	183,332	136,251	26%
13.	मध्य प्रदेश	122,286	50,982	58%
14.	महाराष्ट्र	134,698	442,282	228%
15.	पूर्वोत्तर-I	17,797	22,796	28%
16.	पूर्वोत्तर-II	7,443	16,413	121%
17.	उड़ीसा	42,838	90,326	111%
18.	पंजाब	-69,820	423,198	लागू नहीं
19.	राजस्थान	3,732	300,743	7958%

1	2	3	4	5
20.	तमिलनाडु	146,388	71,116	51%
21.	उत्तरांचल	9,948	87,561	780%
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	52,862	491,689	830%
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-1,578	68,511	लागू नहीं
24.	पश्चिम बंगाल	30,675	138,225	351%
25.	कोलकाता	0	29,333	लागू नहीं
26.	चेन्नै	6,604	-8,605	लागू नहीं
	कुल	719,428	4,048,781	463%

[अनुवाद]

ग्रामीण टेलीफोन केन्द्र

5611. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण टेलीफोन केन्द्रों की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इन टेलीफोन केन्द्रों की स्थिति असंतोषजनक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के लगभग 29,000 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज हैं। ये एक्सचेंज अत्याधुनिक डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं।

(ख) सामान्यत: ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति संतोषजनक है। तथापि, निम्नलिखित कारणों से कभी-कभी कुछ एक्सचेंजों का कार्य निष्पादन प्रभावित होता है:-

(i) उपयोग योग्य वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति न होना/अपर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति होना।

(ii) लगातार चलाए जाने के कारण बैक-अप विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदत्त इंजन आल्टरनेटर में टूट-फूट।

(iii) कुछेक दूर-दराज तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इंजन आल्टरनेटर हेतु डीजल आपूर्ति न हो पाना/ढुलाई की समस्या।

(iv) वर्षा ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भागों में भीषण अपूर्व बाढ़ की स्थिति।

(v) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य लोक निर्माण विभाग प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण देश में बड़े पैमाने पर किए जा रहे सड़क विस्तार कार्य के कारण आप्टीकल फाइबर केबलों की क्षति पहुंचना।

(ग) ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की सेवाओं में और सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों/मीडिया के कार्य-निष्पादन की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग।

(ii) सी-डॉट 256 पोर्ट ग्रामीण एक्सचेंजों को एएन ग्रामीण ऑटोमैटिक एक्सचेंजों (आरएएक्स) में बदलना।

(iii) सिंगल बेस मॉड्यूल (एसबीएम) को रिमोट स्विचिंग यूनिट (आरएसयू) में बदलना।

(iv) बैक आप विद्युत आपूर्ति हेतु अनुरक्षण मुक्त बैटरी सैटों और इंजन आल्टरनेटरों की व्यवस्था।

(v) फिक्सड वायरलैस टर्मिनल (एफडब्ल्यूटी) सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक

अनुरक्षण संविदा (एएमसी) पर हस्ताक्षर किया गया और नई आपूर्तियों में एएमसी की व्यवस्था।

(vi) डब्ल्यूएलएल प्रणालियों के कवरेज में वृद्धि करने के लिए अधिकाधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की योजना बनायी गई है।

(vii) एफडब्ल्यूटी के उचित उपयोग के संबंध में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें "करें तथा न करें" संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि एफडब्ल्यूटी संबंधी खराबियों में कमी लायी जा सके।

दूरसंचार परिचालकों को दंड देना

5612. **डा. राजेश मिश्रा :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1999 से 2001 की अवधि हेतु लंबित "स्पैक्ट्रम पेमेंट" हेतु ब्याज प्रभार के रूप में जीएसएम दूरसंचार परिचालकों से 300 करोड़ रुपए देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन परिचालकों के क्या नाम हैं और उनसे परिचालक-वार कितनी धनराशि वसूली गई है;

(ग) अभी तक वसूल की गई धनराशि का परिचालक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चूक करने वाले ऐसे जीएसएम आपरेटरों को दंड देने का है जिन्होंने धनराशि का भुगतान नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार जीएसएम प्रचालकों पर, विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित, स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में लगभग 192 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें से लगभग 162 करोड़ रुपए की राशि वसूल ली गयी है। स्पेक्ट्रम प्रभार के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूला जाता है।

विवरण

दूरसंचार प्रचालकों से वसूले जाने वाले भुगतानों का ब्यौरा

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र	प्रचालक	31.12.01 तक ब्याज सहित स्पेक्ट्रम देयताओं का बकाया (रुपये में)	वसूल की गई धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	भारती एयरटेल	20,23,94,375	20,23,94,375
2.	मुंबई	बीपीएल मोबाइल काम. लि.	21,76,76,372	21,76,76,372
		हचिसन मैक्स लि.	2,68,70,862	2,68,70,862
3.	कोलकाता	भारती एयरटेल लि.	3,23,46,257	3,23,46,257
		हचिसन एस्सार	5,79,77,450	5,79,77,450
4.	चेन्नै	एयरसेल लि.	5,23,20,530	5,23,20,530
		भारती एयरटेल लि.	2,28,84,322	2,28,84,322

1	2	3	4	5
5.	आंध्र प्रदेश	भारती एयरटेल लि.	1,12,69,411	1,12,69,411
6.	असम	रिलायंस टेलीकॉम	18,42,367	0
7.	बिहार	रिलायंस टेलीकॉम	1,36,34,753	0
8.	हरियाणा	आइडिया मोबाइल	5,15,17,851	5,15,17,851
		एयरसेल डिजिलिंक	8,65,38,157	8,65,38,157
9.	हिमाचल प्रदेश	भारती एयरटेल लि.	1,57,02,342	1,57,02,342
10.	कर्नाटक	स्पाइसकॉम	8,46,69,254	0
		भारती एयरटेल लि.	2,68,30,317	2,68,30,317
11.	केरल	हच एस्सार लि.	6,86,20,332	6,86,20,332
		आइडिया मोबाइल	7,44,50,997	7,44,50,997
12.	महाराष्ट्र	हच एस्सार लि.	11,12,14,964	11,12,14,964
		आइडिया मोबाइल	1,77,05,666	1,77,05,666
13.	मध्य प्रदेश	बीटीए सेलकाम (आइडिया)	5,14,87,738	5,14,87,738
14.	पूर्वोत्तर	रिलायंस टेलीकॉम	6,95,019	0
15.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम	22,98,183	0
16.	पंजाब	स्पाइस कॉम	19,90,31,730	0
17.	राजस्थान	एयरसेल डिजिलिंक	6,81,86,172	6,81,86,172
		भारती हेक्सा लि.	6,29,81,771	6,29,81,771
18.	तमिलनाडु	हच एस्सार लि.	9,35,62,863	9,35,62,863
		एयरसेल लि.	5,41,66,992	5,41,66,992
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	आइडिया मोबाइल	9,85,08,416	9,85,08,416
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक	11,66,44,714	11,66,44,714
		कुल	1,92,40,30,177	1,62,18,58,871

कोयले की कम आपूर्ति संबंधी शिकायत

5613. **डा. के. धनराजू :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत परियोजनाओं को कोयले की कम आपूर्ति की आम शिकायत रहती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिए कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है और वर्ष 2006-07 के दौरान इसकी तुलना में कोयले की कितनी आपूर्ति की गई है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं को कोयले की कम आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) जी, नहीं। विद्युत संयंत्रों की मूल्यांकित मांग को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों के पास कोयले का पर्याप्त स्टाक है। 2006-07 के दौरान सीआईएल स्रोतों से विद्युत उपयोगिताओं द्वारा उठान मांग के पूरा न होने, अवसंरचनात्मक कमियों, उतरायी की दिक्कतों, परिवहन की दिक्कतों और विद्युत संयंत्रों द्वारा अपने यहां स्टाक को नियामक स्तर तक तैयार करने की अनिच्छा के कारण वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य से लगभग 4% कम था।

(घ) 2007-08 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:

(i) सीआईएल में आपातकालीन कोयला उत्पादन की आयोजना की गई है।

(ii) एनटीपीसी तथा विद्युत क्षेत्र के अन्य उपभोक्ताओं को आबंटित कोयला ब्लाकों को शुरू करने में तेजी लायी जा रही है।

(iii) विद्युत मंत्रालयों द्वारा बड़ी विद्युत उपयोगिताओं द्वारा कोयले के आयात का सहारा लिया जा रहा है।

(iv) विद्युत गृह पर उतरायी अवसंरचना में सुधार किया जाना है और रेलवे वैगनों के टर्न अराउण्ड समय में कमी की जानी है।

(v) विद्युत गृहों/राज्य विद्युत बोर्डों से मांग सूची नियंत्रित न करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इससे कोयला स्टाक में कमी आती है।

(vi) जहां अधिक कोयला उपलब्ध है, वहां सरकिट में रेलवे वैगनों को बढ़ाकर कोयले की आवाजाही में सुधार किया जा रहा है।

(vii) विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अधिक केप्टिव कोयला ब्लाक आबंटित किए गए हैं।

यूरेनियम का भंडार

5614. **श्री जुएल ओराम :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने यूरेनियम भंडारों की पहचान की गई है;

(ख) क्या देश के परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए पर्याप्त यूरेनियम भंडार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में यूरेनियम की खोज, इसके उत्खनन और इसके उपयोग हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) आज की तारीख में देश में यूरेनियम के कुल ज्ञात भंडार लगभग 1,07,268 मीटरी टन (U_3O_8) हैं, इनका यूनिटवार वितरण निम्नानुसार है:

राज्य	यूरेनियम स्रोत मीटरी टन (U_3O_8)
1	2
झारखंड	47,809
मेघालय	17,233
आंध्र प्रदेश	27,870
छत्तीसगढ़	3,986

1	2
कर्नाटक	4,233
राजस्थान	4,113
उत्तर प्रदेश	785
हिमाचल प्रदेश	784
महाराष्ट्र	355
उत्तरांचल	100
कुल	1,07,268

(एक मीटरी टन (U_3O_8) = 0.848 मीटरी टन यूरेनियम धातु)

(ख) और (ग) जी हां, ये भंडार, परमाणु कार्यक्रम के पहले चरण में, 40 वर्ष की अवधि के लिए, लगभग 10,000 मेगावाट-ई क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्युआर्ज़) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के एक अधीनस्थ संघटक यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद ने ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान, संभावित क्षेत्रों में वायुवाहित और भूतल भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों एवं विस्तृत सर्वेक्षणों तथा भू-वेधन के जरिए, अन्वेषण कार्यों को तेज कर दिया है। ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान लगभग 75,000 मीटरी टन यूरेनियम स्रोतों को प्रमाणित करने की परिकल्पना की गई है।

एन.एच.डी.पी.-V हेतु पूर्व अर्हता संबंधी प्रस्ताव

5615. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एनएचडीपी-V के अंतर्गत केवल 8 बी ओ टी (टॉल) परियोजनाओं के लिए 143 पूर्व अर्हता संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निविदाओं को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और कार्य के कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राजमार्ग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप उपयोग प्रभारों में कोई कमी नहीं आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारत में पथ प्रभार (टॉल चार्ज) विश्व में सबसे कम है जैसाकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दावा किया गया है; और

(छ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को लोअर यूसेज चार्ज का लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत आठ निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए पूर्व-अर्हता संबंधी 186 प्रस्ताव हैं। 186 प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रस्तावों के मूल्यांकन की कार्रवाई चल रही है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के बाद कार्य सौंप दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) प्रयोक्ता प्रभार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इसलिए प्रयोक्ता प्रभारों को कम करने का कार्य को पूरा करने से कोई संबंध नहीं है।

(च) और (छ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह दावा नहीं किया गया है कि भारत में पथकर प्रभार दुनिया में सबसे कम हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत 8 निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) परियोजनाओं के लिए पूर्व-अर्हता संबंधी प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं.	खंड	रा.रा. सं.	प्राप्त निविदाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	चेन्नै-टाडा	5	30

1	2	3	4
2.	सूरत-दहिसार	8	19
3.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर	8	21
4.	चंडीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर	5	27
5.	दिल्ली-हापुड़	24	29
6.	पानीपत-जालंधर	1	18
7.	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा-इलूरू-राजामुंदरी	5	20
8.	दिल्ली-आगरा	2	22
	जोड़		186

[हिन्दी]

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

5616. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को केंद्रीय सड़क निधि में से सड़क उपरि पुलों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार के पास रेलवे को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के लिए निर्धारित कुल धनराशि में से रेलवे द्वारा सड़क उपरि पुलों/सड़क नीचे पुलों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त धनराशि का आबंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	सड़क उपरि पुलों/सड़क नीचे पुलों के लिए केंद्रीय सड़क निधि के तहत प्राप्त धनराशि
2004-05	251.00
2005-06	410.81
2006-07	435.86

(ख) केंद्रीय सड़क निधि से रेलवे का हिस्सा, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 में निर्धारित फार्मूला के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्र

5617. श्री अधीर चौधरी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरियाणा और पंजाब राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों को स्वीकृति देने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयुक्त पाई गई तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों को स्वीकृति देने संबंधी प्रस्तावों की संस्तुति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जाती है और अनुमोदन इस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

स्वर्णिम चतुर्भुज पर सड़क किनारे सुविधाएं

5618. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तर्ज पर स्वर्णिम चतुर्भुज पर सड़क किनारे सुविधाऐं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) सड़क किनारे सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी हां। मार्गस्थ सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी:-

(i) खान-पान स्थल, पेय जल और शौचालय

(ii) विश्राम के लिए शयनागार

(iii) फोन सुविधा

(iv) ईंधन (फ्यूलिंग) की सुविधा

(v) बसों और ट्रकों की पार्किंग को कारों और अन्य हल्के वाहनों की पार्किंग से अलग करते हुए विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल

(vi) मरम्मत की दुकानें (यांत्रिक और बिजली का सामान) और कल पुर्जे (स्पेयर पार्ट) की दुकानें

(vii) विविध सामग्री के लिए एक दुकान

(viii) प्राथमिक चिकित्सा सुविधा सहित सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए स्थान, और

(ix) भूदृश्य (लैंड स्कैपिंग)।

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग के 24 किमी. और 78 किमी. पर मार्गस्थ सुविधाएं चालू हो गई हैं । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित स्थानों पर मार्गस्थ सुविधाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं:-

(i) राजस्थान में राष्ट्रीय. राजमार्ग 8 (जयपुर बाइपास) 20.057 किमी. से 20.357 कि.मी. पर दायीं ओर

(ii) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (जयपुर बाइपास) 20.432 किमी. से 20.732 कि.मी. पर बायीं ओर

(iii) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 46.700 से 46.900 किमी. (बायीं ओर)

(iv) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 61.130 से 61.330 किमी. (बायीं ओर)

(v) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 528.200 किमी.

(vi) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 617.530 किमी.

(vii) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर 170.243 से 170.661 किमी.

(viii) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 213.425 से 213.725 किमी.

(ix) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 285.396 से 285.656 किमी.

(x) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 355.575 से 355.890 किमी.

(xi) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 81.0 किमी.

(xii) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 18.425 से 18.575 किमी.

(xiii) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 235.473 से 235.673 किमी.

(xiv) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 305.225 से 305.375 किमी.

[हिन्दी]

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रति व्यक्ति औसत

5619. डा. धीरेंद्र अग्रवाल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य में इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रति व्यक्ति औसत कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कितने किलोमीटर लंबाई की मरम्मत की गई है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) झारखंड में प्रति लाख आबादी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 6.7 किमी. है।

(ख) और (ग) साधारण मरम्मत कार्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में किया जाता है । इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण व मरम्मत कोष से झारखंड में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की 178 किमी. लंबाई में नवीकरण कार्य किया गया है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गत तीन वर्षों के दौरान अनुरक्षण व मरम्मत शीर्ष के अंतर्गत 49.32 करोड़ रु. व्यय किए गए।

[अनुवाद]

जी.डी.पी. के संबंध में भारत का स्थान

5620. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में भारत का स्थान विश्व के प्रथम दस देशों में है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और इन देशों के सकल घरेलू उत्पाद में किस दर से वृद्धि हुई है;

(ग) क्या जी.डी.पी. की उच्च दर के बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति आय इन देशों की तुलना में बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति आय के संबंध में भारत का कौन-सा स्थान है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) "वर्ल्ड डिवेलपमेंट इंडीकेटर्स 2006" नामक विश्व बैंक के एक दस्तावेज के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, 195 देशों में से भारत 11वें स्थान पर है, और वर्ष 2004 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में यह 159वें स्थान पर है। अधिकांश देशों की तुलना में भारत में कम प्रतिव्यक्ति आय अधिक जनसंख्या होने के कारण है। वर्ष, 2006 के लिए सकल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में पहले 11 देशों की रैंकिंग हेतु सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय संबंधी विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004 के लिए सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

क्रम सं.	देश	सकल राष्ट्रीय आय		प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय	
		$ बिलियन 2004	रैंक 2004	$ 2004	रैंक 2004
1	2	3	4	5	6
1.	अमेरिका	12,168.5	1	41,440	5
2.	जापान	4,734.3	2	37,050	9
3.	जर्मनी	2,532.3	3	30,690	18
4.	ब्रिटेन	2,013.4	4	33,630	13
5.	चीन	1,938.0	5	1,500	129
6.	फ्रांस	1,888.4	6	30,370	19

1	2	3	4	5	6
7.	इटली	1,513.1	7	26,280	28
8.	स्पेन	919.1	8	21,530	34
9.	कनाडा	905.0	9	28,310	21
10.	मैक्सिको	704.9	10	6,790	70
11.	भारत	673.2	11	620	159

स्रोत: वर्ल्ड डिवेलपमेंट इंडीकेटर्स 2006.

टिप्पणी: देशों के नाम और उनकी रैंकिंग सकल राष्ट्रीय आय के अवरोही क्रम के संदर्भ में हैं।

[हिन्दी]

बहादुरशाह जफर की कब्र का मुद्दा

5621. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने भारत सरकार से भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुरशाह जफर की कब्र को भारत में वापस लाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) दिल्ली में स्थित बहादुर शाह जफर मेमोरियल सोसायटी ने 1949 में यह प्रस्ताव किया था कि बहादुर शाह जफर का अवशेष यंगून से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। सरकार को इस संबंध में पाकिस्तानी विद्वानों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

एनईएचएचडीसी का वित्तीय निष्पादन

5622. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एनईएचएचडीसी) घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर और सिक्किम में केन्द्र सरकार के कोई अन्य उपक्रम घाटे में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। इस निगम को इसके आरंभ से ही विभिन्न कारणों से जिसमें प्रबंधकीय और प्रक्रिया संबंधी कमियां शामिल हैं, घाटा होता रहा है।

(ग) और (घ) उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्ष 2005-06 के दौरान दस केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम कार्यरत थे जिसमें चार को हानि हुई। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

क्र. सं.	उद्यम का नाम	हानि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी)	263

1	2	3
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. (नेरामेक)	110
3.	नागालैंड पल्प तथा पेपर कंपनी लिमिटेड	1402
4.	ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक निगम लिमिटेड	9978

(ङ) इन निगमों को कार्यक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं:-

एनईएचएचडीसी

- अधिक बिक्री के लिए शोरूम के पुनरुद्धार हेतु धनराशि की स्वीकृति।
- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सहायता से गुवाहाटी में बांस और लकड़ी आधारित उत्पादों के लिए आम सुविधा केंद्र को सुचारू बनाना।
- उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा के प्रभावी विपणन को विभिन्न साधनों के माध्यम से जिसमें वेबसाइट शुरू करने, डिजाइन विकसित करने, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करने और एनईएचएचडीसी के प्रबंधन की ओर से अधिक सहयोगात्मक पहुंच द्वारा प्रभावी विपणन पर जोर

नेरामेक

- उपयुक्त लाभ प्राप्त करने और इसके प्रबंधन द्वारा सहयोगात्मक भूमिका अपनाने के लिए नेरामेक द्वारा व्यापार मदों को इष्टतम बनाना।
- व्यापार मदों के लिए पिछड़े संपर्क को सुदृढ़ बनाना और कच्चे मालों के लिए जिसकी जरूरत प्रोसेस कार्यों के लिए ली जाती है, को स्वयं सहायता ग्रुप और कृषक को-ऑपरेटिव सोसाइटियों आदि के साथ समझौता ज्ञापन करके सुदृढ़ बनाना।
- नलकटा स्थित अनानास जूस कन्सन्ट्रेट यूनिट का अनानास जूस कन्सन्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य उत्पादों के उत्पादन का विस्तार करना ताकि यह यूनिट वर्ष में 300 कार्यदिवस तक कार्य करें।
- असम के मनकाचर में काजू बादाम प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना।

नागालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड

सरकार ने इस कंपनी के लिए हाल ही में एक पुनरुद्धार योजना की स्वीकृति दी है।

ब्रह्मपुत्र वैली उर्वरक निगम लिमिटेड

इस कंपनी को यूरिया के उत्पादन में मुख्य रूप से कम ऊर्जा क्षमता के कारण और 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग से चलाने के लिए गैस की अपर्याप्तता के कारण हानि हो रही है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने डोनर मंत्रालय को सूचित किया है कि ऊर्जा क्षमता और लागत संघटन के तहत इस कंपनी को विशेष अनुकंपा की कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ताकि कंपनी को नकद हानि से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-12 को चार लेन का बनाया जाना

5623. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सीमा तक स्थित जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-12 को चार लेन में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर किए जाने वाले अनुमानित खर्चे का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जयपुर-टोंक-कोटा-झालावाड़ खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के जयपुर-टोंक-देवली खंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने कार्य प्रगति पर है। डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन (डीबीएफओ) आधार पर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के देवली-कोटा-झालावाड़ खंड के साध्यता अध्ययन के लिए परामर्शी

कार्य हेतु निविदाओं की जांच की जा रही है। इस समय इन परियोजनाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के झालावाड़-मध्य प्रदेश सीमा खंड को 4 लेन का बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दंत शल्य चिकित्सा के लिए मनपसंद का गंतव्य स्थान

5624. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य देशों की तुलना में दंत शल्य चिकित्सा के लिए तेजी से मनपसंद का गंतव्य स्थान बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आने वाले दंत रोगियों को क्या-क्या सुविधाएं पेश की जा रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों के बीच दंत रोगों के संबंध में जागरूकता पैदा करने और देश में दंत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के अनुसार दंत चिकित्सा के स्तर में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही भारत दंत शल्यचिकित्सा का एक मनपंसद स्थान बनता जा रहा है। भारत में सभी प्रकार के दंत इलाज मौजूद हैं जो समान स्तर पर विकसित देशों की तुलना में सस्ते हैं। भारत में पर्याप्त पयर्टक स्थल होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विमान किरायों की कम दर होना भी दंत पर्यटन के पक्ष में जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजागरुकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मुख स्वास्थ्य परिचर्या पर एक कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे इस रोग के साथ जुड़े सामान्य जोखिम कारकों की रोकथाम की जा सके।

मेडिकल कालेज को धनराशि जारी किया जाना

5625. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने 15 जुलाई, 2005 को राज्य आदर्श महाविद्यालय योजना के अंतर्गत बंगलौर स्थित सरकारी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय को अनुदान सहायता की दूसरी किस्त जारी करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो धनराशि जारी किए जाने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) 150.00 लाख रु. की दूसरी किस्त निर्मुक्त करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से कालेज को सितम्बर, 2005 में निर्मुक्त की गई 150.00 लाख रु. की पहली किस्त से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र और उसकी संतुष्टि करने वाले दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति

5626. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खस्ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार की इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार लाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय 189 करोड़ रु. के विकास कार्य शुरू किए गए हैं और ये कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 542 किमी. लंबाई में 4 लेन बनाने के कार्य शुरू किए गए हैं जिन्हें वर्ष 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल

5627. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बिलों की संख्या की तुलना में त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिलों के मामले बहुत अधिक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) व्यक्तिश: किसी को इसके लिए जिम्मेवार नहीं पाया गया था।

(घ) त्रुटिपूर्ण बिलों/शिकायतों से संबंधित स्थायी अनुदेश विद्यमान हैं। इन अनुदेशों को समय-समय पर दुहराया जाता है ताकि इस प्रकार की घटनाएं न्यूनतम हों।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिलों के मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	मामलों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	166	561	983
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	106	15	9
6.	गुजरात	289	1161	1030
7.	हरियाणा	6	20	11
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
14.	महाराष्ट्र और गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
18.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
19.	उड़ीसा	199	414	947

1	2	3	4	5
20.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य
21.	राजस्थान	शून्य	54	578
22.	तमिलनाडु	252	88	23
23.	पांडिचेरी	शून्य	9	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
25.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
27.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

पाकिस्तान के कारागारों में गुजरात के मछुआरे

5628. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के कारागारों में सड़ रहे गुजरात के मछुआरों को छुड़ाए जाने के संबंध में प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने भारतीय मछुआरों का मुद्दा पाकिस्तान सरकार के समक्ष विभिन्न स्तरों पर उठाया है। मार्च 2006 से अब तक 258 भारतीय मुछआरे पाकिस्तान द्वारा रिहा किए जा चुके हैं। भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान 4 अप्रैल 2007 को मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारतीय मछुआरों से जब्त की गई मछली पकड़ने की नावों को उनके मालिकों को लौटाने के लिए पाकिस्तान शीघ्र कार्रवाई करेगा। दोनों नेताओं ने दोनों देशा में बंदियों के तौर पर रखे गए एक दूसरे के नागरिकों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सहमति व्यक्त की।

[हिन्दी]

डाकघरों में डाटाबेस का कंप्यूटरीकरण

5629. श्री गिरिधारी यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर बिहार में डाकघरों में पंजीकृत डाक के पंजीकरण के लिए राज्यवार और स्थानार कितने कंप्यूटर लगाए गए; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार और स्थानवार किन-किन स्थानों पर कम्प्यूटर लगाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) पिछले 3 वर्षों में बिहार में 293 डाकघरों सहित देश में 8263 डाकघरों में पंजीकृत डाक के पंजीकरण के लिए बहुउद्देशीय काउंटर मशीन अर्थात् कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं। देश में कंप्यूटर प्रदान किए गए डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों में बिहार में पंजीकृत डाक के पंजीकरण के लिए संस्थापित कंप्यूटरों की स्थानवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश में कंप्यूटर संस्थापित करने के लिए प्रस्तावित 463 डाकघरों की राज्यवार एवं स्थानवार सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान देश में कंप्यूटर प्रदान किए गए डाकघरों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	सर्किल	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	170	282	42
2.	असम	110	0	197
3.	बिहार	57	70	166

1	2	3	4	5
4.	छत्तीसगढ़	33	113	9
5.	दिल्ली	150	0	128
6.	गुजरात	131	190	206
7.	हरियाणा	40	116	14
8.	हिमाचल प्रदेश	48	72	8
9.	जम्मू-कश्मीर	68	0	14
10.	झारखंड	33	71	22
11.	कर्नाटक	137	260	114
12.	केरल	173	372	63
13.	मध्य प्रदेश	72	110	34
14.	महाराष्ट्र	252	612	65
15.	उत्तर-पूर्व	65	0	99
16.	उड़ीसा	60	119	76
17.	पंजाब	54	185	16
18.	राजस्थान	163	96	24
19.	तमिलनाडु	225	623	52
20.	उत्तर प्रदेश	114	74	580
21.	उत्तराखंड	31	93	14
22.	पश्चिम बंगाल	186	354	136
	कुल	2372	3812	2079

टिप्पणी: उत्तर-पूर्व सर्किल में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड राज्य शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल सर्किल में सिक्किम राज्य शामिल है।

महाराष्ट्र सर्किल में गोवा राज्य शामिल है।

विवरण-II

बिहार में 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान डाकघरों में पंजीकृत डाक के पंजीकरण के लिए संस्थापित कम्प्यूटरों की स्थानवार संख्या

क्रम सं.	डाकघर/स्थान	संस्थापित कम्प्यूटरों की संख्या
1	2	3
1.	अमरपुर	1
2.	आनन्दपुर	1
3.	अंदेर	1
4.	अमिसाबाद	1
5.	आरा चौक	1
6.	आरा कचेहरी	1
7.	अररिया	1
8.	अरेराज	1
9.	अरहां एचओ	2
10.	अरवल	1
11.	एएससी सेंटर	1
12.	आस्थावान	1
13.	औरंगाबाद एचओ	2
14.	बी.सी. रोड	1
15.	बी.ओ. रिफाइनरी	1
16.	बी. राजधाम	1
17.	बी.एस.ई.बी. पटना	1
18.	बछवाड़ा	1
19.	बगहा	1
20.	बहादुरगंज	1

1	2	3
21.	बहादुर हाऊसिंग कालोनी	1
22.	बहेरा	1
23.	बैसी	1
24.	बाजपट्टी	1
25.	बखरा	1
26.	बखरी बाजार	1
27.	बख्तियारपुर	1
28.	बनियापुर	1
29.	बांका एचओ	2
30.	बांकीपुर एचओ	2
31.	बनमनखी	1
32.	बरहिया	1
33.	बरौनी	1
34.	बरबीघा	1
35.	बरगनिया	1
36.	बाढ़	1
37.	बाढ़ आरएस	1
38.	बरहरिया	1
39.	बरियारपुर	1
40.	बारकुली	1
41.	बरसोइहीघाट	1
42.	बसन्तपुर	1
43.	बासोपट्टी	1
44.	बाटागंज	1
45.	बेगमपुर	1

1	2	3
46.	बेगूसराय एचओ	2
47.	बेहेरी	1
48.	बेलागंज	1
49.	बेलहौरी	1
50.	बेलसांड	1
51.	बेनीपट्टी	1
52.	बेनीपुर	1
53.	बेतिया एचओ	2
54.	भभुआ	1
55.	भागलपुर एचओ	2
56.	भागलपुर सिटी	1
57.	भगवानपुर	1
58.	बिदुपुर	1
59.	बिहारीगंज	1
60.	बिहारशरीफ एचओ	2
61.	बिहिया	1
62.	बिहपुर	1
63.	बिहटा	1
64.	बिक्रम	1
65.	बिक्रमगंज	1
66.	बिरौल	1
67.	बीरपुर	1
68.	बौंसी	1
69.	बीपीएससी	1
70.	ब्रह्मपुर	1

1	2	3
71.	बुनियादगंज	1
72.	बक्सर एचओ	2
73.	सी.आर. बिल्डिंग	1
74.	सीडीए	1
75.	चकिया	1
76.	छपरा एचओ	2
77.	चिरैयातन्द	1
78.	डालमिया नगर	1
79.	दलसिंहसराय	1
80.	दानापुर कैंट	1
81.	दरौंदा	1
82.	दरभंगा एचओ	2
83.	दरभंगा मेडिकल कालेज	1
84.	दारुल मल्लीक	1
85.	दाउद नगर	1
86.	दाउदपुर	1
87.	देहरी-ऑन-सोन	1
88.	देव	1
89.	देवरिया	1
90.	देसारी	1
91.	धाका	1
92.	दहोली	1
93.	दिघा	1
94.	दिघा घाट	1
95.	दिघवाड़ा	1

1	2	3
96.	दीवान मोहल्ला	1
97.	दुमरौन	1
98.	इकांगेरसराय	1
99.	इकमा	1
100.	फतेहपुर	1
101.	फतवा	1
102.	फोरबिसगंज	1
103.	गरहरा	1
104	गरखा	1
105.	गरनोखा	1
106.	गया एचओ	2
107.	गया आरएस	1
108.	घोबरडीहा	1
109.	गोपालगंज एचओ	2
110.	गुलाबबाग	1
111.	गुलजारबाघ	1
112.	गुरूबाजार	1
113.	एच. खड़गपुर	1
114.	एच. बिलासपुर	1
115.	एच.एस. मिल्स	1
116.	हाजीपुर एचओ	2
117.	हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया	1
118.	हरनौत	1
119.	हसुआ	1
120.	हतवा	1

1	2	3
121.	हजरत सैन	1
122.	हिल्सा	1
123.	होटल रिपब्लिक	1
124.	इंडियन नेशन	1
125.	इशीपुर	1
126.	इस्लामपुर	1
127.	जगदीशपुर (भागलपुर)	1
128.	जगदीशपुर (भोजपुर)	1
129.	जैनागढ़	1
130.	जलालपुर	1
131.	जमाल रोड	1
132.	जमालपुर	1
133.	जमालपुर गोगरी	1
134.	जमुई एचओ	2
135.	जनकपुर रोड	1
136.	जन्दाहा	1
137.	जहानाबाद एचओ	2
138.	झाझा	1
139.	झंझारपुर	1
140.	झंझारपुर आर एस	1
141.	जोगबनी	1
142.	कदम कुंआ	1
143.	कहलगांव	1
144.	कामतौल	1
145.	कांटी	1
146.	करनौल	1
147.	कास्बा	1
148.	काशीपुर	1
149.	कटिहार एचओ	2
150.	कत्तरी सराय	1
151.	क्योटी रनवे	1
152.	केसरिया	1
153.	खगड़िया	1
154.	खगौल	1
155.	खजौली	1
156.	खिजेरसराय	1
157.	खुशरुपुर	1
158.	किशनगंज	1
159.	किशनगंज बाजार	1
160.	कुदरा	1
161.	एलबीएस नगर	1
162.	लहरिया सराय एचओ	2
163.	लखीसराय	1
164.	लखमीनिया	1
165.	लालगंज	1
166.	एलआईसी पटना	1
167.	लोहिया नगर	1
168.	माचवा टोली	1
169.	मधेपुर (मधेपुरा)	1
170.	मधेपुर (मधुबनी)	1

1	2	3
171.	मधुबनी एचओ	2
172.	मगध युनिवर्सिटी	1
173.	महेन्द्रू	1
174.	मेहनार	1
175.	महाराजगंज	1
176.	महुआ	1
177.	मैरवा	1
178.	मानेर	1
179.	मनिहारी	1
180.	मंझौलिया आरएस	1
181.	मंझुआल	1
182.	मान्सी	1
183.	मनहोराह एचओ	2
184.	मसौरही	1
185.	मसरख	1
186.	मेंहसी	1
187.	मीरगंज	1
188.	मिर्जापुर बन्दौर	1
189.	एमआईटी मुजफ्फरपुर	1
190.	मीठापुर	1
191.	मोहनिया	1
192.	मोकामा	1
193.	मोकामाघाट	1
194.	मोतिहारी एचओ	2
195.	मोतिहारी कोर्ट	1

1	2	3
196.	मोतीपुर	1
197.	मखदूमपुर	1
198.	मुंगेर एचओ	2
199.	मुरलीगंज	1
200.	मुजफ्फरपुर एचओ	2
201.	नवीनगर	1
202.	नागरा	1
203.	नराईपुर	1
204.	नरहान	1
205.	नरकटियागंज	1
206.	नसरीगंज	1
207.	नाथनगर	1
208.	नौबतपुर	1
209.	नौगछिया	1
210.	नवादा एचओ	2
211.	नया टोला	1
212.	नया टोला	1
213.	न्यौरा	1
214.	निर्मली	1
215.	ओबरा	1
216.	पकरी बढ़ावान	1
217.	पालीगंज	1
218.	पचगछिया	1
219.	पंचरुखी	1
220.	परिहार	1

1	2	3
221.	परसा	1
222.	परसागढ़	1
223.	परवलपुर	1
224.	पाटलिपुत्र	1
225.	पटना सिटी	1
226.	पटना कलेक्ट्रेट	1
227.	पटना जीपीओ	4
228.	पटना हाई कोर्ट	1
229.	पटना मेडिकल कालेज हास्पिटल	1
230.	पटना सेक्रेट्रिएट	1
231.	पटना युनिवर्सिटी	1
232.	पटोरी	1
233.	फुलवाड़ी शरीफ	1
234.	पियरो	1
235.	पिरपैंटी	1
236.	पुनपुन	1
237.	पूर्णिया एचओ	2
238.	पूसा	1
239.	आर फैक्ट्री	1
240.	रफीगंज	1
241.	रघुनाथ पुर	1
242.	राजेन्द्र नगर	1
243.	राजगीर	1
244.	रामनगर	1
245.	रामगढ़वा	1

1	2	3
246.	रमना मुजफ्फरपुर	1
247.	रक्सौल	1
248.	रीघा	1
249.	रौशेरा	1
250.	रुन्नी सैदपुर	1
251.	एसएम मिल्स	1
252.	सबौर	1
253.	सदाकत आश्रम	1
254.	साहाबाद जिला बोर्ड	1
255.	सहरसा एचओ	2
256.	साहिबपुर कमाल	1
257.	सकारी	1
258.	समस्तीपुर एचओ	2
259.	सराय	1
260.	सासाराम एचओ	2
261.	शाहपुर पट्टी	1
262.	शेखपुरा	1
263.	सियोहर सीतामढ़ी	1
264.	शेरघाटी	1
265.	सिलौट	1
266.	सिमरी बख्तियारपुर	1
267.	सिंघेश्वर	1
268.	सिंघिया	1
269.	शीतलपुर	1
270.	सीतामढ़ी एचओ	2

1	2	3
271.	सीतामढ़ी बाजार	1
272.	सीवान एचओ	2
273.	सोहसराय	1
274.	सोनपुर	1
275.	श्रीकृष्णपुरी	1
276.	सुलतानगंज	1
277.	सुलतानगंज बाजार	1
278.	सुपौल	1
279.	सूरजगड़हा	1
280.	सुरसन्द	1
281.	टीएनबी कालेज	1
282.	ताजपुर	1
283.	तरैया	1
284.	तारापुर	1
285.	तेघरा	1
286.	टेकरी	1
287.	ठाकुर गंज बाजार	1
288.	तुरकौलिया	1
289.	उसारी	1
290.	विद्यापति नगर	1
291.	विद्युत परिषद	1
292.	वरसाली गंज	1
293.	जेरादई	1

नोट: एचओ - प्रधान डाकघर

विवरण-III

चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार, स्थानवार व डाकघर जहां कम्प्यूटर संस्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं

क्र.सं.	डाकघर/स्थान
1	2
क. असम राज्य : 317 डाकघर	
1.	बाघमारा बाजार
2.	भारीहाट
3.	बालाजी कालेज
4.	बारपेटा बाजार
5.	भेला
6.	जलाहा घाट
7.	कलगछिया
8.	काकीलाबाड़ी फार्म
9.	मांदिया
10.	मायानबाड़ी
11.	नित्यानन्द
12.	पताचरकुची
13.	शांतिनगर
14.	सिमलागुड़ी
15.	ठाकुर बाजार
16.	आसाम सिम्टेक्स
17.	बागानपाड़ा
18.	बानाग्राम
19.	बानेकुची
20.	बनगांव

1	2
21.	बारीमाखा
22.	बरटोला
23.	विद्यापुर
24.	चौकबाजार
25.	धनबिल
26.	धूमनी
27.	घाघरापार
28.	गोपालबाजार
29.	हरिभंगा
30.	जगारा
31.	कोईथलकुची
32.	कलग
33.	कमारकुची
34.	करिया
35.	काजीपाड़ा
36.	खाटाबाडी
37.	कुमारीकाटा
38.	माखीबाहा
39.	मिलनपुर
40.	मोरवा
41.	मुकुलमुआ
42.	नगरीजुली
43.	निज धमधामा
44.	रामपुर
45.	साने कुची
46.	सौलमारा
47.	थामना
48.	एपी मिल्स
49.	अगोमनी
50.	आगिया
51.	ए.एम. कालेज रोड
52.	अलोम गंज
53.	भोवरागुड़ी
54.	बोयकामारी
55.	चकोर
56.	दोत्मा
57.	धोबीबाजार
58.	डिगडिंगा
59.	धूपधारा
60.	फकीरगंज
61.	जलेश्वर
62.	जोगीघोपा
63.	कचनगांव
64.	मानिकपुर
65.	एनपी बुगाईगांव
66.	पतिलाडाहा
67.	रंगजुली
68.	राजापाड़ा
69.	श्रीरामपुर
70.	सलमारा नार्थ

1	2
71.	शेरखान गुड़ी
72.	सिंगली
73.	शान्तीनगर
74.	साल साऊथ
75.	तमरहाट
76.	शक्ति आश्रम
77.	दारनगिरी
78.	फेकामारी
79.	बोरोबाजार
80.	रुनीखाटा
81.	चोरईखोला
82.	बेंगतोल
83.	बारपारा
84.	बागड़ी बाड़ी
85.	मतिया
86.	दमरा
87.	बरखोला
88.	भागाबाजार
89.	बेकीपार
90.	असम युनिवर्सिटी
91.	सीआर एवेन्यू
92.	दालु
93.	दर्वी
94.	देवान
95.	फुलेरताल

1	2
96.	हॉस्पिटल रोड
97.	जरैलतोल बाजार
98.	जिरीघाट
99.	कावूगंज बाजार
100.	कुम्भीर
101.	कुम्भीर गांव
102.	मधुरबोंद
103.	मोतीनगर
104.	नरसिंहपुर
105.	रोंगपुर
106.	सिलकुरी
107.	सोनाबाड़ी घाट
108.	श्रीकोना
109.	सलगोंगा
110.	सिल्वर कोर्ट
111.	तारापुर पार्ट-VII
112.	अगुमी
113.	बामुनीगांव
114.	बारद्वार
115.	बेकारा
116.	दिगारु
117.	दारकुची
118.	हेंगराबाड़ी
119.	हमीमबाजार
120.	इन्द्रापुर

1	2
121.	आईआईटी गुवाहाटी
122.	जाकुल बाड़ी
123.	खारघुली
124.	खेतरी
125.	कुकुरमारा
126.	कुलहाती
127.	लाचितनगर
128.	महरीपारा
129.	नारायणी
130.	पथरकुवेरी
131.	पश्चिम समारिया
132.	रामपुर
133.	रानी
134.	सिंगरा
135.	सोनेश्वर
136.	बोरबाम
137.	खोआन घाट
138.	नौहोलिया
139.	पांचघाई
140.	मचखोवा
141.	सिमैन चपोरी
142.	सीसी बोरगांव
143.	बदाती
144.	भोगपुर चरियाली
145.	इस्लामगांव

1	2
146.	लीलाबाड़ी ए/एफ
147.	मोइदुमिया
148.	पानीगांव
149.	पथालीपहाड़
150.	पथालीपाम
151.	विवेकानन्द रोड
152.	हाफलौंग पीटीसी
153.	हरांगजाव
154.	बदरपुर बाजार
155.	बराईग्राम
156.	बाजारघाट
157.	बाजारीचेरी बाजार
158.	लांगटिंग
159.	चारबाजार
160.	हतीखीरा
161.	इसबील
162.	कालीगंज बाजार
163.	करीमगंज स्टेशन रोड
164.	कायस्तग्राम
165.	महिसासान
166.	सुभाषनगर
167.	तीलाबाजार
168.	जलालपुर
169.	बरजालेंगा
170.	बदरपुरघाट

1	2
171.	जफीरबांद
172.	कालीबाड़ी बाजार
173.	जमीरा बाजार
174.	बीन्नाखंडीघाट
175.	कटीरेल
176.	राताबाड़ी
177.	अनिलगढ़
178.	ओलीवाचेरा
179.	सिलचर रोड
180.	राण्येश्वरपुर
181.	इताचाली
182.	बरागुड़ी
183.	डिगबोईचरियाली
184.	दिलजान
185.	दुर्गाबाड़ी
186.	हंसारा
187.	हिजीगुड़ी
188.	जगुन
189.	कुंदील
190.	मकुंपाथेर
191.	भुरागांव
192.	मुलियाबाड़ी
193.	नेताजी रोड
194.	परबोतिया
195.	पेंगरी
196.	फिलोबाड़ी
197.	प्रकाशबाजार
198.	रंगगोरा
199.	रुपैसिडिंग
200.	सदिया
201.	श्रीपुरिया
202.	सुक्रेतिंग
203.	तिपोंग
204.	बह्मना
205.	भोगदोईमुख
206.	चेंगेलीगांव
207.	दखिन पाट सत्रा
208.	धलारसत्रा
209.	गोटंगा
210.	जेंगराई मुख
211.	जेईसी
212.	काकिलामुख
213.	ककाजां
214.	खरीकाटिया
215.	कोरोकटाली
216.	लदोईगढ़ चरियाली
217.	मचारहाट
218.	नाली देखिया जुली
219.	ओएनजीसी जोरहाट
220.	तरांजा

1	2
221.	आमगुड़ी हलावातिंग
222.	चरिंग
223.	देशांगमुख
224.	गेलेके
225.	हाह्मचारा
226.	जोई सागर
227.	कालू गांव
228.	कोनवारपुर
229.	लाकवा
230.	लाकवा रेलवे स्टेशन
231.	नेमूगुड़ी
232.	निताई पुखुरी
233.	फुकान नगर
234.	रंगपुर नगर
235.	संताक
236.	त्योक घाट
237.	धेकियाल
238.	कमरबाहां अली
239.	कमारगांव
240.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
241.	लेलेकुजां
242.	महेमा
243.	ओआतिंग
244.	पुलिस प्रशिक्षण कालेज देरगांव
245.	मेरापानी
246.	नेमातीघा
247.	नुआलीगढ़ रिफाइनरी प्रोजेक्ट
248.	देरगांव चरियाली
249.	अम्बागांव
250.	बलीगांव
251.	कुवारीतोल
252.	लहारीघाट
253.	निशा
254.	ननोई
255.	सलोना
256.	बकालीघाट
257.	बोकाजा सीएफ
258.	बैथालांगसो
259.	डोकमोका
260.	धनसिरी पार
261.	डोकांमोकाम
262.	दिफू राजकीय कालेज
263.	हमरें
264.	डुआरघाट
265.	जोगीजां बाजार
266.	खेरानी
267.	मंजा
268.	मुराजारबाजार
269.	निलबागान
270.	शंकरदेव नगर

1	2
271.	नागांव बालिका कालेज
272.	मरोवारी पट्टी
273.	मोरिका लौंग
274.	अलीसिंगा
275.	बोरजुली
276.	बीडीती
277.	बेहाली
278.	बेसेरिया
279.	बिहगुड़ी
280.	बिन्दूकुड़ी
281.	बीएन घाट
282.	दरौंग पनबाड़ी
283.	देकारगांवना
284.	घोरामाड़ी
285.	गिंगिया
286.	हजरापार
287.	होआंजा
288.	कचारी गांव
289.	कालाबाड़ी
290.	कोलिबाभोमरा
291.	कालीबाड़ी
292.	करसौंतोला
293.	केतेकीबाड़ी
294.	खलिहामारी
295.	महबोईराब
296.	मिजिकाजां
297.	महराबाड़ी
298.	नग्राम
299.	पभोई
300.	पंचमाइल
301.	सिराजुली
302.	तेलैंबाड़ी
303.	थेलामाड़ा
304.	अतेरीखाट
305.	भैराबकुण्डा
306.	भकतवाड़ा
307.	देवमोरनोई
308.	धुला
309.	दुनी
310.	हरिसिंघा
311.	कोपाती
312.	लालपुल बाजार
313.	ओरांग
314.	पथौरीघाट
315.	पुरानी तंगला
316.	रौता
317.	दलगांव

ख. उत्तर पूर्व सर्किल : 131 डाकघर

(उत्तर-पूर्व सर्किल जिसमें मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं)

1.	बसर

1	2
2.	लॉंगडिंग
3.	कलकटांग
4.	जांग
5.	लुमला
6.	भालुकपोंग
7.	टांगा मार्केट
8.	हिल टॉप
9.	मेबो
10.	आर.के. मिशन
11.	पालिन
12.	बमडेरदेवा
13.	नामपोंग
14.	लिकाबली
15.	मेचुका
16.	विजयनगर
17.	बोरदुमसा
18.	तुतिंग
19.	अनीनी
20.	हयुलियांग
21.	सनपुरा
22.	रिलबोंग
23.	लाइतकोर
24.	मवलाई
25.	सुमेर
26.	उमस्मोंग
27.	बलत एसओ
28.	भोलगांग बाजार
29.	पिनुरस्ला
30.	चेर्रा बाजार
31.	शेल्ला
32.	मावसिनराम
33.	मावकिरवात
34.	स्मित
35.	माविऑंग
36.	मावफलांग
37.	उमसाव
38.	थदलास्कीन
39.	लाड्रिमबाई
40.	अराइमिले
41.	बागमारा
42.	महेंद्रगंज
43.	नंगवालबीबरा
44.	रेसुबेलपाड़ा
45.	तिक्रीकिल्ला
46.	रोंगजेंग
47.	मेंदीपथर
48.	रोंगरा
49.	आमपती
50.	मणिपुर विश्वविद्यालय
51.	पोरोंपात

1	2
52.	सेनापति
53.	तेमेंगलोंग
54.	तुलीहल
55.	बिखावतलीर
56.	वाइरेंगते
57.	आईबावक
58.	लेंगपुई हवाईअड्डा
59.	डोयांग
60.	पेरेन
61.	चिजामी
62.	चुमुकेदिमा
63.	चोजुंबा
64.	चिचामा
65.	पीफुटसेरो
66.	सेमिन्यू
67.	जलूकी
68.	मेलूरी
69.	अकुलूतो
70.	तिजीत
71.	चंपांग
72.	मंगकोलेंबा
73.	कीफीरे
74.	चंगतोंगिया
75.	चुचुयिंलांग
76.	इंपूर
77.	लोंगखिम
78.	ऑंगपांगकोंग
79.	तूली
80.	जुन्हेबोते
81.	नगीमीमोरा
82.	पेपरनगर
83.	लोंगलेंग
84.	नोकलाक
85.	टीटीसी
86.	टीवी सावा
87.	खयेरकपुर
88.	नीरजुली
89.	टी ई कॉलेज
90.	गाकुलपुर
91.	गार्गी
92.	मुहुरीपुर
93.	बांकर
94.	ऋषियोमुख
95.	आनंदपुर
96.	कुलाईबाजार
97.	आपलंगचेर्रा
98.	तुकपुआर दमचेर्रा
99.	पेचारथल
100.	जमपुई
101.	दासदाबाजार

1	2
102.	चाइलेंगता
103.	पानीचौकी बाजार
104.	सलेमा
105.	पैतुरबाजार
106.	सोनामुखी
107.	सरमा
108.	माणिकभंडार
109.	कंचनबाड़ी
110.	मोंकोला
111.	बवनकवन
112.	बेंघमुख
113.	चवनते
114.	दारलॉन
115.	लबुंग
116.	हनातियाल
117.	कवनपुई
118.	जवलनुआम
119.	लुंगदर
120.	लुंगसेन
121.	नगोपा
122.	फैलेंग डब्ल्यू
123.	रियेके
124.	साइरंग
125.	संगठ

1	2
126.	एस. खउबुंग
127.	थिंगहुल
128.	थिंगसाई
129.	थिंगलुलथलीयाह
130.	तुइपंग
131.	जोतलांग
ग.	सिक्किम राज्य : 15 डाकघर
1.	चुंगथंग
2.	देवराल
3.	दिकचु
4.	गंगतोक बाजार
5.	माजीतार
6.	मिल्ली बाजार
7.	पाकयोंग
8.	पेल्लिंग
9.	राजभवन
10.	रांगली बाजार
11.	रानीपूल
12.	रवंगला
13.	रेनॉक
14.	सीचे गांव
15.	ताशीलिंग
कुल = 317 + 131 + 15 = 463	

[अनुवाद]

बीएसएनएल की मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा

5630. श्री मणी कुमार सुब्बा :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं अधिकतर उपलब्ध नहीं हैं और असम के ज्यादातर हिस्सों, विशेषकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के रणनीतिक जिलों में पहुंच पाने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों के सभी जिलों और उप-खंड मुख्यालयों में बीएसएनएल की मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (जीएसएम) आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा इस समय असम के सभी जिला मुख्यालयों और 49 उप-मंडलीय जिला मुख्यालयों (एसडीएचक्यू) में से 47 में उपलब्ध है। डिबरूगढ़ और तिनसुखिया के सभी उपमंडलीय जिला मुख्यालयों को बीएसएनएल की जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा से सुविधायुक्त कर दिया गया है।

बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सेवा इस समय गुवाहाटी, डिबरूगढ़, जोरहाट, सिलचर, तिनसुखिया, दिसपुर, दुलियाजान तथा नौगांव में उपलब्ध है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बीएसएनएल की जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा अपने लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में 607 जिला मुख्यालयों (एचडीक्यू) में से 606 में तथा 2317 उपमंडलीय जिला मुख्यालयों में से 2235 में उपलब्ध है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ''नो सर्विस''/''बफर जोन'' के अंतर्गत आते हैं, को सुविधायुक्त करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

बीएसएनएल की वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपने लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में सभी जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण उपमंडलीय जिला मुख्यालयों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने की योजना है। शेष उपमंडलीय जिला मुख्यालयों को उत्तरोत्तर रूप से 2008 से 2010 की अवधि के दौरान सुविधायुक्त किया जाना है।

[हिन्दी]

रक्षित कोयला ब्लाकों के उत्पादन पर नियंत्रण

5631. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र को सौंपे गए रक्षित कोयला ब्लाकों के उत्पादन पर कोई नियंत्रण रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र द्वारा कोयले के उत्पादन और विपणन के संबंध में अधिक कर लगाए जाने और रायल्टी की वसूली की कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। निजी कंपनियों को आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लाकों से कोयले का खनन भी उसी विधिक तथा विनियामक ढांचे के अध्यधीन होगा जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खनन कंपनियों के मामले में लागू है। कोयले का खनन, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, खान अधिनियम, कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, कोयला खान विनियम, खनिज रियायत नियमावली, खनन कार्यकलाप को अभिशासित करने वाले सभी अन्य खनिज, वन, पर्यावरण तथा श्रम कानूनों की प्रावधानों की शर्त के अनुसार होगा।

(ग) और (घ) इस संबंध में एक संसद सदस्य से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि निजी क्षेत्र को कोयला ब्लाकों का आवंटन कोयला उत्पादन के आधार पर रायल्टी तथा करों की उच्चतर दरों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ङ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

मेडिकल कॉलेज में केन्द्रीय विधान के लिए प्रस्ताव

5632. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टी.एम.ए. पाई मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में विभिन्न राज्यों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर केन्द्रीय विधान हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मुकदमे में निर्णय सहित टी.एम.ए. पाई मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और महाराष्ट्र सरकार सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने के पश्चात् निजी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया और फीस संरचना को विनियमित करने के लिए "निजी चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थाएं (प्रवेश विनियमन एवं फीस नियतन) विधेयक, 2005" का प्रारूप तैयार किया है और उसे राज्यों में परिचालित किया है। इस विधेयक को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पड़ोसी देशों को भारत की वित्तीय सहायता

5633. **श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन देशों को उपलब्ध कराई गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विदेश मंत्रालय अपने 'सहायता' बजट के अंतर्गत पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को प्रदत्त इस प्रकार की सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	रु. करोड़ में
2004-05	1347.61
2005-06	1492.82
2006-07	1286.74

(ग) जी, हां।

(घ) इस प्रयोजनार्थ 2007-08 हेतु 1567.50 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी आतंकवाद पर अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट

5634. **श्री जे.एम. आरून रशीद :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस की अनुसंधान सेवा ने अमरीका और भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी राष्ट्रपति के वक्तव्य और उक्त रिपोर्ट में कोई विरोधाभास है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) मार्च, 2007 में अमरीकी कांग्रेस की कांग्रेसी अनुसंधान सेवा ने "पाकिस्तान एण्ड टेररिज्म: अ समरी" शीर्षक से एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जिसमें

विशेषकर अमरीकी हितों, नीति लक्ष्यों और संबंधित सहायता के संदर्भ में पाकिस्तान और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की समीक्षा दी गयी है।

(ग) और (घ) अमरीकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के संदर्भ में अनेक वक्तव्य दिए हैं। अमरीका ने वर्ष 2004 में पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण गैर-नाटो सहयोगी माना था और इसे वह आतंक के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईहाटा-बांदरडोवा खंड को चार लेन का बनाया जाना

5635. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.एच.डी.पी. को राज्य की राजधानी से जोड़े जाने के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के बाईहाटा-बांदरडोवा खंड को चार लेन का बनाए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कार्य से जुड़ी एजेंसी, कुल परिव्यय, वित्त पोषण के स्रोत, वर्ष 2007-08 के लिए परियोजना हेतु किए गए आबंटन का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के बाईहाटा चराली-बांदरडोवा खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम-III के अंतर्गत शुरू किए जाने के लिए अप्रैल, 2007 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर इसके कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और अभी परियोजना के कुल परिव्यय के बारे में बता पाना संभव नहीं है। चूंकि यह परियोजना पूर्व निर्माण स्तर पर है, इस परियोजना के लिए वर्ष 2007-08 में कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) इस परियोजना को दिसंबर, 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

क्रिकेट टीमों द्वारा एड्स के लिए अभियान

5636. श्री मिलिन्द देवरा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पूरे कैरिबियाई देशों में यूनिसेफ वित्तपोषित एचआईवी एड्स कार्यक्रम के समर्थन हेतु विश्व कप 2007 में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों और अधिकारियों की एड्स अभियान के लाल और नीले रिबन बांधकर उनकी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आईसीसी द्वारा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारियों से इसकी अनुमति ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह अभियान किस सीमा तक एक सफल अभियान साबित हुआ है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने सरकार को सूचित किया है कि कैरेबियन में यूनिसेफ-वित्तपोषित एचआईवी/एड्स कार्यक्रम में सहभागिता के लिए खिलाड़ी के नामांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अनुरोध पर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्री सचिन तेंदुलकर को नामांकित किया था, जिन्होंने पांच अन्य देशों के क्रिकेटरों सहित कार्यक्रम में भाग लिया। यह सूचित किया गया है कि कार्यक्रम सफल रहा।

[हिन्दी]

नए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों की स्थापना

5637. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने नए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है;

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाब में किसी नए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केंद्र सरकार ऐसे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं करती है, जिन्हें राज्य अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गलत सूचना देना

5638. **श्री रामदास आठवले :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (पी पी जी) मंत्रालय को आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत गलत सूचना दिए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; ओर

(च) सरकार द्वारा आर टी आई को अधिक प्रभावी बनाए जाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (च) इस अधिनियम में केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राज्य सूचना आयोगों को शिकायत किए जाने और दो अपीलें किए जाने का भी प्रावधान है जिनमें पहली अपील लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को तथा दूसरी अपील संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक तंत्र इस अधिनियम के अंतर्गत ही मौजूद है।

विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना

5639. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के मद्देनजर जिलाधीशों/कलेक्टरों का सम्मेलन बुलाए जाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं। पंचायती राज मंत्रालय के पास विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के मद्देनजर जिलाधीशों/कलेक्टरों का सम्मेलन बुलाए जाने का कोई विचार नहीं है। अन्य मंत्रालय, जो संबंधित हो सकते हैं, उनकी सूचना से ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जाने के प्रस्ताव का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों का उन्नयन करने के लिए एडीबी की पेशकश

5640. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों का उन्नयन करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सड़कों का राज्यवार और स्थानवार ब्योरा क्या है;

(ग) किस किस्म की और कितनी धनराशि की सहायता की पेशकश की गई है; और

(घ) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कन्याकुमारी जिले में सड़क को चार लेन का बनाया जाना

5641. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी जिले में चार लेन के प्रस्तावित कार्य के लिए भू-सर्वेक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भू-स्वामियों द्वारा आपत्ति और शिकायतें की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने उनके अभ्यावेदनों पर विचार किया है और उनके आशंका को दूर किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर-दक्षिण महामार्ग के भाग के तौर पर कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को प्रस्तावित 4 लेन का बनाने के लिए, मोड़ों में राहत और चौराहों के सुधार के लिए अपेक्षित कतिपय अतिरिक्त भूमि को छोड़कर, भूमि सर्वेक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ग) से (च) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान, कुछेक आपत्तियां उठायी गई थीं और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विधिवत रूप से सुनवाई/विचार किया गया। तत्पश्चात् भूमि का अधिग्रहण किया गया।

[हिन्दी]

निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

5642. **श्रीमती नीता पटैरिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालय निर्धारित मानदंडों को पूरा किए बिना चलाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने सरकार को नए दन्त चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने तथा पुराने महाविद्यालयों की प्रणाली/कार्यकरण में सुधार लाने का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) इस समय देश में 209 प्राइवेट दंत चिकित्सा कॉलेज चल रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में दंत चिकित्सा कॉलेजों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख से (घ) दंत चिकित्सा शिक्षा का मानक यह सुनिश्चित करके कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नए दंत चिकित्सा कॉलेज खोलने/अनुमति के नवीकरण की अनुमति यह सुनिश्चित होने के बाद ही दी जाती है कि कॉलेजों के पास विनियम के अनुरूप अपेक्षित आधारभूत सुविधा है और विधि के अनुसार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से बनाए रखा जाता है।

(ङ) ओर (च) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने देश में नए दंत चिकित्सा कॉलेज खोलने पर 5 वर्ष तक के लिए रोक लगा रखी है। तथापि, केन्द्र सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त नहीं की है कि नए दंत चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति विनियमों में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन - तथा बेहतर दंत स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु और अधिक दंत चिकित्सकों की आवश्यकता के आधार पर ही दी जाती है।

विवरण

प्राइवेट दंत चिकित्सा कॉलेजों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	कॉलेजों की संख्या	बी.डी.एस. सीटें
आंध्र प्रदेश	18	1610
बिहार	6	280
छत्तीसगढ़	4	400
गुजरात	7	480
हरियाणा	10	860
हिमाचल प्रदेश	4	280
जम्मू-कश्मीर	1	100
कर्नाटक	42	2840
केरल	14	750
मध्य प्रदेश	10	870
महाराष्ट्र	24	1990
उड़ीसा	3	210
पांडिचेरी	1	100
पंजाब	9	720
राजस्थान	10	910
तमिलनाडु	17	1380
उत्तर प्रदेश	26	2510
उत्तरांचल	2	150
पश्चिम बंगाल	1	100
कुल	209	16540

[अनुवाद]

आर.बी.एच. में कार्यरत निजी कंपनियों को प्रोत्साहन

5643. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों (आर बी एच) में हिस्सेदारी करने वाली निजी कंपनियों को सरल ऋण/कर छूट के रूप में प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आरबीएच तथा वितरित उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो कि एक दूसरे की अनुपूरक हैं को परस्पर जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, नहीं। आर बी एच को सरल ऋण/कर छूट द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, लेकिन राज्य तथा केन्द्र सरकार की दूरगामी योजनाओं द्वारा उन्हें अपनाया जा रहा है तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों और उन्नतशील निकायों द्वारा विकेन्द्रीकृत ग्रामीण उत्पाद इकाई और वृहत व्यावसायिक संस्थानों को पंचायतों की मध्यस्थता से उनके बीच एकीकृत व्यावसायिक संबंध को बढ़ावा दिया जाता है।

(ग) और (घ) पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) अथवा फ्रैंचाइजीज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण और स्थानीय वितरण के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 ने केन्द्र सरकार की सेवा की है। वर्ष 2006 में मंजूर ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के अनुसार विद्युत को एक माननीय अनिवार्यता बताया गया है ओर आगे ग्राम पंचायत के प्रमाण-पत्र द्वारा विद्युत के आधार पर गांव को वर्गीकृत किया जायेगा। ग्राम पंचायत प्रमाणित करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की ग्रामीण विद्युत स्थिति को कनफर्म करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति की दिशा में पंचायती राज संस्थाएं पर्यवेक्षी के साथ-साथ परामर्शदाता दोनों की भूमिका निभायेंगी। राज्य सरकारों द्वारा संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने, संसाधन उगाने तथा संबंधित कानूनी जिम्मेदारी के निर्वाह करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। सलाहकार की हैसियत से बताये गए उत्तरदायित्व के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के पास फ्रैन्चाइजीज़ द्वारा सेवा की देखरेख का दायित्व है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, 2006 के फ्रैन्चाईजीज मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत ग्रामीण वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत ग्रामीण वितरण प्रबंधन की दिशा में प्रतिभागी पहुंच हेतु संचार और समर्थन में प्राथमिक मध्यस्थता कायम की गई है। इन उपबंधों के आलोक में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र की तरक्की हेतु समझौते के

ज्ञापन की श्रेणी पहले ही कर्नाटक राज्य के पंचायती राज संस्थाओं तथा विद्युत सृजन तथा कंपनी वितरण (लोक और निजी सेक्टर दोनों) से जुड़ गई है।

पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा

5644. श्री सुब्रत बोस : क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा करने हेतु बुलाई गई विभिन्न मंत्रालयों की बैठकों का ब्यौरा क्या है तथा ये बैठकें किन तिथियों को हुई;

(ख) इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से ऐसे निर्णयों का ब्यौरा क्या है जो कार्यान्वित नहीं किए जा सके; और

(घ) पश्चिम बंगाल में पंचायती राज की सफलता के आकलन का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय का गठन हो जाने के बाद, "पंचायती राज के जरिए गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण समृद्धि पर मुख्य मंत्रियों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 29-30 जून, 2004 को ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। पंचायती राज पर संविधान के भाग-9 तथा 9-ए से संबंधित मामलों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श के लिए एजेंडा के रूप में पटल पर रखा गया था। इस सम्मेलन में, संविधान में यथा परिकल्पित आर्थिक विकास ओर सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में उभर कर सामने आने के लिए उनको समर्थ बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य को उपलब्ध करने हेतु एक प्रारूप कार्य योजना तैयार करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई, 2004 और दिसम्बर, 2004 के बीच पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के साथ सात गोलमेज बैठकें आयोजित की थीं। सर्वसम्मति से लगभग 150 कार्य-बिन्दुओं का एक सेट तैयार किया गया था और इसे दिसम्बर, 2004 में जयपुर में अंतिम गोलमेज सम्मेलन के समापन पर सर्वसम्मति से अपनाया गया था। गोलमेज सम्मेलनों को अनुसरण करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा परामर्शदाता तंत्र गठित किया गया है जिसमें केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज के मंत्रियों की एक परिषद तथा केन्द्रीय सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पंचायती राज सचिवों की एक समिति शामिल हैं।

पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के साथ किए गए पंचायती राज मंत्रालय के गोलमेज सम्मेलनों एवं अन्य बैठकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

बैठक/सम्मेलन	आमंत्रित अतिथि	तिथि	स्थान	निर्णयों के ब्यौरे/इन बैठकों में विचार-विमर्श
1	2	3	4	5
प्रथम गोलमेज सम्मेलन	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	24 और 25 जुलाई, 2004	कोलकाता	कार्यों, कार्यकताओं तथा वित्त और ग्राम सभाओं को मिलाकर प्रभावी सुपुर्दगी
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	28 और 29 अगस्त, 2004	मैसूर	समानान्तर निकायों, ग्रामीण व्यापार केन्द्रों के प्रश्न सहित आयोजना और कार्यान्वयन

1	2	3	4	5
तृतीय गोलमेज सम्मेलन /	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	23 और 24 सितम्बर, 2004	रायपुर	अनुसूचित जन जातियों (पीईएसए के कार्यान्वयन सहित) अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं को मिलाकर पंचायती राज में आरक्षण
चौथा गोलमेज सम्मेलन	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	7 और 8 अक्टूबर, 2004	चंडीगढ़	संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज तथा पंचायती राज न्याय प्रक्रिया
पांचवां गोलमेज सम्मेलन	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	28 और 29 अक्टूबर, 2004	श्रीनगर	पंचायतों की स्थिति (एक सुपुर्दगी सूचकांक की तैयारी सहित) संबंधी वार्षिक रिपोर्ट
छठा गोलमेज सम्मेलन	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	27 और 28 नवम्बर, 2004	गुवाहाटी	पंचायती राज चुनाव और लेखा-परीक्षाएं
सातवां गोलमेज सम्मेलन	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	17, 18 और 19 दिसम्बर, 2004	जयपुर	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, पंचायतों के लिए आई टी समर्थित ई-गवर्नेंस
पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद की पहली बैठक	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	5 और 6 अगस्त, 2005	कोच्चि, केरल	गतिविधि मानचित्रण संबंधी प्रगति की समीक्षा की गई थी। गतिविधि मानचित्रण में मील के पत्थरों का नियतीकरण, पंचायत प्रतिनिधियों और लाइन विभागों के पदाधिकारियों के लिए उनको सुपुर्दगी की संभावनाओं और विक्षाओं, के प्रति उनको संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वर्ष 2006-07 तक पंचायतों की योजनाओं के हस्तांतरण को संचालित करने हेतु राज्य बजटों में पंचायत क्षेत्र के सृजन के संबंध में बैठक के अंत में एक संयुक्त निष्कर्ष वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे।
पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद की दूसरी बैठक	संघ एवं राज्य/संघ शासित प्रदेशों के पंचायती राज मंत्री	15 और 16 जून, 2006	भुवनेश्वर	इस बैठक में मुख्य फोकस विकेन्द्रीकृत आयोजना पर था। भाग लेने वाले मंत्रियों ने अपने संबंधित राज्यों में गतिविधि मानचित्रण, राज्य बजटों में पंचायत क्षेत्र का सृजन, राजकोषिय सुपुर्दगी और जिला आयोजना समितियों के गठन संबंधी कार्यान्वयन स्थिति को इंगित किया था।

1	2	3	4	5
राज्यों के पंचायती राज सचिवों एवं मुख्य सचिवों की समिति	राज्यों के पंचायती राज सचिव एवं मुख्य सचिव	25 अप्रैल, 2007	नई दिल्ली	ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र एवं बीआरजीएफ दिशा निर्देशों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्ति संपन्न उप समिति	मुख्य मंत्री एवं पंचायती राज के राज्य मंत्री	12 जनवरी, 2001	नई दिल्ली	गतिविधि मानचित्रण, डीपीसी, बीआरजीएफ एवं पी ई एस का कार्यान्वयन
केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति	पंचायती राज के क्षेत्र में विशेषज्ञ	5 फरवरी, 2007	नई दिल्ली	वित्त, कार्य एवं कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण एवं गतिविधि मानचित्रण पर विचार-विमर्श।

(ग) इन बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को कारगर और सशक्त बनाने हेतु समुचित उपाय करने में सभी राज्यों के कार्य-निष्पादन ने अनियमित रूप ले लिया है। पंचायती राज के मंत्रियों की परिषद ने भुवनेश्वर में अपनी दूसरी बैठक में टिप्पणी की कि अनेक राज्यों में पंचायतों के सभी तीन स्तरों में गतिविधि मानचित्रण का प्रांरभिक कार्य पूरा कर लिया गया है, तथापि जिला आयोजना समितियों के गठन में सभी राज्यों की प्रगति अनियमित हो गई है और कुछ धीमी रही है। पंचायतों के साथ अन्योन्यक्रिया करने तथा गोलमेज सम्मेलनों में परस्पर सहमत्य कार्य-बिन्दुओं को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति से संबंधित प्राधिकारियों के साथ समीक्षा को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के स्तर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप को मिलाकर अठारह राज्यों तथा तीन संघ शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। प्रत्येक दौरे का समापन संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक निष्कर्ष वक्तव्य के साथ होता है जिसमें उन मुख्य कार्य-बिन्दुओं की मुख्य विशेषताएं दर्शायी जाती है जिन पर राज्य गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों को संचालित करने का प्रस्ताव करेगा। इनमें से अधिकतम कार्य-बिन्दु गतिविधि मानचित्रण, निधियों और कार्यकर्ताओं के सदृश हस्तांतरण, राज्य बजटों में पंचायत क्षेत्र के सृजन, एक सहमत्य समय-सीमा में जिला आयोजना समितियों का गठन और संचालनात्मक दिशा-निर्देशों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

(घ) पश्चिम बंगाल ने 2005 में गतिविधि मानचित्रण के कार्य को पूरा कर लिया है एवं संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार अपनी जिला योजना समितियां गठित कर ली है। पंचायती राज के कार्यान्वयन में अग्र राज्यों के बीच सामान्यतया राज्य मान्यता प्राप्त है लेकिन प्राय: आगे उन्नयन के लिए हमेशा विकल्प है। दिसम्बर, 1992 में संसद द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के पहले ही पश्चिम बंगाल लगातार इस तरह का रिकार्ड कार्य कर रहा था। मई, 2005 में केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित वक्तव्य के पक्ष में वर्तमान में प्रगति का मूल्यांकन आंका जा रहा है। बहुत सख्त, वैज्ञानिक एवं स्वतंत्र मूल्यांकन को प्राप्त किया जाएगा जैसे ही एन सी ए इ आर के हस्तांतरण सूचकांक को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद (आई आर एम ए) को क्रियान्वित करने की पहल की जायेगी।

आम बीमारियों के लिए आरोग्यकर परिचर्या

5645. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अवलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र आम बीमारियों की 75 प्रतिशत आरोग्यकर परिचर्या प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं से आंकड़ों को किसी रोग निगरानी प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) आयुर्विज्ञान शिक्षा पर कार्य दल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या में 58% अस्पताल और 81% डाक्टर निजी क्षेत्र से हैं।

(ग) और (घ) समेकित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत चयनित प्रहरी निजी चिकित्सकों के इस परियोजना के अंग के रूप में शामिल करने की योजना है ताकि शुरू में ही आसन्न प्रकोपों और महामारियों के चेतावनी चिन्हों का पता लगाया जा सके तथा देश में रोग पैटर्नों के अध्ययन में सहायता दी जा सके और उद्भव हो रहे नए रोगों का पता लगाया जा सके। समेकित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रोगों के बारे में नियमित रूप से सूचना देने के लिए खंड स्तर पर प्रत्येक निगरानी एकक में कम से कम एक प्रहरी निजी चिकित्सक/निजी अस्पताल को शामिल करने की भी योजना है।

समेकित रोग निगरानी परियोजना के चरण-I और II के अंतर्गत 23 राज्यों में से 202 जिलों को कवर करते हुए 10 राज्यों के आंकड़ों में 67 जिलों के निजी स्वास्थ्य प्रदायकों के आंकड़े शामिल थे।

एंजियोप्लास्टी के लिए दिशानिर्देश

5646. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल सोसाइटी फार कार्डियोवास्कुलर एंजियोप्लास्टी एण्ड इंटरवेंशंस ने स्टैण्ड अलांग एंजियोप्लास्टी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां। दि सोसायटी फार कार्डियोवास्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशंस-इंटरवेंशनल हृदय-रोग विज्ञानियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक संगठन ने एंजियोप्लास्टी करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए दिशानिर्देशों का एक सैट जारी किया है और एंजियोप्लास्टी करवाने वाले रोगियों को अब इन केन्द्रों में जाने पर यह जांच करने की सलाह दी है कि वहां पर मानकीकृत परिचर्या, बृहद रोगी सुरक्षा और विश्वसनीय बैक-अप हैं।

एम्स के अनुसार व्यापक रूप से अपनाए जाने वाले एंजियोप्लास्टी दिशा-निर्देश अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन/अमेरिकन कालेज आफ कार्डियोलाजी (ए सी ई-ए एच ए) द्वारा आवधिक रूप से प्रदान किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन

5647. श्री राकेश सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कंपनियों ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कंपनियां किन-किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं;

(ग) विदेशों में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों की तुलना में इन कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश के द्वारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा के अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अगस्त, 1991 से मार्च, 2007 तक इक्विटी पूंजी में कुल एफ डी आई प्रवाह 54.6 बिलियन अमरीकी डालर था। अगस्त, 1991 से फरवरी, 2007 तक सेक्टर-वार प्रवाह संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य निवेश की तरह विदेशी निवेश में रोजगार के अवसर पैदा होने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन की क्षमता है। फिर भी इसकी तुलना दूसरे देशों में भारतीयों के रोजगार के अवसरों से नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्र. सं.	सेक्टर	एफ डी आई प्रवाह की राशि (रुपयों में)	एफ डी आई प्रवाह की राशि (अमरीकी डालर में)	कुल एफ डी आई प्रवाह का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	बिजली के उपकरण (कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रानिक सहित)	356,920.46	8,149.00	18.86
2.	सर्विस सेक्टर (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय)	331,520.46	7,593.51	17.51
3.	दूरसंचार	166,750.33	3,888.59	8.81
4.	परिवहन उद्योग	153,043.73	3,615.96	8.09
5.	ईंधन (विद्युत एवं तेल शोधक संयंत्र)	120,263.37	2,813.45	6.35
6.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	94,932.02	2,344.30	5.02
7.	निर्माण के कार्यकलाप#	62,363.32	1,384.16	4.22
8.	ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल	52,792.20	1,221.75	2.79
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	49,245.93	1,227.30	2.60
10.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	42,515.66	971.83	2.25
11.	धातु विज्ञान उद्योग	35,945.88	825.51	1.90
12.	परामर्शी सेवाएं	26,232.81	574.19	1.39
13.	टेक्सटाईल्स (रंजन, मुद्रित सहित)	23,322.45	574.52	1.23
14.	होटल एवं पर्यटन	22,406.48	512.02	1.18
15.	विविध यांत्रिकी एवं इंजीनियरी	22,163.88	554.70	1.17
16.	ट्रेडिंग	19,630.94	481.99	1.04
17.	कागज और कागज उत्पाद सहित लुगदी	14,277.93	368.54	0.75
18.	रबर के सामान	10,687.23	251.75	0.56
19.	वाणिज्यिक, कार्यालय एवं घरेलू उपस्कर	10,426.23	277.46	0.55
20.	ग्लास	10,368.94	257.08	0.55

1	2	3	4	5
21.	औद्योगिक मशीनरी	9,479.53	232.06	0.50
22.	मशीन उपकरण	8,299.74	191.99	0.44
23.	कृषि मशीनरी	8,042.86	191.96	0.42
24.	भृतकला	5,730.18	139.82	0.30
25.	टिंबर उत्पाद	4,668.88	107.12	0.25
26.	चिकित्सा एवं सर्जिकल उपकरण	4,576.92	103.94	0.24
27.	खमीर उद्योग	4,362.23	103.59	0.23
28.	साबुन, कास्मेटिक्स एवं प्रसाधन उत्पाद	3,967.69	90.37	0.21
29.	उर्वरक	3,521.16	83.23	0.19
30.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	3,397.88	75.07	0.18
31.	चमड़ा, चमड़े के सामान एवं पिकर्स	2,344.08	60.24	0.12
32.	वेजिटेबल ऑयल्स एवं वनस्पति	2,217.73	53.61	0.12
33.	ग्लू एवं जिलेटिन	1,475.76	36.04	0.08
34.	चीनी	1,458.97	33.82	0.08
35.	विद्युत से अलग प्राइम-मूवर्स	1,055.74	30.61	0.06
36.	औद्योगिक उपकरण	841.72	22.06	0.04
37.	फोटोग्राफिक कच्चा फिल्म एवं पेपर	737.49	18.06	0.04
38.	वैज्ञानिक उपकरण	619.77	14.93	0.03
39.	रंजन-सामग्री	592.04	16.01	0.03
40.	बायलर्स एवं वाष्प जनन संयंत्र	332.60	8.26	0.02
41.	रक्षा उद्योग	2.37	0.05	0.00
42.	गणितीय, सर्वेक्षणीय एवं रेखांकन	0.15	0.00	0.00
43.	विविध उद्योग	199,323.89	4,691.14	9.60
	उप जोड़	1,892,859.53	44,191.59	100.00

1	2	3	4	5
43.	प्रवाह अग्रिम (1999 से 2004 तक)	98,689.96	2,178.72	—
44.	आर बी आई की अनिवासी भारतीयों की योजना	84,269.48	2,509.86	—
45.	मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण* (1996 से 1999 तक)	72,780.18	1,848.66	—
46.	भंडार समाप्ति	2,848.71	61.23	—
	कुल जोड़	2,151,447.86	50,790.26	

टिप्पणी:

1. एफ डी आई अनुमोदनों पर ए डी आर/जी डी आर/एफ सी सी बी के जरिए प्रवाह को शामिल नहीं किया गया है।
2. *1996 से पूर्व के आंकड़े आर बी आई द्वारा नहीं दिए गए हैं और वर्ष 2000 से देश/सेक्टर-वार मार्ग के अंतर्गत प्रवाह को शामिल किया गया है।
3. #जनवरी, 2000 के बाद से ही वर्ष-वार/आंकड़े उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा नैदानिक परीक्षण

5648. श्री एस. अजय कुमार :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई यूरोपीय देशों में कठोर कानूनों के मद्देनजर भारत में नैदानिक परीक्षण करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में नैदानिक परीक्षणों के संबंध में एक कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि यूरोप तथा अन्य देशों में कठोर नियमों के चलते ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्लीनिकी परीक्षणों के लिए भारत आ गई हैं।

भारत में क्लीनिकल अनुसंधान के कुछ अंतर्निष्ठ और स्वाभाविक लाभ हैं। भारत के अधिक कुशल चिकित्सक, कई विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थाएं, उपचार की आवश्यकता हेतु बड़ी आबादी और भारतीय अनुसंधान संस्थाओं की लागत-प्रतिस्पर्धा के कारण क्लीनिकी अनुसंधान के मामले में अन्य देशों की अपेक्षा भारत को निश्चित ही लाभ मिलता है।

(ग) से (ङ) देश में क्लीनिकी परीक्षण करने के लिए वर्ष, 2005 में संशोधित औषध एवम् प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची वाई तथा नियम 122 डीए-122ई में विनियम निर्धारित किए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा वर्ष, 2001 में अच्छे क्लीनिकी तौर-तरीकों संबंधी मार्गनिर्देश लागू किए गए थे तथा जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा वर्ष, 2000 में नीतिगत मार्गनिर्देश लागू किए गए थे।

पत्तनों के माध्यम से कार्गो यातायात

5649. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आयात-निर्यात व्यापार की 60 प्रतिशत आवाजाही जवाहर लाल नेहरू पोर्ट क्लस्टर के माध्यम से होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप अन्य पत्तनों का कम उपयोग हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। महापत्तनों में संभाले जाने वाले जहाजी माल के यातायात का केवल 20.95% जवाहरलाल नेहरू-पत्तन और मुम्बई-पत्तन के माध्यम से संभाला जाता है। वर्ष 2006-2007 के दौरान 12 महापत्तनों से संभाला गया कुल यातायात 463.843 मिलियन टन था। इसमें से जवाहरलाल नेहरू और मुम्बई पत्तन दोनों के द्वारा 97.182 मिलियन टन जहाजी माल का यातायात संभाला गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पदों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव

5650. श्री अबु अयीश मंडल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्मिक सेवाओं के सभी संवर्गों में पदों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों तथा रिक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभिन्न सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों तथा रिक्त पदों की संख्या से संबंधित सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती है।

(घ) रिक्त पदों को भरने का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्तमान अनुदेशों/नियमों के फ्रेम वर्क के अंतर्गत किया जाता है।

अवसंरचना का विकास

5651. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को वर्ष 2012 तक अवसंरचना के विकास हेतु 320 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने अवसंरचना विकास योजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा की गई एक प्रारंभिक मैक्रो स्तरीय प्रक्रिया में अवसंरचना, जिसमें सिंचाई, विद्युत, पवन ऊर्जा, गैस, जल आपूर्ति, पत्तन, हवाई पत्तन, रेलवे, संचार, सड़कें और भण्डारण शामिल है, में वर्ष 2007-12 के दौरान लगभग 350 अमेरिकी डालर का निवेश होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, इन अनुमानों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र के आलोक में पुनः आकलित किया जाएगा।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने अवसंरचना विकास हेतु विदेशी मुद्रा भंडार का उपभोग करने के लिए कोई औपचारिक सिफारिश नहीं की है। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा श्री दीपक पारिख की अध्यक्षता में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मौद्रिक विस्तार के जोखिम से रहित विदेशी मुद्रा भण्डार के छोटे से भाग का उपयोग करने की सिफारिश की है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियां

5652. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी मंत्रालयों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाने हेतु पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में मंत्रालय-वार कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी मंत्रियों को दिनांक 9.9.2005 को पत्र लिखा है जिसमें उनसे इस अभियान की प्रगति की निगरानी करने का आग्रह किया गया है। भरी गई रिक्तियों की मंत्रालय/विभागवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

विशेष भर्ती अभियान

भरी गई बकाया रिक्तियों की संख्या

(11.5.2007 के अनुसार)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/स्थापना	भरी गई बकाया रिक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	रेल मंत्रालय	34119
2.	विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	776
3.	आर्थिक कार्य विभाग	109
4.	आर्थिक कार्य विभाग (बैंक एवं बीमा)	3360
5.	रक्षा मंत्रालय	2554
6.	गृह मंत्रालय	2226
7.	राजस्व विभाग (सीबीडीटी एवं सीबीईसी)	1844
8.	रक्षा उत्पादन विभाग	1610
9.	डाक विभाग	1130
10.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	778
11.	उच्चतर शिक्षा विभाग	424
12.	कोयला मंत्रालय	2
13.	शहरी विकास मंत्रालय	903
14.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	427
15.	परमाणु ऊर्जा विभाग	688
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	15
17.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	233
18.	जहाजरानी मंत्रालय	262
19.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	133
20.	जल संसाधन मंत्रालय	96
21.	विद्युत मंत्रालय	142
22.	वाणिज्य मंत्रालय	60
23.	अंतरिक्ष विभाग	44
24.	संस्कृति विभाग	34
25.	पशु पालन एवं डेयरी विभाग	27
26.	खान मंत्रालय	5
27.	मंत्रिमण्डलीय सचिवालय	22

1	2	3
28.	विदेशी मंत्रालय	71
29.	आयुष	47
30.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	58
31.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	16
32.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	25
33.	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	42
34.	योजना आयोग	6
35.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन मंत्रालय	17
36.	उपभोक्ता मामले विभाग	17
37.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	0
38.	उर्वरक विभाग	3
39.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	6
40.	महिला एवं बाल विकास विभाग	10
41.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (ए बी को छोड़कर)	2
42.	रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग	10
43.	नागर विमानन मंत्रालय	2
44.	विधि कार्य विभाग	05
45.	दूर संचार विभाग	12
46.	वस्त्र मंत्रालय	26
47.	संघ लोक सेवा आयोग	7
48.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	7
49.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4
50.	भू-विज्ञान मंत्रालय	2
51.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2
52.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	57
53.	लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	4
54.	भारतीय चुनाव आयोग	1
55.	भारी उद्योग विभाग	173
56.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	10
57.	कम्पनी कार्य मंत्रालय	0

टिप्पणी:- 18 मंत्रालयों/विभागों/स्थापनाओं ने रिपोर्ट दी है कि उनकी स्थापनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कोई बकाया रिक्तियां नहीं हैं।

[हिन्दी]

जेनेटिक खाद्यान्न उत्पादों में विषैले तत्व

5653. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कतिपय आनुवांशिक रूप से संसाधित खाद्यान्नों में विषैले तत्व के बारे में सूचना मांगी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या इस संबंध में जानकारी देने से इंकार कर दिया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना अधिकारी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

5654. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी सेवाओं में पदोन्नति देते समय महिलाओं को आरक्षण देने हेतु प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) भारत सरकार के अधीन सेवाओं में महिलाओं को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के लिए प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

5655. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को उनकी खोजों का स्वामित्व तथा पेटेन्ट अधिकार देने के लिए एक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन अधिकारों से खोजकर्ताओं को उनकी खोजों पर रॉयल्टी का एक हिस्सा मिलने में कितनी मदद मिलेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की एक कानून बनाने हेतु सिफारिशें, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान के लिए एक समान कानूनी ढांचे का सृजन करता है और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को स्वामित्व और पेटेन्ट अधिकार प्रदान करता है, जांच के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेज दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्री को दिनांक 16 जनवरी 2007 को लिखे गए अ.शा. पत्र में से लिए गए उद्धरण जो एक कानून बनाने एवं जो सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसन्धान के लिए एक समान कानूनी ढांचे का सृजन करता है और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को स्वामित्व और पेटेन्ट अधिकार प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग से संबंधित मुद्दों की पहचान करते समय सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने और लोगों की व्यापक श्रेणियों के लाभ के लिए इस ज्ञान को संगत और उपयोगी अनुप्रयोगों में परिणत करने की आवश्यकता की पहचान की है। विभिन्न हितार्थियों के साथ हमारे परामर्श से यह ज्ञात हुआ है कि नवीनताओं, सहयोगों, लाइसेन्स प्रदान करने और व्यापारीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।

अत: एक कानून बनाने की सिफारिश की जाती है जो सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान हेतु एक समान कानूनी ढांचे का सृजन करता है और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में स्वामित्व और पेटेन्ट अधिकार प्रदान करता है। यह लाइसेंस व्यवस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की खोजों के व्यापारीकरण के लिए समर्थकारी वातावरण का सृजन करेगा जहां खोजकर्त्ताओं को भी रायल्टी का हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। विश्वविद्यालयों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना और इस प्रकार के स्वामित्व को पेटेन्ट प्रणाली और बाजार से जोड़ना अनुसंधान को अधिक आकर्षक बना देगा और प्रक्रिया से भारत को अनुसंधान परिदृश्य में मूल परिवर्तन आ जायेगा। प्रस्तावित कानून में अपवादात्मक परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण पूर्वोपायों को भी समाविष्ट किया गया है जहां सरकार को लोगों के हित के संरक्षण के लिए ''मार्च इन राइटस'' भी दिया जा सकता है।

सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान जनित खोजों हेतु नीतिगत एकरूपता विभिन्न हितार्थियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी :

> **सरकार :** सरकार पूरे विश्व में खोज के प्रयोग के लिए गैर-विशिष्ट, अहस्तांतरणीय, अपरिवर्तनीय प्रदत्त लाइसेन्स को रखे रह सकती है। यह कानून के कार्यान्वयन की एक प्रावधान द्वारा, जिसमें संबंधित पार्टियों को खोज से

संबंधित मामलों पर वार्षिक आधार पर सरकार को रिपोर्ट देनी अपेक्षित है, मानीटर करने का उत्तरदायित्व और शक्ति भी प्राप्त कर सकती है। चूंकि पेटेन्टों से संबंधित आवेदन संगत संस्थानों द्वारा फाइल किए जाएंगे और उनके स्वामी होंगे, सरकार आवेदन फाइल करने की लागत वहन करने से मुक्त होगी। सरकार को उस स्थिति में जहां पार्टी टाइटल को न रखे रहने का निर्णय लेती है अथवा अपेक्षित पेटेन्ट आवेदन फाइल करने में असमर्थ रहती है, खोज के स्वामित्व का अधिकार भी दिया जा सकता है। अन्त में, कतिपय स्थितियों में सरकार को प्रदान किए गए ''मार्च इन राइट्स'' जिसमें लोगों का हित और अपवादात्मक परिस्थितियां जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अनिवार्यताएं शामिल हैं, उससे संबंधित अशंका के उपशमन में मदद करेंगे।

- **विश्वविद्यालय/अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) :** विद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के लिए राजस्व सृजक प्रोत्साहन स्वामित्व और सरकारी निधि से सृजित अनुसंधान के लाभों पर नियन्त्रण में स्थित है। इसे अपने स्वयं के नाम से पेटेन्ट फाइल करने और उद्योग के साथ व्यापारीकरण प्रक्रियाएं शुरू करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, खोजकर्त्ता लाइसेन्सों से रायल्टी के लाभ की भागीदारी के माध्यम से भी तद्नुसार प्रतिफल प्राप्त करेगा। प्रस्तावित कानून में यह भी व्यवस्था हो सकती है कि व्यय के भुगतान के पश्चात् उपार्जित किसी भी रायल्टी अथवा आय के अतिशेष को वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए पुन: उपयोग किया जाए।

- **उद्योग :** स्पष्ट विधिक शीर्ष, सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी अनुसंधानों हेतु एक समान विधिक प्रणाली, सहयोगात्मक प्रबंधों के माध्यम से व्यावसायिक लाभ, विशिष्ट लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सुअवसर तथा नए खोजों हेतु नए व्यावसायिक सुअवसरों के कारण विश्वविद्यालय अनुसंधानों में अधिकांश उद्योग भागीदारी होगी।

- **जनता :** अंत में, करदाता, जिनके संसाधनों का प्रयोग अनुसंधानों के सरकारी वित्तपोषण में किया जाता है, को भी उत्पादों और सेवाओं के रूप में उसके व्यावसायिक तथा बाजार में उपलब्ध हो जाने के पश्चात् खोजों के लाभ प्राप्त होंगे।

प्रस्तावित विधान के मसौदे में विशेष ध्यान दिए जाने वाले मुद्दे :

- यही अनुपात की गणना जिसमें राजस्व को विभाजित किया जाएगा तथा वास्तविक निवेशकों सहित विभिन्न पणधारियों को प्रतिशतता उपलब्ध कराई जाएगी।

- जहां आवश्यक हो राष्ट्रीय सुरक्षा परिणामों को समझना तथा ऐसी स्थिति में अपवादों को छोड़ना।

- विशिष्ट दिशा निर्देशों, नियमों और वर्तमान कानूनी प्रावधानों की पहचान करना जिन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान से उत्पन्न खोजों हेतु एक समान विधान लाने के लिए हटाना है।

- विभिन्न लाइसेंसी प्रबंधों के साथ-साथ जहां लागू हो विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करने हेतु शर्तों का सही स्वरूप तैयार करना।

- सरकारी हस्तक्षेप हेतु ''मार्च इन राइट्स'' के आह्वान के लिए आवश्यक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण तथा स्वामित्व के सामान्य अधिकार की असाधारण परिस्थितियों का स्पष्टीकरण।

- भारत के अपने पेंटेंट एवं प्लान्ट वेराइटीज, विधान के परिप्रेक्ष्य में यह निर्धारण करना कि क्या पौधों के प्रकार ''अविष्कार'' के दायरे में आते हैं तथा प्रस्तावित अधिनियम एवं भारत के अपने पैंटेंट एवं प्लान्ट वेराइटीज अधिनियम के बीच संबंधों का विश्लेषण करना।

ऐसे विधान के दृष्टांत हैं जैसे कि अमेरिका का वर्ष 1980 में अधिनियमित पैटेंट और ट्रेडमार्क कानून संशोधन अधिनियम तथा जिसे आमतौर पर बे-डोल (Bayh-Dole Act) अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में बे-डोल अधिनियम के पहले, देश के संघीय एजेंसियों के पास 28,000 पैटेंटस थे जिसमें से व्यावसायिक उत्पाद विकसित करने हेतु मात्र 5 प्रतिशत ही उद्योग से लाइसेंस प्राप्त थे। उक्त अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदित एवं उन्हें दिए गए पैटेंटों की संख्या, खोजों का पैटेंट करने और लाइसेंसिंग में शामिल विश्वविद्यालयों की संख्या तथा विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए नए खोज लाइसेंस के आधार पर स्थापित नई कंपनियों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई हैं। विश्वविद्यालय अनुसंधान से हुई खोजों, प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं में नई सफलताएं हासिल हुई हैं। आर्थिक कार्यकलापों के कई बिलियन डालर सृजित हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था में नए रोजगारों का सृजन हुआ है।

हमारे विचार में, भारत के विशिष्ट हित को ध्यान में रखते हुए बे-डोल अधिनियम के समान ही एक विधान लाने की आवश्यकता है जिससे कि दूरगामी खोजों को विकसित करने, रोजगार सृजन तथा महत्वपूर्ण आर्थिक विकास के एक वाहन के रूप में कार्य करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता दी जा सके। हमें मालूम है कि इस प्रकार के विधान तैयार करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हम आग्रह करते हैं कि इसमें तेजी लाई जाए तथा इस प्रक्रिया में परामर्श के लिए हम उत्सुक हैं।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद

5656. **श्री विजय कृष्ण :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं, उद्देश्य तथा विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इसके लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी शुरूआत से इसमें से एनएसी पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या सरकार ने एनएसी की उपयोगिता की समीक्षा करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) एक अध्यक्ष के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन दिनांक 31 मई, 2004 को सरकार द्वारा नीति निर्माण के लिए इनपुट उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए सरकार को सहायता मुहैया कराने के लिए किया गया था।

परिषद की वर्तमान सदस्यता निम्न प्रकार है:

(i) डा. वी. कृष्णमूर्ति

(ii) श्री जयराम रमेश

(iii) प्रो. सी.एच. हनुमंत राव

(iv) डा. डी. स्वामीनाथन

(v) डा. एन.सी. सक्सेना

(vi) डा. माधव चव्हाण

(vii) डा. ए.के. शिवा कुमार

(viii) प्रो. मृणाल मीरी

(ix) सुश्री सेहवा हुसैन

(ग) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यालय के लिए निधियों के आवंटन और व्यय से संबंधित सूचना नीचे दर्शाई गई है :

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपए)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए)
2004-05	1.56	0.85
2005-06	1.34	0.68
2006-07	1.41	0.50

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अनेक विषयों पर चर्चा की है जिनमें सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, जलाशय और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, राजस्व प्रशासन का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का पुनर्जीवन, समेकित ऊर्जा नीति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन चर्चाओं में अन्य बातों के साथ-साथ आदिवासियों का विकास, महिला समानता, न्यायिक सुधार, असंगठित क्षेत्र के कामगार, शासन, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। अप्रैल, 2006-अप्रैल, 2007 के बीच हुई चर्चाओं में अन्य बातों के साथ-साथ समेकित बाल विकास सेवाओं, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भूमि संबंधी अभिलेखों का व्यापक आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, गंगा कार्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जियो टेक्सटाइल्स के इस्तेमाल, गरीबी उन्मूलन और व्यावसायिक शिक्षा एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जरूरत और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यकाल का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया है। जून, 2005 में सूचना

का अधिकार अधिनियम तथा सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लागू किया गया था। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने संबंधी अधिनियम और कृषि भूमि सहित पैतृक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने संबंधी हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम भी सितम्बर, 2005 में अमल में लाया गया।

अप्रैल, 2005 में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया और नवम्बर, 2005 में ''प्रारंभिक शिक्षा कोष'' के नाम से एक समर्पित और अव्यपगत कोष स्थापित किया गया ताकि उसका इस्तेमाल केवल सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए ही किया जा सके। समेकित बाल विकास योजना के विस्तार के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 466 अतिरिक्त परियोजनाओं और 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति के आदेश जारी किए गए। विस्तार के द्वितीय चरण में 173 अतिरिक्त परियोजनाओं, 1.07 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों और 25.961 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को शामिल किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना जून, 2006 में संशोधित की गई और इसकी पौष्टिक मात्रा 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तक बढ़ाई गई। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

साइबर अपराधों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

5657. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साइबर अपराधों से संबंधित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनलों में नियुक्त न्यायाधीशों के प्रशिक्षण हेतु विशेषीकृत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीआईएल की पुनर्वास एवं रोजगार नीतियां

5658. श्री अजीत जोगी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की देश में परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास एवं रोजगार के लिए अलग-अलग नीतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यमान नीति पीएएफ का पुनर्वास करने तथा उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापना और पुनर्वास (आर. एंड आर.) नीति वर्ष 2000 से लागू है और राज्य नीतियों जहां उपलब्ध हैं, के संयोजन से सहायक कंपनियों द्वारा अपनायी जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीएसएनएल को उपकरणों की आपूर्ति

5659. श्री पी. मोहन :
श्री ए.वी. बेल्लारमिन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीएसएनएल को उपकरणों की आपूर्ति हेतु आईटीआई को 30 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका के कामर्स सेक्रेटरी ने कोटा प्रणाली पर आपत्ति करते हुए फरवरी में एक पत्र जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, हां। अमरीका के वाणिज्य मंत्री ने दिनांक 13 फरवरी, 2006 को पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कोटा प्रणाली पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिप्रापण प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथा खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्धारित, एल1 (न्यूनतम प्रथम बोली) मूल्यों पर आईटीआई को 30% आरक्षण कोटा जारी रखने का निर्णय किया है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम

5660. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के गैर-निष्पादन पर चिंता व्यक्त की है जैसाकि दिनांक 12 अप्रैल, 2007 के "द हिन्दु" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई खामी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोग मौसमी तथा महामारी की सम्भावना वाले होते हैं। इन रोगों का पनपना वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जल भण्डार के तरीकों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

मलेरिया, फाइलेरिया, काला आजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू/डेंगू रक्तस्राव बुखार और चिकुनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय वैक्टर जनित नियन्त्रण कार्यक्रम राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जबकि भारत सरकार नीति एवम् कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश तथा तकनीकी संभारतन्त्र और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों से कार्यान्वयन में सुधार लाने का आग्रह किया जा रहा हैं। उनके साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जा रही है।

जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू और चिकुनगुनिया के उपचार हेतु कोई विशिष्ट वायरलरोधी औषध नहीं है। ऐसे रोगों का प्रभावी नियन्त्रण सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर करता है।

मलेरिया नियन्त्रण के लिए भारत सरकार वर्षों से डीडीटी और मैलाथियन जैसे कीटनाशकों का प्रयोग कर रही है। वैक्टर एनोफिलीन मच्छरों में कीटनाशी प्रतिरोधन क्षमता पैदा हो रही है।

इसी प्रकार, विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कारण समुचित स्वास्थ्य अनुक्रम आचरण और सही निवारक उपाय अपनाने के संबंध में सामुदायिक स्वामित्व और प्रतिभागिता की कमी है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने विद्यालय और महाविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम, तनाव रोकथाम आदि तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए और बुनियादी ढांचे जुटाने पर जोर दिया है ताकि मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों की भारी कमी को दूर किया जा सके।

(ङ) भारत सरकार ने निम्नलिखित उपचारी उपाय किए हैं :-

(i) दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में मलेरिया परजीवी का पता लगाने के लिए तीव्र नैदानिक परीक्षण किटों की शुरूआत।

(ii) क्लोरोक्वीन औषध प्रतिरोध क्षेत्रों में आर्टीमिसीनाइन आधारित मिश्रित उपचार की शुरूआत।

(iii) उच्च मलेरिया सम्भावित क्षेत्रों में कीटनाशी छिड़काव वाली मच्छरदानियों की उपलब्धता जैसे वैकल्पिक वेक्टर रोकथाम संबंधी कार्यों को बढ़ाना।

(iv) जल कुण्डों में लारवाभक्षी मछलियों के उपगोग को बढ़ाना।

(v) घरों में अवशिष्ट छिड़काव हेतु सिंथेटिक पाइरेथरोएड जैसे वैकल्पिक कीटनाशी का प्रयोग।

(vi) मलेरिया रोगियों का शुरू में पता लगाने और उपचार के लिए ग्राम स्तर पर मलेरिया उपचार डिपो की स्थापना।

(vii) सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए आचरण में परिवर्तन संबंधी सम्प्रेषण को बढ़ाना।

[हिन्दी]

खराब सड़कों के कारण वित्तीय घाटा

5661. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश की सड़कों की खराब स्थिति के कारण देश द्वारा उठाए गए घाटे का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन केबल की चोरी

5662. श्री संतोष गंगवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल केबल की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्किल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामले उन ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हुए हैं जहां पर निजी आपरेटरों ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं अथवा ऐसी सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया में हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार इतने बड़े पैमाने पर चोरी को रोकने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) वर्ष 2006 के दौरान, देश में बीएसएनएल के केबलों की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 2006 के दौरान, बीएसएनएल के केबलों की चोरी संबंधी सर्किलवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केबल की चोरी संबंधी मामले प्रकाश में आए हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्या ये घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निजी प्रचालकों के सेवारत रहने की वजह से घटित हुई हैं। वर्ष 2004-2005 एवं 2005-06 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के केबलों की चोरी का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) इस मामले को राज्य सरकारों एवं पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है ताकि बड़े पैमाने पर होने वाली केबल की चोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल द्वारा केबल की चोरी को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) महत्वपूर्ण केबल मार्गों की नियमित गश्त।

(ii) चोरी किए जा सकने वाले केबलों के मार्ग में परिवर्तन।

(iii) संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करना।

(iv) केबल चोरी के मामले को रोकने हेतु पुलिस प्राधिकारियों के साथ बातचीत।

(v) केबल के गोदामों के पास सुरक्षा गार्डों की तैनाती।

(vi) चोरी की घटनाओं में कमी लाने हेतु स्थानीय निकायों के साथ समन्वय।

विवरण-I

वर्ष 2006 के दौरान देश में बीएसएनएल के केबल की चोरी के मामलों का सर्किल-वार विवरण

क्र. सं.	दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिला	केबल की चोरी के मामलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	546
3.	असम	89
4.	बिहार	1290
5.	छत्तीसगढ़	15
6.	गुजरात	377
7.	हरियाणा	37
8.	हिमाचल प्रदेश	1399
9.	जम्मू-कश्मीर	03
10.	झारखंड	429
11.	कर्नाटक	147
12.	केरल	23
13.	मध्य प्रदेश	25
14.	महाराष्ट्र	528
15.	पूर्वोत्तर-I	38
16.	पूर्वोत्तर-II	47
17.	उड़ीसा	267
18.	पंजाब	319
19.	राजस्थान	164
20.	तमिलनाडु	97
21.	उत्तरांचल	05
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	404
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	343
24.	पश्चिम बंगाल	69
25.	कोलकाता टेलीफोन जिला	305
26	चेन्नई टेलीफोन जिला	52
	कुल	7018

विवरण-II

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के केबल की चोरी के मामलों का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	दूरसंचार सर्किल/ टेलीफोन जिला	ग्रामीण क्षेत्रों में केबल की चोरी के मामलों की संख्या	
		2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	119	278
3.	असम	50	65
4.	बिहार	87	186
5.	छत्तीसगढ़	04	20
6.	गुजरात	49	53
7.	हरियाणा	02	06
8.	हिमाचल प्रदेश	282	770
9.	जम्मू-कश्मीर	01	शून्य
10.	झारखंड	27	35

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	29	42
12.	केरल	31	16
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
14.	महाराष्ट्र	46	97
15.	पूर्वोत्तर-I	19	58
16.	पूर्वोत्तर-II	09	03
17.	उड़ीसा	09	109
18.	पंजाब	15	22
19.	राजस्थान	34	23
20.	तमिलनाडु	56	111
21.	उत्तरांचल	शून्य	05
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	54	92
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	25	74
24.	पश्चिम बंगाल	19	43
25.	कोलकाता टेलीफोन जिला	शून्य	शून्य
26	चेन्नई टेलीफोन जिला	04	शून्य
	कुल	971	2108

गर्भ निरोधक इंजेक्शन

5663. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन साइक्लोफेम और एनईटी-ईएन-द्विमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन संबंधी नैदानिक अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे नैदानिक अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में ऐसे गर्भ निरोधकों की शुरूआत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) नैदानिक अध्ययनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पूर्ण किए गए अध्ययनों का मूल्यांकन किए जाने तक राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में तत्काल इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक आरम्भ करने का निर्णय नहीं किया गया है।

विवरण-I

साइक्लोफेम

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मानव प्रजनन अनुसंधान केन्द्र (एच आर आर सी) के अपने नेटवर्क के जरिए मासिक इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक साइक्लोफेम के संबंध में अध्ययन किया है। कुल 63,754 महिलाओं ने 15 एच आर आर सी के परिवार कल्याण क्लिनिकों में हिस्सा लिया। इन महिलाओं के समक्ष साइक्लोफेम (कैफेटेरिया एप्रोच) सहित राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपलब्ध सभी गर्भनिरोधक उपायों की संतुलित प्रस्तुति की गई। इनमें से 26856 (42.3%) ने ट्यूबेक्टामी को अपनाया, 116 (0.2%) दम्पतियों ने वैसेक्टामी का विकल्प चुना, 25% ने कंडोम को अपनाया, 15.8% ने आई यू डी को अपनाया, 14.7% ने खाने वाली गोलियां अपनाईं तथा परिवार नियोजन की इच्छा करने वाली कुल 1330 महिलाओं द्वारा मासिक इंजेक्टेबल साइक्लोफेम का विकल्प चुना गया।

अध्ययन में कुल 1330 महिलाओं को शामिल किया गया है और 11518 महिलाओं के लिए प्रयोग के माह की निगरानी की गई। स्वीकारकर्ताओं की औसत आय 26.0+4.1 वर्ष है और 18+1.0 की औसत समानता है। स्वीकारकर्ताओं का औसत वजन और ऊंचाई क्रमशः 48.2+10.9 कि.ग्रा. तथा 152.3+17.7 सें.मी. के रूप में दर्ज की गई। 87% स्वीकारकर्ता शिक्षित हैं तथा 17.8% रोजगार प्राप्त हैं।

539 महिलाओं ने 12 इंजेक्शन का प्रयोग किया है। 6, 9 तथा 12 माह पर अविच्छिन्नता दरें प्रति 100 उपयोगकर्ता

क्रमशः 79.2, 73.9 तथा 70.3 हैं। अधिकांश विच्छिन्नताएं मसिक धर्म की अनियमितताओं जो एक वर्ष में 100 उपयोगकर्ताओं पर 9.2 थी, के कारण हुई (6, 9 तथा 12 माह पर अमेनोरिया के कारण विच्छिन्नता 2.2, 2.4 तथा 2.7 थी, अत्यधिक एवं दीर्घकालिक रक्तस्राव के कारण विछिन्नता 1.9, 2.1 तथा 2.7 थी। कभी-कभार एवं कम रक्तस्राव के कारण महिलाओं ने इस विधि को बंद नहीं किया। वैयक्तिक कारणों की वजह से प्रयोग के 6, 9 तथा 12 माह पर विच्छिन्नताएं 4.7, 7.0 तथा 8.4 थी।

इस अध्ययन में विधि संबंधी विफलता की कोई सूचना नहीं मिली है । अन्य चिकित्सीय कारणों जैसे कि:- मिचली, उल्टी, उच्च रक्त दाब, चकते एवं खुजली, वजन में बढ़ोतरी तथा वक्ष में ढीलापन की वजन से 6, 9 तथा 12 माह पर विच्छिन्नता दर 2.2, 3.5 एवं 3.8 थी ।

116 महिलाएं अन्य शहर में स्थानांतरण (56), पति के अलग होने (18), परिवार के सदस्यों की आपत्ति (16) तथा पति की बीमारी (12) जैसे प्रमुख व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस अध्ययन से अलग हो गईं ।

यह अध्ययन अभी ही पूरा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्रालय में अंतिम रिपोर्ट मूल्यांकन हेतु प्राप्त हो गई हैं।

विवरण-II

नेट-एन

नेट ओएन पर परिषद की परीक्षणों का सार

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुंसधान परिषद विभिन्न खुराकों में तथा ओस्ट्रोज के संयोजन के साथ 80 के दशक के आरंभिक वर्षों से इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक नार्थिस्टेरोन ओएनैथेंट पर अध्ययन में करती रही है । परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1981-1983 : प्रत्येक दो या तीन माह पर दिए गए नार्थिस्टेरोन ओएनैन्थेट (200 मि.ग्रा.) इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक क्षमता का तुलनात्मक मूल्यांकन (जर्नल आफ कंट्रासेप्शन, दिसम्बर, 1984, खण्ड 30, सं. 6 में प्रकाशित)

प्रत्येक 2 या 3 माह पर दिए गए नार्थिस्टेरोन ओएनैथेट 200 मि.ग्रा. इंजेक्शन की गर्भनिरोधक क्षमता का तुलनात्मक मूल्यांकन 2388 महिलाओं पर 1981 में किए गए अध्ययन में किया गया, इन महिलाओं की 24 माह तक निगरानी की गई, 60±5 दिन वाले समूह में 1181 महिलाओं तथा 90±5 दिन पर वाले समूह में 1181 महिलाओं पर अध्ययन किया गया । अध्ययन के परिणामों से पता चला कि प्रत्येक 2 माह ± 5 दिन पर दिए गए नेट ओएन 200 मि. ग्रा से पर्याप्त गर्भनिरोधक बचाव होता है। 90±5 दिन वाले रेजिमेन में विधि संबंधी अपेक्षाकृत अधिक विफलता दर्ज की गई जो मुख्यतया इंजेक्शन देने के तीसरे माह में था जिससे तीसरे माह के दौरान कम गर्भनिरोधक क्षमता का पता चलता है। 40 कि.ग्रा. से कम वजन वाली महिलाओं को अस्वैच्छ से हुए गर्भ का अपेक्षाकृत अधिक खतरा था।

1983-84 : मासिक इंजेक्टेबल गर्भनिरोधन के रूप में केवल नार्थिस्टेरोन ओएनैन्थेट 500 मि.ग्रा. के साथ तथा एस्ट्राडियल वैलरेट अथवा साइपियोनेट के 5 मि.ग्रा. या 2.5 मि.ग्रा. के संयोजन के साथ चरण-II का यादृच्छिक तौर पर नैदानिक परीक्षण (जर्नल आफ कंट्रासेप्शन अक्टूबर 1985, खण्ड 32, सं. 4 में प्रकाशित)

मासिक गर्भनिरोधक के रूप में केवल नार्थिस्टेरोन ओएनैन्थेट 50 मि. ग्रा. के साथ तथा एस्ट्राडियल वैलरेट या साइपियोनेट के 5 या 2.5 मि.ग्रा. के संयोजन के साथ यादृच्छक तौर पर नैदानिक परीक्षण का मूल्यांकन किया गया। 1686 महिलाओं द्वारा मासिक प्रयोग के लिए कुल 364 महिलाओं की निगरानी की गई । रक्तस्राव पैटर्न डाटा के विश्लेषण से प्रदर्शित हुआ कि केवल नेट ओएन 20 मि.ग्रा. दिए जाने पर देरी से मासिक धर्म तथा/या अमेनोरिया उत्पन्न हुआ, तथापि, 2.5 या 5 मि.ग्रा. की खुराक में एस्ट्रोजेन इस्टर्स मिला देने से अत्यधिक बेहतर रक्तस्राव पैटर्न पैदा हुआ । जांची गई विभिन्न उपचार सारणियों में से ई-2 वैल. 5 मि.ग्रा. के साथ नेट ओएन 50 मि.ग्रा. के संयोजन ने अधिक निरंतरता एवं बेहतर चक्रीय नियंत्रण प्रदान किया।

1984-87 : इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन के रूप में दो हार्मोनल गर्भनिरोधक प्रीपरेशन प्रत्येक माह दिए गए नेट-ओएन (50 मि.ग्रा.)+ई 2 वैलरेट (5 मि.ग्रा.) तथा प्रत्येक 2 माह पर दिए गए नेट ओएन (200 मि.ग्रा.) का एक बहुकेन्द्रिक चरण-II का तुलनात्मक अध्ययन।

बहुकेन्द्रिक चरण-II के तुलनात्मक अध्ययन जिसमें प्रत्येक 2 माह पर दिए गए नेट ओएट 200 मि.ग्रा. की तुलना प्रत्येक माह दिए गए ओएस्ट्राडियल वैलरेट के संयोजन के साथ नेट ओएन से सक्षमता, प्रतिकूल प्रभाव, स्वीकार्यता के लिए की गई। 7817 महिला प्रयोग माह के लिए कुल 849 प्रयोगाधीन महिलाओं की निगरानी की गई। अध्ययन से यह परिणाम निकला कि 2 माह वाले रेजिमेन की तुलना में मासिक इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक का

प्रयोग करने वाली महिलाओं में मासिक धर्म का बेहतर नियंत्रण था। दोनों समूहों में इसका प्रयोग रोका जाना सामान्य था।

1984-86 इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक-नार्थिस्टेरोन ओएनैन्थेट (नेट-एन) 200 मिलीग्राम खुराक को बंद करने के बाद प्रजनन क्षमता की वापसी (जर्नल आफ कंट्रासेप्शन दिसम्बर, 1986, खण्ड 34, सं. 6 में प्रकाशित)

गर्भधारण की योजना के लिए 6 माह या अधिक अवधि तक नेट-एन का प्रयोग करने वाली महिलाओं में एन-एन 200 मिलीग्राम इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक बंद करने के बाद जनन क्षमता वापिस आने का अध्ययन किया गया। गर्भ धारण की योजना बनाने के लिए इस उपाए को बंद करने वाली 69 महिलाओं को इस अध्ययन में शामिल किया गया। कापर टी 200 के पूर्व प्रयोक्ताओं को नियंत्रण दल के रूप में शामिल किया गया। अमेनोरिया, अत्यधिक रक्तस्राव जैसे वैयक्तिक कारणों की वजह से नेट-एन का इस्तेमाल बंद करने वाली 161 अन्य महिलाओं का भी जनन क्षमता की वापसी के लिए यह सुनिश्चित करने के बाद अध्ययन किया गया कि वे गर्भनिरोधन के किसी अन्य उपाय का इस्तेमाल नहीं कर रही थी और वे गर्भधारण के जोखिमके प्रति अरक्षित थी। प्रयोगाधीन महिलाओं की निगरानी एक वर्ष की अवधि तक की गई। एक वर्ष के अन्त में संचयी गर्भधारण दरों से प्रदर्शित हुआ कि नेट-एन के प्रयोक्ताओं में जनन क्षमता की भविष्य में वापसी प्रतिकूल रूप से प्रभावित प्रतीत नहीं होती है। अमेनोरिया के कारण नेट-एन का इस्तेमाल बंद करने वाली प्रयोगाधीन महिलाओं में जनन क्षमता की वापसी पूर्वानुमान के अनुसार धीमी तथा कम थी। अन्य कारणों जैसे कि अत्यधिक रक्त स्राव तथा अन्य वैयक्तिक वजहों से इसका इस्तेमाल बंद करने वाली प्रयोगाधीन महिलाओं में जनन क्षमता की वापसी नेट-एन तथा कापर टी के पूर्व प्रयोक्ताओं के सदृश थी।

1984-88 आर ओ एम ई स्कीम, 1983-88 के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों से संबद्ध पोस्टपार्टम सेन्टर बी एवं सी टाइप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक नेट-ओएन 200 मिलीग्राम पर कार्यक्रम शुरूआत अध्ययन।

परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणामों के आधार पर यह प्रदर्शित हुआ कि 2 माह पर दिए गए नेट ओएन 200 मि.ग्रा. बच्चों में अन्तराल की इच्छुक महिलाओं के लिए एक अच्छा गर्भनिरोधक विकल्प है। परिषद ने वर्ष 1983 से 1988 तक आरओएमई स्कीम के अंतर्गत मेडिकल कालेजों से संबद्ध शहरी पोस्ट पार्टम सेंटर बी एवं सी टाइप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक कार्यक्रम-पूर्व आरम्भिक अध्ययन शुरू किया। यह अध्ययन स्वीकार्यता, संभारतंत्रीय तथा आपूर्ति, प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा अनुपरीक्षण संबंध आवश्यकताओं एवं तंत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था। 42 शहरी प्रसवोत्तर (पोस्टपार्टम) केन्द्रों में 11691 मासिक प्रयोग वाली महिलाओं के लिए कुल 2449 महिलाओं की निगरानी की गई तथा 11 मेडिकल कालेजों द्वारा चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मासिक प्रयोग वाली 3180 महिलाओं के लिए 531 महिलाओं की निगरानी की गई। प्रसवोत्तर केन्द्रों में प्रति 100 प्रयोक्ताओं पर विधि विफलता दर 2.1 देखी गई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति 100 प्रयोक्ताओं पर 1.7 देखी गई। गर्भावस्था की पहचान मुख्यतया नैदानिक निर्णय के आधार पर न कि गर्भावस्था जांच द्वारा की गई और ऐसे सभी मामलों को गर्भ के चिकित्सीय समापन की सलाह दी गई। यथाप्रत्याशित अधिकांश इस्तेमाल बंद करने की वजह मासिक धर्म संबंधी अनियमिताएं थीं। प्रसवोत्तर केन्द्रों में प्रति 100 प्रयोक्ताओं में 41.2 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति 100 प्रयोक्ताओं में 34.6 थी। एक वर्ष के अंत में प्रसवोत्तर केन्द्रों में प्रति 100 प्रयोक्ताएं अविच्छिन्नता दरें 22.9 थीं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति 100 प्रयोक्ताएं 29.3 थीं। इस अध्ययन में देखी गई दरें मेडिकल कालेजों में किए गए नैदानिक परीक्षणों में देखी गई दरों की अपेक्षा बहुत ही कम थी। इसके संभावित कारण ये हो सकते हैं कि प्रतिभागी केन्द्र इस नई प्रौद्योगिकी से परिचित नहीं थे और अभिप्रेरणा एवं परामर्श कौशल के महत्व उपलब्ध नहीं थे तथा इन्हें सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया गया। अविच्छिन्नता दरें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर थी। यह इस कारण से हो सकता है कि सहायक नर्सधात्रियों का महिलाओं के साथ बेहतर संबंध होता है और इस तरह उनके अधिक बारम्बार सम्पर्क हो सकते हैं। प्रसवोत्तर केन्द्रों में अनुपरीक्षण की प्रतिशत कमी 24.1 थी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 15.1 थी। इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत नेट-ओएन को केवल उन केन्द्रों जैसे कि शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों में उपलब्ध कराया जा सकता है जहां, जांच, परामर्श एवं अनुपरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एनआईआरआरएच, मुंबई (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक स्थायी संस्थान) में अध्ययन 2002-2007

प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन आई आर आर एच) भारत भर की 1209 महिलाओं का नामांकन करने के पश्चात द्विमासिक

इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (नार्थिस्टेरोन एनान्थेट) पर एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन शुरू किया था। कुल अध्ययन काल की अनुमोदित अवधि 4 वर्ष जिसे बाद में एक वर्ष बढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की स्वीकार्यता तथा इस इंजेक्शन की अविच्छिन्नता दरों का मूल्यांकन करना, इसके प्रतिकूल प्रभावों तथा इंजेक्टबल गर्भनिरोधकों के प्रति महिलाओं के विचारों एवं सोच का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में दक्ष काउंसिलर द्वारा परामर्श प्रदान करने तथा उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया गया। इसके परिणाम अत्यधिक आश्वस्त करने वाले हैं। निगरानी आधारित 17268 इंजेक्शन के प्रयोग माह से 12, 18 तथा 24 माह के अंत में संचयी अविच्छिन्नता दरें क्रमश: 65%, 53.6% तथा 48.3% प्रदर्शित होती हैं। यह नोट किया जाना दिलचस्प था कि 39% महिलाओं ने दो वर्षों की अध्ययन अवधि के बाद इंजेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। 79% से अधिक महिलाएं इस विधि से संतुष्ट थीं। करीब 89% महिलाओं ने कहा कि इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपलब्ध होने चाहिए और साथ ही 79% महिलाएं इस विधि की अनुशंसा अपने मित्रों और संबंधियों से करेंगी। यह विधि अधिकांश महिलाओं द्वारा स्वीकार्य थी तथा इसे अत्यधिक प्रभावी पाया गया, एक वर्ष के अंत में संचयी विधि विफलता दर 0.3% थी।

सामान्य अथवा प्रजनन स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा जिससे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं हुई। करीब 91% महिलाएं इस इंजेक्शन को बंद करने के पश्चात 12 माह के भीतर तथा अधिकांश (52%) 6 माह के भीतर गर्भवती हो गई।

यह अध्ययन पूरा होने के करीब है।

गांगुली समिति की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी रिपोर्ट

5664. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सुविधा योजना और स्वास्थ्य परिचर्या अभियांत्रिकी और प्रबंधन के संबंध में पूर्णकालिक और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम संरचना का मसौदा तैयार करने और समीक्षा करने के लिए गठित गांगुली समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) प्रोफेसर एन.के. गांगुली, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति ने सिफारिश की है कि देश में निम्नलिखित दो पाठ्यक्रम शीघ्र शुरू किए जाने चाहिएं:-

1. स्वास्थ्य सुविधा विनियोजन और डिजाइनिंग में स्नातकोत्तर।

   पात्रता : इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, डेनटिस्ट्री, मेडिसिन, नर्सिंग, वेट. साईंस (पशु चिकित्सालयों के लिए) में 16/17 वर्षों की शिक्षा के साथ स्नातक या समतुल्य।

2. स्वास्थ्य परिचर्या इंजीनियरिंग प्रबंधन में स्नातकोत्तर।

   पात्रता : इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग की किसी भी शाखा में स्नातक या समतुल्य।

प्रत्येक संस्थान द्वारा पी.जी. सर्टिफिकेट डिप्लोमा और स्नातकोत्तर स्तर पर दोनों पूर्णकालिक और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम उपयुक्त रूप से तैयार किए जाने हैं।

समिति ने इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर सिफारिशें भी की हैं— पाठ्यक्रम अंश, एआईसीटीई/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर से मान्यता; इन पाठ्यक्रमों के लिए सुविधा; इन पाठ्यक्रमों और अन्य सहायक सुविधाओं को शुरू करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता माडल। वित्त पोषण माडल तैयार करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत करने और सार्वजनिक निजी सहभागिता माडल विकसित करने के लिए नोलेज पार्टनर का पता लगाने आदि के लिए डा. एन.के. गांगुली, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक अनुवर्ती समिति गठित की है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

5665. श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री ए.वी. बेल्लारमिन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप तमिलनाडु में चल रहे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आर पी ओ) में बढ़ते आवेदनों के कारण काम का बोझ अधिक है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या पासपोर्ट प्राप्त प्राप्त करने के लिए आवेदकों को महीनों इंतजार करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आर पी ओ-वार प्रतीक्षा अवधि कितनी है;

(ङ) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) कार्यालयों में काम का बोझ कम करने तथा आर पी ओ में आवेदकों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। पूरे देश में प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसमें तमिलनाडु में कार्यरत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में इस समय कार्यरत दो पासपोर्ट कार्यालयों (चैन्नै और तिरुचिरापल्ली) को प्राप्त आवेदन-पत्रों और उनके द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
चेन्नै	230529	237561	291916	216367	212143	300503
तिरुचिरापल्ली	222368	225403	279713	261803	220429	303684

(ग) और (घ) आवेदकों को पास पासपोर्ट यथासंभव शीघ्र जारी किए जाते हैं, चाहे वे तत्काल श्रेणी के अंतर्गत बाद में पुलिस सत्यापन किए जाने के आधार पर जारी किए जाने हों या पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी किए जाने हों। पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए लगने वाला औसत समय अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो के अध्यधीन इस समय चैन्नै में 65 दिन का है और तिरुचिरापल्ली में 43 दिन का है। यह समय, विभिन्न अवसरों पर बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों और पुलिस सत्यापन के लिए लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग होता है। तथापि, पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त शिकायतों की संख्या		
	2004	2005	2006
चेन्नै	33	49	194
तिरुचिरापल्ली	39	43	92

(च) उपर्युक्त कार्यालयों में दोषी पाए गए व्यक्तियों जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की गई थी, की संख्या नीचे दी गई है :

	2005	2006	2007
निलंबन	2	1	1
विभागीय आरोप-पत्र	1	1	–
लगाई गई शास्ति	1	1	1

(छ) मंत्रालय, पासपोर्ट चाहने वाले लोगों की सुविधा और आसानी के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने की प्रणाली को अधिक सरल और त्वरित बनाने के लिए निरंतर अनेक उपाय करता रहा है। कुछ महत्वपूर्ण उपायों को नीचे दिया जा रहा है :

(i) 22 दिसंबर, 2006 को चेन्नै में पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान पासपोर्ट जारी किए जाने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए गए जिन्हें संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इन दिशा-निर्देशों से और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने से पासपोर्ट आवेदकों की कठिनाइयां काफी हद तक कम हुई हैं।

(ii) लंबित मामलों की निगरानी पाक्षिक आधार पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों में की जाती है और लंबित मामलों को कम करने की यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

(iii) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तीन सप्ताह में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेज दें।

(iv) आवेदकों की सुविधा के लिए और पुलिस सत्यापन में शीघ्रता के लिए आवेदन-पत्रों की प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया को विकेंद्रित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदन-पत्र, जिला मैजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक (संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित) के कार्यालय में स्थित जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों में जिला स्तर पर भी जमा कराए जाते हैं। इसके अलावा आवेदन-पत्र, विभिन्न राज्यों में स्थित निर्दिष्ट स्पीड केंद्रों और पासपोर्ट संग्रहण केंद्रों पर भी जमा कराए जाते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु में ऐसे 31 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ हैं और 140 स्पीड पोस्ट केंद्र हैं, जो पासपोर्ट आवेदन-पत्र स्वीकार कर रहे हैं।

(v) सरकार ने तमिलनाडु सहित पासपोर्ट कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 293 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दे दी है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

विवरण

पासपोर्ट जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देश

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाने के उद्देश्य से 23 दिसंबर, 2006 को कई निर्णय लिए गए हैं।

नई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. **पासपोर्ट जारी/पुनः जारी करने संबंधी संशोधित नियम**

वर्तमान में पासपोर्ट सामान्य और तत्काल श्रेणियों में जारी किए जाते हैं- (1) इस श्रेणी के अंतर्गत, पासपोर्ट स्पष्ट पुलिस सत्यापन की प्राप्ति पर जारी किए जाते हैं और (2) तत्काल योजना के अंतर्गत 10 वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट पैरा 2(ख) में निर्दिष्ट प्रधिकारियों से प्राप्त किए गए सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर और यदि आवेदक 1-7 दिन के भीतर पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है (पूर्व में 1-10 दिन के स्थान पर) तो 1500 रु. के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर और यदि आवेदक 8-14 दिन में पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है (पूर्व में 11-20 दिन के स्थान पर) तो 1000 रु. के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर जारी किया जाता है। तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट इस आधार पर जारी किए जाते हैं कि पुलिस सत्यापन बाद में किया जाएगा।

अथवा

2.(क) में दिए गए निम्नलिखित 14 दस्तावेजों की सूची में से तीन दस्तावेज जमा करने पर, बशर्ते कि तीन में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज हो और तीन में से कम से कम एक निम्नलिखित (क) से (झ) में से, और (ii) एक नोटरी द्वारा यथोचित रूप से साक्ष्यांकित मानक शपथ-पत्र हो:

2(क) 14 दस्तावेजों की सूची:

(क) मतदाता पहचान-पत्र

(ख) राज्य/केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र

(ग) अनुसूचित जाति/जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

(घ) स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र

(ङ) शस्त्र लाइसेंस

(च) संपत्ति के कागजात जैसे पट्टा, पंजीकृत विलेख इत्यादि।

(छ) राशन कार्ड

(ज) पेंशन के कागजात जैसे पूर्व सैनिक की पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा/अभिसाक्षी प्रमाण-पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश

(झ) रेलवे पहचान-पत्र

(ञ) आयकर पहचान (पैन) पत्र

(ट) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक

(ठ) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से जारी छात्र पहचान पत्र

(ड) ड्राइविंग लाइसेंस

(ढ) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाण-पत्र

2(ख) सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची

(क) भारत सरकार में अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/सचिव/मंत्रिमंडल सचिव;

(ख) राज्य सरकार में निदेशक/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव/मुख्य सचिव;

(ग) आवेदन के निवास के जिले के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त डी एम/जिलाधीश;

(घ) आवेदक के आवास के जिले के जिला पुलिस अधीक्षक, डी आई जी/आई जी/डी जी पी;

(ङ) सेना में मेजर और उससे ऊपर, नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे ऊपर, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर;

(च) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के महाप्रबंधक;

(छ) अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य जो सरकार के अवर सचिव के समकक्ष हो अथवा 10,000-15,200 अथवा इससे ऊपर के वेतनमान में हो;

(झ) उस आवेदक के लिए संबंधित तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी जिसके कार्यक्षेत्र में वह रहा रहा हो; और

(ञ) कंपनियों के उन स्वामियों, भागीदारों अथवा निदेशकों के लिए शीर्ष व्यापारिक संगठनों जैसे फेडेरेशन आफ इंडियन कामर्स एंड इण्डस्ट्री (फिक्की), कन्फेडरेशन आफ इंडियन इण्डस्ट्रीज (सी.आई.आई.) और एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री (एसोचेम) के अध्यक्ष जो संबंधित चैम्बर के सदस्य हों।

2(ग) प्रक्रियानुसार तत्काल वर्गों के अंतर्गत आने वाले पासपोर्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आने से पूर्व जारी किए जाएंगे। पुलिस प्राधिकारियों से तीन महीने की अवधि के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जाएगा। यदि इस अवधि के बीच कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती अथवा सही रिपोर्ट प्राप्त होती है तो पासपोर्ट को सामान्य अवधि के लिए जारी रहने दिया जाएगा। तथापि, पासपोर्ट जारी करने के पश्चात किसी अवस्था में यदि प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी (पी.आई.ए.) पासपोर्ट जब्त कर लेगा और पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा। सभी तत्काल वर्गों में तत्काल शुल्क उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित के अनुसार देय होगा। तत्काल योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसी आवेदक द्वारा तात्कालिकता प्रमाणपत्र जमा करना अपेक्षित नहीं होगा। **तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए तीनों में से कोई भी दस्तावेज अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकने वाले आवेदकों को पासपोर्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात जारी किया जाएगा।**

2(घ) ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आवेदक के पास सात्यापन प्रमाणपत्र हो और/अथवा पैरा 2(क) में यथा निर्धारित तीन दस्तावेज हों, किंतु वह तत्काल के अंतर्गत अपेक्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहता/चाहती हो। ऐसे मामलों में पासपोर्ट अधिकारी इस आधार पर 30 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी करेंगे कि पुलिस सत्यापन बाद

में किया जाएगा। आवेदक को मानक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के उन कर्मचारियों और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों (केवल पत्नी और आश्रित नाबालिग बच्चे) को बिना किसी पूर्व अथवा पश्च पुलिस सत्यापन के दस वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट जारी किया जा सकता है जिनकी पहचान विभागाध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष अथवा इस प्रयोजनार्थ विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाणित की गई हो।

4. उपर्युक्त पैरा 2(ख) और 3 में उल्लिखित वर्गों के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी का पूरा नाम, पद और पता इंगित करते हुए दो प्रतियों में दिया जाएगा। इस प्रकार दी गई एक प्रति पासपोर्ट जारी करने के उपरांत पासपोर्ट कार्यालय द्वारा डाक से प्रमाणकर्त्ता प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी। यदि इस प्रकार सूचित किए गए प्राधिकारी से फर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त होने का कोई संकेत मिलता है तो प्रश्नगत पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत धारक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। **पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बाद में प्राप्त होने के आधार पर पासपोर्ट से पूर्व अनिवार्यतः नेट (पी.आइ.एस.ओ.एन) पर पासपोर्ट सूचना सेवा और प्रत्येक मामले में पूर्व अनुमोदित वर्ग (पी.ए.सी.) की जांच करेंगे।**

5. इसके अतिरिक्त नए पासपोर्ट को जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान आवेदकों के संगत वर्गों के मामले में लागू होंगे:

(क) **नाबालिगः** 18 वर्ष तक के आवेदक के मामले में पासपोर्ट जारी करने से पूर्व अथवा पश्चात किए जाने वाले पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, नाबालिग आवेदकों के सभी मामलों में, माता पिता की सहमति देने की आवश्यकता होगी। पहचान के उद्देश्य से ऐसे नाबालिग आवेदक निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे:

(क) माता/पिता/वैध अभिभावकों के वैध पासपोर्ट सहित उनके माता-पिता होने का उपयुक्त प्रमाण और माता-पिता की ओर से निर्धारित शपथ पत्र

अथवा

(ख) माता-पिता में से एक की पहचान को स्थापित करने के लिए पैरा 2(क) के अनुसार माता-पिता के मामले में तीन दस्तावेज, और उसके माता-पिता होने के उपयुक्त प्रमाण और माता-पिता की ओर से मानक शपथ-पत्र।

18 वर्ष की आयु के नाबालिग आवेदकों के मामले में, चेहरे में निरन्तर परिवर्तन के कारण एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है।

(ख) **पुनः जारी किए जाने के मामलेः** तत्काल योजना के अंतर्गत 1500/- रुपए का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत 10 वर्षों की अवधि के लिए पासपोर्ट नवीकृत/पुनः जारी किए जाएंगे। दूसरी ओर, पासपोर्ट आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर 1000/- रुपए का सामान्य शुल्क का भुगतान करके 10 वर्षों की अवधि के लिए पासपोर्ट नवीकृत/पुनः जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पी आई ए के नोटिस में आवेदक के विरुद्ध कुछ प्रतिकूल न होने पर पासपोर्ट के नवीकरण/पुनः जारी करने के लिए कोई सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा। आवेदक के पते में किसी परिवर्तन की दशा में केवल नवीनतम पता सूचित करने वाले दस्तावेज पर बल दिया जाएगा।

केवल पते में परिवर्तन के लिए पुलिस सत्यापन आवश्यक नहीं होगा। आवदेक की शारीरिक बनावट में कोई मुख्य परिवर्तन होने की दशा में, नया पासपोर्ट जारी करने के लिए, यथास्थिति उपरोक्त पैरा 1-3 में सूचीकृत किसी एक प्रक्रिया का पालन आवेदक की पहचान को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। कोई आवेदक वैधता अवधि समाप्त हो गये/समाप्त होने वाले पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट की वैधता अवधि

समाप्त होने के तीन वर्ष बाद और एक वर्ष पूर्व नये पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।

पुराने पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने के बाद तीन वर्षों के पश्चात नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के मामले में उपर्युक्त यथास्थिति पैरा 1-3 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(ग) **डुप्लिकेट पासपोर्ट:** इस मामले में यदि पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी के ध्यान में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, गुमशुदा पासपोर्ट के बदले में आवेदक को 10 वर्षों की अवधि के लिए डुप्लिकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा बशर्ते कि पासपोर्ट के गुम होने के संबंध में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो और आवेदक के ब्यौरे गुम हुए पासपोर्ट की फाइल में दिए गए ब्यौरे के साथ पी आई एस ओ एन/पी ए सी प्रणाली में मेल खाता हो। ऐसे मामलों में कोई पूर्व/पश्च जारी पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। गुम पासपोर्ट से संबंधित परिपत्रों को तत्काल जारी किया जाएगा और क्षतिग्रस्त/रद्द/जब्त/गुम (डी आर आई एल) पासपोर्ट की पी आई एस ओ एन प्रणाली में प्रविष्टियां की जाएंगी।

(घ) कंपनियों के उन स्वामियों, भागीदारों अथवा निदेशकों जो संबंधित चैम्बर के सदस्य हों, के लिए शीर्ष व्यापारिक संगठनों जैसे फेडेरेशन आफ इंडियन कामर्स एंड इण्डस्ट्री (फिक्की), कन्फेडरेशन आफ इंडियन इण्डस्ट्रीज (सी.आई.आई.) और एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री (एसोचेम) के अध्यक्ष सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेंगे। इन सत्यापन प्रमाण पत्रों और मानक शपथ-पत्र के आधार पर इन आवेदकों को बाद में पुलिस सत्यापन किए जाने के अध्यधीन 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

खेलों के विकास हेतु परिचम बंगाल से प्रस्ताव

5666. श्री रनेन बर्मन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक पश्चिम बंगाल से खेलों के विकास और संवर्द्धन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ''राज्य खेल अकादमियों'' की योजना के तहत पश्चिम बंगाल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लेकिन कई मामलों में उसमें कमियां पाई गयी है। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को कमियों से अवगत करा दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (भा. खे. प्रा.) का एक क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता में है। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल संवर्द्धन की विभिन्न योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी), विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी), भा. खे. प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), सेना बाल खेल कम्पनी (एबीएससी) तथा उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स) भी चला रहा है। इन योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल में केन्द्रों की संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षणार्थियों को दी गई धनराशि का ब्यौरा नीचे कदया गया है:

केन्द्रों की संख्या	दी गई धनराशि (राशि रु. में)		
	2003-2004	2004-2005	2005-2006
एनएसटीसी-2	1,10,71,699	73,57,407	85,74,906
एसटीसी-4			
सीओएक्स-1			

इसके अलावा, भाखेप्रा राज्य सरकार के साथ दो प्रस्तावों—कल्याणी में जल क्रीड़ा तथा बोलपुर में एसएजी केन्द्र के संबंध में कार्रवाई कर रहा है।

गुरू जल उत्प्लावन

5667. श्री अनन्त नायक :

श्री के.एस. राव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गुरू जल उत्पादक संयंत्र हैं और इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए;

(ग) क्या उत्पादन की वर्तमान दर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गुरू जल का निर्यात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) इस समय देश में निम्नलिखित छः (6) भारी पानी संयंत्र परिचालनरत हैं और उनकी क्षमताएं नीचे दी गई हैं:

संयंत्र	क्षमता
मानगुरू	185 मीटरी टन
कोटा	80 मीटरी टन
हजीरा	80 मीटरी टन
थाल	78 मीटरी टन
तूतीकोरिन	49 मीटरी टन
बड़ौदा	17.7 मीटरी टन

(ख) इन परिचालनरत भारी पानी संयंत्रों द्वारा, पिछले तीन वर्षों के दौरान हासिल किया गया समग्र प्रतिशतता लक्ष्य निम्नानुसार है:

2006-2007	2005-2006	2004-2005
106.4	117.4	121.6

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) विगत में भारी पानी का निर्यात किया गया है। भारी पानी के निर्यात का निर्णय, प्रत्येक मामले के आधार पर लिया जाता है।

[हिन्दी]

नाइजीरिया के नागरिकों को वीजा

5668. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नाइजीरिया के नागरिकों को वीजा जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से अनेक नागरिकों ने अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश नहीं छोड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ नाइजीरियाई नागरिक ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की आपूर्ति और जासूसी आदि में लिप्त हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां। नाइजीरियाई नागरिकों को वर्ष 2004, 2005 और 2006 में क्रमशः 7908, 9769 तथा 11178 वीजा जारी किए थे।

(ग) और (घ) नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के पश्चात भी भारत में रहने की घटनाएं सरकार के ध्यान में समय-समय पर आयी हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात भी वे मुख्यतः आर्थिक कारणोंवश रुके रहते हैं।

(ङ) और (च) नाइजीरियाई नागरिकों की स्वापक व्यापार, जालसाजी, धोखाधड़ी, इत्यादि में संलिप्तता के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। विभिन्न अपराधों के लिए वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान क्रमशः 50, 75 और 72 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

(छ) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नाइजीरियाई नागरिकों को वित्तीय स्थिति, वापसी टिकट की

उपलब्धता और उनके पूर्व जीवनवृत्त के समुचित सत्यापन करने को ध्यान में रखते हुए उनके वीजा के आवेदनों की कड़ाई से जांच करें। उनसे यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि उन्हें यात्रा के वास्तविक प्रयोजन के अनुरूप वीजा दिए गए हों। मिशनों/केंद्रों से यह भी अपेक्षा है कि वे नाइजीरियाई नागरिकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार करने पर जोर दें। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सामान्यतया बहु-प्रवेशीय वीजा देने से बचें।

पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के बारे में चीन की स्वीकारोक्ति

5669. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने यह बात स्वीकार की है कि पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में चीन के अधिकारियों से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे क्या तथ्य जुटाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने मीडिया की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें बताया गया है कि एक चीनी राष्ट्रिक पूर्वी तुर्कमेनिस्तान मुक्ति संगठन के लिए लोगों की भर्ती में लिप्त है और उनको पाकिस्तान स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण शिवरों में भेज रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नर्सिंग स्कूल और कालेजों का पंजीकरण

5670. **श्री पी. करूणाकरन :**
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी/सरकारी क्षेत्र में राज्यवार कितने नर्सिंग स्कूल/कालेज हैं;

(ख) क्या ये संस्थाएं नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर कर्नाटक में ऐसी कितनी संस्थाएं समुचित पंजीकरण के बिना चल रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार की देश में, विशेषकर तमिलनाडु में स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और नर्सिंग स्कूलों/कालेजों को खोलने की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने देश में विभिन्न नर्सिंग स्कूलों और नर्सिंग कालेजों का निरीक्षण किया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) देश में 1704 नर्सिंग स्कूल और 591 नर्सिंग कालेज कार्य कर रहे है। राज्यवार सूची विवरण-I में दी गई है। ये संस्थान संबंधित राज्य नर्सिंग परिषदों से अधिकृत हैं परन्तु इनमें से केवल 1312 नर्सिंग स्कूलों और 580 नर्सिंग कालेजों को भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त 1704 नर्सिंग स्कूलों और 591 नर्सिंग कालेजों में से देश में 492 नर्सिंग स्कूल और 11 नर्सिंग कालेज भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुमोदन के बिना कार्य कर रहे हैं। तथापि, इन संस्थानों के पास राज्य नर्सिंग परिषद का अनुमोदन है। इन संस्थानों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार केवल विशेष राज्य में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और राज्य के बाहर और विदेशों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कर्नाटक में 185 नर्सिंग स्कूल, 57 नर्सिंग कालेज भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुमोदन के बिना कार्य कर रहे हैं परन्तु उनके पास राज्य नर्सिंग परिषद का अनुमोदन है।

(च) और (छ) सरकार ने राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में जहां पर कोई संस्थान नहीं हैं या अपर्याप्त संस्थान हैं, वहां नए स्कूल/कालेज खोलने के लिए अनुदेश पहले ही जारी किए हैं।

(ज) और (झ) भारतीय नर्सिंग परिषद ने संलग्न विवरण-II के अनुसार सभी 1312 नर्सिंग स्कूलों और 580 नर्सिंग कालेजों का निरीक्षण किया है।

विवरण-I

राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों का विवरण

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जीएनएम	बी.एस.सी.(एन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	343	70
2.	असम	27	2
3.	बिहार	0	0
4.	गुजरात	26	2
5.	हरियाणा	30	10
6.	हिमाचल प्रदेश	8	0
7.	कर्नाटक	577	294
8.	केरल	202	61
9.	महाकौशल	25	21
10.	महाराष्ट्र	112	25
11.	मिजोरम	5	2
12.	उड़ीसा	6	1
13.	पंजाब	0	29
14.	राजस्थान	75	5
15.	तमिलनाडु	*128	50
16.	त्रिपुरा	3	0
17.	उत्तर प्रदेश	58	3
18.	पश्चिम बंगाल	35	0
19.	दिल्ली	15	5
20.	झारखंड	13	0
21.	मेघालय	5	0
22.	छत्तीसगढ़	8	9
23.	राज्य चिकित्सा सुविधा और उत्तरांचल नर्स, नर्सधात्री उत्तराखंड	3	2
	योग	1704	591

विवरण-II

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अनुमोदित स्कूलों/कालेजों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	सामान्य नर्स और नर्सधात्री स्कूल			कालेज आफ नर्सिंग (बी.एस.सी.)		
		सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1		1			

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	8	174	182	3	104	107
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2			
4.	असम	3	8	11	1	2	3
5.	बिहार	8	7	15			
6.	चंडीगढ़				1		1
7.	छत्तीसगढ़		1	1	1	8	9
8.	दिल्ली	7	10	17	3	2	5
9.	गोवा	1	1	2	1	1	2
10.	गुजरात	19	9	28	1	4	5
11.	हरियाणा	3	22	25	1	2	3
12.	हिमाचल प्रदेश	5	1	6			
13.	झारखंड		2	2			
14.	जम्मू-कश्मीर		2	2			
15.	कर्नाटक	7	385	392	2	235	237
16.	केरल	10	127	137	3	56	59
17.	मध्य प्रदेश	6	18	24	1	22	23
18.	महाराष्ट्र	24	47	71	2	21	23
19.	मणिपुर		4	4			
20.	मेघालय	2	3	5	1		1
21.	मिजोरम	2	2	4	2		2
22.	नागालैंड		1	1			
23.	उड़ीसा	3	17	20	1	7	8
24.	पांडिचेरी		1	1		5	5
25.	पंजाब	3	89	92	3	16	19
26.	राजस्थान	6	68	74	1	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	सिक्किम				1		1
28.	तमिलनाडु	13	89	102	2	47	49
29.	त्रिपुरा	2	1	3			
30.	उत्तर प्रदेश	1	49	50		6	6
31.	उत्तरांचल					2	2
32.	पश्चिम बंगाल	27	11	38	1	4	5
	महायोग	162	1150	1312	32	548	580

नोएडा टोल ब्रिज पर सीसीटीवी स्थापित किया जाना

5671. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भातीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने यातायात को नियंत्रित करने और अपराधों को रोकने के लिए नोएडा टोल ब्रिज पर क्लोज्ड सर्किट टी वी (सीसोटीवी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं;

(ङ) इन सीसीटीवी को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित खंडों पर उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) के भाग के तौर पर सीसीटीवी स्थापित करने का प्रस्ताव है:-

(i) राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग (एनई)-1 का अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग (0.00-93.30 किमी.)

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 का आगरा-ग्वालियर खंड (8-103 किमी.)

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग-5 नेल्लोर-चिल्कालूरीपेट खंड (161.03-358.00 किमी.)

(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग-45 का ताम्बरम-टिंडीवनम खंड (28-121 किमी.)

(ङ) वित्तीय वर्ष 2008-09 तक।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षित वर्ग के लिए रोस्टर प्रणाली

5672. **श्री महावीर भगोरा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए रोस्टर प्रणाली को कब से लागू किया गया है;

(ख) इसकी आरंभिक और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उक्त रोस्टर प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू किए गए पद आधारित और रिक्ति आधारित रोस्टर प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के कार्यान्वयन की रोस्टर प्रणाली 1952 में शुरू की गई थी। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1993 में शुरू किए आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए इस प्रणाली को उपयुक्ततया संशोधित किया गया था। आरक्षण का कार्यान्वयन करने संबंधी रोस्टर दिनांक 1.7.1997 तक रिक्ति आधारित थे जिनके स्थान पर 2.7.1997 से पद आधारित रोस्टर शुरू कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) सेवाओं में आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से रोस्टर प्रणाली का अनुपालन करने का अनुरोध किया जाता है।

(ङ) रिक्ति आधारित रोस्टरों के मामले में, आरक्षण का निर्धारण, एक संवर्ग में होने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर किया जाता था। पद आधारित रोस्टरों के मामले में आरक्षण का निर्धारण, संवर्ग में पदों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

असुरक्षित इंजेक्शन

5673. **श्री अमिताभ नन्दी :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में दस रोगियों में से एक रोगी चिकित्सकीय भूल से पीड़ित हैं और विकासशील देशों में यह संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपचार के दौरान रोगी की सुरक्षा का अधिक ध्यान रखने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और रोगियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि विश्व में हर 10 रोगियों में से 1 चिकित्सीय भूल का शिकार होता है तथा विकासशील देशों में ऐसे मामलों की संख्या अधिक है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में 10 रोगियों में से एक के प्रभावित होने की कथित चिकित्सीय भूल में कमी लाने के लिए 2 मई, 2007 को 'नौ रोगी सुरक्षा समाधान' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। ये नौ समाधान, रोगी परिचर्या प्रक्रिया को पुन: तैयार करने और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए भारत समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य-देशों द्वारा प्रयोग किए जाने और अपने अनुकूल बनाने हेतु उपलब्ध होंगे।

सरकार, रोगी परिचर्या संबंधी विभिन्न विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यक्रमों से जुड़ी रही है। इन कार्यक्रमों में (i) अस्पताल में अपनाई जाने वाली 'हाथों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य परिचर्या' संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों पर ध्यान देते हुए 'स्वच्छ परिचर्या सुरक्षित परिचर्या है' की तर्ज पर वैश्विक सुरक्षा चुनौती 2005-06 की शुरूआत, (ii) देश में स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े संक्रमणों आदि के समाधान की वचनबद्धता के साथ जुलाई, 2006 में वैश्विक रोगी सुरक्षा चुनौती संबंधी शपथ पर हस्ताक्षर करना शामिल हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III में संक्रमण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबन्धन योजना शामिल है जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में भी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में सभी स्तरों पर अपशिष्ट प्रबन्धन एवं संक्रमण नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

चार लेन वाले राजमार्गों को आठ लेनों में बदलना

5674. श्री काशीराम राणा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राष्ट्रीय राजमार्ग वार ब्योरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में से चार लेन, छह लेन और आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार-वार प्रतिशत कितना है; और

(घ) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्योरा क्या है जिन पर स्वीकृति के बाद भी कार्य आरंभ नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) दिल्ली के चारों ओर आसपास 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों को 8 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के कुछ प्रस्ताव हैं।

(ख) ब्योरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रतिशतता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को 8 लेन का बनाने के स्वीकृत कार्यों में से ऐसे कोई कार्य नहीं हैं जिन्हें अभी शुरू किया जाना है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों को आठ लेन में बदलने के कार्यों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई(किमी)	टिप्पणी
1.	दिल्ली-हरियाणा	दिल्ली-गुडगांव (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	8	22.33	इसमें 5 किमी. को 6 से 8 लेन बनाना और 17.33 किमी. को 4 से 8 लेन बनाना शामिल है; कार्य प्रारंभ हो चुका है।
2.	दिल्ली	हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक आठ लेन बनाना	1	12.5	4 से 8 लेन बनाना; कार्य प्रारंभ हो चुका है।
3.	दिल्ली	मुकरबा चौक से माल रोड तक	1	8.5	4 से 8 लेन बनाना; कार्य पूरा हो चुका है।
4.	दिल्ली	3.4-5.7 किमी.	24	2.3	4 से 8 लेम बनाना; कार्य प्रारंभ हो चुका है।
5.	दिल्ली	5.7-7.7 किमी.	24	2.0	4 से 8 लेन बनाना; इस कार्य को चालू वित्त वर्ष की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	4 लेन, 6 लेन और 8 लेन वाले राष्ट्र राजमार्गों की लंबाई का प्रतिशत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0
3.	असम	0.7
4.	बिहार	6.0
5.	चंडीगढ़	63.7
6.	छत्तीसगढ़	2.5
7.	दिल्ली	100
8.	गोवा	9.7
9.	गुजरात	34.5
10.	हरियाणा	26.9
11.	हिमाचल प्रदेश	0.0
12.	जम्मू-कश्मीर	1.2
13.	झारखंड	10.2
14.	कर्नाटक	15.7
15.	केरल	3.7
16.	मध्य प्रदेश	3.2
19.	महाराष्ट्र	16.7
18.	मणिपुर	1.5
19.	मेघालय	0.0
20.	मिजोरम	0.0
21.	नागालैंड	0.0
22.	उड़ीसा	9.8
23.	पांडिचेरी	3.0
24.	पंजाब	17.2
25.	राजस्थान	15.6
26.	सिक्किम	0.0
27.	तमिलनाडु	12.1
28.	त्रिपुरा	0.0
29.	उत्तर प्रदेश	15.7
30.	उत्तराखंड	0.4
31.	पश्चिम बंगाल	18.4
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.0

डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण

5675. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक जीवन बीमा और अन्य बीमा योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए;

(ख) क्या डाक विभाग परंपरागत जमा योजनाओं में आकर्षक लाभ प्रदान करने के साथ ही देश में ग्राहकों को बैंकों की तुलना में बेहतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) जी नहीं। डाक विभाग वित्त मंत्रालय की ओर से डाकघर लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत डाकघर बचत बैंक उत्पादों को ग्राहकों को खुदरा रूप में बेच रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा इन नियमों का निर्धारण डाकघर बचत बैंक अधिनियम, 1873, डाकघर बचत-पत्र अधिनियम, 1959 और पीपीएफ अधिनियम, 1968 के तहत किया गया है। बैंक विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डाक विभाग और बैंकों के बीच कोई तुलना नहीं है।

[अनुवाद]

हेपेटाइटिस-सी की सस्ती औषधि का विकास

5676. श्री एल. राजगोपाल :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 15 मिलियन व्यक्ति हैपेटाईटिस-सी के पुराने मरीज हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संक्रामक रोगों के भारतीय प्रोफेसर ने लंदन स्कूल आफ फार्मेसी के सहयोग से इम्पीरियल कालेज में हैपेटाईटिस-सी की सस्ती औषधि का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने नैदानिक परीक्षणों के सह-प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या हैपेटाईटिस-सी की सस्ती औषधि का परीक्षण देश की अन्य प्रयोगशालाओं में भी हो रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) औषधि की सम्भावित कीमत कितनी होगी; और

(झ) इस औषधि के मानवीय परीक्षण कब तक पूरे होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जैसा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सूचना दी गई है, अनुमान है कि देश में हेपेटाइटिस-सी विषाणु के 12.5 मिलियन वाहक हैं सामान्यतया यह माना जाता है कि चिरकारी हेपेटाइटिस संक्रमण के 15-20 वर्ष के भीतर करीब 55% एच सी वी संक्रमित व्यक्तियों में होता है। एच सी वी से ग्रस्त लोगों से संबंधित आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (झ) दिनांक 2 अक्तूबर, 2006 के हैमरस्मिथ रिसर्च न्यूज के अनुसार प्रोफेसर सुनील शौनक के नेतृत्व में एक दल जिसमें हैमरस्मिथ अस्पताल, इम्पेरियल कालेज, लंदन स्कूल आफ फार्मेसी के अनुसंधानकर्ता शामिल थे, ने दावा किया है कि हेपेटाइटिस-बी के उपचार के लिए नई औषध 'पेगाइलेटेड इन्टरफेरोन' हेपेटाइटिस-सी से भी रोगमुक्त करने में प्रभावी है। तथापि, सरकार को इस औषध के नैदानिक परीक्षणों के लिए कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।

कुवैत के साथ भारत का समझौता

5677. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री रामदास आठवले :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुवैत में भारतीय श्रमिकों के संबंध में कुवैत के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब तक कार्यान्वित हो जायेगा?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास के क्षेत्र में कुवैत राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। समझौता ज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच कामगारों की भर्ती को कारगार बनायेगा और प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण को सुनिश्चित करेगा। समझौता ज्ञापन में उसे लागू करने के लिए दोनों देशों के एक संयुक्त कार्याकारी दल के गठन की भी व्यवस्था है।

(ग) समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा अन्तिम नौटिस दिए जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा जब वे यह घोषणा करें कि उन्होंने समझौता

ज्ञापन को लागू करने की कानूनी आवश्यकता को पूरा कर लिया है।

बेसिक, मोबाइल और डब्ल्यूएलएल फोनों पर असीमित बात

5678. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने हाल ही में बेसिक, मोबाइल और डब्ल्यू.एल.एल. फोनों पर असीमित बात करने वाली कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. की उपरोक्ता योजना पोस्ट-पेड और प्रीपेड दोनों मोबाइल फोनों के लिए उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) बीएसएनएल नेटवर्क के भीतर स्थिर तथा डब्ल्यूएलएल सेवाओं के संबंध में असीमित निःशुल्क कालों से संबंधित एक नई योजना केवल आंध्र प्रदेश सर्किल में शुरू की गई है। इसके अलावा, किसी सर्किल के बीएसएनएल सेल्युलर नेटवर्क के भीतर एक असीमित टाक टाइम स्कीम जैसे कि पोस्ट पेड सेल्युलर सेवाओं के अंतर्गत प्लान-725 अगस्त, 2006 से देशभर में प्रचालन में है। ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, बीएसएनएल की क्षेत्रीय यूनिटों ने भी उपभोक्ताओं की जरूरतों तथा स्थानीय बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही पैकेजों की पेशकश की है।

(ग) आंध्र प्रदेश सर्किल में स्थिर तथा वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) सेवाओं के संबंध में असीमित बात करने संबंधी नई योजना का विस्तार सेल्युलर सेवाओं तक नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

बीएसएनएल नेटवर्क में स्थिर/डब्ल्यूएलएल सेवाओं के अंतर्गत बीएसएनएल की असीमित निःशुल्क काल स्कीम

ब्यौरा	बीएसएनएल के स्थिर नेटवर्क में अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर असामित निःशुल्क काल	बीएसएनएल के स्थिर नेटवर्क में सर्किल के भीतर असीमित निःशुल्क काल	बीएसएनएल के स्थिर/सेल्युलर नेटवर्क में सर्किल के भीतर असीमित निःशुल्क काल
1	2	3	4
मासिक प्रभार	399 रु.	599 रु.	899 रु.
निःशुल्क कालें एमसीयू (अन्य कालों के लिए)	75	शून्य	शून्य
यूनिट दर	1.20	1.10	1.00
काल प्रभार			
बीएसएनएल स्थिर/डब्ल्यूएलएल पर काल	अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के भीतर असीमित निःशुल्क काल	सर्किल के भीतर असीमित निःशुल्क काल	सर्किल के भीतर असीमित निःशुल्क काल

1	2	3	4
बीएसएनएल सेल्युलर पर काल	विद्यमान दरों के अनुसार	विद्यमान दरों के अनुसार	सर्किल के भीतर असीमित नि:शुल्क काल
95 सेल/डब्ल्यूएलएल, अन्य नेटवर्क, इंटरनेट, एसटीडी तथा आईएसडी पर अन्य सभी काल	विद्यमान दरों के अनुरार	विद्यमान दरों के अनुसार	विद्यमान दरों के अनुसार
स्थान परिवर्तन	नि:शुल्क अनुमति	नि:शुल्क अनुमति	नि:शुल्क अनुमति

टिप्पणी :

(i) उपर्युक्त योजनाएं केवल आंध्र प्रदेश सर्किल में शुरू की गई हैं।

(ii) उपर्युक्त पैकेज 07.05.2007 से शुरू किए गए हैं।

(iii) उपर्युक्त पैकेज पीसीओ/डीआईडी फ्रैंचाइजी आदि पर लागू नहीं है जिन्हें कमीशन देय है।

विवरण-II

31.03.2007 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवाओं का पोस्ट-पेड प्रशुल्क

विवरण	प्लान-725
1	2
1. एक्टिवेशन प्रभार रु. में	100
2. मासिक नियत प्रभार रु. में	725
3. नि:शुल्क कालें/माह-किसी भी नेटवर्क पर (मूल्य रु.)	0
4. काल प्रभार/मिनट रु. में	
अंतरा/अंतर सर्किल कालों हेतु पल्स दर (सेकेंड में)	60
क. अंतरा सर्किल कालें	
जीएसएम/यूएएसपी (स्वयं) पर	0.00
जीएसएम/यूएएसपी (अन्य) को	0.40
स्थिर/डब्ल्यूएलएल (स्वयं) पर	0.40
स्थिर/डब्ल्यूएलएल (अन्य) को	0.40
सीडब्ल्यूसी/एफ/डब्ल्यू (स्वंय के नेटवर्क) किसी दो नंबरों पर (कम से कम एक नंबर लैंडलाइन होना चाहिए)	0.10

1	2
ख. अंतर सर्किल कार्लें	
जीएसएम/यूएएसपी (स्वयं) पर	0.40
जीएसएम/यूएएसपी (अन्य) को	1.50
स्थिर/डब्ल्यूएलएल (स्वंय) पर	1.50
स्थिर/डब्ल्यूएलएल (अन्य) को	1.50
आईएसडी कालों के लिए पल्स दर (सेकेंड में)	60
ग. आईएसडी कालें	
(क) अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन	6.00
(ख) श्रीलंका	7.20
(ग) यूरोप (ब्रिटेन के अतिरिक्त) सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग	8.00
(घ) कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर	9.60
(ङ) शेष विश्व	10.00
5. एसएमएस प्रभार रु. में/एसएमएस	
क. सामान्य पी2पी एसएमएस (अधिकतम 160 अक्षर/एसएमएस	
क. निःशुल्क एसएमएस संख्या में (अपने नेटवर्क पर)*	शून्य
ख. निःशुल्क एसएमएस मूल्य रु. में	शून्य
ग. स्थानीय (एलएसए के भीतर)	
(i) अपना नेटवर्क	0.00
(ii) अन्य नेटवर्क	0.40
घ. राष्ट्रीय (एलएसए के बाहर)	
(i) अपना नेटवर्क	0.40
(ii) अन्य नेटवर्क	0.40
ङ. अन्तर्राष्ट्रीय	5.00
ख. सामान्य गैर पी 2 पी एसएमएस	0.80
ग. एसएमएस संप्रेषण रिपोर्ट	0.10

1	2
6. रोमिंग काल प्रभार 60 सेकेंड पल्स सहित (रु./मिनट)	
क. राष्ट्रीय रोमिंग	
क. नियत मासिक प्रभार	शून्य
ख. एलएसए के भीतर की जाने वाली कालें (स्थानीय)	1.40
ग. एलएसए के बाहर की जाने वाले जावक कालें	2.40
घ. आवक कालें	0.65
ङ. जावक एसएमएस (अधिकतम 160 अक्षर)	0.80
ख. अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	
क. अंतर्राष्ट्रीय इन-रोमर्स 60 सेकेंड की पल्स सहित रु./मिनट	
(i) जावक स्थानीय/एसटीडी काल प्रभार	49
(ii) जावक आईएसडी काल प्रभार	99
(iii) आवक काल भारत	75
(iv) जावक एसएमएस (अधिकतम 160 अक्षर)	20
(v) आवक एसएमएस	शून्य
ख. अंतर्राष्ट्रीय निर्गामी रोमर्स	
क. नियत मासिक प्रभार	99
7. जीपीआरएस प्रभार :	
क. विकल्प-I	
(i) एक्टिवेशन प्रभार (रु.)	0
(ii) मासिक अभिदान (रु.)	49
(iii) निःशुल्क उपयोग के अतिरिक्त डाउनलोड प्रभार (रु.)/के बी	0.01
(iv) निःशुल्क उपयोग (एमबी में)	5 एमबी
(v) रोमिंग पर प्रयोक्ता प्रभार (रु.)	0.02
ख. विकल्प-II	
(i) एक्टिवेशन प्रभार (रु.)	0

1	2
(ii) मासिक अभिदान (रु.)	199
(iii) नि:शुल्क उपयोग के अतिरिक्त डाउनलोड प्रभार (रु.)/केबी	0
(iv) नि:शुल्क उपयोग (एबी में)	असीमित
(v) रोमिंग पर प्रयोक्ता प्रभार (रु.)	0.02
8. एमएमएस प्रभार :	
(i) नि:शुल्क एमएमएस	0
(ii) दर पी2पी/एमएमएस (रु.)	3
(iii) एम 2 पी (डाउनलोड द्वारा भुगतान किया जाएगा)	कंटेंट प्रदाता द्वारा निर्धारित दर के अनुसार

नोट : *नए कनेक्शन के लिए एक्टिवेशन की तारीख से दो महीने के लिए नि:शुल्क 200 एसएमएस (एलएसए के भीतर)

एच.आई.वी. रोगियों का पुनर्वास

5679. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास एच.आई.वी. पाजीटिव रोगियों के पुनर्वास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण (3) के अंतर्गत पात्र एचआईवी/एड्स रोगियों का नि:शुल्क एंट्री-रिट्रोवाइरल उपचार (ए आर टी) करने की व्यवस्था है। इससे रोगियों के अधिक समय तक जीवित रहने, जीवन की गुणवत्ता तथा उनकी कार्य क्षमता बेहतर होने की आशा है। ये सेवाएं 126 एआरटी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जहां पर इस समय 73 हजार से अधिक एचआईवी/एड्स रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अवसरवादी संक्रमणों के इलाज के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में 122 सामुदायिक परिचर्या केन्द्र खोले गए हैं जहां पर रोकथाम, औषध अनुपालन और पोषण पर परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

सी आर एफ के अंतर्गत अनुदान

5680. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सड़क कोष (सी आर एफ) से गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन राज्यीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का ब्योरा क्या है जिनका विकास किया गया है;

(ग) क्या राज्य प्रशासन से केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिल गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए जारी की गई धनराशि इस प्रकार है :-

वर्ष	जारी धनराशि (लाख रु.)
2004-05	–
2005-06	58.00
2006-07	74.83

(ख) अंडमान ट्रंक रोड (तत्पश्चात् जिसे वर्ष 2004 में राष्ट्रीय राजमार्ग 223 के रूप में घोषित किया गया) को 1.5 किमी. लंबाई में कार्य पूरा हो चुका है और शेष 8.5 किमी. लंबाई में कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) दिनांक 28.2.2007 तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त हो चुका है और उसके आधार पर धनराशि जारी हो चुकी है।

[हिन्दी]

डिसलेक्सिया के बढ़ते मामले

5681. **श्री रशीद मसूद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में बच्चों में अधिगम संबंधी रोग डिसलेक्सिया के मामलों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग का मुकाबला करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) देश में डिस्लेक्सिया की व्याप्तता से संबंधित कोई जानपदिक रोग संबंधी आंकड़े नहीं हैं। यह बतलाने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि डिस्लेक्सिया देश में तेजी से बढ़ रहा है।

(ग) से (ङ) डिस्लेक्सिया से निपटने की प्रमुख उपचार कार्यनीतियां उपचार एवं अनुकूलन स्थितियां लाना हैं। डिस्लेक्सिया के लिए उपचारी प्रयासों को स्वरविज्ञानी जागरूकता प्रशिक्षण पर संकेन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है जिससे पठन कूटवाचन कौशल बेहतर हो सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय पुनर्वास परिषद ने विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है। एनसीईआरटी तथा सीबीएसई, आईसीएसई तथा राज्य के कुछ बोर्ड इन बच्चों की सहायता करने के लिए भाषाओं तथा कतिपय विषयों में छूट प्रदान करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में भी इसके लक्ष्यों के रूप में नियमित स्कूलों के इन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

रक्षित कोयला खानों से अधिशेष आउटपुट की बिक्री

5682. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित कोयला खानों वाली कंपनियों को अधिशेष आउटपुट को बेचने की अनुमति दी जाती है जैसा कि दिनांक 16 अप्रैल 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रिसमूह ने इस प्रस्ताव पर गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कोयला ब्लाक के विकास चरण के दौरान और/अथवा लिंक्ड अन्त्य उपयोग संयंत्र के लिए अनुमोदित खान क्षमता कोयले की अनुमानित आवश्यकता से अधिक होने पर, केप्टिव कोयला ब्लाक आवंटिती को अतिरिक्त कोयला, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की स्थानीय सहायक कोयला कंपनी को बेचना अपेक्षित होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अस्पतालों की दयनीय स्थिति

5683. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाएं असंतोषजनक हैं जैसाकि सी.ए.जी. के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किये जायेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के लिए सीएजी, दिल्ली की लेखा परीक्षा रिपोर्ट खंड-II (सिविल विभाग की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा) में दिल्ली चार अस्पतालों नामत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन लोक नायक अस्पताल और दीन दयाल अस्पताल, दिल्ली नगर निगम के अधीन हिन्दू राव अस्तपाल और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन चरक पालिका अस्पताल के कार्यकरण के बारे में टिप्पणी की गई है।

जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है, उनमें पर्याप्त चिकिसा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, चिकित्सा सुविधाओं की रोगी परिचर्या की आवश्कता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लगातार समीक्षा की जाती है और उन्नयन किया जाता है।

एन एच ए आई की भूमि पर अतिचार

5684. चौ. मुनव्वर हसन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) के स्वामित्व वाली भूमि पर अस्पतालों, मॉलों, पेट्रोल पंपों और अन्य व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) विभिन्न एजेंसियों/व्यक्तियों ने उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जा कितने समय से कर रखा है;

(घ) भूमि को खाली करवाने और उक्त भूमि पर अवैध कब्जे के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) उक्त भूमि को कब तक खाली करवाये जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय क निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के आश्रम से बदरपुर खंड तक भूमि के निर्धारण के दौरान, यह पाया गया कि इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कुछ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति ने इस अतिक्रमण को हटाने की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मुख्य सचिव द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 4.5.2007 को पुनर्निर्धारण किया गया तथा इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के अधिकारियों को अपना अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। परिणामस्वरूप, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने अपना ढांचा शिफ्ट कर लिया है और दिनांक 14.5.2007 को शेष अतिक्रमण हटा लिया है। इस समय, कोई अतिक्रमण नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यद्यपि, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय अतिक्रमण विद्यमान हैं। तथापि, अस्तपालों, मालों और पेट्रोल पंपों द्वारा अनधिकृत कब्जे की सूचना नहीं हैं।

(घ) जहां कहीं भी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हैं, राज्य/जिला प्रशासन की मदद से इन्हें हटाया जा रहा है और कभी-कभी कार्रवाई में तेजी के लिए इस मामले को राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ भी उठाया जाता है।

(ङ) कार्य निष्पादन के दौरान अतिक्रमण हटा दिए जायेंगे।

स्नातकोत्तर परीक्षा

5685. डा. के.एस. मनोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवा में सेवारत चिकित्सकों को स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के कारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सरकारी सेवाओं में सेवारत चिकित्सकों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की कतिपय संख्या आरक्षित करने के लिए कोई कानून लाने पर विचार कर रही है ताकि चिकित्सकों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की ओर आकर्षित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को सेवारत चिकित्सकों को स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा से छूट देने का अनुरोध करते हुए केरल राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 के अनुसार विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखले निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर ही किए जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी नहीं। तथापि, केरल सरकार ने "स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में केरल के चिकित्सा अधिकारियों क दाखिले से संबंधित सेवा कोटा विधेयक, 2006 केन्द्रीय सरकार को टिप्पणियों के लिए भेजा था। इस विधेयक में केरल राज्य के चिकित्सा अधिकारियों में उनके द्वारा सरकार के अधीन की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए सीटों के आरक्षण तथा सेवा कोटे के अधीन मेडिकल कालेजों में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव किया गया था। इस मंत्रालय ने उस विधेयक का समर्थन किया था।

हाई-टेक मानीटरिंग एजेंसी

5686. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में हाई-टेक मानीटरिंग एजेंसी की स्थापना करने का है;

(ख) इस एजेंसी की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में किन-किन संगठनों को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि आंबटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। सरकार का संचार सुरक्षा शोध और अनुश्रवण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) उपर्युक्त केन्द्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य आपराधिक तत्वों की गतिविधियों और उनके सामजिक गठजोड़ दोनों की पहल, आन लाईन और सूचना प्राप्ति के पश्चात विश्लेषण द्वारा इंटरसेप्ट करने, मानीटरिंग करने और विश्लेषण करने के लिए कानून प्रवर्तन करने वाले अभिकरणों को अनिवार्य अभिगम प्रदान करना है।

(ग) भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय, टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डाट) को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

(घ) उपर्युक्त केन्द्र स्थापित करने के लिए 2007-08 के दौरान 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5687. श्री दुष्यंत सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मंजूरी दी गई है और स्थापित किया गया है;

(ख) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान सरकार के पास इन स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रोन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार के पास राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य केन्द्रों का व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ इन केन्द्रों को कितनी मोबाइल स्वास्थ्य वैन, डाक्टर एवं अन्य सहायक सेवायें और दवाइयां प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) दसवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य को कोई लक्ष्य नहीं दिया गया था। राजस्थान राज्य ने 10वीं योजना के दौरान 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्य की तुलना में 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भी उन्नयन किया जा रहा है और चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ को आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक यूनिट के हिसाब से मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था करने के लिए निधियां जारी की गई हैं। राज्य द्वारा राज्य के सभी 32 जिलों में प्रत्येक जिले को दो वाहन प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें 27 जिलों को आवश्यक सुविधाओं वाला एक वाहन तथा स्टाफ हेतु एक वाहन और 5 जिलों स्टाफ हेतु एक वाहन सहित नैदानिक सुविधाओं वाला एक वाहन होगा।

तिब्बत नीति की समीक्षा

5688. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तिब्बत के अध्यात्मिक नेता, दलाई लामा द्वारा सीएनएनआईबीएन चैनल पर दिए गए एक वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि तिब्बत के प्रति भारत का अति सतर्क रवैया तिब्बतियों में असंतोष उत्पन्न कर रहा है और उन्होंने भारत से अपनी तिब्बत नीति की आवधिक समीक्षा करने का अनुरोध किया है जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2007 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार की तिब्बत संबंधी वर्तमान नीति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने 9 अप्रैल, 2007 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी खबरें देखी हैं।

सरकार ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन जन गणराज्य के भाग के रूप में मान्यता दी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई-पास सड़कों की स्थिति

5689. श्री पी.सी. थामस : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर त्रिपुनिथुरा, मुवतुपुझा और कोठमंगलम बाई-पासों सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए प्रस्तावित बाई-पास सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्य में कार्य में तीव्रता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 बाइपासों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन बाइपासों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 पर त्रिपुनिथुरा, मुवतुपुझा और कोठमंगलम बाइपासों का संबंध है, इन सभी बाइपासों का संरेखण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। त्रिपुनिथुरा बाइपास की आंशिक लंबाई में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। मुवतुपुझा और कोठमंगलम बाइपासों और त्रिपुनिथुरा बाइपास की शेष लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन केरल सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर पड़ने वाले शेष बाइपासों का बकाया कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को 4 लेन का बनाने के कार्य के साथ किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

केरल में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए प्रस्तावित बाइपास

क्रम सं.	बाइपास का नाम	रारा सं.	कुल लंबाई (कि.मी.)	स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	अलेसरी-माहे बाइपास	17	18.031	• 9.14 किमी. में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और शेष खंड में अभी किया जाना है। • निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	शेष कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत किया जाना है।
2.	कोइलंडी डेविएशन बाइसपास	17	11.213	• संपूर्ण लंबाई में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। • निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	-वही-
3.	कोझीकोड बाइपास	17	28.124	• संपूर्ण लंबाई में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। • 13.624 किमी. में निर्माण कार्य पूर्ण। • 2.74 किमी. में निर्माण कार्य चल रहा है। • शेष लंबाई में निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	-वही-
4.	काडुंगालूर बाइपास	17	4.66	• संरेखण अनुमोदित। • भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	-वही-
5.	अलपुझा बाइपास	47	7.58	• संपूर्ण लंबाई में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है • 3.73 किमी. में निर्माण कार्य पूर्ण। • दो आर ओ बी को छोड़कर शेष कार्य प्रगति पर है।	-वही-
6.	कोल्लाम बाइपास	47	13.141	• संपूर्ण लंबाई में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है • 4.74 किमी. में निर्माण कार्य पूर्ण। • शेष निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	-वही-
7.	तिरुवनंतपुरम-नैय्याटिंकारा बाइपास	47	44.253	• 25.87 किमी. में भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है और 5.47 किमी. में चल रहा है	-वही-

1	2	3	4	5	6
				• 22.6 किमी. में निर्माण कार्य पूर्ण • भूमि अधिग्रहण और शेष खंड में निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	
8.	त्रिपुनितूरा बाइपास	49	12.13	• 3.75 किमी. में भूमि अधिग्रहण चल रहा है और शेष खंड में अभी शुरू किया जाना है। • निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) निधि से किया जाना है।
4.	मुवातुपूझा बाइपास	49	4.58	• संरेखण अनुमोदित। • भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	-वही-
10.	कोठमंगलम बाइपास	49	3.15	• संरेखण अनुमोदित। • भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य अभी शुरू होना है।	-वही-

आई.ए.एस. (वेतन) नियम, 2007

5690. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आई.ए.एस. अधिकारिकों के लिए ''प्रशिक्षण नहीं तो प्रोन्नति नहीं'' को आरंभ करके भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 जारी किये हैं जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर सुरिन्दर नाथ समिति और युगांधर समिति की सिफारिशों पर गौर किया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन समितियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) इस विभाग 20.3.2007 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 जारी की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी निर्धारित मध्य कैरिअर प्रशिक्षण के चरण-III और IV को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही क्रमशः कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और अधिसमय वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी, 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए, ऐसे प्रशिक्षण के चरण-V के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी करने के बाद ही पात्र होगा। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं कि महत्वपूर्ण स्तरों पर विशिष्ट प्रशिक्षण इनपुट्स प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकारी अपनी सेवा के अगले लगभग दस वर्षों तक अपने पद और कार्य की चुनौतियों को निपटाने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) श्री युगांधर की अध्यक्षता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट

में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए उनकी सेवा के 12वें वर्ष में 8 सप्ताह की अवधि के चरण-III के कार्यक्रम, सेवा के 20वें वर्ष में 12 सप्ताह के चरण-IV के कार्यक्रम और सेवा क 28वें वर्ष में चरण-V कार्यक्रम की सिफारिश की थी । सुरेन्द्र नाथ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि पदोन्नति की योग्यता-आधारित पद्धति शुरू की जाए और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति के लिए कैरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य बनाए जाएं ।

(ङ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों की विस्तारपूर्वक जांच-पड़ताल की गई और इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर मे उल्लिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली के संगत प्रावधानों के माध्यम से किए गए उपयुक्त संशोधनों के साथ इन्हें कार्यान्वित किया गया।

पथकर में वृद्धि

5691. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वसूले जाने वाले पथकर को बढ़ाने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर सरकार द्वारा वार्षिक रूप से पथकर से अर्जित राशि का कितना हिस्सा अनुमानत: खर्च किया जाता है; और

(घ) देश में पथकर निर्धारण करने में वर्तमान मापदंड क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रभारित शुल्क (पथकर) थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया जाता है । सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना के लिए अधिसूचित दरें प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित की जाती हैं। बी ओ टी (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) के लिए दरें रियायतग्राही करारों के आधार पर संशोधित कर जाती हैं।

(ग) पथकर से वसूला गया राजस्व सरकार के सामान्य राजस्व का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि का प्रावधान बजट में अलग से किया जाता है।

(घ) प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) लगाना और उसकी वसूली का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क दर) नियमावली, 1997 द्वारा संचालित किया जाता है और जो समय-समय पर संशोधित होता रहता है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

5692. श्री एम. अंजनकुमार यादव : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है;

(ख) कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाया जाता है;

(ग) कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जोड़ा गया तथा उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या उक्त चतुर्भुत के निर्माण में कोई विलंब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को ही पूर्णत: 4 लेन में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग-7 की 39 किमी., राष्ट्रीय राजमार्ग-9 की 80 किमी. और राष्ट्रीय राजमार्ग-202 की 21 किमी. को 4 लेन में परिवर्तित किया जा चुका है।

(ग) केवल राष्ट्रीय राजमार्ग-5 ही स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है।

(घ) से (च) आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज की संपूर्ण लंबाई को 4 का बनाया जा चुका है ।

विवरण

आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई

क्र.सं.	रारा सं.	रूट	लंबाई (किमी.)
1.	4	कर्नाटक सीमा—पालमनेर-चित्तोर नरहारीपेटा-तमिलनाडु सीमा तक	83
2.	5	उड़ीसा सीमा—इच्छापुरम-नरसानापेटा-श्रीकाकुलम-भीमोनीपट्टनम-विशाखापट्टनम-परटीपाडु-राजामुंदरी-इलूरू-विजयवाड़ा-गुंटुर-ओंगोले-नेल्लोर-गूडूर तमिलनाडु सीमा तक	1000
3.	7	महाराष्ट्र सीमा—आदिलाबाद-निर्मल-रामायमपेट-हैदराबाद-कुरनूल-गुटी-अंनतपूर-पेनकोंडा-कर्नाटक सीमा	753
4.	9	कर्नाटक सीमा—जहीराबाद-हैदाराबाद-सूरियापेट-विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम	430
5.	16	निजामाबाद-अरमूर-जगतियाल-चिन्नूर से महाराष्ट्र सीमा	220
6.	18	कुरनूल-नंडिया-कुडप्पा-रायाचोट-चित्तोर	369
7.	43	उडीसा सीमा—रामभद्रपुरम-विजयानगरम-नातावलासा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के साथ जंक्शन तक	83
8.	63	कर्नाटक सीमा—गुंटाकाल-गूटी तक	62
9.	202	हैदराबाद-वारंगल-वेंकटपुर से छत्तीसगढ़ सीमा तक	244
10.	205	अंनतपुर-कादिरी-मदनापल्ली-रेनीगूंटी से तमिलनाडु सीमा तक	360
11.	214	काठीपुडी-राजोल-काकीनाड़ा-नरसापुर-पमूरू	270
12.	214ए	नरसापुर-मछलीपट्टनम-चल्लापल्ली-अवानीगड्डा-रेपाले-बपातला-चिराला को जोड़ते हुए दीगामारू के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-214 के जंक्शन से प्रांरभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग और ओंगोले के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त	255
13.	219	मदनापल्ली-पुंगानुरू-पलमानेर-कुप्पम से तमिनाडु सीमा तक	128
14.	221	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 जो विजयवाड़ा के निकट के जंक्शन से कोंडापल्ली-मैलावरम-निरूवुरू-पेनुवल्ली-कोट्टागुडम-पलोंचा-भद्रचलम-नेल्लीपाका-चिंटूरू-कोंटा-छत्तीसगढ़ सीमा तक	155
15.	222	महाराष्ट्र सीमा से निर्मल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के जंक्शन तक	60
		जोड़	4472

[अनुवाद]

मोबाइल कम्पनियों द्वारा पी.टी.टी. सेवाएं

5693. डा. एम. जगन्नाथ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सेल्यूलर मोबाइल सेवा कंपनियों और यूनिवर्सल एक्सेस सर्विस कंपनियों को पुश टू टॉकर (पी.टी.टी.) सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पी.टी.टी. सेवाओं के उपयोग से उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) उक्त सेवा को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) एवं एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसों के अनुसार सेवा प्रदान कर सकते हैं। पुश टू टाक (पीटीटी) एक प्रकार की मोबाइल सेवा है और यह लाइसेंसदाता को पूर्व सूचना देकर प्रदान की जा सकती है।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के कनेक्शन काटा जाना

5694. श्री जुएल ओराम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) के कनेक्शनों को दूरसंचार विभाग या स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा कटवाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कनेक्शनों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इच्छुक अभिरक्षकों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान किए जाते हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने वीपीटी कनेक्शन काटने के लिए अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, सेवा प्रदाता उन वीपीटी के कनेक्शन काट सकते हैं जिनके लिए अभिरक्षकों से भुगतान हेतु देय राशियां बकाया हैं। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार भुगतान न करने के कारण देश में कुल 5,52,633 ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोनों में से 25,526 ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोनों के कनेक्शन काट दिए गए हैं।

(ग) भुगतान न करने के कारण काटे गए वीपीटी को इच्छुक अभिरक्षक की उपलब्धता के अध्यधीन, तीन माह तक भुगतान की प्रतीक्षा करने के बाद नए स्थल/अभिरक्षक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते

5695. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है ताकि संसद के अनुमोदन के बाद ही सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां तथा समझौते लागू हों;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संवैधानिक सुधारों संबंधी डा. एम.एन. वेंकटचलैया की सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सरकार का संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के अनुमोदन से विदेशों के साथ सभी संधियों और करारों को संपन्न करती है। किसी विधान के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार विधानसभा का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

(ग) सरकार ने संवैधानिक सुधारों पर डा. एम.एन. वेंकटाचलैया समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

5696. श्री महेश कनोडीया :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में केन्द्र से मानव संसाधन विकास की सहायता लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) योजना आयोग के तत्वावधान में अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को नोडल एजेंसी के रूप में रख कर राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन एन आर एम एस) के भाग के रूप में भास्कराचार्य अंतरिक्ष उपयोग और भू-सूचनाविज्ञान संस्थान (बी आई एस ए जी), गुजरात सरकार, गांधीनगर के साथ संयुक्त रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों से संबंधित क्रियाकलाप घनिष्ठ तालमेल के साथ चलाए जाते हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंध हेतु सुदूर संवेदन भू-सूचना विज्ञान और जी पी एस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार के अधिकारीगण आवधिक रूप में अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, हैदराबाद और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई आई आर एस), देहरादून में विद्यमान प्रशिक्षण एवं शिक्षा सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

तटवर्ती सेवाओं को सुदृढ़ बनाना

5697. श्री परसुराम माझी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-सरकार का पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर तटवर्ती सेवा को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच तटवर्ती सेवा चलाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तटवर्ती सेवा के विस्तार हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) तटीय सेवा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, जैसे, (i) तटीय पोतों को लदान पत्तनों पर तटीय सामान का बिल फाईल करने से और उतराई वाले पत्तन पर प्रवेश बिल फाईल करने से छूट दी गई है; (ii) तटीय पोतों को प्रकाश शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है; (iii) भारत में विभिन्न महापत्तनों पर तटीय पोत परिवहन के लिए विशेष टर्मिनल उपलब्ध करवाए गए हैं; (iv) तटीय जलयानों के लिए जलयान से संबद्ध शुल्क और तटीय जहाजी माल के लिए कार्गो से संबद्ध शुल्क कम कर दिए गए हैं और अब यह अन्य (विदेश जाने वाले) जलयानों से लिए जाने वाली दर का 60% हैं; और (v) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत तटीय पोतों को टनभार का उपलब्ध है।

(ग) से (च) भारत और बांग्लादेश के बीच नौवहन सेवा को अंतरराष्ट्रीय सेवा माना जाता है। दसवीं योजना में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सेवा का कोई विशेष संदर्भ नहीं दिया गया। अत: भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय सेवा संचालित किए जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, चेन्नै-कोलकाता-चिट्टगोंग' मार्ग पर एक फीडर सेवा चल रही है, जो कि भारत के पूर्वी तट से बांग्लादेश पत्तन तक जाने वाली जहाजी माल की खेपों की जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा, 'कोलंबो-चिट्टगोंग' मार्ग पर चल रही एक अन्य फीडर सेवा भारत के पश्चिमी तट से बांग्लादेश पत्तन तक जाने वाली जहाजी माल की खेपों की जरूरतों को पूरा करती है। ग्यारहवीं योजना में भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय सेवा के विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

[हिन्दी]

आयरलैंड में भारतवंशी

5668. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयरलैंड में भारतीय मूल के कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों तथा अन्य देशों के लोगों के बीच भेदभाव की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) भारतीय मिशन की सूचना के अनुसार आयरलैंड में भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 8460 है। इसके अतिरिक्त 2004-2006 में मिशन द्वारा 299 प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड और 267 भारतीय मूल के व्यक्तियों के कार्ड जारी किये गये हैं।

(ख) से (घ) भारतीय दूतावास से प्राप्त सूचना के अनुसार आयरलैंड में यूई/ईईए नागरिकों को उपलब्ध अधिमान्यता के व्यवहार को छोड़कर भारतीय मूल के लोगों और अन्य देशों के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव के जो मामले दूतावास के ध्यान में लाये जाते हैं, दूतावास द्वारा सभी मामलों को आयरलैंड सरकार के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

पंचायतों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

5699. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री के.एस. राव :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायतों के कार्य निष्पादन की निगरानी एवं मूल्यांकन किस तरीके से किया जा रहा है;

(ख) पंचायती राज के अंतर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी का प्राधिकार किसे सौंपा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादक आर्थिक कार्य निष्पादन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनों एवं हतोत्साहनों का तंत्र आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान संसाधन (एन.सी.ई.आर.) ने हस्तांतरण सूचकांक संबंधी अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसकी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना जो 23 नवम्बर, 2006 को संसद के सभा पटल पर रखे गये "पंचायतों की स्थिति–एक मध्यावधि समीक्षा और मूल्यांकन" रिपोर्ट में यथा प्रतिबिम्बित थी राज्यों में पंचायती राज को प्रोत्साहन देने एवं विकसित करने में हुई प्रगति के आधार पर अनुवीक्षण किया जाता है। जुलाई-दिसम्बर, 2004 के बीच आयोजित किये गये सात गोलमेज सम्मेलनों के बाद सर्वसम्मति से अपनाये गये कम्पेंडियम में निहित सहमत्य निष्कर्षों की शर्तों के और केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के दौरों की समाप्ति पर मुख्य मंत्रियों (अथवा अन्य संबंधित प्राधिकारियों) द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्यों की श्रृंखलाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार अब तक 21 ऐसे संयुक्त वक्तव्य पूरे कर लिये गये हैं। अत: अब तैयार किये गये अन्तरण अनुक्रमणिका के आधार पर जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) द्वारा परिष्कृत किया जा रहा है आनन्द में रूरल मैनेजमेंट इंस्टियूट (आई ए आर एम ए) के जरिये स्वतंत्र मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (पी ई ए आई एस) का उद्देश्य राज्य सरकारों को पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु प्रोत्साहित करने एवं पंचायतों को अपने कार्य में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेह बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर पीईएआईएस को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(ङ) और (च) अक्तूबर, 2004 में श्रीनगर में हुये पांचवें गोलमेज सम्मेलन में अन्तरण अनुक्रमणिका तैयार करने का एक प्रारंभिक प्रयास किया गया जो निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण तथा सभी तरह के राजनीतिक भेदभाव अथवा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह रहित होगा। श्रीनगर में अपनायी गई इस अनुक्रिया को तत्पश्चात् परिष्करण के लिए एन सी ए ई आर के पास भेजा गया, एन सी ए ई आर द्वारा तैयार की गई क्रियाशील अन्तरण अनुक्रमणिका का विवरण इसके साथ संलग्न है। वर्ष 2006-07 के दौरान इस आधार पर पी ई ए आई एस का परिचालन किया गया।

(छ) एन सी ए ई आर अन्तरण अनुक्रमणिका को परिस्कृत करने तथा अधिक सूक्ष्म बनाने ताकि पी आर आई के सशक्तिकरण से संबंधित सभी संकेतकों को परिमेय रीति से करने के कार्य में संलग्न है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस अन्तरण अनुक्रमणिका को अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेशों का हस्तांतरण सूचकांक
स्कोर एवं रैंकिंग

क्र.सं.	राज्य	रैंक	सूचकांक	स्कोर
1	2	3	4	5
1.	केरल	1	100.00	4.51
2.	कर्नाटक	2	88.40	3.98
3.	पश्चिम बंगाल	3	87.70	3.95
4.	तमिलनाडु	4	86.30	3.89
5.	सिक्किम	5	85.20	3.84
6.	मध्य प्रदेश	6	77.10	3.47

1	2	3	4	5
7.	उड़ीसा	7	76.50	3.45
8.	राजस्थान	8	74.00	3.33
9.	असम	9	72.90	3.29
10.	हिमाचल प्रदेश	10	70.80	3.19
11.	आंध्र प्रदेश	11	65.60	2.95
12.	छत्तीसगढ़	12	65.40	2.94
13.	हरियाणा	13	62.20	2.80
14.	महाराष्ट्र	14	61.50	2.77
15.	गोवा	15	59.80	2.69
16.	पंजाब	16	56.60	2.55
17.	मणिपुर	17	56.40	2.54
18.	गुजरात	18	52.00	2.34
19.	त्रिपुरा	19	50.60	2.28
20.	उत्तर प्रदेश	20	47.60	2.15
21.	उत्तराखंड	21	47.00	2.12
22.	बिहार	22	46.10	2.07
23.	अरुणाचल प्रदेश	23	30.30	1.42
संघ शासित क्षेत्र				
1.	दादरा और नगर हवेली	1		100.00
2.	लक्षद्वीप	2		90.70
3.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3		78.40
4.	दमन एवं दीव	4		69.30
5.	पुदुचेरी	5		50.70
6.	चंडीगढ़	6		40.20

बी.एस.एन.एल. द्वारा उपकरण की खरीद के लिए निविदा

5700. **श्री तरित बरण तोपदार :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 60 मिलियन जी.एस.एम. लाइनों के लिए उपकरणों की खरीद के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा जारी की गई निविदा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तथा अतिरिक्त क्षमता के आरंभ होने में विलम्ब है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्या इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बीएसएनएल ने 22.3.2006 को जीएसएम आधारित 2जी/3जी कॉम्बो नेटवर्क की 45.5 मिलियन लाइनों के नियोजन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और इन्हें चालू करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी की है।

(ख) से (घ) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली 12.06.2006 को और वित्तीय बोली 09.10.2006 को खोली गई। बोलीदाताओं में से एक बोलीदाता, जिसकी बोली तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तों के अनुरूप नहीं थी, ने बीएसएनएल के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। अब उन्होंने 16.4.2007 को इस मामले को वापस ले लिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और शीघ्र ही अग्रिम क्रय आदेश (एपीओ) जारी किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

समझौता एक्सप्रेस के यात्रियों को पासपोर्ट वीजा जारी किया जाना

5701. **श्री ब्रजेश पाठक :**

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौता एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष पासपोर्ट/वीजा जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा जारी किये गये पासपोर्टों तथा वीजा की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने समझौता एक्सप्रेस दुर्घटना की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जांच जारी है।

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद

5702. **श्री कैलाश बैठा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल के बीच भिखनातोरी सीमा विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सीमा विवाद हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत-नेपाल सीमा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल अधिराज्य के बीच 1816 को हुई सुगौली संधि और तदुपरांत संपन्न संधियों और करारों पर आधारित है। भारत और नेपाल ने संयुक्त तकनीकी समिति (जे.टी.सी.) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ भिखनातोरी सहित कुछ क्षेत्रों में सीमा के सरेखण पर मतभेदों का समाधान करना है। संयुक्त तकनीकी समिति की पिछली बैठक 21-22 दिसंबर, 2006 के बीच काठमांडु, नेपाल में आयोजित हुई। संयुक्त तकनीकी समिति को अपने निर्दिष्ट कार्य अभी पूरे करने हैं।

समझौता एक्सप्रेस में मारे गए पाकिस्तानी नागरिक

5703. **श्री टेक लाल महतो :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समझौता एक्सप्रेस दुर्घटना में मारे गए कितने पाकिस्तानी नागरिकों के शव पाकिस्तान को सौंप दिए गए हैं; और

(ख) उक्त घटना के उपरांत जारी शांति प्रक्रिया की स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) दुर्घटना में अड़सठ लोग मारे गए थे। पहचान किए गए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के चालीस शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया था।

(ख) बकाया द्विपक्षीय मसलों को निपटाने की प्रक्रिया जारी है। दुर्घटना के पश्चात् कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं। यह समझौता त्रासदी आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल देती है।

रुग्ण राज्यों का विकास सूचकांक

5704. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :**
श्रीमती करुणा शुक्ला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास सूचकांक के अनुसार रुग्ण राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रुग्ण राज्यों के विकास में तेजी लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) विकास सूचकांक की योजना आयोग द्वारा संगणना नहीं की जाती है। योजना आयोग राज्यों की रुग्ण के रूप में श्रेणीबद्ध भी नहीं करता है।

(ख) से (घ) उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

बी.सी.सी.आई. का आयकर भुगतान

5705. श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) ने आयकर की बकाया धनराशि अदा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.सी.सी.आई. को इसकी वित्तीय प्रबंधन के लिए आलोचना की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सूचना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एकत्र की जा रही है और जब यह सूचना मिल जाएगी जो सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) बी.सी.सी.आई. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय है। वह सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेता है तथा सरकार बी.सी.सी.आई. के वित्तीय प्रबंधन की आलोचना के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि ऐसे कोई पुख्ता आरोप ध्यान में लाए जाते हैं तो उनकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी।

आई ए एस/आई पी एस अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण

5706. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारें राज्यों में तैनात आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है;

(ख) राज्य सरकार के पास प्रशासनिक नियंत्रण होने की स्थिति में ऐसे अधिकारियों के मामले में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है;

(ग) राज्य में तैनात किसी आई.पी.एस. अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने की स्थिति में अपनाए जाने वाले प्रावधान और प्रक्रिया क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी मामलों का केन्द्र सरकार-वार और राज्य सरकार वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों में कार्य करते समय, राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। तथापि, किसी रोजगार के लिए बातचीत करने अथवा कोई रोजगार प्रारंभ करने, किसी भी प्रकार की छुट्टी के दौरान कोई रोजगार शुरू करने जैसे कतिपय मामलों में केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित है। इसके अलावा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाया जाना अथवा बर्खास्तगी की शास्ति लगाए जाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार में विहित है।

(ग) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 और अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत सदस्यों के खिलाफ, राज्य में कार्य करते समय उनके द्वारा की गई किसी अनियमितता अथवा कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू करने और शास्ति लगाने के लिए सक्षम हैं। तथापि, यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाया जाना अथवा बर्खास्तगी जैसे भारी शास्तियों में से कोई एक शास्ति लगाई जानी प्रस्तावित हो, तो यह मामला केन्द्र सरकार को भिजवाया जाना होता है। किसी सेवानिवृत्त अधिकारी पर कार्यवाहियां शुरू करने और उसकी पेंशन में कटौती किए जाने की शास्ति लगाए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का अनुमोदन लेना भी अपेक्षित होता है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध अभियोज की मंजूरी देने के लिए केन्द्र सरकार में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी अकेला ही सक्षम है। केन्द्र सरकार भी, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों पर केन्द्र सरकार में कार्य करते समय उनके द्वारा की गई अनियमितताओं अथवा कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकती है और समुचित शास्ति लगा सकती है।

(घ) एक विवरण संलग्न है। गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	भारतीय प्रशासनिक सेवा (2004-06)				भारतीय पुलिस सेवा (2004-06)		
		केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अभियोजन की मंजूरी	केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई शास्तियां	केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए अनुशासनिक मामले	राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई शास्ति	केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अभियोजन की मंजूरी	केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई शास्तियां	राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई शास्ति*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	–	1	1	2	–	–	–
2.	असम-मेघालय	–	–	–	–	–	–	–
3.	बिहार	–	–	1	–	–	–	–
4.	छत्तीसगढ़	1	–	–	2	–	–	–
5.	गुजरात	–	3	–	2	–	–	–
6.	हरियाणा	2	1	–	3	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	–	1	–	1	–	–	–
8.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–
9.	झारखंड	–	–	–	2	–	–	–
10.	केरल	–	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	1	3	–	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	1	1	–	–	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	–	3	–	3	3	–	–
14.	मणिपुर-त्रिपुरा	–	–	–	–	1	–	–
15.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–
16.	उड़ीसा	2	–	–	1	–	–	–
17.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	राजस्थान	1	1	—	—	1	—	—
19.	सिक्किम	—	—	—	1	1	—	—
20.	तमिलनाडु	2	—	1	—	1	—	—
21.	उत्तराखंड	—	—	—	—	2	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	3	1	1	—	—	—	—
23.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	1	—	1	—
24.	एजीएमयूटी	10	1	—	2	—	1	—
	कुल	23	16	4	20	9	2	—

*गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

क्रेडिट कार्ड में महात्मा गांधी की तस्वीर

5707. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री संजय धोत्रे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिचर्ड ब्रैंसन ग्रुप ऑफ ब्रिटेन के क्रेडिट कार्ड हेतु विज्ञापन अभियान में महात्मा गांधी की होंठ हिलाती हुई तस्वीर दर्शाई गई है और उनकी तस्वीर उस क्रेडिट कार्ड में भी प्रयोग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में ब्रिटेन के रिचर्ड ब्रैंसन समूह के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समूह की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या दक्षिण अफ्रीका के कतिपय संगठनों ने इसे "शांति के मसीहा" की तौहीन बताया है और इसके खिलाफ विरोध जताया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) यू.के. के रिचर्ड ब्रैंसन द्वारा स्थापित वर्जिन समूह का भाग दक्षिण अफ्रीका स्थित कंपनी "वर्जिन मनी" ने अपने क्रेडिट कार्ड के प्रोत्साहन में दक्षिण अफ्रीका में एक टी वी विज्ञापन के लिए महात्मा गांधी की तस्वीर का उपयोग किया है। यह विज्ञापन मार्च, 2007 में दिखाया गया था।

लंदन स्थित हमारे उच्चायोग को यू.के. के वर्जिन समूह से ब्यौरा पता लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने सूचित किया है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद मीडिया स्टेशन से इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है।

(ङ) और (च) दक्षिण अफ्रीका के कुछ लोगों ने जिनमें श्री आर. कल्लीदीन, सचिव, फिनीक्स सेटलमेंट ट्रस्ट तथा श्री राम महाराज, अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीकी हिंदू धर्म सभा शामिल हैं, ने इस विज्ञापन पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

गैर-सरकारी संगठनों की योजनाएं/परियोजनाएं

5708. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री अशोक अर्गल :
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुदान के लिए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन, किशोरों के विकास एवं अधिकारिता तथा युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की योजना के तहत प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण के संवर्धन की योजनाओं के तहत काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित हैं:-

राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	ग्रामीण अभिवृद्धि और स्वायम उपरि शिक्षण सोसायटी, मैसूर, कर्नाटक
2.	शिव सेवा संस्थान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश
3.	उत्तर प्रदेश ग्राम सेवा संस्थान, रायबरेजी, उत्तर प्रदेश

साहस का संवर्धन

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	नवचेतना विकास केन्द्र, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
2.	ग्राम उत्थान परिसर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
3.	भगवान बुद्ध सेवा संस्थान, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
4.	महिला एवं विकलांग जन सेवा संस्थान संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
5.	स्टार ग्रामीण महिला विकास समिति मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
6.	संकल्प, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
7.	सर्व हितकारी संस्थान, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश
8.	कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, मऊ, उत्तर प्रदेश
9.	आजाद प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
10.	ग्रामीण विकास समिति, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
11.	प्रकाश विकास सोसायटी, बलिया, उत्तर प्रदेश

युवा गतिविधियों एवं प्रशिक्षण का संवर्धन

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	ग्रामीण विकास समिति, झुन्झुनु, राजस्थान
2.	समाज कल्याण विकास संस्थान, जमुई, बिहार
3.	कक्कनमठ मानव विकास समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश
4.	क्षितिज समाज कल्याण समिति, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश
5.	राजेन्द्र शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार
6.	इन्टरनिका वेलफेयर सोसायटी, दरभंगा, बिहार
7.	विश्व बंधु राम अवतार जमुना मध्य विद्यालय, सीतामढ़ी, बिहार

काली सूची में डाले गए इन संगठनों को आगे अनुदान नहीं दिया गया है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे इनके खिलाफ कार्रवाई करें।

(घ) नेहरू युवा केन्द्र संगठन/राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र और अनुशंसा अधिकारी को शामिल करके एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन, साहस के संवर्धन और युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण के संवर्धन की योजनाओं के तहत अनुग्राही संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समय-समय पर जांच करता है। जहां तक किशोरों के विकास एवं अधिकारिता की योजना का संबंध है, गैर-सरकारी संगठन को शेष अनुदान जारी करवाने के लिए लेखा परीक्षित लेखों सहित कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

विवरण

योजना का नाम: राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2006-07 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में विचार विचार किए गए प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या	उन प्रस्तावों की संख्या जिनको अनुमोदित नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	16	5	3	2
3.	बिहार	26	1	1	—
4.	चंडीगढ़	1	1	1	—
5.	छत्तीसगढ़	1	1	1	—
6.	दमन दीव	1	1	1	—
7.	दिल्ली	37	11	6	5
8.	गोवा	2	2	—	2
9.	गुजरात	11	5	2	3
10.	हरियाणा	82	15	2	3
11.	हिमाचल प्रदेश	1	1	—	1
12.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—
13.	झारखंड	3	3	3	—

1	2	3	4	5	6
14.	कर्नाटक	4	4	2	2
15.	केरल	3	3	1	2
16.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	9	7	4	3
18.	महाराष्ट्र	11	—	—	—
19.	उड़ीसा	60	—	—	—
20.	पांडिचेरी	—	—	—	—
21.	पंजाब	4	4	3	1
22.	राजस्थान	4	3	3	—
23.	तमिलनाडु	4	4	4	—
24.	उत्तर प्रदेश	21	5	5	—
25.	उत्तरांचल	2	—	—	—
26.	पश्चिम बंगाल	8	4	3	1
	कुल	311	70	45	25
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
27.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	1
28.	असम	9	7	5	2
29.	मणिपुर	29	1	1	—
30.	मेघालय	2	—	—	—
31.	मिजोरम	—	—	—	—
32.	नागालैंड	7	—	—	—
33.	सिक्किम	4	—	—	—
34.	त्रिपुरा	2	—	—	—
	कुल	54	9	6	3
	कुल योग	365	79	51	28

योजना का नामः साहस का संवर्धन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2006-07 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में विचार विचार किए गए प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या	उन प्रस्तावों की संख्या जिनको अनुमोदित नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	4	–	–	–
3.	बिहार	–	–	–	–
4.	चंडीगढ़	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
6.	दमन दीव	–	–	–	–
7.	दिल्ली	22	3	3	–
8.	गोवा	–	–	–	–
9.	गुजरात	10	3	2	1
10.	हरियाणा	73	5	3	2
11.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
12.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–
13.	झारखंड	–	–	–	–
14.	कर्नाटक	1	–	–	–
15.	केरल	–	–	–	–
16.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
17.	मध्य प्रदेश	4	4	1	3
18.	महाराष्ट्र	12	5	–	5
19.	उड़ीसा	30	–	–	–
20.	पांडिचेरी	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	3	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
25.	उत्तरांचल	–	–	–	–
26.	पश्चिम बंगाल	1	1	1	–
	कुल	160	21	10	11
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
27.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
28.	असम	1	1	–	1
29.	मणिपुर	3	–	–	–
30.	मेघालय	6	6	2	4
31.	मिजोरम	–	–	–	–
32.	नागालैंड	3	3	–	3
33.	सिक्किम	–	–	–	–
34.	त्रिपुरा	1	–	–	–
	कुल	14	10	2	8
	कुल योग	174	31	12	19

योजना का नामः किशोरों का विकास और अधिकारिता

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2006-07 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में विचार विचार किए गए प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या	उन प्रस्तावों की संख्या जिनको अनुमोदित नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	11	11	11	—
3.	बिहार	17	11	8	3
4.	चंडीगढ़	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	1	1	1	—
6.	दमन दीव	1	1	1	—
7.	दिल्ली	16	16	10	6
8.	गोवा	6	6	2	4
9.	गुजरात	14	14	8	6
10.	हरियाणा	91	10	8	2
11.	हिमाचल प्रदेश	3	3	1	2
12.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—
13.	झारखंड	5	5	—	—
14.	कर्नाटक	6	6	4	2
15.	केरल	83	—	—	—
16.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	12	12	12	—
18.	महाराष्ट्र	158	24	19	5
19.	उड़ीसा	60	16	14	2
20.	पांडिचेरी	—	—	—	—
21.	पंजाब	1	1	1	—
22.	राजस्थान	40	14	11	3
23.	तमिलनाडु	8	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	48	23	20	3
25.	उत्तरांचल	5	5	3	2
26.	पश्चिम बंगाल	26	13	8	5
	कुल	591	192	142	50

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
27.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	1
28.	असम	38	5	3	2
29.	मणिपुर	127	6	6	0
30.	मेघालय	6	3	1	2
31.	मिजोरम	—	—	—	—
32.	नागालैंड	16	4	1	3
33.	सिक्किम	4	4	3	1
34.	त्रिपुरा	2	1	1	—
	कुल	194	24	15	9
	कुल योग	785	216	157	59

योजना का नामः युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2006-07 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में विचार विचार किए गए प्रस्तावों की संख्या	2006-07 में अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की संख्या	उन प्रस्तावों की संख्या जिनको अनुमोदित नहीं किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	9	9	8	1
3.	बिहार	24	10	5	5
4.	चंडीगढ़	—	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	1	—	—	—
6.	दमन दीव	3	3	1	2
7.	दिल्ली	43	5	4	1
8.	गोवा	1	1	—	1

1	2	3	4	5	6
9.	गुजरात	27	10	7	3
10.	हरियाणा	108	5	5	—
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
12.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—
13.	झारखंड	—	—	—	—
14.	कर्नाटक	5	5	3	2
15.	केरल	22	10	6	4
16.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	13	9	2	7
18.	महाराष्ट्र	63	9	5	4
19.	उड़ीसा	60	10	9	1
20.	पांडिचेरी	—	—	—	—
21.	पंजाब	—	—	—	—
22.	राजस्थान	16	10	8	2
23.	तमिलनाडु	12	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	65	10	8	2
25.	उत्तरांचल	6	3	2	1
26.	पश्चिम बंगाल	37	10	8	2
	कुल	515	119	81	38
पूर्वोत्तर रेलवे					
27.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
28.	असम	20	—	—	—
29.	मणिपुर	46	—	—	—
30.	मेघालय	5	—	—	—
31.	मिजोरम	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
32.	नागालैंड	6	—	—	—
33.	सिक्किम	4	—	—	—
34.	त्रिपुरा	3	—	—	—
	कुल	84	—	—	—
	कुल योग	599	119	81	38

आई आई एम के पूर्व छात्र को वापस भेजने के ब्रिटेन के आदेश

5709. श्री रविन्दर कुमार राणा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हाइली स्किल्ड माइग्रेंट्स प्रोग्राम (एचएसएमपी) के अंतर्गत प्राप्त वीजा पर कार्यरत एक आई. आई. एम. के एक पूर्व छात्र और अभियन्ता को वापस भेजने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) अति कुशल उत्प्रवास कार्यक्रम समूह द्वारा भारतीय उच्चायोग लंदन को अप्रैल, 2007 से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ब्रिटेन का गृह कार्यालय एक उच्च कौशल वाले उत्प्रवासी के रूप में ब्रिटेन में रहने के लिए 'समयावधि बढ़ाने को अनुमति न देने' के निर्णय की सूचना के नोटिस जारी कर रहा है।

(ग) और (घ) लंदन में भारत के उच्चायोग ने इस मामले को ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ ब्रिटेन के संसदविदों के साथ उठाया है। ब्रिटेन सरकार ने सूचित किया है कि बिन्दु आधारित प्रणाली दीर्घावधि में ब्रिटेन में उच्च कौशल वाले व्यक्तियों को उत्प्रवास की अनुमति देने के लिए बनायी गयी है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जो पहले से ब्रिटेन में हैं, सरकार उनकी यथासंभव सहायता करेगी। तत्कालीन प्रभाव से संशोधनों को लागू न करने की आवश्यकता, और पलायन अवधि में किसी नीति की आवश्यकता के बारे में ब्रिटेन सरकार को बताया गया है ताकि ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले भारतीय व्यावसायिकों पर इन संशाधनों के प्रभाव में सुधार किया जा सके।

उपग्रहों के प्रक्षेपण में मिट्टी के तेल का उपयोग

5710. श्री पंकज चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रहों की प्रक्षेपण लागत में कटौती करने के लिए मिट्टी के तेल के माध्यम से राकेटों को प्रणोदित करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अनुसंधान परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। इसरो ने राकेट प्रणालियों में ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल के उपयोग हेतु अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया है। राकेट प्रणालियों में मिट्टी के तेल के उपयोग के माध्यम से नोदन प्रणालियों की लागत में कटौती होगी जिससे उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने की प्रति किलोग्राम लागत में कमी आएगी।

(ग) उन्नत अनुसंधान एवं विकास कार्य के भाग के रूप में इस क्रियाकलाप के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बीमा

5711. **श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों और दर्शकों तथा कर्मचारियों का बीमा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) मेजबान शहर संविदा के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजक समिति से खेलों के आयोजन तथा संचालन से जुड़े सभी जोखिम के संबंध में अपने खर्च में से पर्याप्त बीमा करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार के जोखिम में, खेलों के संदर्भ के तथा बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लोक दायित्व तथा तुलनात्मक सामान्य दायित्व बीमा

(2) खेल परिवार के कल्याण के लिए दुर्घटना बीमा तथा चिकित्सकीय बीमा

(3) दर्शकों को चोट लगना, संपत्ति में क्षति तथा अन्य व्यक्तियों का घायल होना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिंदुओं का इस्लाम में धर्मान्तरण

5712. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**
श्री राकेश सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और मलेशिया में हिन्दुओं पर हमलों और हिन्दुओं का इस्लाम में जबरन धर्मांतरण किए जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मुद्दा भारत ने संबंधित देशों की सरकारों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पाकिस्तान की प्रेस, अपहरण और अल्पसंख्यक गुटों वाले पाकिस्तानी नागरिकों जिनमें हिन्दु भी शामिल हैं, का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने सहित हिंसा की रिपोर्टों को छापता रहता है। मलेशिया में हिन्दुओं पर हुए हाल के हमले की कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आयी है। वर्ष 2005 में मलेशिया में एक हिंदु को तथाकथित इस्लाम में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की घटना हुई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमिगत और ओपन कास्ट खानें

5713. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनीवार कितनी भूमिगत और ओपनकास्ट खानें हैं;

(ख) इनमें से कितनी खानों में उत्खनन का कार्य हो रहा है;

(ग) क्या भूमिगत और ओपन कास्ट खानों में तैनात व्यक्तियों को सरकार द्वारा अलग-अलग मुआवजा प्रदान किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या आधार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में सहायक कंपनीवार कार्यरत खानों की संख्या (अनंतिम) निम्नवत है-

सहायक कंपनी	भूमिगत	ओपनकास्ट	मिश्रित	योग
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	88	20	5	113
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	50	15	20	85
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	22	33	4	59
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	0	9	0	9
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू सी एल)	42	36	6	84
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	69	20	1	90
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	9	14	0	23
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स लि. (एनईसी)	3	2	0	5
कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	283	149	36	468

(*मिश्रित खान का तात्पर्य एक प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों प्रकार की खानें)

(ग) और (घ) कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों में तैनात व्यक्तियों पर समान रूप से लागू है।

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्र का विकास

5714. **डा. टोकचोम मैन्या :** क्या उत्तर पूर्व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के विकास हेतु कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी पहल के एक भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई काम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विकास कार्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और खर्च की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी), सीमा क्षेत्रों में लोगों के विकास और कल्याण को सुकर बनाने के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजना, देश के सभी सामुदायिक विकास खंडों में कार्यान्वित किया जाता है जिसकी भूमि सीमा पड़ोसी देशों के साथ है। सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्य इस योजना में शामिल हैं। बी ए डी पी गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत राज्यवार आबंटित धनराशियां और खर्च हुई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं:

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	1351.00	1351.00	1935.49	613.96	4498.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
असम	998.00	998.00	1081.00	1081.00	2338.34	0.00
मणिपुर	555.00	555.00	592.00	517.18	1250.00	217.21
मेघालय	900.00	900.00	494.00	494.00	1313.36	0.00
मिजोरम	1556.00	1556.00	903.48	886.94	2262.00	0.00
नागालैंड	416.00	416.00	456.00	456.00	1577.00	318.67
सिक्किम	1256.20	1256.20	622.00	471.94	1566.04	0.00
त्रिपुरा	2109.60	2095.24	1296.00	1001.09	2678.48	0.00
कुल	9141.80	9127.44	7379.37	5522.11	17483.22	535.88

[हिन्दी]

एचआईवी/एड्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

5715. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एचआईवी पाजिटिव रोगियों की संख्या शहरी क्षेत्रों की संख्या की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और जैसाकि दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा प्रबंध करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट वार्षिक प्रहरी निगरानी 2005 पर आधारित है। निगरानी रिपोर्ट के अनुसार कुल एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों में से 58.7% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा 41.3% शहरी क्षेत्रों में हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों की उच्चतर प्रतिशतता अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या के कारण है।

(ङ) और (च) भारत सरकार उच्च जोखिम वाले लोगों में लक्षित कार्यकलापों के उन्नयन, विशेषतौर पर महिलाओं एवं बच्चों से अधिक जागरूकता के लिए व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, निवारक परिचर्या के विस्तार, रक्त निरापदता, समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार एवं मुफ्त रिट्रोवाइरल औषधों की व्यवस्था सहित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की सहायता एवं उपचार द्वारा तथा एचआईवी निवारण कार्यनीतियों को मुख्य धारा में शामिल करके एचआईवी/एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं को उप जिला स्तर पर जन स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ सहयोग करके बढ़ावा जा रहा है।

[अनुवाद]

जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ के माध्यम से आवेदन

5716. **श्री हितेन बर्मन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक पश्चिम बंगाल में प्रत्येक जिले से पासपोर्ट जारी करने हेतु जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ के माध्यम से जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) जिन आवेदकों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर यथाशीघ्र रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीडीएमए/जीएसएम नेटवर्क के विस्तार हेतु उपकरण

5717. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने सीडीएमए और जीएसएम आधारित नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों से उपकरण खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीएसएनएल ने ब्राडबैंड नेटवर्क के विकास हेतु यूटी स्टारकाम को ठेका दिया है जबकि कंपनी की देश में कोई विनिर्माण इकाई नहीं है जैसाकि ठेके में विनिर्दिष्ट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। बीएसएनएल और एमटीएनएल विदेश कंपनियों से सीधे कोई उपकरण नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तथापि, बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने संचार नेटवर्क हेतु, अपेक्षित उपकरणों को भारत में पंजीकृत कंपनियों से प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ग) बीएसएनएल द्वारा मैसर्स यूटी स्टारकाम को 1.34 मिलियन ब्राडबैंड पोर्ट्स की आपूर्ति हेतु 28.12.2006 को क्रय आदेश दिया गया है। ब्राडबैंड उपस्कर के प्रथम चरण के आदेश देने हेतु स्वदेशी विनिर्माण क्षमता होना अनिवार्य नहीं था। बाद के चरणों का आदेश चुने गए बोलीदाताओं को उनके द्वारा स्वदेशी तौर पर हार्डवेयर में 30% मूल्य संवर्द्धन का संतोषजनक प्रदर्शन किए जाने पर दिया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं को उत्प्रवास की अनुमति

5718. **श्री संजय धोत्रे :**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने विदेशों में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत महिलाओं को उत्प्रवास की अनुमति देने हेतु न्यूनतम आयु सीमा को 30 वर्ष की बजाय 21 वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने विदेशों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, आवास स्वास्थ्य सुविधाएं, काम के घंटे निर्धारित करने तथा रोजगार से संबंधित अन्य शर्तों का निर्धारण करने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विदेश में रोजगार के लिए उत्प्रवास की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष की बजाय 21 वर्ष निर्धारित करने की सिफारिश की है : (1) विदेशों में किसी भी स्वरूप के कार्य/रोजगार के लिए नाबालिगों के उत्प्रवास पर पूर्ण प्रतिबंध (2) विदेशों में रोजगार कर रहीं महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें, तथा दुर्व्यवहार और यौन-शोषण के विरुद्ध शिकायत की सुनवाई के लिए एक ठोस तंत्र सुनिश्चित करके उन्हें संरक्षण देना (3) उन महिलाओं, जो यौन-शोषण और अनैतिक व्यापार की शिकार हैं, को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कल्याण कोष का उपयोग (4) घरेलू अथवा किसी अन्य कार्य के बहाने युवा लड़कियों के अनैतिक व्यापार में लिप्त पाये जाने वाले किसी भर्ती एजेन्ट अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही (5) विदेशों में दूतावासों में महिला/लिंग प्रकोष्ठों की स्थापना (6) घरेलू आयाओं के लिए अनिवार्य अभीमुखीकरण और जागरूकता कार्यक्रम।

[अनुवाद]

दवा परीक्षण हेतु अनुमोदित प्रयोगशालाएं

5719. डा. राजेश मिश्रा :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवा नियंत्रक पत्तन कार्यालयों द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है जहां वास्तविक आयातकों को उत्पीड़न से बचाने और विलम्ब से बचने के लिए दवा के नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है;

(ख) क्या नमूनों के परीक्षण के लिए आयातकों से उच्च शुल्क लेकर उनका शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में आयातित कंसाइनमेंट्स में से यादृच्छिक आधार पर लिए गए नमूनों की जांच करने के लिए पोत पत्तन कार्यालयों द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) देश में आयातित औषधों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए पोत पत्तन कार्यालयों द्वारा यादृच्छिक आधार पर औषध कंसाइनमेंट्स में से नमूने लिए जाते हैं। इन नमूनों की जांच स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा की जानी होती है। विलंब से बचने के लिए आयातकों के अनुरोध पर पोत पत्तन कार्यालयों द्वारा आयातित कंसाइनमेंट्स में से कुछ नमूने अन्य जांच प्रयोगशालाओं को भेज दिए जाते हैं जिनके पास औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बनी नियमावली के उपबंधों के अंतर्गत फार्म-37 में अनुमोदन पहले से ही होता है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रभार की दरें आयातकर्ता और प्रयोगशाला के बीच का मामला है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

निजी प्रयोगशालाओं की सूची

कोलकाता

1. विमटा लेबोरेट्री, हैदराबाद
2. सुपरिंटेंडेंट इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
3. नेशनल टेस्ट हाऊस (भारत सरकार), कोलकाता

मुंबई

1. बी. फार्मा लेबोरेट्रीज, मुंबई
2. जियो-केम एनालिटिक लेबोरेट्री, मुंबई
3. इटा लेब प्रा.लि., मुंबई
4. हैक्सा एनालिटिकल लेब, मुंबई
5. मनीषा एनालिटिकल लेब, मुंबई
6. केमो टैस्ट लेब, मुंबई
7. पारा लेब प्रा.लि., मुंबई
8. इन्वो-केम लेब, मुंबई

चेन्नई

1. ए टू जैड लेबोरेट्री, चेन्नई
2. एसजीएस लेबोरेट्री, चेन्नई

दिल्ली

1. श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली
2. आरबरो फार्मास्यूटिकल लि., नई दिल्ली

यूरोपीय संघ से सहायता

5720. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय परिषद ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम हेतु किसी सहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) उक्त सहायता की निबंधन और शर्तें क्या हैं तथा किस अवधि में इस राशि को खर्च किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) यूरोपीय आयोग पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान के रूप में भारत को सहायता प्रदान करता है, जिसमें प्राथमिकता स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को दी जाती है।

यूरोपीय आयोग ने 16.02.2007 को ब्रसेल्स में यह घोषणा की कि वह 2007-2013 के लिए भारत के लिए नए राष्ट्र नीति दस्तावेज के अंतर्गत 470 मिलियन यूरो का प्रस्ताव कर रहा हैं। किंतु भारत सरकार को इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक सूचना यूरोपीय आयोग से प्राप्त नहीं हुई है।

चिकित्सकों के लिए आचरण संहिता

5721. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज कंपनियां आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित कर रही हैं और अपनी दवाएं चिकित्सकों से नुस्खे में लिखवाने के लिए उन्हें उपहार प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सकों के लिए कोई आचरण संहिता तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) इस संबंध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक व्यवहार, शिष्टाचार और नीतिशास्त्र) विनियम, 2002 में आचरण संहिता दी गई है। इनमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी चिकित्सक चिकित्सा, सर्जिकल और अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को रैफर करने, उसकी सिफारिश करने या उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का उपहार, उपादान, कमीशन, या बोनस नहीं देगा, उसकी मांग नहीं करेगा या उसको प्राप्त नहीं करेगा और न ही उसको देगा या देने के लिए कहेगा। कोई भी चिकित्सक चिकित्सा, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी फीस के बांटने, हस्तांतरण, सौंपने, अधीनीकरण, छूट देने, तोड़ने या वापिस करने के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसमें पक्षकार नहीं बनेगा। यह किसी भी चिकित्सक या किसी व्यक्ति द्वारा नैदानिक प्रयोजन या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री भेजने, सिफारिशें करने या प्राप्त करने पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा, ऐसी अनैतिक प्रैक्टिस के मामले में पीड़ित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कानूनी प्रतिविधान का सहारा ले सकता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषद को विनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार हैं।

ईरान में रह रहे भारतीय

5722. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में रह रहे कुछ भारतीय भारत वापस आना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से भारतीय दूतावास द्वारा इन भारतीयों के उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक ड्रग्स का हानिकारक प्रभाव

5723. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक ड्रग्स प्रयोक्ताओं की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय है जैसाकि इनका बढ़ा हुआ इस्तेमाल इनको जब्त किए जाने की दर से प्रदर्शित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंथेटिक ड्रग्स पारंपरिक ड्रग्स से अधिक हानिकारक है;

(ग) क्या यूएन आफिस ऑन ड्रग्स एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी) के अनुसार एम्फेटामाइन टाइप स्टीमूलेशन (एटीएस) अधिकांश देशों द्वारा सामना की जा रही सबसे बड़ी स्वापक समस्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने सिंथेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दैनंदिनी समस्याओं का सामना करने के लिए अपना सहयोग दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) कुछ सिंथेटिक कम्पाउंड के उपयोग पैटर्न औषध दुरूपयोगकर्ताओं की बढ़ी हुई संख्या को दर्शाते हैं।

(ख) जी, हां। ज्यादातर सिंथेटिक औषधें प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली/पादप उत्पादों जिनमें व्यसनी विशेषताएं होती हैं, की अपेक्षा ज्यादा व्यसनी होती हैं।

(ग) और (घ) यू एन ओ डी सी की रिपोर्ट के अनुसार सिंथेटिक औषध कोकेन कई देशों में प्रमुख औषध व्यसन है। तथापि, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में हाल ही की रिपोर्टों ने एम्फटामाइन टाइप स्टीमूलेशन (एटीएस) जैसे कम्पाउंडों के बढ़ते दुरूपयोग को दर्शाया है।

(ङ) और (च) स्वापक औषधों और उष्णकटिबंधीय उत्पादों में अवैध व्यापार की जांच करने, उनका पता लगाने और उनको रोकने के लिए नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

- आयात और निर्यात स्थलों, भू-सीमाओं, हवाई पत्तनों, विदेशी डाक कार्यालयों आदि पर सख्त निगरानी और प्रवर्तन।
- अभिज्ञात औषध मार्गों के साथ-साथ गहन निवारक और निषेध प्रयास।
- निषेध में अधिक संसंजन के उद्देश्य से विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के बीच संवर्धित समन्वय।
- परिचालन आसूचना के एकत्रण, विश्लेषण और प्रचार प्रसार को सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क को सुदृढ़ करना।
- पूर्वगामी रसायनों (प्रिकर्सर-केमिकल) की आवाजाही पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सूचना के आदान-प्रदान और अन्वेषणात्मक सहायता पर अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
- अपराधियों का इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस तैयार करना।
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों की औषध अवैध व्यापार पर काबू पाने की दक्षताओं का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ऐसी सूचना जिससे स्वापक औषधें जब्त की जा सके, देने के लिए: मुखबिरों और अधिकारियों के लिए नगद इनाम देने की स्कीम को कार्यान्वित करना।
- पात्र राज्यों को नारकोटिक यूनिटों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

समाज में औषध दुरूपयोग की समस्या और घटनाओं को कम करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

औषध/एल्कोहल दुरूपयोग के बुरे प्रभावों, ठीक किए गए व्यसनियों के लिए प्रोत्साहक, परामर्श, उपचार, अनुवर्ती और सामाजिक पुनः एकीकरण पर जागरूकता सृजन और शिक्षा कार्यक्रम, जिनका औषध दुरूपयोग/एल्कोहल निवारण के क्षेत्र में स्वयंसेवकों और स्टाफ को पुनर्वास-प्रशिक्षण और परामर्श तथा एल्कोहल दुरूपयोग के निवारण में शामिल सेवा प्रदायकों की प्रभावी नेटवर्किंग और लिंकेज के माध्यम से लागू किया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी विभिन्न जोनल संस्थानों के माध्यम से औषध दुर्व्यसन निवारण के लिए स्कीमें चलाता है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु पार्क

5724. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान परमाणु पार्क स्थापित करने की तैयारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने "परमाणु पार्क" स्थापित करने की पाकिस्तान की इच्छा से संबंधित प्रेस रिपोर्टों को देखा है जो कि निजी परमाणु ऊर्जा उसंयंत्र स्थापित करने में रुचि रखने वाले विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साधन के रूप में है। इसका कारण देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना बताया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के लोगों के लिए भारतीय कानून लागू किया जाना

5725. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूके तथा अमरीका में बसे भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) के लिए भारतीय कानून लागू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में विधिक व्यवस्था तैयार करने के लिए इन देशों के साथ मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण कार्य से जुड़े भारतीय कामगार

5726. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ह्यूमन राइट्स वाच ने संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण कार्य से जुड़े भारतीय कामगारों की स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों एवं की गई टिप्पणियों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) नवंबर 2006 में गैर-सरकारी अमरीकी संगठन "द ह्यूमन राइट्स वाच" ने "बिल्डिंग टावर्स, चीटिंग वर्कर्स/एक्सप्लाएटेशन ऑफ माइग्रैंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स- इन द यू ए ई" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट पर शोध और इसका लेखन "ह्यूमन राइट्स वाच" के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका प्रभाग के शोधकर्ता श्री हादी होमी ने किया।

(ख) इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार थीं:

1. संयुक्त अरब अमीरात में न्यूनतम पगार लागू किया जाना चाहिए।
2. संयुक्त अरब अमीरात में स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों और सामूहिक सौदेबाजी की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
3. संयुक्त अरब अमीरात में श्रमिक निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

4. कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं और भर्ती करने वाले एजेंटों को सख्त दण्ड दिया जाना चाहिए।

5. कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू किए जाने चाहिए।

6. सरकार द्वारा श्रमिकों से संबंधित विवादों, उनकी मृत्यु और चोटों पर गुणात्मक आंकड़े मुहैया कराए जाने चाहिए।

(ग) और (घ) चूंकि यह रिपोर्ट विशिष्ट रूप से भारत के लिए नहीं है और इसमें संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे सभी प्रवासी कामगार शामिल हैं, अतः उसमें की गई सिफारिशों पर संयुक्त अरब अमीरात की सरकार को विचार करना चाहिए। भारत सरकार अपनी ओर से विदेश में रहने वाले भारतीय कामगारों की स्थिति पर कड़ी निगाह रखती है और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान सरकारों के साथ परामर्श सहित समय-समय पर यथा-आवश्यक कदम उठाती है।

फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा

5727. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने वाले अनुमोदित संस्थाओं की संख्या कितनी है तथा अब तक राज्य-वार कितने विद्यार्थियों को डिप्लोमा एवं डिग्रियां मिली हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और फार्मेसी संस्थाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय फार्मेसी परिषद इन संस्थाओं की गतिविधियों का निरीक्षण कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा तथा डिग्री फार्मेसी संस्थाओं की राज्यवार संख्या तथा उनकी दाखिला क्षमता विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई है और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं की राज्यवार संख्या विवरण-III में दी गई है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) से (च) जी, हां। भारतीय फार्मेसी परिषद निम्नलिखित निर्धारित मानकों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण कर रही है–

– अवसंरचनात्मक सुविधाएं

– स्थान क्षेत्र-प्रयोगशालाएं, व्याख्यान हाल, संग्रहालय, मशीन-कक्ष, इत्यादि।

– अध्यापन स्टाफ संख्या, अर्हता, अनुभव, वेतनमान, इत्यादि;

– गैर अध्यापन स्टाफ संख्या, अर्हता, इत्यादि;

– उपकरण;

– गैस जल, विद्युत आपूर्ति;

– पुस्तकालय की पुस्तकें, इत्यादि।

2. **शैक्षिक कार्य**

– इसका सत्यापन करना कि बच्चों को सिद्धांत तथा प्रयोग के लिए निर्धारित घंटे पढ़ाया जा रहा है या नहीं;

– किए गए अभ्यासों की संख्या

– स्टाफ छात्र अनुपात;

– कार्य दिवसों की संख्या, इत्यादि।

विवरण-I

पी.सी.आई फार्मेसी संस्थाओं में अनुमोदित डिप्लोमा की सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्था	दाखिला
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42	2340
2.	असम	3	200
3.	बिहार	2	120
4.	चंडीगढ़	2	100

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	3	187
6.	दिल्ली	8	480
7.	गोवा	1	60
8.	गुजरात	9	640
9.	हरियाणा	14	875
10.	हिमाचल प्रदेश	2	60
11.	झारखंड	2	120
12.	कर्नाटक	93	5820
13.	केरल	21	1310
14.	मध्य प्रदेश	11	670
15.	महाराष्ट्र	103	6250
16.	मणिपुर	1	30
17.	मिजोरम	1	33
18.	उड़ीसा	28	1600
19.	पंजाब	18	1030
20.	राजस्थान	17	1020
21.	सिक्किम	1	60
22.	तमिलनाडु	43	2960
23.	त्रिपुरा	1	60
24.	उत्तर प्रदेश	13	680
25.	उत्तरांचल	11	500
26.	पश्चिम बंगाल	10	490
27.	जम्मू-कश्मीर (धारा 14 के अंतर्गत)	1	40
	कुल	461	27735

विवरण-II

पी.सी.आई. द्वारा फार्मेसी संस्थाओं में अनुमोदित डिग्री की सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्था	दाखिला
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25	1440
2.	असम	1	40
3.	बिहार	1	30
4.	चंडीगढ़	1	50
5.	छत्तीसगढ़	2	120
6.	दिल्ली	3	180
7.	गोवा	1	60
8.	गुजरात	12	700
9.	हरियाणा	6	360
10.	झारखंड	1	60
11.	कर्नाटक	47	2700
12.	केरल	5	300
13.	मध्य प्रदेश	11	660
14.	महाराष्ट्र	52	2870
15.	उड़ीसा	11	640
16.	पाण्डिचेरी	1	60
17.	पंजाब	10	470
18.	राजस्थान	8	440
19.	सिक्किम	1	60
20.	तमिलनाडु	37	2180
21.	त्रिपुरा	1	30

1	2	3	4
22.	उत्तर प्रदेश	18	1010
23.	उत्तरांचल	4	210
24.	पश्चिम बंगाल	2	120
	कुल	261	14790

विवरण-III

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फार्मेसी			
		संस्थाओं की संख्या	दाखिला क्षमता	संस्थाओं की संख्या	दाखिला क्षमता
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	58	3495	38	1995
	छत्तीसगढ़	6	360	12	580
	गुजरात	50	2820	25	1540
पूर्वी	मिजोरम	1	30	1	30
	सिक्किम	1	60	1	60
	उड़ीसा	16	925	15	840
	पश्चिम बंगाल	11	685	10	560
	त्रिपुरा	1	30	1	60
	मेघालय	0	0	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
	असम	1	40	2	150
	मणिपुर	0	0	1	20
	नागालैण्ड	0	0	0	0
	झारखण्ड	1	60	2	150
उत्तर	बिहार	1	15	0	0
	उत्तर प्रदेश	68	4065	9	430
	उत्तरांचल.	9	510	11	501

1	2	3	4	5	6
उत्तर-पश्चिम	चण्डीगढ़	1	98	1	180
	हरियाणा	18	1106	11	1350
	जम्मू-कश्मीर	1	30	1	40
	नई दिल्ली	5	324	2	220
	पंजाब	24	1294	28	1890
	राजस्थान	36	2116	20	1110
	हिमाचल प्रदेश	3	160	3	110
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	106	6252	57	3160
	पांडिचेरी	1	60	1	20
	तमिलनाडु	42	2455	15	1170
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	69	4043	83*	5220*
	केरल	26	1410	4*	240*
पश्चिम	महाराष्ट्र	108	6986	203	10380
	गोवा	1	88	1	60
	दमण दीव, दादरा	0	0	0	0
	कुल	665	39517	558	32066

एआईसीटीई को फार्मेसी संस्थाओं में डिप्लोमा के अनुमोदन को 2004-2005 के बाद बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

पेंशन जारी करने में लगने वाला सामान्य समय

5528. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन जारी करने के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सामान्य समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पेंशन जारी करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब को समाप्त करने और यथाशीघ्र पेंशन जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में पेंशन के निर्धारण और ऑथोराईजेशन के संबंध में समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन

नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व पेंशन मंजूर कर दी जाती है और पेंशन जारी करने के लिए भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.), पेंशन भुगतान प्राधिकरण को भेज दिया जाता है।

(ख) और (ग) पेंशन जारी होने में विलम्ब से संबंधित शिकायतों के बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं क्योंकि पेंशन के ऑथोराईजेशन, मंजूरी और संवितरण की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत है और यह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों द्वारा चलाई जाती है पेंशन जारी होने में विलंब से संबंधित शिकायतें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा सीधे ही निपटाई जाती हैं क्योंकि पेंशन ऑथाराइजेशन, मंजूरी और संवितरण की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत है।

तपेदिक और मलेरिया हेतु टीके

5729. **श्री एस.के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को देश में तपेदिक और मलेरिया के टीके विकसित करने के प्रयासों के समर्थन में कोई बाह्य सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में क्षयरोग वैक्सीन तैयार करने के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक मलेरिया वैक्सीन तैयार करने का संबंध है, उड़ीसा और जबलपुर (मध्य प्रदेश) में एनआईएमआर की दो क्षेत्र-इकाइयों में भविष्य में वैक्सीन परीक्षण के लिए क्षेत्र-स्थल विकसित किए जा रहे हैं। उड़ीसा के लिए, जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने निधियां प्रदान की हैं तथा वैक्सीन आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जीवविज्ञान अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, दिल्ली में तैयार की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जबलपुर में अध्ययन के लिए वित्तपोषण किया है और सीडीसी, अटलांटा, यूएसवैक्सीन तैयार कर रहा है।

(ख) **उड़ीसा :** यह, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए जा रहे वित्तपोषण से आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के साथ एक संयुक्त परियोजना है। सुन्दरगढ़, उड़ीसा में मलेरिया की महामारी संबंधी स्थिति को समझने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं जिससे अध्ययन स्थल से क्लीनिकी, कीट विज्ञान संबंधी और आणविक जानपदिक रोग विज्ञान/रोग प्रतिरक्षण संबंधी सूचकों को एकत्र करके मलेरिया वैक्सीन के लिए भविष्य में क्षेत्रपरीक्षण करने में सहायता मिलेगी। यह परियोजना अगस्त, 2000 में शुरू की गई थी जो शुरू में जुलाई, 2002 तक थी लेकिन इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) तक बढ़ा दिया गया है। अत: उच्च एवं मध्य दर्जे की स्थानिकमारी मलेरिया दशाओं द्वारा वर्गीकृत वन और मैदानी क्षेत्रों के गांवों में लौगीटूडीनल और क्रास सैक्सनल जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययन, दो सेंटों में जारी हैं। प्रारम्भ में 4473 की कुल आबादी वाले अध्ययन के लिए 13 गांव थे। वर्ष 2003 में 23 और गांवों को मिलाने से अध्ययन की आबादी बढ़कर 15,525 हो गई थी। प्रस्तावित पेप्टाइड वैक्सीन पी. फालसीपेरम की रक्त स्थितियों के प्रति रीकोम्बीनेन्ट वैक्सीन है।

जबलपुर : अध्ययन, मई, 2005 में शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य 58 गांवों की 32,700 रिहायशी आबादी को कवर करना था। सभी आयु समूहों की अस्पताल आधारित निगरानी के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के बारे में एक सामुदायिक सहगण अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन का ध्यान खासकर एक समुचित विशेषीकृत स्थल तैयार करना है जहां मलेरिया वैक्सीन का भविष्य में परीक्षण करने के लिए रोग की जानपदिक रोग संबंधी स्थिति, प्रतिरक्षा अनुक्रिया, परजीवी आनुवांशिक विविधता और वैक्टर की विशेषताओं की बेहतर ढंग से समझा जा सके। प्रस्तावित वैक्सीन पेप्टाइड बेस्ड मल्टीस्टेज मौलेक्यूल है।

बड़े पत्तनों का सुधार

5730. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 बड़े समुद्रीय पत्तनों के उन्नयन, विस्तार और सुधार के लिए 50,000 करोड़ रु. के निवेश का अनुमोदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय परिव्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उपलब्ध होने वाली अवसंरचना की तुलना विश्व के इसी तरह के बेहतरीन पत्तनों से की जा सकेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सभी बड़े पत्तनों समुद्रीय पत्तनों का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (च) पोत परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1,00,339 करोड़ रु. के निवेश से एक निर्धारित अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु कुल 387 परियोजनाओं का पता लगाया गया है। इसमें से, 12 महापत्तनों में कार्यान्वित किए जाने हेतु 55,804 करोड़ रु. की धनराशि के निवेश से कुल 276 परियोजनाओं का पता लगाया गया है। महापत्तनों की परियोजनाएं, पत्तन-जलमार्गों को और अधिक गहरा किए जाने, घाटों को विकसित किए जाने, जहाज़ी माल संभालने के उपस्करों को आधुनिकीकृत बनाए जाने और उनका उन्नयन करवाए जाने, पत्तनों और पश्चभूमि के बीच रेल और सड़क-संपर्क बढ़ाए जाने तथा अन्य संबद्ध परियोजनाओं से संबंधित हैं। महापत्तनों के लिए निवेश में से, 34,505 करोड़ रु. की धनराशि, गैर-सरकारी क्षेत्र से, मुख्यत: घाटों एवं टर्मिनलों को विकसित करवाए जाने जैसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य क्रियाकलापों में निवेश की जानी परिकल्पित हैं उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पहचानी गई परियोजनाएं, वर्ष, 2011-12 तक की अवधि में कार्यान्वयन के लिए आरंभ किए जाने की आशा है। फिर भी, वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिए जाने तथा कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग परियोजनाओं के लिए कार्य को सौंपने जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाले समय और संभावित मांग तथा धनराशि की उपलब्धता सहित निष्पादन की गति और संबंधित घटकों पर निर्भर करेगा। उपर्युक्त का उद्देश्य, भारत में पत्तन-अवसंरचना का उन्नयन किया जाना और उसका आधुनिकीकरण किया जाना है, जिससे वह वैश्विक मानदंडों के अनुरूप अपने कार्य-निष्पादन के मानक ला पाने में समर्थ होगा।

[हिन्दी]

राज्यों को राजस्व की हानि

5731. श्री राकेश सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कोयला कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के करार के अभाव में पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क से मिलने वाले राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजनार्थ कोयलाधारक अधिनियम को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) कोयला कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के करार के अभाव में पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क से मिलने वाले राजस्व की राज्यों को हो रही हानि के बारे में कोयला मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव कोयला मंत्रालय के समक्ष नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों हेतु प्रस्ताव

5532. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों हेतु असम सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है और इनके लिए कितनी केंद्रीय सहायता मांगी गई है और कितनी आबंटित की गई है;

(घ) स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और

(ङ) इन परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम में शामिल सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण के लिए असम सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों, अनुमोदित प्रस्ताव और स्वीकृत तथा आबंटित धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव (संख्या में)		अनुमोदित प्रस्ताव (करोड़ रु.)		आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	
	योजनागत कार्य	एसएआरडीपी-एनई	योजनागत कार्य	एसएआरडीपी-एनई	योजनागत कार्य	एसएआरडीपी-एनई
2002-05	37	—	119.86	—	73.75	—
2003-04	28	—	102.32	—	108.00	—
2004-05	21	—	93.03	—	79.80	—
2005-06	19	—	77.45	—	59.50	—
2006-07	15	15	92.94	342.33	79.10	56.00

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के लिए असम सरकार का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है।

(ङ) सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और असम लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिकी आधार पर आबंटित धनराशि में से किए जाते हैं तथा शेष धनराशि को अगले वर्ष के आबंटन में शामिल कर लिया जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान योजनागत तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम कार्यों पर हुए व्यय का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	योजनागत कार्य व्यय (करोड़ रु.)	एसएआरडीपी-एनई व्यय (करोड़ रु.)
2002-05	73.17	—
2003-04	106.98	—
2004-05	78.00	—
2005-06	58.00	—
2006-07	77.14	39.21

एमपीलैड योजना का कार्यान्वयन

5733. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की संशोधित एमपीलैड दिशा-निर्देशों के प्रकाश में एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में संलग्न जिला अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के प्रबोधन हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में जिला अधिकारियों द्वारा कार्य को पारदर्शी, जवाबदेहीपूर्ण और प्रभावी ढंग से कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) जी हां। सां.स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार को स्था.क्षे.वि. योजना के कार्यान्वयन के साथ जुड़े जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है। जब कभी, राज्य/संघ

शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा इन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिला अधिकारियों के ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों द्वारा ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सां. स्था.क्षे.वि. योजना संबंधी दिशा-निर्देश वित्तीय अनुशासन, अत्यधिक पादर्शिता और बढ़ी हुई जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं क्योंकि निधि का जारी किया जाना मासिक प्रगति रिपोर्टों, उपयोगिता प्रमाणपत्रों और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने से जुड़ा है। योजना की प्रगति की केन्द्रीय तथा राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर आवधिक समीक्षा की जाती है। प्रत्येक जिले को कार्यान्वयन की प्रगति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। योजना के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा सां.स्था.क्षे.वि.यो. कार्यों का वास्तविक प्रबोधन भी शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

डाक टिकटों का मुद्रण

5734. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा भुगतान पर डाक टिकटों के मुद्रण की अनुमति देने हेतु नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की डाक टिकटों को बंद किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं। व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा भुगतान करने पर डाक-टिकटों के मुद्रण के संबंध में नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर डाक-टिकटों के मुद्रण को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़कों/पुलों के पुनर्निर्माण हेतु तकनीकी सहायता

5735. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में गत वर्ष की अभूतपूर्व बाढ़ के बाद महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंबई में सड़कों और पुलों के उन्नयन और पुनर्निर्माण हेतु विशेष तकनीकी और अन्य सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) इस मंत्रालय से ऐसी किसी सहायता की मांग नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए संयुक्त उद्यम

5736. **श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पड़ोसी देशों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संचारी तथा गैर-संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के लिए इन देशों के साथ कोई संयुक्त कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार नेपाल, बंगलादेश, म्यांमार, भूटान, आदि देशों ने काला-आजार, मलेरिया और इन्फ्लुंजा के क्षेत्र में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोग की इच्छा दर्शाई है।

(ग) और (घ) इन देशों द्वारा इन बीमारियों के नियंत्रण हेतु की जाने वाली प्रस्तावित संयुक्त कार्रवाई में रोगियों का शुरू में पता लगाने और उपचार के लिए बेहतर कार्यनीतियों का विकास, शीघ्र निदान के प्रयोगार्थ प्रशिक्षण देना और जानकारी को अद्यतन बनाना तथा प्रतिभागियों को तैयारी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षण देना शामिल है।

असम में बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं में बाधा

5737. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी निर्माण कार्य तथा फाइबर केबल की चोरी और निजी आपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए आंतरिक प्रचालनात्मक अवरोध के कारण बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं में बाधा पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीएसएनएल पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य संगठन के रूप में कार्य करना जारी रखने में सक्षम हो पाएगा;

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इन संवेदनशील क्षेत्रों में निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक उपग्रह रेडियो प्रणाली शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) असम में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली (जीएसएम) आधारित सेल्यूलर मोबाइल सेवा निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई है:

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी निर्माण कार्य के कारण लंबी दूरी के संचार नेटवर्क में व्यवधान;

(ii) गैल्वेनाइज्ड आइरन (जीआई) पाइप की चोरी;

(iii) अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा अवरोध की संदेहास्पद कार्रवाई।

इस संबंध में अभी तक आंतरिक प्रचालनात्मक अवरोध संबंधी कोई मामला देखने में नहीं आया है। तथा, बीएसएनएल परियात को बहाल करने/व्यवधान को यथाशीघ्र दूर करने के भरसक प्रयास करता है।

(ख) वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान, बीएसएनएल के पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II नामक तीन दूरसंचार सर्किल शामिल हैं, ने 199.53 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। इसलिए बीएसएनएल के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्किल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हैं।

(ग) बीएसएनएल ने चोरी/अवरोध की घटनाओं के संबंध में राज्य के प्राधिकारियों को शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसके अलावा, क्षेत्र के अवसंरचना प्रदाताओं से बैंडविड्थ/ऑप्टिकल फाइबर लीज पर लिया है।

(घ) और (ङ) सीमित बैंडविड्थ उपग्रह माध्यम पर उपलब्ध है। आंतरिक तकनीकी-आर्थिक बाध्यताओं के कारण उपग्रह संपर्क ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली में उपलब्ध क्षमता के लिए कारगर सहायता (बैक-अप) मुहैया नहीं करा सकते।

कश्मीर मुद्दा

5738. श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के एक समाजशास्त्री ने कश्मीर मुद्दे के हल के संबंध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों को एक फार्मूला भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस फार्मूले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) ओस्लो के प्रेस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नार्वे के एक विद्वान

ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों को यह सुझाव देते हुए हल भेजा है कि कश्मीर घाटी तथा पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले को भारत-पाकिस्तान सहस्वामित्व वाला राज्य बना दिया जाए।

(ग) सरकार निराधार काल्पनिक प्रेस रिपोर्टों तथा इस तरह के व्यक्तिगत विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं करती है।

सड़क परियोजनाओं में तेजी लाना

5739. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं में तेजी लाने तथा भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता अंतरण तथा पर्यावरणीय मंजूरी जैसे अंतर-मंत्रालयी तथा केंद्र-राज्य मुद्दों पर विचार करने के लिए सचिवों की समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ने मंत्रालय को अनुमानतः 2,20,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह समिति परियोजनाओं में तेजी लाने में कितनी सहायक होगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति का गठन चालू राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में बाधाओं को दूर करने के लिए किया है जिसमें केंद्र-राज्य तथा अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता होती है। सचिवों की समिति की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं; प्रथम दिनांक 1.4.2005 को, दूसरी 3.11.2005 को और तीसरी 3.8.2006 को। इन बैठकों में विचार किए गए अनेक समस्याओं का अब समाधान किया जा चुका है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को 2,20,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 7 चरणों में कार्यान्वित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की है। सरकार ने अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-IIIक और चरण-IIIख को बढ़े हुए स्वरूप के अनुसार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V और VI को अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, निवेश 2,35,430 करोड़ रु. तक होगा।

(ङ) वे समस्याएं जिनमें केंद्र-राज्य तथा अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता होती है, का समाधान समिति द्वारा किया जाता है ताकि परियोजनाओं में होने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

[हिन्दी]

विदेश में भारतीयों की घटती संख्या

5740. श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या में विगत कुछ वर्षों में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय सबसे अधिक संख्या में किन-किन देशों से वापस आए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे भारतीयों की समस्याओं पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी नहीं। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ देशों को छोड़कर, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ रही है।

(ख) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रवासी भारतीयों की देशवार जनसंख्या

क्र. सं.		देश	विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय
1		2	3
1.	*	अफगानिस्तान	3,500
2.	*	अल्बानिया	8
3.	*	अलजीरिया	450
4.	**	अन्डोरा	200
5.	*	अंगोला	1,000
6.	**	अंगुइला	उपलब्ध नहीं
7.	**	एन्टीगुआ एण्ड बारबुडा	60
8.	*	अर्जेन्टीना	1400
9.	*	अर्मेनिया	720
10.	**	अरुबा	उपलब्ध नहीं
11.	*	ऑस्ट्रेलिया	2,23,600
12.	*	ऑस्ट्रिया	17,000
13.	**	अजर्बेजान	250
14.	**	बहामास	400
15.	*	बहरीन	2,60,400
16.	*	बंग्लादेश	1800
17.	**	बार्बाडोस	2,200
18.	**	बेलारूस	632
19.	*	बेल्जियम	16,133
20.	**	बेलिज	500
21.	**	बेनिन	450
22.	*	भूटान	शून्य
23.	**	बोलिबीया	उपलब्ध नहीं
24.	*	बोस्निया एवं हर्जेगाविना	30
25.	*	बोत्सवाना	11,000
26.	**	ब्राजील	1,000
27.	*	ब्रुनई दारुस्लाम	7500
28.	*	बुल्गारिया	192
29.	*	बुर्किना फासो	175
30.	**	बुण्डी	250
31.	*	कम्बोडिया	300
32.	**	कैमरून	250
33.	*	कनाडा	10,00,000
34.	*	केप वरदे आइलैण्ड	12
35.	**	कैमन आइलैण्ड	600
36.	**	सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक	उपलब्ध नहीं
37.	**	चाड	125
38.	*	चील	1180
39.	*	चीन (हांग कांग सहित)	47,250
40.	**	कोलम्बिया	345
41.	**	कोमोरोस	50
42.	*	कौंगो (डीआर)	4,000
43.	**	कौंगो (रिपब्लिक ऑफ)	उपलब्ध नहीं
44.	**	कुक आइलैण्ड	उपलब्ध नहीं
45.	*	कोस्टा रिका	32
46.	*	कोट डील्वोर	300

1		2	3
47.	*	क्रोशिया	39
48.	**	क्यूबा	उपलब्ध नहीं
49.	*	साइप्रस	2700
50.	*	चेक रिपब्लिक	500
51.	*	डेनमार्क	4,313
52.	**	डिजीबोटी	608
53.	**	डोमनिका	20
54.	**	डोम्निकन रिपब्लिक	उपलब्ध नहीं
55.	**	ईस्ट तिमोर	उपलब्ध नहीं
56.	**	इक्वाडोर	5
57.	*	इजिप्ट	1400
58.	*	अल सल्वाडोर	25
59.	**	इक्वाटोरियल गुनिया	उपलब्ध नहीं
60.	**	इरिटेरिया	1,753
61.	*	इस्टोनिया	60
62.	*	इथोपिया	2200
63.	*	फिजी	3,16,100
64.	*	फिनलैण्ड	2,490
65.	*	फ्रांस	2,85,160
66.	**	गाबोन	उपलब्ध नहीं
67.	*	जाम्बिया	103
68.	*	जॉर्जिया	115
69.	*	जर्मनी	68,500
70.	*	घाना	6,000
71.	*	ग्रीस	12,000

1		2	3
72.	**	ग्रेनाडा	उपलब्ध नहीं
73.	**	ग्रेनाडीनेस	उपलब्ध नहीं
74.	*	ग्वाटेमाला	24
75.	*	गुनिया	250
76.	*	गुनिया बिसाउ	31
77.	**	गुयाना	3,27,032
78.	**	हैती	उपलब्ध नहीं
79.	**	होली सी	उपलब्ध नहीं
80.	*	होन्डूरस	52
81.	*	हंगरी	159
82.	**	आसइलैण्ड	222
83.	*	इन्डोनेशिया	82,000
84.	*	इरान	1500
85.	*	इराक	9,000
86.	**	आयरलैण्ड	1,600
87.	*	इजराइल	64,000
88.	*	इटली	48,499
89.	*	जमैका	53,000
90.	*	जापान	15,000
91.	*	जोर्डन	8000
92.	*	कजाकिस्तान	2400
93.	*	केनिया	75,000
94.	**	किरीबाती	उपलब्ध नहीं
95.	**	कोरिया (डीपीआर)	10
96.	*	कोरिया (रिपब्लिक ऑफ)	4,000

1		2	3
97.	*	कुवैत	5,49,080
98.	*	किर्गिजस्तान	300
99.	**	लाओ, पीडीआर	उपलब्ध नहीं
100.	*	लातविया	40
101.	*	लेबनॉन	2
102.	*	लेसोथो	1,000
103.	*	लिबेरिया	1,010
104.	*	लिबिया	12,000
105.		लिचटेन्सटिनिया	3
106.	*	लिथूआनिया	71
107.	*	लेक्जमबर्ग	500
108.	*	मेसेडोनिया	7
109.		मडागास्कर	28,000
110.	*	मलेशिया	20,50,000
111.	*	मालावी	5,000
112.	*	मालदीव	21,196
113.	*	माली	35
114.	**	माल्टा	उपलब्ध नहीं
115.	**	मार्शल आइलैण्ड (रिपब्लिक ऑफ)	उपलब्ध नहीं
116.	*	मॉरिशानिया	33
117.	*	मॉरिशस	7,15,756
118.	**	मेक्सिको	400
119.	**	मेक्रोनेशिया	उपलब्ध नहीं
120.	*	माल्दोवा	15
121.	*	मंगोलिया	46
122.	**	मोन्टसेराट	उपलब्ध नहीं
123.	*	मोरक्को	211
124.	*	मोजाम्बिक	21,000
125.	*	म्यांमार	25,00,000
126.	*	नामीबिया	120
127.	**	नौरु	उपलब्ध नहीं
128.	*	नेपाल	55,00,000
129.	*	नीदरलैण्ड	21,000
130.	*	न्यूजीलैण्ड	97,000
131.	*	निकारागुआ	16
132.	*	नाईजर	40
133.	**	नाईजीरिया	25,000
134.	**	नॉर्वे	7154
135.	*	ओमान	3,84,961
136.	**	पाकिस्तान	उपलब्ध नहीं
137.	**	पलाउ (रिपब्लिक ऑफ)	उपलब्ध नहीं
138.	**	पलेस्टाइन (पीएलओ)	उपलब्ध नहीं
139.	*	पनामा	6000-7000
140.	**	पपुआ न्यूगिनी	1,000
141.	*	परागुए	300
142.	**	पेरू	300
143.	*	फिलीपींस	50,000
144.	*	पोलैण्ड	1642
145.	*	पुर्तगाल	75,000

1	2	3
146. *	कतर	2,00,000
147. *	रोमानिया	700
148. *	रूस परिसंघ	15,000
149. **	रवाण्डा	540
150. **	सामोआ	उपलब्ध नहीं
151. **	सान मरिनो	उपलब्ध नहीं
152. **	साओ टोम एण्ड प्रिंसिप (रिपब्लिक ऑफ)	उपलब्ध नहीं
153. *	सऊदी अरब	14,25,252
154. *	सेनेगल	187
155. *	सर्बिया एण्ड मोण्टेग्रो	28
156. **	सेसेल्स	5,000
157. *	सेरालियोन	820
158. **	सिंगापुर	4,00,000
159. *	स्लोवाक रिपब्लिक	60
160. *	स्लोवेनिया	30
161. **	सोलोमन आइलैण्ड्स	20
162. *	साऊथ अफ्रिका	9,18,400
163. *	स्पेन	28,000
164. *	श्रीलंका	15,01,500
165. **	सेंट किट्स एण्ड नेविस	200
166. **	सेंट लूसिया	200
167. **	सेंट विन्सेन्ट	160
168. *	सूडान	8,500
169. **	सूरीनाम	2,65,150

1	2	3
170. *	स्वाजीलैण्ड	350
171. *	स्वीडेन	17,000
172. *	स्वीट्जरलैण्ड	13,004
173. *	सीरिया	360
174. *	ताजिकिस्तान	400
175. *	तंजानिया	45,000
176. *	थाईलैण्ड	90,000
177. *	टोगो	200
178. **	टोंगा	उपलब्ध नहीं
189. *	त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो	5,21,400
180. *	ट्यूनेशिया	35
181. *	तुर्की	287
182. **	तुर्कमेनिस्तान	300
183. **	तुर्कस एण्ड कैकस आइलैण्ड्स	200
184. **	तुवालु	उपलब्ध नहीं
185. **	युगान्डा	13,500
186. *	युक्रेन	3000
187. *	संयुक्त अरब अमीरात	14,00,000
188. *	ब्रिटेन	15,00,000
189. *	संयुक्त राज्य अमेरिका	16,96,000
190. *	उरुग्वे	20
191. *	उज्बेकिस्तान	120
192. **	वनुआतु	50
193. & 194*	वेनेजुएला एण्ड नीदरलैण्ड्स एंटाइल्स	3500
195. *	वियतनाम	299

1	2	3
196. *	यमन	1,12,000
197. *	जाम्बिया	13,000
198. —	जिम्बाबवे	16,700

*भारतीय मिशनों से प्रापत सूचना के अनुसार अद्यतन।

**सरकार द्वारा नियुक्त एचएलसीआईडी की रिपोर्ट के अनुसार।

उपलब्ध नहीं: मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6561/2007]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 209(अ) जो 20 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन खतरनाक माल (आगमन, प्राप्ति, परिवहन, प्रहस्तन और भंडारण) विनियम, 2007 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6562/2007]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और तैनाती) संशोधन नियम, 2007 जो 30 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6563/2007]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पेपर ले होने के बाद बोलिए। आपको जो मुद्दा उठाना है, इसके बाद उठाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री : (श्री वायालार रवि) : मैं उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) का.आ. 366(अ) जो 14 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वेटिकन सिटी जाने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 के प्रचालन से छूट प्रदान की गई है।

(दो) का.आ. 690 (अ) जो 1 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इराक जाने वाले भारतीय नागरिकों के उत्प्रवास का प्रतिषेध किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6564/2007]

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय श्रीमती परमजीत कौर गुलशन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जानते हैं कि यह पेपर ले होने के बाद हो सकता है। पेपर ले होने के बाद इस पर आएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि ये सब पेपर ले होने के बाद होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : मैं नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नोटरी (संशोधन) नियम, 2007 जो 9 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 15 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6565/2007]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बाद बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) नियम, 2007 जो 14 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) संशोधन नियम, 2007 जो 16 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 296(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 2007 जो 19 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 2007 जो 19 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) विनियम, 2007 जो 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 281(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2007 जो 11 अप्रैल 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6566/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6567/2007]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन सांइस, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन सांइस, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6568/2007]

(5) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6569/2007]

(7) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रिजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6570/2007]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6571/2007]

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन मेडिसिन फॉर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन फॉर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6572/2007]

(13) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दसवां संशोधन) नियम, 2006 जो 29 दिसंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 28 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6573/2007]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6574/2007]

(2) भारत संचार निगम लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6575/2007]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 622(अ) जो 22 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (राजमार्ग क्रासिंग-बरेली खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए अधिकारी प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 681(अ) जो 27 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर रीवा बाइपास के प्रयोक्ताओं से प्रति चक्कर वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(तीन) का.आ. 611(अ) जो 20 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हावेरी-हुबली खंड) के निर्माण (चौड़ा करना/चार लेन वाला बनाना आदि), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 368(अ) से का.आ. 370(अ) जो 14 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में बाइपास यदि कोई हो, के निर्माण सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करना), अनुरक्षण प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 413(अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 (आगरा-ग्वालियर और ग्वालियर-झांसी खंड) के ग्वालियर बाइपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 517(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनाडोन-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 525(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर-राजमार्ग चौराहा खण्ड) के निर्माण चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 397(अ) जो 20 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-जमशेदपुर खण्ड) के निमार्ण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 500(अ) जो 30 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खण्ड) तथा मुजफ्फरपुर बाईपास के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 408(अ) जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 409(अ) जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 296(अ) जो 27 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पनीकोइली-रिमुली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 385(अ) जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (सुकिंडा-भुबाना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 499(अ) जो 30 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, जालंधर-II को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 457(अ) जो 28 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़-कोटा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 419(अ) जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11क तथा 12 के विभिन्न खण्डों पर विभिन्न पुलों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6576/2007]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 418(अ), जो 22 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के इसमें उल्लिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6577/2007]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि तथा यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनएच-11014/2/2004-पी एड एम जो 30 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, चेन्नई की नियुक्ति किए जाने तक पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, लखनऊ को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, चेन्नई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6578/2007]

(4) मोटर यान अधिनियम, 1998 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम 2007 जो 10 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 276(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 6579/2007]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 6580/2007]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

(इस समय श्रीमती परमजीत कौर गुलशन और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि मैं पेपर ले कराने के बाद ही आपकी बात सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आप पहले कालिंग अटेंशन लेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ी मदद कीजिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 15 मई 2007 को हुई अपनी बैठक में प्राप्ति मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में प्राप्ति किये गये केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं 15 मई, 2007 को राज्य सभा द्वारा यथापारित मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अठ्ठाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : महोदय, मैं 'पशुओं में संक्रामक और सस्पर्शजन्य रोगों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2005 के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2006 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य,

लोक सभा) की निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में की-गई-कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¾ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

संसद सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों और सुविधाओं के दुरूपयोग सहित कदाचार के मामलों की जांच करने हेतु समिति का गठन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि गत 26 अप्रैल, 2007 को मैंने श्री बाबू भाई के. कटारा, संसद सदस्य से अनुरोध किया था कि वे तब तक सदन की बैठकों में भाग न लें जब तक भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पारपत्र अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध इस मामले में नेताओं द्वारा विचार-विमर्श न कर लिया जाए और कोई निर्णय न ले लिया जाए। मैंने यह टिप्पणी भी की थी कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं माननीय नेताओं की एक बैठक बुलाऊंगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसे मामलों से कैसे निपटना है ताकि इस महान संस्था की प्रतिष्ठा कायम रह सके।

मैने 15 मई, 2007 को इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न पार्टियों के नेताओं की एक बैठक की थी। इस संबंध में मैं माननीय नेताओं के बहुमूल्य सुझावों के लिए उन सभी का आभारी हूं। माननीय नेतागण इस बात से पूर्णत: सहमत थे कि लोक सभा के सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों और सुविधाओं के दुरूपयोग सहित कदाचार के दृष्टांतों की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए।

तदनुसार मैंने एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं।

1. श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव—सभापति
2. श्री गुरुदास दासगुप्त
3. श्री अनंत गंगाराम गीते
4. श्री सी. कुप्पुसामी
5. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा
6. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
7. मोहम्मद सलीम
8. श्री बृज किशोर त्रिपाठी
9. श्री राजेश वर्मा
10. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
11. प्रो. राम गोपाल यादव

समिति, लोक सभा के सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों और सुविधाओं के दुरूपयोग सहित कदाचार के मामलों की, जो इसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर भेजे जाएंगे, जांच करेगी और प्रत्येक मामले में,

यदि कोई हो तो, कार्यवाही की सिफारिश कर उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

समिति यदि उचित समझे, उन कृत्यों को परिभाषित करने की वांछनीयता पर भी गौर करेगी जो सदस्य द्वारा किए गए कदाचार के रूप में माने जाएं और वह ऐसे कदाचार के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें भी करेगी।

समिति विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए प्राधिकृत है।

समिति अध्यक्ष द्वारा भेजे गए किसी मामले के सामान्यत: एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी।

अध्यक्ष इस बात का निर्णय करेंगे कि प्रत्येक मामले में संबंधित सदस्य अथवा सदस्यों को समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत समुचित निर्णय लिए जाने तक सदन की बैठक में भाग लेना है अथवा नहीं।

श्री बाबू भाई के. कटारा से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा की बैठकों में तब तक भाग न लें जब तक उन्हें अध्यक्ष से इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन आर ई जी ए) के कवरेज का विस्तार*

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, को 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक के अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में स्थानीय रोजगार देने की गारंटी है बशर्ते वे ऐसे रोजगार की मांग करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 1(3) में यह उल्लेख है कि यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।

आरंभ में देश में सभी राज्यों से 200 जिले निर्धारित किए गए थे और अधिनियम को 2 फरवरी, 2006 से क्रियान्वित किया गया था। अधिनियम की कवरेज को बढ़ाने की दृष्टि से दूसरे चरण के लिए 130 और जिले निर्धारित किए गए थे। सभी राज्यों से 130 और जिलों के चयन के लिए मानदंड और 113 जिलों के नामों की सूची, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, 7 मार्च को संसद के दोनों सदनों की मेज पर रखी गई थी। उत्तर प्रदेश के जिलों के घोषणा राज्य विधान सभा चुनावों को दृष्टि में रखते हुए राज्य में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण नहीं की गई थी। अब चूंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, उत्तर प्रदेश के इन 17 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दूसरे चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जोड़े जाने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम

क्र.सं.	जिलों के नाम
1	2
1.	झांसी
2.	कानपुर देहात
3.	मऊ
4.	सुल्तानपुर
5.	अंबेडकर नगर
6.	बस्ती
7.	महाराजगंज
8.	सिद्धार्थ नगर

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 6581/2007

1	2
9.	बहराइच
10.	बलरामपुर
11.	श्रावस्ती
12.	गौंडा
13.	बलिया
14.	बदायूं
15.	एटा
16.	फर्रुखाबाद
17.	संत कबीर नगर

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को इसके कार्यान्वयन के पहले चरण में 27 राज्यों में 200 निर्धारित जिलों में 2 फरवरी, 2006 को अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 1 (3) में यह उल्लेख है कि यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को जिस पर इसका विस्तार है, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा। तदनुसार, सरकार द्वारा दूसरे चरण में इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज को बढ़ाने की दृष्टि से 130 और जिलों को कवर करने का निर्णय लिया गया है। इन 130 अतिरिक्त जिलों में से 113 जिले 26 मार्च, 2007 को अधिसूचित किए गए थे जहां यह 01 अप्रैल से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के नाम राज्य विधान सभा चुनाव को देखते हुए राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण घोषित नहीं किए गए थे। चूंकि राज्य में अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है इसलिए 15 मई, 2007 को ये 17 जिले अधिसूचित कर दिए गए हैं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 6582/2007

बजट प्रावधान : केन्द्र सरकार ने 2006-07 के लिए 11300 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया था। वर्ष के दौरान एनआरईजीए कार्यान्वित करने के लिए चरण-I के 200 जिलों के पास 12072.51 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध थी। इसमें 8263.66 करोड़ रु. की केन्द्रीय रिलीज, 801.91 करोड़ रु. का राज्य अंश तथा 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार 2052.92 करोड़ रु. का अथशेष शामिल था। इसके अलावा, चरण-II के 113 जिलों को प्रारंभिक व्यवस्थाओं तथा आरंभिक खर्च के लिए 377.20 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2006-07 के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत 313 जिलों के लिए कुल केन्द्रीय रिलीज 8640.86 करोड़ रु. हो गई है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष (2007-08) के लिए 12000 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया है जिसमें से 1247.66 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है।

कार्यक्रम के परिणाम : वर्ष 2006-07 के दौरान 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 200 जिलों में कुल 90.40 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जबकि 2005-06 में एसजीआरवाई के अंतर्गत 586 जिलों में 82.18 करोड़ श्रम दिवस के रोजगार सृजित किए गए थे। इस प्रकार प्रति जिला औसतन 45.2 लाख श्रम दिवस का रोजगार सृजित किया गया है जबकि 2005-06 में एसजीआरवाई के अंतर्गत प्रति जिला औसत श्रमदिवस 14.02 लाख था। एनआरईजीए में 2006-07 के दौरान राज्यों के पास उपलब्ध 12072.51 करोड़ रु. में से कार्यक्रम के अंतर्गत 8812.60 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। 2006-07 में औसतन निधियों का उपयोग प्रति जिला 44.06 करोड़ रु. है, जबकि 2005-06 के लिए एसजीआरवाई के अंतर्गत निधियों का औसत उपयोग 12 करोड़ रु. प्रति जिला था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 8.31 लाख कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 3.83 लाख कार्य पूरे कर लिए गए हैं। नए तालाबों की खुदाई, सोख्ता टैंक, रोक बांध जैसे कुल 2.66 लाख जल संरक्षण कार्य शुरू किए गए हैं। पारंपरिक जलाशयों के पुनरूद्धार के 59924 कार्य किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूमि सुधार के लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 80794 कार्य शुरू किए गए हैं। लघु सिंचाई नहर जैसे 27682 अति लघु सिंचाई कार्य शुरू किए गए हैं तथा 88557 भूमि विकास कार्य शुरू किए गए हैं। 77305 वनरोपण कार्य किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1. 79 लाख सड़क कार्य शुरू किए गए जिनसे 22.89 लाख किलोमीटर लंबाई की और सड़कें बनीं। शुरू किए गए कुल कार्यों में से 74% कार्य जल संरक्षण कार्य हैं तथा 22% कार्य सड़क कार्य हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

निगरानी एवं सतर्कता :

– राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं ने चरण-I के सभी 200 जिलों का दौरा किया है। एनएलएम से प्राप्त जानकारियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

– एक वेब इनेबल्ड एमआईएस www.nrega.nic.in बनाया गया है जिसमें एनआरईजीए संबंधी सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को आम जानकारी के लिए रखा जाता है। वेब इनेबल्ड एमआईएस के परिचालन को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार को एक यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया है तथा इसे वेबसाइट पर डाला गया है।

– राज्य में सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्षेत्र स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है।

(तीन) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 29वें, 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-II में जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुपालन में, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 29वें, 30वें और 31वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रतिवेदन संख्या 29, 30 और 31 में क्रमश: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग संबंधी 48, 34 और 35 सिफारिशें हैं। सभा के बहुमूल्य समय को नष्ट किये बिना मैं सभा पटल पर की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6583/2007

अपराह्न 12.08 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सेतु समुद्र नहर परियोजना की स्थिति और इसके संरेखण के बारे में कथित विवाद

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मद संख्या 17, यथा, ध्यानाकर्षण पर विचार करने जा रहा हूं।

माननीय सदस्यों, सर्वश्री धर्मेन्द्र प्रधान, ए. कृष्णास्वामी, एन.एस.वी. चित्तन, एस.के. खारवेनथन तथा एम. अप्पादुरई के नाम पर सेतुसमुद्रम नहर परियोजना की स्थिति तथा इसके संरेखन के बारे में कथित विवाद के संबंध में ध्यानाकर्षण आज के आदेश पत्र में मद संख्या 17 पर आज सूचीबद्ध है।

इस बीच श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने 16.5.2007 के पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को उनकी जगह पर पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यानाकर्षण करने की अनुमति दी जाये।

मैंने इस अनुरोध को एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दे दी है लेकिन इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा अब पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री का ध्यानाकर्षण कर सकते हैं।

मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि कभी-कभी कुछ संवेदनशील मामले भावनात्मक रूप से लिए जाते हैं, लेकिन अंतत:, ये महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाता है। कृपया हम एक दूसरे को सुनें तथा उत्तर दें ताकि हमें जैसा उचित लगे इस मामले पर आगे बढ़ सकें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, ये लोग बोलकर चले जाते हैं, किसी को सुनते नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मेरा भी एक विषय है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। कुछ काम करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रूलस के अनुसार कालिंग अटेंशन पहले लेते हैं।

[अनुवाद]

मैं नियम का पालन कर रहा हूं, और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

रूल मैंने नहीं बनाया है आप सब लोगों ने बनाया है।

[अनुवाद]

कृपया इसे शालीनतापूर्वक करें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"सेतुसमुद्रम नहर परियोजना की स्थिति तथा इसके संरेखण के बारे में कथित विवाद।"

***पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : महोदय, वर्ष, 2006 के ओ.एस. सं. 59 के द्वारा अधीनस्थ न्यायधीश, रामानाथापुरम के माननीय न्यायालय में चल रहे और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बैंच में वर्ष, 2007 की रिट याचिका सं. 2262 (एम/बी) के तहत दायर दो मुकदमों के लंबित होने से, सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामला न्यायाधीन है। तथापि, उपर्युक्त न्यायालयों में चल रही कार्यवाहियों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, मैं इस सामान्य सदन के समक्ष यह तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत कर रहा हूं।

सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना

सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना, जो कि 150 से अधिक वर्षों से प्रायद्वीपीय भारत के लोगों, खासतौर पर तमिलनाडु के लोगों की लंबे समय से चली आ रही एक मांग रही है, में पाल्क की खाड़ी के रास्ते मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़े जाने की दृष्टि से, एक पोत जलमार्ग का निकर्षण किया जाना शामिल है ताकि अपेक्षित डुबाव के आधार पर भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच चलने वाले पोतों को भारत की स्वयं अपनी जलसीमा में प्रायद्वीप के चारों ओर अबाध नौगम्य समुद्रीय मार्ग उपलब्ध हो सके। इससे इन पोतों को 424 समुद्रीय मीलों की दूरी और 30 घंटे तक के नौचालन समय की बचत होगी।

इस परियोजना का राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है और साथ ही इस परियोजना से तटों के बीच अपेक्षाकृत और तेज़ पहुंच के साथ-साथ अनुक्रिया समय को कम करने में भी सक्षमता आयेगी।

माननीय प्रधानमंत्री ने 2, जुलाई, 2005 को, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की माननीय अध्यक्षा तिरुमति सोनिया गांधी, तमिलनाडु के मौजूदा माननीय मुख्य मंत्री डा. कलईग्नार एम. करुणानिधि और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उपर्युक्त परियोजना पर कार्य के प्रारंभ का उद्घाटन किया था। उस समय से इस परियोजना का कार्य बिना रूकावट के चल रहा है। अब तक 14.56 मिलियन घन मीटर की कुल मात्रा का निकर्षण किया जा चुका है।

सेतु समुद्रम नहर की सीध का चयन

वर्ष, 1996 में सरकार ने इस परियोजना के लिए तूतीकोरिन पत्तन-न्यास को एक नोडल अभिकरण बनाने का निर्णय लिया था। तूतीकोरिन पत्तन-न्यास ने मार्च, 1998 में परियोजना की प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच (आई ई ई) करने के लिए मै. नेशनल इन्वायरनमैन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एन ई ई आर आई) को काम पर लगाया। मै. एन ई ई आर आई ने नहर के लिए 5 वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया, जिनमें से सीध संख्या 1, 2 और 3 को पहले अस्वीकार कर दिया था। सीध सं. 4, रामेश्वरम द्वीप से काटते हुए (कोडान्डरमस्वामी मन्दिर तथा धनुषकोडी के बीच) तथा सीध सं. 5, धनुषकोडी के चारों ओर के बारे में विकास सलाहकार (पत्तन), पोत-परिवहन-विभाग की अध्यक्षता वाली संचालन समिति के साथ विचार-विमर्श किया गया था। विभिन्न पहलुओं जिनमें पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा नौचालनात्मक पहलू भी शामिल हैं को ध्यान में रखते हुए मूनरु इरुप्पु चतराम के समीप संचालन समिति द्वारा सुझाए गए सीध सं. 4 की सर्वोत्तम विकल्प के रूप में सिफारिश की गई थी।

एन ई ई आर आई द्वारा आई ई ई का प्रस्तुतीकरण मार्च, 1999 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष किया गया था। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने अपने दिनांक अप्रैल, 1999 के पत्र द्वारा सूचित किया कि प्रथम दृष्टि में वे इस परियोजना के हक में नहीं थे क्योंकि मैरिन पार्क तथा इस क्षेत्र में स्थित जीव मंडल के संबंध में गंभीर पर्यावरणीय उलझनें थीं। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा व्यक्त सुस्पष्ट विचारों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन तथा पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन-अध्ययन तैयार करने का प्रस्ताव किया गया था। नये अध्ययन कराने

*ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 6584/2007

[श्री टी.आर. बालू]

के लिए अनुमोदन तिरु अरुण जेटली, तत्कालीन मंत्री (भू-तल परिवहन) द्वारा 09.03.2001 को दिया गया था। इन अध्ययनों को अक्तूबर, 2001 में एन ई ई आर आई को सौंपा गया था।

सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना के लिए द्रुत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर प्रगति-रिपोर्ट की प्रतिलिपि एन ई ई आर आई से अक्तूबर, 2002 को प्राप्त हुई थी, जिसकी एक प्रतिलिपि उपर्युक्त विषय के सार सहित तत्कालीन **मंत्री (पोत-परिवहन) तिरु टी.पी. गोयल के कार्यालय को दी गई थी। तत्कालीन राज्य-मंत्री (पोत-परिवहन) (तिरु सु. तिरुनावुक्करसर) द्वारा 23.10.2002 को एक पुनरीक्षा बैठक** आयोजित **की थी।**

यह नोट करना उपयुक्त है कि "विकल्पों के विश्लेषण" पर सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना के लिए द्रुत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर प्रगति रिपोर्ट की निम्न प्रकार संस्तुति की गई:—

> "इस प्रकार, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय सहित हर प्रकार से धनुषकोडी द्वीप से और आगे की सीध सर्वोत्तम विकल्प प्रतीत होती है। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि **जहाज़ नहर, पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए तथा आगे उत्तर-पूर्व से पम्बन द्वीप के दक्षिण तक, एडम्स ब्रिज को काटते हुए, तत्पश्चात् अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी—जहाज़ी नहर में मिलने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय मीडियल** लाइन के समान्तर चलते हुए मन्नार की खाड़ी में तूतीकोरिन नया बंदरगाह से शुरू होनी चाहिए।"

तत्कालीन राज्य-मंत्री (पोत-परिवहन) ने 7 मीटर की प्रारंभिक गहराई पर निर्णय तथा इस जहाज़ी नहर के लिए बाद के चरणों में 9 मीटर/12 मीटर/14 मीटर की गहराई के लिए एक सुस्पष्ट 'सैद्धांतिक' अनुमोदन मांगते हुए मंत्री (पोत-परिवहन) **(तिरु टी.पी. गोयल) को दिनांक 25.10.2002 को एक नोट प्रस्तुत किया। तत्कालीन पोत परिवहन मंत्री, तिरु गोयल ने 29.10.2002 को 09-10 मीटर** की गहराई से आगे विचार नहीं किए जाने और उपर्युक्त परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने तथा परियोजना को फास्ट ट्रैक आधार पर निष्पादित करवाए जाने की दृष्टि से सचिव, पोत परिवहन की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति गठित किया जाना अनुमोदित किया।

तत्कालीन उत्तरवर्ती पोत परिवहन मंत्री **तिरु शत्रुघ्न सिन्हा** ने राज्य सभा में प्रो. संकरलिंगम द्वारा उठाए गए अत्यावश्यक लोक महत्व (विशेष उल्लेख) के मामले के प्रत्युत्तर में 23.09.2003 को उन्हें परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ पम्बन द्वीप के पूर्व में एडम्स् ब्रिज से होते हुए चैनल की सीध के बारे में उल्लेख किया।

इस प्रकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा मोटे तौर पर तय किए गए सिद्धांत और मानक इस समय चैनल की सीध है, जो सीध संख्या 6 है।

सेतुसमुद्रम जहाज़ी नहर परियोजना के संबंध में आयोजित लोक सुनवाईयां

सितम्बर, 2004 से फरवरी, 2005 तक की अवधि के दौरान उपर्युक्त परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय अनापत्ति के बारे में छः तटीय जिलों में, तीन दौरों में, चौदह लोक सुनवाईयां की गईं थी। बाद में 31.03.2005 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने समुचित प्रक्रिया और विस्तृत छानबीन के बाद उपर्युक्त परियोजना को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की।

भू-तकनीकी अध्ययन

परियोजना प्राधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, एडम्स ब्रिज, इस क्षेत्र में लंबी समयावधि से अधिक में अवसादन द्वारा निर्मित छिछली मिट्टी की एक श्रृंखला है।

निकर्षणीयता और निकर्षित निचली मिट्टी की मात्रा आंकने की दृष्टि से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गहराई-मापन, उपतल-रूपरेखा (सब बॉटम प्रोफाइलिंग), निचली मिट्टी को प्रकम्पित करके, उसके नमूने के परीक्षण (वाइब्रोकोरिंग) और बरमा-छेदन से संबंधित छान-बीन जैसे विषयों से जुड़ा भू-तकनीकी अध्ययन किया गया था। विभिन्न अभिकरणों द्वारा एडम्स ब्रिज क्षेत्र में 20 मीटर की गहराई तक 81 क्षेत्रों में बरमा-छेदन से संबंधित छान-बीन की गई थी। वह नमूने परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संरक्षित रखे गए हैं और किसी प्रकार की भी छान-बीन के लिए उपलब्ध हैं।

तत्कालीन केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री, सुश्री उमा भारती ने यह इच्छा जाहिर की कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस भू-भाग की संभावित पैलियोजियोग्राफिक (पुरातत्व भूविज्ञान स्थिति) के निर्धारण की दृष्टि से एडम्स ब्रिज क्षेत्र में पहले के मौसमी ज्वार-चक्रों पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रारंभ करे। भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, तद्नुसार, दिसंबर, 2002 से मार्च, 2003 तक "रामेश्वरम परियोजना" के एक भाग के रूप में यह अध्ययन किए। इन अध्ययनों में, टोही-सर्वेक्षण, बरमा लगाना और अपतटीय सर्वेक्षण, गहराई मापने के आंकड़े एकत्र करना, समुद्र-तल के नमूने लिए जाना

और धनुषकोडी अग्रभूमि में समुद्र-तल के सोनार प्रतिबिंबों का पार्श्व पर्यवलोकन अध्ययन इत्यादि शामिल हैं। **इस अध्ययन में 205 मीटर की गहराई तक भी बरमे से छिद्र किए गए।** इन बरमा छिद्रों के अभ्यंतर तलछट/लॉग एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सघन मृदा, चुनेदार बालू-पत्थर और जीवाश्मी चूना पत्थर के निक्षेपित होने की ओर इशारा करते हैं। तलछट पैटर्न स्पष्ट रूप से पिछले समय में हुए समुद्रीय स्तर में हुए उतार-चढ़ाव की ओर इंगित करता है। प्राथमिक अध्ययन यह बताते हैं कि सभी बरमा छिद्र ऊपरी चतुर्थयुगीन अवधि (आज से 5 से 7 लाख वर्ष पहले) के भीतर के हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, यह नोट किया जाए कि एडम्स ब्रिज की उत्पत्ति के विषय पर नासा, संयुक्त राज्य अमेरीका ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है **"द्वीप को मुख्यभूमि से जोड़ने वाली रेत की सुज्ञात पट्टियां (टॉम्बोलोस) शामिल है......... अब आंशिक रूप से दबे हुए विशालकाय टॉम्बोलोस का उद्‌गम सामान्य रूप से लगातार गाद जमना और शक्तिशाली एक ही दिशा की ओर अथवा दो दिशाओं वाले मानसूनी लंबे तटीय प्रवाह को दर्शाता है"।**

टॉम्बोलो: रेत की एक पट्टी जो एक द्वीप को दूसरे द्वीप से अथवा मुख्य भूमि से जोड़ती है) वास्तव में एडम्स ब्रिज क्षेत्र में, पाल्क की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लगातार गाद आने का स्रोत हैं और दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण यहां दो दिशाओं वाला लम्बा तटीय प्रवाह होता है।

06 फरवरी, 2007 को परियोजना प्राधिकारियों तथा बाद में मंत्रालय ने नासा से अधिक ब्यौरे प्राप्त करने के लिए मामले को उठाया हैं।

अभी तक किए गए अध्ययनों और छान-बीनों में इस क्षेत्र में किसी मानव निर्मित ढांचे का कोई ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है।

धरोहर स्थल

उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी पुरातत्वीय अध्ययनों से इस क्षेत्र में पुरातत्वीय महत्व के किसी ढांचे की मौजूदगी का पता नहीं चला हैं। किसी निश्चित साक्ष्य के बिना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार सहित किसी भी उत्तरवर्ती सरकारों ने इस परियोजना स्थल अथवा उसके भाग को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित नहीं किया और न ही घोषित करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की।

उपर्युक्त उल्लेख के मद्देनज़र मैं यह कहना चाहूंगा कि सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना की सीध के अंतर्गत यूनिस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल अथवा सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं आता। इसलिए, इस परियोजना के कार्यान्वयन से ऐसी किसी धरोहर को नुकसान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यहां लोग बहुत तालियां बजा रहे हैं।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय के वक्तव्य को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा हैं यह बहुत ही निराशाजनक है, आपत्तिजनक है... *उन्होंने एनडीए सरकार के समय के बहुत से मंत्रियों का उल्लेख किया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सेतु सुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में विवाद नहीं है। विवाद इसके एलाइनमेंट के बारे में है। उन्होंने जानबूझकर, जब-जब कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बताया और कैनाल प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गयी, तो इस एलाइनमेंट को कभी स्वीकृति नहीं दी गयी। जब हमारे पास एक अल्टरनेट एलाइनमेंट मौजूद है। जैसे स्वेज नहर और पनामा नहर जिस प्रकार से निकाली गयी थी, उसी प्रकार धनुषकोटि के पास जो जमीन का हिस्सा है, उसमें से अगर कैनाल निकाल दी जाए और जहाजरानी वहां से हो जाए, तो न राम सेतु को...*(व्यवधान)* आप यह बात जरा वहां जा कर कहिए कि वहां राम सेतु नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हे कहने दीजिए। आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहें? आप उसपर बाद में उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : राम सेतु है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खारबेल जी काइन्डली बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इन लोगों को अनुमति देने की जरूरत नहीं है। श्री स्वाईं, कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं करें।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह काफी कठिन है। उन्हे बोलने दें। आप उसपर बाद में उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जब धनुषकोटि के पास इसे बनाया जा सकता है और इसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मंत्री महोदय जी जिद पर अड़े हुए हैं। वह जिद हिंदू भावनाओं पर कुठाराघात करने की है और किसी प्रकार से इसे पूरी तरह से नष्ट करने की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। वे उत्तर देंगे। आप क्यों चिंतित है? कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हम यहां आपकी तरह नहीं करते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। चार माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने बहुत से मंत्रियों के नाम उल्लेख किए, बहुत से कोट किए।...*(व्यवधान)* जस्टिस के.टी. थॉमस, जिन्हें अभी पद्म भूषण दिया गया और जिनका बहुत सम्मान है, जिनका हमारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हीं की पार्टी के साथ ताल्लुक रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वे कहते हैं:

"सेतु समुद्रम पोत नहर परियोजना जैसी इस परियोजना के लिए निर्णय केवल भूगर्भीय परिणामों के अध्ययन पर ही आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए तथा इस भूमि पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की परंपरा रही हैं अतएव यह मेरा निश्चित मत है कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाये"

यही न्यायमूर्ति थॉमस कहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, जस्टिस कृष्णा अय्यर जो आम तौर पर लैफ्टिस्ट माने जाते हैं, उन्होने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा।

[अनुवाद]

वे कहते हैं:

"मैं आपको कभी न लिखने की बजाय देर से सही लिखूं।"

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके लिए साक्ष्य देना होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हां, यह मैं आपको दूंगा। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अब सुनें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, यह क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं सभा को नियंत्रित कर रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप उन्हे परेशान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे बैठ जाने के लिए कहा। कृपया यह नहीं करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे उनकी देखभाल करने में सक्षम हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अभी डिफेंड कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. चक्रवर्ती, आप जो कुछ कर रहे हैं मैं उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि केवल प्रो. मल्होत्रा बोलें तथा किसी और का हस्तक्षेप कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें वे कहते हैं:

"मैं आपको कभी पत्र न लिखने की बजाय देर से ही सही पर पत्र लिखूं। विषय आपके ध्यान में होगा तथा यह सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है..... वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता तथा राष्ट्रीय चिंता के तथ्य। मेरी आपसे अपील है कि पुल या अन्य निर्माण रोक दी जाय, कार्य जो राष्ट्र तथा स्वराज के विपरीत है। सदियों से जिसे आवश्यक या व्यवहार्य नहीं समझा गया था किसी प्रकार हमारे लिए लाभप्रद नहीं माना गया उस सेतु समुद्रम जल में अमेरिकी उपस्थिति से हमारा देश कमजोर होगा तथा नए खतरे लाएगा।"

श्री टी.आर. बालू : अमेरिकी उपस्थिति कहां है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप नोट कीजिए तथा उसका उत्तर दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चुप नहीं रहूंगा। बार-बार मैं अनुरोध कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने इसकी संभावना व्यक्त की थी।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्हे उत्तर देने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार, मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूं। मैंने सभा के सभी वर्गों से अनुरोध किया था क्योंकि यह मामला इस ओर था उस ओर सभी लोगों को प्रभावित करता है। चूंकि इस मामले पर हम इस सभा में चर्चा कर रहे हैं, इसे हम उचित वातावरण में करें। आप पूरी तरह उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको पूरा अवसर प्रदान करूंगा। यदि आपको उत्तर देने का अवसर नहीं मिला तो मैं पूरी बहस कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप लगातार पीठासीन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द का उपयोग कौन कर रहा है? कृपया खड़े हो जाये। क्या इस प्रकार आप सहयोगियों से बर्ताव करते हैं?

आपके पास साहस नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वे आगे लिखते हैं:

"भारत के नाम पर तथा आपकी देशभक्ति की राजनीतिज्ञता को अपील करते हुए मैं आपसे अपनाए गए रूख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह राजनीतिक दल का कार्य, लोकप्रियता या अमेरिकी हितैषी होने का मामला है। मुझे आशा है कि भारत के कार्यकारी प्रमुख के रूप में संलग्न पत्र में उल्लिखित तथा जिससे राष्ट्र अपने अस्तित्व को परिभाषित करेगा, पर अपनी सोच लगाएंगे।"

अध्यक्ष महोदय : यह भद्र पुरुष का दृष्टिकोण है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वे कहते हैं कि परियोजना पर कार्य नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको उसे प्रमाणित करना होगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हां अध्यक्ष महोदय, अभी इसके अंदर और क्या-क्या चीजें हैं, उस पर भी मैं आता हूं। यहां पर राम सेतु को तोड़ने से 15 लाख मछुआरे बेकार हो जायेंगे और यहां पर फिशिंग की जो 600 प्रजातियां मिलती हैं, वे नष्ट हो जायेंगी। उन्होंने भी इसके बहुत खिलाफ कहा है। यहां तक कि सुनामी के आने के बाद यह स्टैबलिश किया गया कि अगर यह सेतु न होता, तो सुनामी से केरल का पूरा तट नष्ट हो जाता। उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। इस जगह पर थोरियम के भंडार हैं। आप सेतु को तोड़ने के लिए जो चीजें लगा रहे हैं, उससे थोरियम के सारे भंडार नष्ट हो जायेंगे। उसका भी इसमें बहुत...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं केवल पांच मिनट लूंगा। यहां इतना लंबा भाषण हुआ है। यहां 25-25 मिनट के भाषण हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : इतना लंबा भाषण कहां हुआ? यहां किसी ने लंबा भाषण नहीं दिया। केवल आप ही लंबा भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आपको इसके बाद बुलाया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री महोदय ने इसका उल्लेख किया है कि अमेरिकन प्रेशर की बात कहां से आई? श्री राष्ट्रपति जी ने प्रधान मंत्री कार्यालय को पत्र लिखा जिसमें इन चीजों को हाईलाइट किया। इसमें लिखा है:

[अनुवाद]

"भारत और श्रीलंका दोनों ने 1970-80 में जल को ऐतिहासिक रूप से पंजीकरण करने की कोशिश की। अमेरिका इसे दावे को नहीं मानता है।"

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से पढ़ रहे हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय मैं श्री रघुपति के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे कौन हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वे चेयरमैन हैं।

[हिन्दी]

जिनके बारे में पहले कहा गया था, यह उनका लैटर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हर पत्र बिना प्रमाण के नहीं पढ़ सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं अमेरिकी दवाब के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। कृपया नियम का उल्लंघन नहीं करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने पूछा कि अमेरिकन प्रैशर कहां है? अमेरिकन प्रैशर में आकर, मैं कहूंगा कि इसके स्कैम की बात अलग है किंतु धार्मिक आस्था का प्रश्न बहुत बड़ा है। आपने कहा कि राम सेतु नहीं है। पिछले साल यहां दिल्ली में रामलीला देखने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी गयी थीं। मैं भी उस वक्त वहां पर था। उसी राम सेतु के ऊपर से जो राम सेना जा रही है, उसे वहां रिपीट किया गया। हजारों सालों से करोड़ों लोग राम सेतु के एग्जिस्टैंस को मानते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, वे कह रहे हैं कि आप इसे स्वीकार नहीं करें। आप समुचित ढंग से उत्तर दे सकते हैं। श्री मल्होत्रा, अब आपको प्रश्न पूछना है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं पांच मिनट लूंगा। अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि यह आस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कालिंग अटैंशन में प्वाइंट ऑफ आर्डर का क्या मतलब है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये। आप सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर आप धर्म को नहीं मानते, उसमें आपकी आस्था नहीं है, तो आप इसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे नहीं चाहते हैं, तो प्रत्येक चीज कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है;

श्री अनिल बसु : महोदय, वे कुछ दस्तावेज तथा पत्र का उल्लेख कर रहे हैं। उन्हे इसका प्रमाण देना होगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जिस भी दस्तावेज से बोल रहा हूं। इसका प्रमाण दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसका हवाला दे सकते हैं किंतु इस प्रकार पढ़ नहीं सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इस बात का अनुरोध है कि आस्था का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है।..*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यहां जो लुटियंस जोन है...*(व्यवधान)* इस लुटियंस जोन के अंदर हमारे बंगले...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उसी की बात कहने जा रहा हूं। अगर लुटियंस जोन को रोका जा सकता है, इसका एक कमरा भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो राम सेतु कैसे तोड़ा जा सकता है। रामसेतु को तोड़ना, यह हमारी आस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। अगर राम सेतु को तोड़ा गया और राम सेतु को तोड़कर...*(व्यवधान)* राम सेतु तोड़ा जा रहा है।...*(व्यवधान)* राम सेतु नहीं तोड़ने दिया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, वह हर बार बाधा पहुंचा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। मैं आपका भाषण निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका भाषण निकाल दूंगा। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है मैं आपके भाषण को निकाल दूंगा। क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : वह इस प्रकार कैसे व्यवधान पहुंचा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कहने वाले आप कौन हैं? केवल श्री मल्होत्रा बोलेंगे। इस बारे में मैं निर्णय लूंगा। मैं कार्यवाही को पढूंगा और देखूंगा। मैं अब सभा को स्थगित करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : मंत्री जी बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णास्वामी, इसके तुरंत बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री मल्होत्रा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। कृपया यहां भावनाओं को नहीं भड़काएं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मंत्री जी बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि वह रामसेतु नहीं है। नासा ने वहां के जो चित्र लिए हैं, उनसे भी यह साबित होता है कि वहां सेतु है। हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की यह मान्यता है और आप भी हर बार रामलीला में जाते हैं, वहां पर रामसेतु का दृश्य देखते हैं, रामसेतु की पूजा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए उसके अलावा कुछ नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मंत्री जी फिर खड़े हो गए। मंत्री जी बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हद हो गयी। आप सब हद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना की स्थिति और इसके संरेखण के बारे में कथित विवाद—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के अंतर्गत चर्चा पूरी करते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बोल रहे थे। अब वह समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं उस समय कह रहा था कि मंत्री महोदय ने जितने भी तथ्य देने की कोशिश की है, वे पूरी तरह से असत्य का पुलिंदा हैं और जानबूझकर गलतबयानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां रेत का टीला है, जहां रेत बनती है और कोई सेतु नाम की चीज नहीं है। वहां पर जितने भी कटर लगाए थे ड्रेजिंग के लिए, वे सारे टूट गए और टूटने के बाद उन्हें बनाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। वहां अभी लोग गए थे और उन्होंने उस पुल पर चलकर दिखाया है। मीलों तक लोग उस पर चलकर दिखाते हैं। राम सेतु हिन्दुस्तान के 100 करोड़ हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक है। हर वर्ष हिन्दुस्तान में कम से कम लाखों जगहों पर रामलीलाओं में उसका मंचन किया जाता है और उसे दिखाया जाता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब उनके पास विकल्प मौजूद है, वैकल्पिक रास्ता है और कम कीमत पर बन सकता है, एक बटा दस कीमत पर बन सकता है और उसमें अमेरिकन प्रेजेंस भी नहीं होती, तो फिर क्यों उन्हें दिक्कत हो रही है। अमेरिका के दबाव में आकर सारे रास्ते को खोल देना और उसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम कर देना यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल प्रो. मल्होत्रा का भाषण सम्मिलित किया जाएगा और कुछ भी नहीं।

*(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं केवल इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि ध्यानाकर्षण के अंतर्गत केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भाषण नहीं दिया जाता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे भी शांत रहने का अनुरोध करूंगा। कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा का संचालन करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मिस्त्री जी, मल्होत्रा जी कंक्लूड कर रहे हैं, आप कोआपरेट करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आपको भी मौका मिलेगा और डीएमके को भी बोलने का समय दिया जाएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने नई बात बताई है। सारे गैजेट और सारे कटर टूट गए हैं। यह एक प्रकार से साजिश हो रही है। इस वजह से हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन होना वाला है और लाखों संत आंदोलन तथा सत्याग्रह करने वाले हैं। डायनामाइट लगाकर राम सेतु को उड़ाने की साजिश हो रही है।...* मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर जब बाबर की जीत हुई थी और वह हिन्दुस्तान में आया था तो उसने मीर कासिम को राम सेतु और राम मन्दिर को तोड़ने भेजा था।...* राम मन्दिर और राम सेतु हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारे आदर्श हैं, हिन्दुस्तान की जीवन पद्धति है। उसे तोड़ना सहन नहीं किया जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है, तो यह करके देख लें।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कृष्णास्वामी से बोलने का अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप क्या कर रहे है? आप इस सभा के अत्यंत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णा स्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : महोदय, सेतु समुद्रम परियोजना लगभग 150 साल पुरानी परियोजना है। यह तमिलनाडु के लोगों का स्वप्न है। यह एक राष्ट्रीय गौरव और सम्मान है। हालांकि इस परियोजना की संकल्पना ब्रितानियों ने की थी किंतु उनके शासन काल में यह कभी वास्तविकता नहीं बन सकी। हालांकि इस परियोजना की शुरूआत संप्रग सरकार के सत्तासीन होने के बाद हुई किंतु राजग सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी...*(व्यवधान)*

इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री तथा संप्रग की माननीया अध्यक्षा द्वारा किया गया था। गत दो वर्षों तक भाजपा ने मौन रखा। अब, इस परियोजना की शुरूआत के पश्चात् इन्होने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना आरंभ किया हैं रामलीला और राम सेतु की बात करके ये इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वास्तव में इसका नाम एडम्सब्रिज है...*(व्यवधान)* निश्चय ही माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।...*(व्यवधान)* इतिहास में भी इसे एडम्स ब्रिज कहा गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णा स्वामी, कृपया केवल स्पष्टीकरण मांगें।

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णा स्वामी : यह रामसेतु नहीं है।...*(व्यवधान)* कुमारी उमा भारती भी वहां गयी थीं,...*(व्यवधान)* यह एडम्स ब्रिज हैं, रामसेतु अथवा रामार ब्रिज नहीं है...*(व्यवधान)* यह ब्रितानी लोगों का सपना था। ब्रिटानियों ने इसे एडम्स ब्रिज कहा है। किंतु निश्चय ही भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है। वे दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार इन्होने अयोध्या मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण किया है उसी प्रकार वे इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं। वे इस मुद्दे के सहारे तमिलनाडु में प्रवेश चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* इस मुद्दे को इसी सभा में तमिलनाडु में भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अरिन्गार अन्ना ने उठाया था... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णा स्वामी : महोदय, अब एक प्रश्न सरेखण के बारे में उठा है। अतएवं, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सेतु नहर के वर्तमान सरेखण को अंतिम रूप देने से पूर्व समय-समय पर कुल कितने सरेखणों पर विचार किया गया था; वर्तमान सरेखण को कब अंतिम रूप दिया गया, क्या सरेखण मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल अथवा किसी संगठन द्वारा कोई आपत्ति अथवा विरोध जताया गया था। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन.एस.वी. चित्तन। श्री चित्तन, आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने लम्बा भाषण दिया। आपने उन्हे अनुमति दी। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया हैं कृपया हमारे पक्ष के साथ ही उदारता बरते।

महोदय, आरंभ में मैं हमारे माननीय मंत्री को उनके विस्तृत और ब्यौरेवार वक्तव्य के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिसमें सेतु समुद्रम परियोजना का पूरा इतिहास वर्णित था। जैसा कि उन्होने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है, यह परियोजना 150 वर्षों से भी अधिक समय से तमिलनाडु के लोगों का स्वप्न था। बहुत पहले, कवि सुब्रमणिया भारती, हमारे कद्दावर राष्ट्रीय नेता पेरुन्थलैवार कामराज, श्री के.टी. कोसल राम, अरिन्गार अन्ना, डा. कलैग्नार करुणानिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी नेताओं ने हमेशा इस महत्वपूर्ण परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु मांग की है तथा दबाव डाला है।

जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई 2005 को मैडम सोनिया गांधी जी, संप्रग सरकार की माननीय अध्यक्षा, डा. कलैग्नार, तमिलनाडु के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री तथा तमिलनाडु में अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस परियोजना के कार्यरम्भ का उद्घाटन किया था। तब से परियोजना पर कार्य अबाधित रूप से चल रहा है। 14.56 मिलियन क्युबिक मीटर का तलकर्षण हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका प्रश्न क्या है?

श्री एन.एस.वी. चित्तन : उद्घाटन के समय आप क्या कर रहे थे?...*(व्यवधान)* महोदय, मैंने अपना प्रश्न नहीं पूछा है। मैं अभी तक अपने प्रश्न पर नहीं आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य सहयोगी दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अथवा किसी अन्य सहयोगी पार्टी द्वारा परियोजना को रोकने अथवा इसमें विलम्ब करने का कोई प्रयास राष्ट्र की प्रगति, विशेषकर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बाधिक करेगा। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि राजग सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान कभी भी यह घोषणा नहीं की थी कि नहर में युनेस्को द्वारा घोषित कोई विश्व विरासत स्थल अथवा घोषित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं है। इस मुद्दे को उठाकर भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक फायदा उठाना चाहती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका प्रश्न क्या है?

श्री एन.एस.वी. चित्तन : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पुनर्सरेखण होता है तो भौतिक तथा वित्तीय रूप में इसके क्या संभावित प्रभाव होंगे। उस स्थिति में परियोजना की संभावित लागत कितनी होगी तथा इसमें कितना अधिक समय लगेगा? इस चालू सेतु-समुद्रम परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तक कितना व्यय हुआ है तथा परियोजना को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि परियोजना तमिलनाडु की आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से भगवान राम पर भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र स्वामित्व नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पक्ष में अनेक हिन्दू हैं। हम राम तथा हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं।

महोदय, उनकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उद्घाटन के समय रामनाथपुरम के राजा, जिन्होंने स्वामी विवेकानन्द को अमेरिका भेजा था, के उत्तराधिकारी वहां उपस्थित थे। महोदय, इस मुद्दे को उठाने में उनका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक लाभ प्राप्त करना है।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : सेतु समुद्रम शिप केनाल प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले पाक स्ट्रेट में उथले समुद्र के फैलाव के तलकर्षण के माध्यम से गल्फ ऑफ मन्नार से बंगाल की खाड़ी तक एक नौवहन योग्य नहर के निर्माण की अभिकल्पना की गई है।

उक्त परियोजना का प्रस्ताव पहली बार इंडियन मैरीन्स के एक ब्रिटिश ए.डी. टेलर द्वारा 1860 के दौरान किया गया था। स्वर्गीय नेता श्री के. कामराज के कहने पर माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरु की कैबिनेट द्वारा पहली बार 1955 में परियोजना को मंजूरी दी गई थी। परियोजना का 1955, 1983 तथा 1986 में अध्ययन किया गया था। राजग शासनकाल—1998 से 2003—के दौरान विभिन्न व्यवहार्यता अध्ययन किए गए तथा सरेखण सहित परियोजना को मंत्रियों श्री तिरुनवकरसार, श्री अरुण जेटली तथा अन्य भाजपा नीत राजग मंत्रियों द्वारा अनुमोदित किया गया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारवेनथन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री एस.के. खारवेनथन : डा. कलिंगर करुणानिधि के अनुरोध पर तथा हमारे माननीय मंत्री श्री टी.आर बालू के कठिन प्रयासों के कारण माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा मदुरै में 2 जुलाई, 2005 को योजना आरम्भ की गई, जिसकी अनुमानित लागत 2,500 करोड़ रुपए है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा?

दूसरी बात यह कि क्या 1998 से 2003 की अवधि में भाजपा नीत राजग शासनकाल के दौरान भाजपा मंत्रियों श्री अरुण जेटली, कुमारी उमा भारती तथा अन्य मंत्रियों द्वारा जांच के दौरान किसी समय कथित हैरिटेज फैक्टर "राम सेतु" मुद्दे को उठाया गया था?

****श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी) : सेतु समुद्रम परियोजना तमिलनाडु ब्रिटिश नैवल कमान्डर ए.टी. टेलर के 150 वर्ष पुराने स्वप्न का पूरा होना है, जिन्होंने पहली बार यह प्रस्ताव किया था। तत्पश्चात् हम इस पर अक्सर चर्चा करते रहे हैं। इस परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए भारत सरकार ने श्री ए. रामासावी मुदलियार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समय यह सिफारिश की गई थी कि सेतु समुद्रम परियोजना को तूतीकोरीन पत्तन परियोजना के साथ शुरू किया जा सकता है। उस समय इसका लागत अनुमान मात्र 10 करोड़ रुपए था। लेकिन 1963 में केवल तूतीकोरीन पत्तन परियोजना को अनुमति प्रदान की गई। यह 1975 में पूरी हुई। इसके

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. अप्पादुरई]

पश्चात् भी सेतु समुद्रम परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि होती रही। 1966 में इसके लिए 760 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। 1999 में एक घोषणा से यह आशा जगी कि परियोजना को 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सकता है।

लेकिन बाद में 2001 में 4.83 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया और वह भी परियोजना का आगे व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए। तथापि अध्ययन से 44 कि.मी. चैनल का कार्य करने के बारे में निर्णय लेने में मदद मिली। इस परियोजना के पूरा होने से प्रत्येक जहाज को द्वीप राष्ट्र के चारों ओर और 442 नौटिकल माइल्स की बहुस्थानिक परिघूर्णण मार्ग की विस्तारित यात्रा से 30 घंटे की बचत होगी। तूतीकोरीन परियोजना के विकास से तमिलनाडु में 13 छोटे बंदरगाहों में आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण राज्यों विशेषकर दक्षिणी जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तूतीकोरीन पत्तन, जिसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, अब इस क्षेत्र में कोलम्बो तथा सिंगापुर से भी बड़े और महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में उभर सकती है तथा अब हर साल दो हजार जहाजों को हैंडल कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के हल्दिया पत्तन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ईंधन की काफी बचत के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 50 हजार करोड़ रुपए की आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सांप्रदायिक ताकतें राम सेतु के नाम पर झूठा प्रचार कर रही है जिसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाना हैं नासा वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि एडम्स ब्रिज के उथले क्षेत्र के गल्फ में केवल रेत की पट्टी (सैंड टॉम्बोलो), वहां कोई मानव निर्मित ढांचा नहीं है। हमें विज्ञान तथा वैज्ञानिक सोच के साथ प्रगति करनी चाहिए। राम सेतु एक मिथक है और महज विश्वास है तथा इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा इसे वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सका है, क्योंकि 4 वर्षों के अध्ययन ने भाजपा के दावों का खण्डन किया है। हमें प्रगति के रास्ते में नहीं आना चाहिए। भाजपा कोथान्डा रामासावी टेम्पल-धनुषकोड़ी संरेखण को छोड़ने तथा वैकल्पिक संरेखण का सुझाव दे रही है। सुझाया गया संरेखण वास्तव में बड़ी पारिस्थितिकीय आपदा का कारण बन सकता है। इससे 12 किमी. के दायरे में 21 प्रवाल भितियां तथा उस क्षेत्र के विशाल मछली प्रजनन क्षेत्र प्रभावित होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए कि वहां केवल एडम ब्रिज है और राम सेतु नहीं है, उन तटीय क्षेत्रों को मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए हमें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। हमें मिथकों को तोड़ना चाहिए तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं समृद्ध इस परियोजना का निर्माण शीघ्र करना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या चालू सेतु समुद्रम परियोजना को बिना किसी विलम्ब के निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं एक सामान्य स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। नियमानुसार मुझे केवल पांच सदस्यों को समय देना हैं अन्यथा, मेरे पास एक लंबी सूची है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह बताया जाए कि एलाइनमैंट को मंजूर किया जाएगा या नहीं?... *(व्यवधान)* रामसेतु के डैमोलीशन को रोका जाएगा या नहीं?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, कृपया मुझे स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दें... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे अफसोस है।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं ध्यानाकर्षण लाने वाले मेरे घनिष्ट मित्र प्रो. मल्होत्रा तथा मेरे अन्य खास मित्र संसद सदस्य श्री ए. कृष्णास्वामी; संसद सदस्य श्री एन.एस.वी. चित्तन; संसद सदस्य श्री एस.के. खारवेनथन तथा संसद सदस्य श्री एम. अप्पादुरई को इस सभा में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं- भले ही वे अच्छी हों या बुरी।

इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम सरकार में सिर्फ संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। अनुच्छेद 51क मूल कर्त्तव्यों के बारे है। यह कहता है:

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि..."

मैं केवल दो भाग उद्धृत करूंगा/अनुच्छेद 51क (च) कहता है–

"हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;"

उप-खंड (ज) कहता है:

"वैज्ञानिका दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या आशय है? प्रो. मल्होत्रा आप मेरे मित्र हैं...*(व्यवधान)* वे जानते हैं कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : धार्मिक प्रतीकों के बारे में इस सभा में अधिनियमन पारित किया जा चुका है। उसमें कहा गया है कि रामजन्म भूमि के अतिरिक्त उन सभी अन्य धार्मिक प्रतीकों का अस्तित्व है, जो 1947 में थे...*(व्यवधान)* किसी भी धार्मिक सिम्बल को तोड़ा नहीं गया।

श्री टी.आर. बालू : मैं केवल संविधान के अनुच्छेद 51क की बात कर रहा हूं। यदि आप चाहते हो कि मैं संविधान का पालन करूं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं संविधान का ही पालन कर रहा हूं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

महोदय, मैं भारत के संविधान का पालन कर रहा हूं और मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों में ही नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों में भी वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहता हूं। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हम इस मामले पर स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : राम सेतु का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : कोई राम सेतु नहीं है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपसे सभा में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह करता हूं मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उत्तर देना है।

जहां तक भारत के मानचित्र का संबंध है, चाहे वह एनडीए सरकार का कार्यकाल हो अथवा स्वतंत्रता के बाद किसी अन्य सरकार का कार्यकाल हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, भारत के मानचित्र में कहीं भी कोई रामसेतु नहीं है। राम सेतु कहां है? मानचित्र में आदम का पुल कहां है? क्या वे मुझसे सहमत हैं या नहीं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी बोला जाएगा, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू : महोदय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा था कि मैंने सभा को गुमराह किया है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने सभा को गुमराह नहीं किया है। मेरे पास सरकार के सभी संबंधित रिकार्ड हैं, जिसमें उल्लेख है कि श्री अरुण जेटली ने इस परियोजना का प्रस्ताव किया था और श्री तिरुनवुकरसर ने इसका अनुमोदन किया था और श्री वी.पी. गोयल ने इसे अंतिम रूप दिया था। इसके अतिरिक्त इस विभाग के अंतिम मंत्री श्री शत्रुघ्न सिन्हा ने राज्य सभा के सदस्यों को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि "हम परियोजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, यदि वे चाहें तो मैं यहां सब कुछ पढ़ कर सुना सकता हूं। ये सभी सरकारी रिकॉर्ड हैं, जो एनडीए सरकार के कार्यकाल में भी यहीं थे।

इसके अतिरिक्त हमने आदम के पुल क्षेत्र में 81 बोर होल स्थापित किए हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उन्होंने आरोप लगाया है कि मैंने सभा को गुमराह किया है। मैंने सभा को गुमराह नहीं किया है। मैंने कभी भी सभा को गुमराह करने की कोशिश नहीं की है। वस्तुत: डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने हिन्दुओं सहित किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है ...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें मेरी बात के बीच में व्यवधान मत डालने दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी बोला जाएगा, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उन्होंने कहा है कि मैंने सभा को गुमराह किया है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि मैंने सभा को गुमराह नहीं किया है...*(व्यवधान)* महोदय भाजपा की तत्कालीन संसद सदस्य और एनडीए सरकार में मंत्री सुश्री उमा भारती ने इस मुद्दे पर भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) से चर्चा की थी और जी एस आई को पुरालिपि संबंधी अध्ययन करने का निदेश भी दिया। मैं भू-सर्वेक्षण विभाग के दिनांक सितंबर, 2003 खण्ड XVII सं. 2 के सरकारी न्यूजलेटर का हवाला देना चाहूंगा। इसमे कहा गया है कि

"दक्षिण भारतीय तट, उत्तरी श्रीलंका के तट और आसपास के क्षेत्र के बारे में नासा द्वारा जारी उपग्रह चित्र भारतीय समाचारों में प्रकाशित हुए जिसमें कहा गया था कि भारत और श्रीलंका कभी आदम के पुल से जुड़े हुए थे इसमें यह भी बताया गया है कि पुल शायद 0.175 एम.ए. के लगभग बना हो।"

महोदय, 0.175 एम.ए. का अर्थ है लगभग 17.5 लाख वर्ष पहले। इसमें आगे कहा गया है:

"तत्कालीन माननीय कोयला और खान मंत्री साध्वी उमा भारती ने इस समाचार में गहरी रुचि दिखाई और इस मुद्दे पर जी एस आई के महानिदेशक और जी एस आई की समुद्री स्कन्ध के उप-महानिदेशक से चर्चा की। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि जी एस आई को इस क्षेत्र के पूर्ववर्ती जलवायु उतार-चढ़ाव के बारे में अनुसंधान एवं विकास परियोजना चलानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र की संभावित पॉलियो ज्योगरफी स्थापित की जा सके।"

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इससे क्या सिद्ध होता है।?... *(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, इन्हें मंत्री की बात में व्यवधान नहीं डालना चाहिए...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा, "मैं गुमराह कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हां, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मैं उनका विरोध कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

"तदनुसार, जी एस आई की समुद्री स्कन्ध के उप-महानिदेशक श्री पी.सी. श्रीवास्तव ने बहुत ही कम समय में चार चरणों में एक विशेष कार्यक्रम "प्रोजेक्ट रामेश्वरम" तैयार कर आरंभ किया—(i) टोही सर्वेक्षण, (ii) धनुषकोड़ी फोरलैंड में ड्रिलिंग, बेथीमिट्रिक डाटा, समुद्री तल के नमूने, समुद्री तट की साइड स्कैन सोनर आकृतियों का संग्रहण (iii) भारत के ई ई जेड के भीतर एक द्वीप में ड्रिलिंग, और (iv) विगत में कालक्रमिक जलवायु परिवर्तन की संरचना हेतु नमूनों की डेटिंग सहित प्रयोगशाला अध्ययन। दिसंबर 2002 से मार्च 2003 तक स्वयं श्री श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व और त्रुटिहीन पर्यवेक्षण में युद्ध स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया गया।"...*(व्यवधान)*

"धनुषकोड़ी फोरलैंड और आदम के पुल के संभावित भूवैज्ञानिक वातावरण का पता लगाने के लिए भू-वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने हेतु उप सतह तलहट/चट्टानों के नमूने एकत्र करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर के तीन बोरहोल्स की ड्रिलिंग की गई। सी आर पी पी एफ शिविर के निकट मुंदरम छतरम में 120 मीटर गहराई तक पहले बोरहोल की ड्रिलिंग की गई, धनुषकोड़ी में 205 मीटर गहरे बोरहोल की ड्रिलिंग की गई तथा आदम के पुल के प्रथम द्वीप पर 103 मीटर गहरे तीसरे बोरहोल की ड्रिलिंग की गई।"

अंतत: परिणाय क्या रहा? "तलछटीय प्रवृति पूर्ववर्ती समुद्री स्तर के उतार-चढ़ाव के बारे में स्पष्ट संकेत देती है। प्रारंभिक अध्ययनों में सुझाव दिया गया है कि सभी बोरहोल अपर क्वाटरमेरी अवधि के अंदर हैं।"...*(व्यवधान)*

मैं उनसे पूछूंगा कि अपर क्वाटरमेरी अवधि क्या है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उन्हें तथ्यों को समझना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 205 मीटर लम्बा कोई रामसेतु नहीं था। वहां मानव द्वारा निर्मित कोई पुल नहीं था...*(व्यवधान)* शायद, मैं केवल 12 मीटर तक ही जाऊं। उनकी समस्या क्या है? हम चैनल विशेष से 12 मीटर तक गाद निकालेंगे। परिस्थितियों के हिसाब से हम 20 मीटर अथवा 25 मीटर तक जा सकते हैं...*(व्यवधान)* हम 205 मीटर तक कर चुके हैं। उनकी समस्या क्या है? जहां तक हमारे द्वारा गाद निकालने का संबंध है, वहां मानव निर्मित कोई ढांचा नहीं है और यदि वे श्रीमद् वाल्मिकी रामायण को चुनौती देना चाहते हैं तो हम इस मामले पर चर्चा करेंगे...*(व्यवधान)* इस सेतु विशेष का आरंभ कहां से हुआ? वाल्मिकी रामायण अथवा किसी अन्य रामायण में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख कहां है? उन्हें बताना चाहिए कि इसका उल्लेख कहां किया गया है?...*(व्यवधान)*

अनेकों कहानियां हैं। यह कल्पना है...*(व्यवधान)* रामायण एक कल्पना है। सभी ने इसे स्वीकार किया है। उनकी चिन्ता क्या है? ...*(व्यवधान)* हमने कभी भी हिंदुओं, न केवल हिन्दुओं परंतु सिक्खों, मुसलमानों, इसाइयों और किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं किया ...*(व्यवधान)* मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे अपना कॉर्ड न खेलें... *(व्यवधान)*

मेरे मित्र मल्होत्रा जी और अन्य लोगों ने वर्तमान में 400 वर्ष पुरानी मुसलमानों की मस्जिद को गिरा दिया। अब वे दावा कर रहे हैं कि हम राम सेतु को गिरा रहे हैं, जोकि है ही नहीं, जबकि वे 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को गिरा चुके हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री टी.आर. बालू : वह इतिहास था। यह इतिहास नहीं है। यह सब काल्पनिक है...*(व्यवधान)*

हमने हिन्दुओं अथवा किसी भी धर्म की भावनाओं को कभी भी आहत नहीं किया है। हम धर्मनिरपेक्ष है; यह सरकार आपसे अधिक धर्मनिरपेक्ष है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.30 बजे

(इस समय श्री रतिलाल कालीदास वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 2.30 $^1/_2$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे।

(व्यवधान)

(एक) उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत ग्वालियर से शिवपुर कलां तक मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा रेल लाइन के आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत ग्वालियर से श्योपुर कलां मार्ग पर जो ट्रेन चलाई जा रही है उसमें यात्रियों को सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। पिछले कई वर्षों से यात्रियों को पीने का पानी, शौचालय, गर्मी में गर्म हवा, सर्दियों में ठिठुरन, बरसात में पानी से परेशानी होती है परंतु यात्रियों की कठिनाई दूर नहीं की जा रही है।

मेरा आग्रह है कि उक्त मार्ग का रेल मंत्रालय गेज परिवर्तन कर समस्या का निराकरण करें।

(दो) उत्तराखंड में उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे राशन के कोटा को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देश में और विशेषकर उत्तराखंड में खाद्यान्न का वितरण करने में असफल हो रही है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में खेती नाम मात्र की है और आजीविका के साधन भी नहीं के बराबर हैं। इस कारण वहां की अधिकांश जनता सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर है।

सूखा, भारी हिमपात व ओलावृष्टि से यहां की फसलें बरबाद हो चुकी हैं और दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं गेहूं, चावल, चीनी आदि की कीमतें खुले बाजार में आसमान छू रही हैं। इस कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये जीवन का संकट खड़ा हो गया है।

---

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

[श्री बची सिह रावत 'बचदा']

अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के खाद्यान्न गोदाम खाली पड़े हुए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का राशन कोटा घटा दिया गया है और गरीबी रेखा के ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोगों का खाद्यान्न आबंटन बंद हो गया है।

इन परिस्थितियों मे मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अतिशीघ्र उत्तराखंड राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटित करते हुए वहां के निवासियों को पूर्व की भांति खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाये।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के अजमेर जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजेमर) : भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी के उन्मूलन तथा ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर जाने से रोकने तथा स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसके अंतर्गत दूसरे चरण में भी राजस्थान के 6 जिलों को ही सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने तथा सभी प्रकार की पात्रता होने के कारण भारत सरकार तथा योजना आयोग से अनुरोध हैं कि पिछले 8 वर्षों से निरंतर अकाल एवं दुर्भिक्ष के थपेड़ों को सहन करने वाले 1050 गांवों वाले राजस्थान के बीचोंबीच स्थित अजमेर को भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में अगले दौर में अवश्य सम्मिलित किया जाये।

राजस्थान के अजमेर जिले का अधिकांश क्षेत्र भूजल की दृष्टि से अतिशोषित एवं अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। भूजल संसाधन में भी निरंतर भयंकर कमी हो रही है, जहां सन् 1984 में भूजल स्तर 7.70 अंकित हुआ था। वहां वर्तमान में यह 17-18 मीटर गहराई तक पहुंच गया है। पुष्कर गैप से अजमेर जिले में निरंतर थार रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। जिले में भुखमरी की स्थिति है। अजमेर में बड़े उद्योगों का अभाव है, रोजगार सृजन नहीं के बराबर है। वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष वर्ष भर आबादी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर जाने को मजबूर हैं।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जिले के ग्रामीण अंचल में रहने वाले एवं खेती पर आधारित गरीब किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास. मंत्रालय द्वारा परिवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अजमेर जिले को सम्मिलित किया जाये।

[अनुवाद]

(चार) कर्नाटक के हॉस्पेट और बेल्लारी जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-63 के क्षतिग्रस्त खंड की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. करूणाकर रेड्डी : (बेल्लारी) मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग-63 के द्वारा आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाली होस्पेट और बेल्लारी जिले के बीच की सड़कों की बदहाली के कारण स्थानीय लोगों को हो रही समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उपर्युक्त स्थान पर इस सड़क की लम्बाई 85 किलोमीटर है और यहां की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बड़े वाहनों की बात तो छोड़िए, छोटे वाहन भी इस सड़क से नहीं गुजर सकते।

सड़कों की खराब हालत के कारण लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और वाहनों की आवाजाही में बड़ी मुश्किलें आती हैं।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर गौर करने और इस सड़क की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर कराने संबंधी अनुदेश जारी करने तथा उच्च प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-63 की इतनी लम्बी सड़क को 6 लेन वाली बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच वाया क्योंझरगढ़ राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के लिए नई दिल्ली से सप्ताह में केवल चार दिन ही राजधानी एक्सप्रेस चलती है। ट्रेन संख्या 2421-2422 खड़कपुर-एडरा मार्ग पर चलती है जबकि ट्रेन संख्या 2443-2444 बरास्ता खड़कपुर और टाटानागर मार्ग से होकर गुजरती है। ये दोनों राजधानी ट्रेनें गया में अलग-अलग पहुंचती हैं और उसके बाद नई दिल्ली आती हैं। शेष तीन दिनों में नई दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। बनासपानी और दैतारी रेल लाइन का कार्य पूरा होने के बाद से अब बरास्ता बनासपानी और क्योंझरगढ़ से टाटानगर तथा जाजपुर के बीच सीधा रेल मार्ग उपलब्ध है। यह रेल लाइन सिंहभूम और क्योंझर के अधिकतम हिस्सों से होकर गुजरती है जहां पर खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और इन जिलों में सबसे अधिक इस्पात संयंत्र/स्पंज आयरन संयंत्र और अन्य खनन उद्योग भी स्थित हैं। इन दो जिलों के लोग छुट्टियों में और अन्य उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली आते रहते हैं। अत: इन जिलों को राजधानी एक्सप्रेस से जोड़ने का औचित्य बनता

है। यदि राजधानी एक्सप्रेस को क्योंझर जाने के लिए टाटानगर से न ले जाकर इसे जाजपुर-क्योंझर सड़क से जोड़ा जाता है और इसके बाद यह भुवनेश्वर की ओर जाती है तो इससे उड़ीसा और झारखंड के दो पिछड़े जिलों से नई दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इससे अधिकांश लोग लाभान्वित होंगे और इससे रेलवे को मालभाडे के रूप में भारी राजस्व प्राप्त होगा।

इसलिए, मैं मांग करता हूं कि शेष तीन दिनों के लिए भुवनेश्वर और नई दिल्ली को बरास्ता क्योंझरगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से बिना किसी और विलम्ब के जोड़ा जाए।

(छह) हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) और हरपाल (मध्य प्रदेश) के बीच रेल सेवाएं शुरू किए जाने तथा महोबा और खजुराहो के बीच रेल सेवाओं/सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में देश की आजादी के बाद से आज तक रेलवे द्वारा नई पटरी बिछाने का कोई ठोस कार्य नहीं कराया गया है। क्षेत्र की जनता में इस कारण रोष व्याप्त है, जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार सरकार ने नई रेल लाइन बिछाने की मांगें समय-समय पर की जाती रही हैं। हरपालपुर (मध्य प्रदेश) रेलवे स्टेशन से पनवाडी, राठ, मुस्करा, विवार, हमीरपुर मुख्यालय होते हुए हमीरपुर रेलवे स्टेशन तक, जिसकी लम्बाई लगभग 135 किलामीटर है, उक्त रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराए जाने की तुरंत आवश्यकता है, जिसके बनने से क्षेत्र के लोग सीधे लखनऊ से रेल यातायात से जुड जायेंगे तथा क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा। वर्तमान में हमीरपुर जनपद में रेल यातायात की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह क्षेत्र रेलवे विकास से पूर्णतया वंचित है। महोबा-खजुराहो रेल लाइन 30 जून, 2007 तक पूर्ण होनी है। महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल की बैठक दिनांक 8 फरवरी, 2007 को माननीय सांसदों के संज्ञान में लाया गया कि महोबा/खजुराहो में अतिरिक्त गाड़ी खड़ी करने के लिए पर्याप्त जगह एवं इंजन बदलने के स्थान जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं, न ही ऐसी कोई भविष्य की योजना है। अतः जनता की सुविधा हेतु गाड़ी खड़ी करने के लिए उचित जगह एवं अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था शेड सहित की जाए साथ ही इंजन बदलने की व्यवस्था करायी जाये। स्टाफ को रहने के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था कराई जाये। इस लाईन के पूर्ण होने पर दिल्ली से झांसी-महोबा होते हुए खजुराहो तक शताब्दी राजधानी एवं अन्य गाड़ियां तुरंत चलाई जायें। चित्रकूट मंडल में क्षेत्रीय असंतुलन एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए रेलवे का कोई कारखाना मेरे संसदीय क्षेत्र महोबा हमीरपुर में स्थापित किया जाये।

सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है उक्त सभी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूरे कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(सात) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के पश्चात् झारखंड विधान सभा और लोक सभा में झारखंड की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने हेतु कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल) : महोदय, जनगणना 2001 के आधार पर झारखंड राज्य के विधानसभा एवं लोक सभा के अनुसूचित जातियों के सीटों का परिसीमन होने से क्रमशः 5 एवं 1 सीट का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में झारखंड राज्य के सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के डेलिगेशन द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधि एवं कानून मंत्री, भारत सरकार, आदि से व्यक्तिगत साक्षात्कार कर आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों को परिसीमन के अंतर्गत नहीं घटाने का आग्रह किया गया। इस संबंध में झारखंड के संसद सदस्यों एवं विधान सभा के सदस्यों ने भी समय-समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये हैं, लेकिन इस संबंध में आज तक कार्रवाई शून्य है।

वर्तमान सरकार के एजेन्डा में भी आदिवासियों का कल्याण निहित है, परन्तु आदिवासियों के जनप्रतिनिधियों की संख्या में ही कमी हो जाएगी तो संसद एवं विधान सभा में आदिवासियों की आवाज उठाने वालों का क्या होगा?

अतः सरकार कानून में संशोधन लाकर झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में कमी नहीं करने का प्रावधान किया जाये और भारत के परिसीमन आयोग को झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में कमी नहीं करने हेतु आदेश जारी किया जाये।

अपराह्न 2.32 बजे

केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 19, श्री टी आर बालू जी।

(व्यवधान)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 के अंतर्गत केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, राज्य की सड़कों के विकास अनुरक्षण के लिए और रेल मार्गों के ऊपर या नीचे, सड़कों के सन्निर्माण के लिए हाई-स्पीड डीजल तेल पर उपकर के पचास प्रतिशत के आवंटन हेतु उत्तरदायी है।

धारा 10 के अंतर्गत आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम, "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के माध्यम से ग्रामीण आबादियों तक सभी मौसमों में संपर्क मार्ग की व्यवस्था करने हेतु उपयोग किया जाता है। जिसका प्रशासन ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत 2009 तक ऐसे सभी ग्रामीण आबादियों तक, जहां 1000 और इसके अधिक (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 500 और इसके अधिक) की जनसंख्या है तक सड़क संपर्क प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित होगा। निधि की इस कमी को पूरा करने के लिए चार वर्ष की अवधि के लिए 16,500 करोड़ रुपए उधार लेने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में ग्रामीण सड़कों के लिए उधार लेने के लिए और ऋणों के प्रतिदाय के लिए भविष्य में उपकर के आगम के उपयोग हेतु कोई उपबंध नहीं है। केन्द्र सरकार ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु निधियां जुटाने और उसके द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के विकास के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण के प्रतिसंदाय हेतु निधि के अंश के उपयोग हेतु आवश्यक उपाय करेगी। इसलिए केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 —धारा 9 में संशोधन

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

'2. केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ख) ऐसे उपाय करेगी जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए आवश्यक निधि जुटाने के लिए आवश्यक हो;" '। (3)

(श्री टी.आर. बालू)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 —संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 ... पंक्ति 4 में "2006" के स्थान पर "2007" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री टी.आर. बालू)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''सत्तावनवें'' के स्थान पर ''अठावनवें'' प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री टी.आर. बालू)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री टी.आर. बालू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.36 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भूमंडलीय तापन (ग्लोबल वार्मिंग)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दिनांक 8 मई, 2007 को श्री सी. के. चन्द्रप्पन द्वारा उठाए गए भूमण्डलीय तापन विषय पर आगे चर्चा करने संबंधी मद संख्या 20 को लेंगे।

अब, माननीय मंत्री बोलेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : उपाध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में भूमण्डलीय तापन के बारे में चर्चा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस सभा में बहुत गर्मी हो गई है।...*(व्यवधान)* आज भारतीय जनता पार्टी वातावरण में स्थित कार्बन डाइआक्साइड का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम सभी जानते हैं जब कार्बन डाइआक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है...*(व्यवधान)* जब कभी प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो सभा में रहना मुश्किल हो जाता है...*(व्यवधान)*

इस सभा में नारेबाजी जितनी बढ़ती जाएगी कार्बन डाइआक्साइड के स्तर में भी उतनी वृद्धि होगी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी न केवल कार्बन डाईआक्साइड का प्रतिनिधित्व कर रही है अपितु वह क्लोरो फ्लोरो कार्बन का भी प्रतिनिधित्व कर रही है। क्लोरो-फ्लोरो कार्बन वायुमंडल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली गैस है...*(व्यवधान)* अत: इस देश के राजनेताओं द्वारा इन संदूषणों के स्तर में कटौती करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 17 मई, 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 17 मई, 2007/27 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रेवती रमन सिंह	582
2.	श्री तथागत सत्पथी	583
3.	श्री अजीत जोगी श्रीमती पी. सतीदेवी	584
4.	श्री एस. अजय कुमार श्री मिलिन्द देवरा	585
5.	श्री हन्नान मोल्लाह	586
6.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	587
7.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	588
8.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल श्री हरिकेवल प्रसाद	589
9.	श्री रामजीलाल सुमन डा. चिन्ता मोहन	590
10.	श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील श्री काशीराम राणा	591
11.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रवि प्रकाश वर्मा	592
12.	श्री के.जे.एस.पी रेड्डी	593
13.	श्री पी.एस. गढ़वी श्री जे.एम. आरून रशीद	594
14.	श्री गिरिधारी यादव श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	595
15.	श्री संतोष गंगवार श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	596
16.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	597
17.	श्रीमती करूणा शुक्ला प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	598
18.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री ई.जी. सुगावनम	599
19.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	600
20.	श्री अधीर चौधरी श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	601

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	5634
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	5608, 5682
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5660, 5664
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	5619
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5520, 5614, 5631, 5734
6.	अजय कुमार, श्री एस.	5648
7.	अनंत कुमार, श्री	5566
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	5601
9.	अर्गल, श्री अशोक	5708
10.	आठवले, श्री रामदास	5549, 5638, 5677
11.	बैठा, श्री कैलाश	5702
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	5582, 5673, 5690, 5696

1	2	3
13.	बर्मन, श्री हितेन	5607, 5716
14.	बर्मन, श्री रनेन	5535, 5666
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	5525, 5641, 5659, 5665, 5726
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	5545, 5584, 5634, 5719
17.	भगोरा, श्री महावीर	5577, 5672
18.	भक्त, श्री मनोरंजन	5562, 5604, 5680
19..	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	5698
20.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5516, 5616, 5733
21.	बोस, श्री सुब्रत	5512, 5521, 5644
22.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	5571
23.	चक्रवर्ती, श्री अजय	5543, 5649
24.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5590, 5683
25.	चारेनामै, श्री मणि	5602
26.	चौरे, श्री बापू हरी	5707
27.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	5595
28.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5563, 5665
29.	चिन्ता मोहन, डा.	5598, 5653, 5669
30.	चौधरी, श्री पंकज	5710, 5712
31.	चौधरी, श्री अधीर	5617, 5719
32.	देवरा, श्री मिलिन्द	5636, 5725
33.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	5526, 5586, 5654, 5708
34.	धनराजू, डा. के.	5593, 5613
35.	धोत्रे, श्री संजय	5523, 5707, 5718

1	2	3
36.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	5540, 5632, 5735
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5550, 5557, 5592, 5671, 5720
38.	गमांग, श्री गिरिधर	5522
39.	गंगवार, श्री संतोष	5662
40.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	5707, 5718
41.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	5589
42.	हसन, चौधरी मुनव्वर	5567, 5684
43.	हुसैन, श्री अनवर	5572
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	5598, 5693
45.	जिन्दल, श्री नवीन	5530, 5622, 5728
46.	जोगी, श्री अजीत	5658
47.	कलमाडी, श्री सुरेश	5581
48.	कनोडीया, श्री महेश	5696
49.	करूणाकरन, श्री पी.	5579, 5670
50.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5585, 5586, 5646, 5660, 5676
51.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	5561
52.	खन्ना, श्री अविनाश राय	5544, 5637, 5722
53.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5518, 5579, 5593, 5624, 5729
54.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5524, 5623, 5678, 5724
55.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	5705
56.	कृष्ण, श्री विजय	5588, 5656
57.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	5713

1	2	3
58.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	5583
59.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5598, 5669
60.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5565, 5678
61.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5544, 5583, 5515
62.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5534, 5626, 5721
63.	महतो, श्री नरहरि	5521
64.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	5596
65.	महताब, श्री भर्तृहरि	5611, 5686
66.	महतो, श्री टेक लाल	5703
67.	माझी, श्री परसुराम	5697
68.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	5587
69.	मंडल, श्री सनत कुमार	5573, 5574
70.	माने, श्रीमती निवेदिता	5550, 5557, 5592, 5671, 5677
71.	मनोज, डा. के.एस.	5564, 5685
72.	मसूद, श्री रशीद	5593
73.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	5593
74.	मेघवाल, श्री कैलाश	5553, 5585, 5586, 5643, 5660
75.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	5569, 5717
76.	मैन्या, डा. टोकचोम	5558, 5714
77.	मिश्रा, डा. राजेश	5584, 5612, 5719
78.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	5560
79.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	5578
80.	मोहन, श्री पी.	5554, 5659
81.	मंडल, श्री अबु अयीश	5556, 5650
82.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5575, 5675
83.	नन्दी, श्री अमिताभ	5594, 5673
84.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5705
85.	नायक, श्री अनन्त	5576, 5667
86.	ओराम, श्री जुएल	5614, 5694
87.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5514, 5615, 5721
88.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	5541, 5633, 5670, 5736,
89.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5591
90.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	5528, 5621, 5709, 5723
91.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5706
92.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5585, 5663, 5691
93.	पटैरिया, श्रीमती नीता	5511, 5642
94.	पाठक, श्री ब्रजेश	5701, 5740
95.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	5708
96.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	5587
97.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	5519
98.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	5610, 5715, 5740
99.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	5568
100.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	5584, 5601, 5673, 5688
101.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	5704
102.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5627

1	2	3
103.	राजगोपाल, श्री एल.	5600, 5676
104.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	5513
105.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5551, 5651
106.	राणा, श्री काशीराम	5674
107.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	5709
108.	राव, श्री के.एस.	5667, 5699
109.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	5603, 5677
110.	रावत, प्रो. रासा सिंह	5536
111.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	5620, 5730
112.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5568, 5652
113.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5580
114.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	5673, 5699
115.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5661
116.	रिजीजू, श्री कीरेन	5552, 5591
117.	सज्जन कुमार, श्री	5584
118.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5531, 5625, 5739
119.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	5547, 5630, 5635, 5737
120.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	5679
121.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5583, 5606
122.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5640
123.	सेन, श्रीमती मिनाती	5573
124.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	5688
125.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	5559

1	2	3
126.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम	5570
127.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5645, 5660, 5664
128.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5555, 5610, 5701, 5715, 5740
129.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	5587, 5704
130.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5542, 5639
131.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	5529
132.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5533, 5706
133.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	5648, 5660
134.	सिंह, श्री दुश्यंत	5605, 5687
135.	सिंह, श्री गणेश	5538
136.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	5609
137.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	5557, 5720
138.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	5546
139.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	5517
140.	सिंह, श्री राकेश	5532, 5647, 5712, 5731
141.	सिंह, श्री रेवती रमन	5567
142.	सिंह, श्री सुग्रीव	5585, 5663, 5691
143.	सिंह, श्री उदय	5599, 5719
144.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	5537, 5630, 5732
145.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5618, 5727
146.	सुमन, श्री रामजीलाल	5653, 5669
147.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	5695

1	2	3
148.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	5527, 5628, 5738
149.	थामस, श्री पी.सी.	5597, 5689
150.	तुम्मर, श्री वी.के.	5661, 5665
151.	तोपदार, श्री तरित बरण	5700
152.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	5587, 5668
153.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5586, 5655
154.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5562, 5646, 5676
155.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5645, 5660, 5664
156.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	5539, 5692
157.	यादव, श्री गिरिधारी	5629
158.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	5740
159.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5711, 5712

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	583, 593, 595, 596
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	589, 592
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
विदेश	:	587, 590, 598
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	582, 584, 585, 591, 597, 599, 600
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	586, 594
योजना	:	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	588
युवक कार्यक्रम और खेल	:	601.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	5656
परमाणु ऊर्जा	:	5614, 5667
कोयला	:	5535, 5576, 5599, 5608, 5613, 5631, 5658, 5682, 5713, 5731
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	5512, 5518, 5527, 5555, 5559, 5568, 5579, 5584, 5592, 5610, 5611, 5612, 5627, 5629, 5630, 5657, 5659, 5661, 5662, 5675, 5678, 5686, 5693, 5694, 5700, 5717, 5734, 5737
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	5622, 5714
विदेश	:	5521, 5523, 5525, 5530, 5536, 5544, 5545, 5587, 5590, 5591, 5593, 5621, 5628, 5633, 5634, 5647, 5665, 5668, 5669, 5688, 5695, 5701, 5702, 5703, 5707, 5712, 5716, 5720, 5722, 5724, 5726, 5738

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	5515, 5524, 5528, 5531, 5532, 5539, 5548, 5551, 5554, 5557, 5558, 5562, 5565, 5567, 5569, 5573, 5594, 5603, 5606, 5609, 5624, 5625, 5632, 5637, 5642, 5645, 5646, 5648, 5653, 5660, 5663, 5664, 5670, 5673, 5676, 5679, 5681, 5683, 5685, 5687, 5715, 5719, 5721, 5723, 5727, 5729, 5736
प्रवासी भारतीय कार्य	:	5677, 5698, 5709, 5718, 5725, 5740
पंचायती राज	:	5522, 5553, 5661, 5577, 5578, 5639, 5643, 5644, 5699
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	5514, 5529, 5546, 5549, 5571, 5582, 5602, 5638, 5650, 5652, 5654, 5672, 5690, 5706, 5728
योजना	:	5547, 5552, 5556, 5574, 5583, 5588, 5598, 5600, 5620, 5651, 5655, 5704
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	5511, 5513, 5516, 5517, 5519, 5520, 5526, 5533, 5534, 5538, 5540, 5541, 5543, 5560, 5563, 5564, 5566, 5572, 5575, 5581, 5585, 5586, 5589, 5595, 5596, 5597, 5605, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5623, 5626, 5635, 5640, 5641, 5649, 5661, 5671, 5674, 5680, 5684, 5689, 5691, 5692, 5697, 5730, 5732, 5735, 5739
अंतरिक्ष	:	5696, 5710
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	5733
युवक कार्यक्रम और खेल	:	5537, 5542, 5550, 5570, 5580, 5601, 5604, 5607, 5636, 5666, 5705, 5708, 5711.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/27/31/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इंटरप्राइजेज द्वारा मुद्रित।